Thursday, 31 March, 1983

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवा सत्र)

Preservation Unit
Fumigated
On 30-7-83
Parliament Library

(खंड 36 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 24, गुरुवार, 31 मार्च, 1983/10 चैत्र, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2-20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 454,462, 466, 468, और 470	2-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	2-213
तारांकित प्रश्न संख्या : 452, 453, 455 से 459, 463 से 465, 467, 469, 471 और 472	20-28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5137 से 5339 और 5341 से 5371	28-213
सभा पटल पर रखे गए पत्र	213-216
विधेयकों पर अनुमति	216
लोक लेखा समिति	217
127वां और 128वां प्रतिवेदन	217
समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार के बारे में एक वक्तव्य कि वाशिंगटन में भारत के राजदूत संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस की एक समिति के समक्ष साक्ष्य देने गये ।	217-220
श्री पी० वी० नरसिंह राव	217
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	220
उग्रवादियों, प्रतिक्रियावादी तत्वों तथा धर्मान्ध लोगों की आतंककारी गतिविधियों में कथित वृद्धि, के कारण पंजाब में शान्ति का भंग होना ।	220
श्रीमती सुखबन्स कौर	220
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	220
श्री आर० एस० स्पैरो	223
श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार	227
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	231
सदस्य की गिरफ्तारी	236
(श्री ईरा अनबारास)	236
नियम 377 के अधीन मामले—	236-241
(एक) कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में फैल रहे घातक बंदर विषाणु रोग को रोकने की आवश्यकता	**236**
श्री ओस्कर फर्नान्डीस	236

*किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(दो) तमिलनाडु में सूखा राहत कार्य	
श्री के० मायातेवर	237
(तीन) कोल्हापुर में रुग्ण इंजीनियरी इकाइयों को बैंकों से ऋण दिया जाना	
श्रीमती संयोगिता राणे	237
(चार) तारीखेत, अलमोड़ा में बंद पड़ी कुमार ब्रोंज फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता, आदि देना	
श्री हरीश रावत	238
(पांच) देश के विभिन्न भागों में नहरों से पानी के रिसने को रोकने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री हरिकेश बहादुर	238
(छः) समुद्री नाविकों की मांगें	
श्री एम० एम० लारेंस	238
(सात) अमरीका की भारत के टुकड़े करने की कथित योजना के बारे में 'पैट्रिआट' तथा 'लिंक' में प्रकाशित समाचार	
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	239
(आठ) रेल कुलियों की सेवाओं को नियमित करना और उनकी दशा सुधारना	
श्री बापूराव परांजपे	240
(नौ) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का निपटारा करने के लिये एक आयोग गठित करने की आवश्यकता	
प्रो० के० के० तिवारी	241
अनुदानों की मांगें, 1983-84	242-272
रक्षा मंत्रालय	242
श्री हन्नान मोल्लाह	242
श्री आर० एस० स्पैरो	253
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	255
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	271
"काम के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने सम्बन्धी संकल्प	273-300
श्री चन्द्रपाल शैलानी	273
श्री एम० सत्यनारायण राव	273
श्री राजेश कुमार सिंह	279
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	281
श्री सुन्दर सिंह	283
श्री ओस्कर फर्नान्डीस	286
श्री हरीश कुमार गंगवार	287
श्री हरिकेश बहादुर	288
श्री धर्मवीर	289
केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में संकल्प	300-308
श्री अमल दत्त	300

लोक सभा

गुरुवार, 31 मार्च, 1983/10 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, छः मिनट देर हो गई है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती । आजकल यह प्रथा बन गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कहीं यह नियम न बन जाए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल यह कहता हूं कि सुधार हो सकता है ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि हमारे दो भूतपूर्व साथियों, सर्वश्री जंगबहादुर सिंह बिष्ठ और बाबूलाल तिवारी, का निधन हो गया है ।

श्री जंगबहादुर सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से 1957-71 के दौरान पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे ।

उससे पूर्व 1930-37 के दौरान वह उतर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य रहे थे ।

श्री बिस्ट का 12 मार्च, 1983 को 83 वर्ष की आयु में नैनीताल में स्वर्गवास हुआ ।

श्री बाबूलाल तिवारी मध्य प्रदेश में निमाड़ निर्वाचन क्षेत्र से 1952-62 के दौरान पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे ।

श्री तिवारी एक कृषक थे, जिन्होंने सामाजिक कार्य और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में गहन रुचि ली । वह हरिजन सेवक संघ के एक सदस्य थे और खांडवा गोरक्षण संस्था के कई वर्ष तक सचिव रहे ।

उनका 17 मार्च, 1983 को 88 वर्ष की आयु में खांडवा मे स्वर्गवास हुआ ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सदन यकीनन शोकसंतप्त परिवारों को संवेदनाएं भेजने में मेरे साथ शरीक होगा ।

सदस्यगण अपना शोक व्यक्त करने के लिए अपने स्थानों से उठकर थोड़ी देर तक मौन रहें ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह उपस्थित नहीं हैं। श्री आर० पी० गायकवाड़ भी उपस्थित नहीं हैं। तो फिर अगला प्रश्न लें—श्रीमती किशोरी सिन्हा—वह उपस्थित नहीं हैं। श्री रवीन्द्र वर्मा भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री के० मायातेवर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछने की अनुमति मुझे दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे अनुमति दे सकता हूं।

श्री के० मायातेवर : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, किन्तु मैं क्या कर सकता हूं ? ऐसा महसूस सदस्य को करना चाहिए था।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ब्रेल प्रणाली में किताबों की कमी

*454. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेत्रहीनों के लिए ब्रेल प्रणाली में पुस्तकों की कमी है और इससे उनकी समस्या और बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) देश में ब्रेल पद्धति में पुस्तकों की कमी है।

(ख) देश में विद्यमान 6 मुख्य ब्रेल प्रैसों के अतिरिक्त 2 और की स्थापना की जा रही है। क्षेत्रीय आधार पर और अधिक प्रैसों की स्थापना और कुछ विद्यमान प्रैसों की क्षमता को बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जब नेत्रहीनों को शिक्षा देने की योजना बनाई तब यह नहीं सोचा कि कितनी पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी ? यह कमी किस कारण से रही है—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि देश में नेत्रहीनों के लिए 6 ब्रेल प्रैस किताबें छापती हैं। वैसे कितने नेत्रहीन छात्र हैं, इसका कोई नम्बर हमारे पास नहीं है। इसका कोई सर्वे भी नहीं किया गया है। लेकिन यह आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 700 स्कूलों में नेत्रहीनों को शिक्षा दी जा रही है और 160 स्पेशल स्कूल्स हैं, जहां पर सिर्फ

हैण्डीकैप्ट बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यह भी सच है कि किताबों की कमी है। यह कमी भी कुछ भाषाओं में है। नेत्रहीन बच्चे हर काम्यूनिटी और हर भाषा-भाषी में होते हैं। अंग्रेजी में हम ब्रेल किताब देहरादून में छापते हैं। पंजाबी, हिन्दी और संस्कृत में छापते हैं, लेकिन असमिया भाषा की ब्रेल किताबों तथा और दूसरी भाषाओं की ब्रेल किताबों की कमी है।

एक माननीय सदस्य : बंगला में ?

श्री पी० के० थुंगन : बंगला के लिए कलकत्ता में प्रैस हैं। वहां बंगला में छापते हैं।

श्री अशफाक हुसैन : उर्दू में भी छापते हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : उर्दू में भी कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस समय शिक्षा देने की योजना बनी, उस समय किन-किन भाषाओं में ब्रेल पुस्तकें छापने का निर्णय लिया था और क्यों सभी भाषाओं में निर्णय नहीं लिया गया ? दूसरी बात जो कि आश्चर्यजनक लगती है, आप नेत्रहीनों को शिक्षा देने जा रहे हैं, विकलांक वर्ष मनाया गया, लेकिन आज तक आपको यह नहीं मालूम कि भारतवर्ष में कितने नेत्रहीन हैं और किन-किन भाषाओं में कितने-कितने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ आंखें होते हुए भी अन्धे होते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि कितनी पुस्तकों की किस-किस भाषा में आवश्यकता है ? जैसा कि बताया गया है कि छ: मुख्य प्रैस हैं और दो की स्थापना की जा रही है—क्या इससे आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी ? दूसरे—क्या आप कोई सर्वे करायेंगे कि भारतवर्ष में कुल कितने नेत्रहीन हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा मैंने अभी बतलाया था—हमारे पास इस समय यह स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं कि कितने नेत्रहीन बच्चे हैं···

श्री हरीश कुमार गंगवार : क्यों नहीं हैं ? जब आप योजना बना रहे हैं तो स्टेटिस्टिक्स क्यों नहीं हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : कितने नेत्रहीन लोगों के लिए किताबों की जरूरत है—इसके बारे में इस समय बतलाना मुश्किल है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहूंगा कि जितने स्कूलों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें किन-किन भाषाओं में कितनी किताबों की जरूरत है, इसकी जानकारी देने के लिये हमने आलरेडी रिक्वेस्ट किया है, ताकि उसके मुताबिक हम प्लानिंग कर सकें।

किन-किन भाषाओं में ये ब्रेल-पुस्तकें अवेलेबिल हैं, मैं उन भाषाओं के नाम देना चाहता हूं तथा कहां-कहां छपती हैं वह भी बतलाना चाहता हूं—सेन्ट्रल ब्रेल प्रेस, देहरादून में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी भाषा में छपती हैं। बम्बई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी में छपती हैं। अहमदाबाद में गुजराती, हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी में छपती हैं। मद्रास में तामिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड और अंग्रेजी में छपती हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब मांगा था, वह नहीं मिला, बिना आवश्यकता को जाने हुए।

श्री सुनील मैत्रा : उन्हें इस देश में नेत्रहीनों की सही संख्या का पता सहीं है। उन्होंने नेत्रहीनों की कोई जनगणना नहीं की है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : बिना नेत्रहीनों की संख्या जाने ये कैसे नियोजन कर रहे हैं, किस-किस को पढ़ायेंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : जानने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अपने उत्तर के क्रम में मंत्री महोदय ने बतलाया कि 160 स्पेशल स्कूलों की स्थापना की गई है—नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि ये 160 स्पेशल स्कूल्स देश के किन-किन भागों में स्थापित किये गए हैं तथा इनकी स्थापना के लिए सरकार ने कौन-सा क्राइटेरिया अपनाया है, कौन से मापदण्ड के अनुसार इन स्कूलों की स्थापना की गई है ?

श्री पी० के० थुंगन : इन स्पेशल स्कूलों की स्थापना के लिए 100 परसेन्ट सैन्ट्रल ग्रान्ट दी जाती है···

श्री सुनील मैत्रा : वह पूछ रही हैं कि इन स्कूलों की स्थापना के लिए कौन सा मापदण्ड अपनाया गया था ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं क्राइटेरिया ही बतला रहा हूं—इन स्पेशल स्कूलों को हम सैंन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से सैन्ट-पर-सैन्ट ग्रान्ट देते हैं। जिन जिन इलाकों में इन स्कूलों को इस्टेब्लिश करने की ज्यादा जरूरत होती है उसको देख कर इस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इसमें रिक्वेस्ट आती है, उस बेसिज पर इनको इस्टेब्लिश किया जाता है।

श्री रामविलास पासवान : इस सदन में लगातार तीन सालों से चर्चा हो रही है, दर्जनों बार हम लोगों ने इस सवाल को उठाया है, विकलांग वर्ष भी हाल में मनाया गया, उसके बावजूद भी यह कितने शर्म की बात है कि इस देश में कितने अन्धे लोग और कितने विकलांग लोग हैं इसका डाटा सरकार के पास नहीं है। 1977 में इसका सर्वे हुआ था उन आंकड़ों के मुताबिक हम देश में 90 लाख लोग अन्धे थे और मैं समझता हूं कि ये आंकड़े अब बढ़ कर एक करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 68 करोड़ की आबादी में इस समय एक करोड़ लोग अन्धे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं—इन करोड़ में से कितने लोग ब्रेल सिस्टम से प्रशिक्षण पा चुके हैं ?

अभी श्रीमती कृष्णा साही जी के प्रश्न के जवाब में बतलाया गया कि 160 स्कूलों को सरकार 100 परसेन्ट ग्रान्ट देती है। मैं जानना चाहता हूं—अपनी तरफ से सरकार ने कितने विद्यालय खोले हुए हैं ?

सरकार की तरफ से कोई विद्यालय चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है तो

कहां चल रहा है ? नहीं चल रहा है तो क्या सरकार इस तरह के विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि ऐसा सरकार का विचार है तो किस जगह विद्यालय खोलने जा रही है ?

श्री पी० के० थुंगन : जितने भी स्कूल चल रहे हैं सब सरकार की सहायता से चल रहे हैं विकलांग की एग्जेक्ट संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : इनके पास कुछ नहीं है। कितने लोग अन्धे हैं, कितने प्रशिक्षण प्राप्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इनको बाद में बता देंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : जी हां, बाद में बता दूंगा। (**व्यवधान**)

श्री सुनील मैत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि देश में नेत्रहीन लोगों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, और श्री रामविलास पासवान जी कहते हैं कि 1977 में वस्तुत: एक सर्वेक्षण किया गया था। इसका मतलब है मंत्री जी को इस बात का पता नहीं है। ऐसे मंत्री से हम किस किस्म के उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : मेरे एक प्रश्न के जवाब में ही इसी सदन में बताया गया है कि 90 लाख लोग अन्धे हैं। मंत्री महोदय इस तरह से पार्लियामेंट से खिलवाड़ नहीं कर सकते।

श्री पी० के० थुंगन : मैं पार्लियामेंट को कोई गलत इनफरमेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे पास एग्जेक्ट फिगर नहीं हैं।

श्री रामविलास पासवान : क्यों नहीं हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसको बाद में जानकारी दे दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आपके पास जानकारी उपलब्ध है ? क्या आपने इस संबंध में तैयारी की है ?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री के० मायातेवर : ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने मंत्री जी को गुमराह किया है। इसलिए, आपको मंत्री जी के माध्यम से अधिकारियों की खिंचाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी बेकसूर हैं। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चौधरी : वह तो केवल अनुपस्थित मंत्री के स्थान पर बोल रहे हैं। (**व्यवधान**) मंत्री जी को यहां आकर खुद उत्तर देना चाहिए। यह आपका दायित्व भी है।

श्री रामविलास पासवान : नैक्स्ट डेट के लिए इसको पोस्टपोन कर दीजिए। बाद में जब शीला कौल जी आएंगी वे जवाब देंगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । आप इनको पूरी इनफरमेशन सप्लाई कर दीजिए ।

(**व्यवधान**)

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य मेरी बात तो सुनते ही नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री के० मायातेवर : सदन भी इस समय नेत्रहीन हैं ।

श्री रामविलास पासवान : सदन भी इस समय नेत्रहीन है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हाफ एन आवर डिसकशन रख दें ?

श्री रामविलास पासवान : ठीक है, डिसकशन दे दीजिए

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक शर्त पर । वह यह कि चर्चा आरम्भ होने से पहले वह तैयार होकर आयें । आप मंत्री जी से कह दीजिए कि वह तैयार होकर आयें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसिंह शाक्य । वह यहाँ नहीं हैं ।

श्री निहाल सिंह । वह भी नहीं हैं ।

श्री नन्जे गौडा । उपस्थित नहीं हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : सब होली मना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लगता है वह जो कुछ पिलाई गई है, उसका नशा अभी तक उतरा नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप । अनुपस्थित ।

श्री मंगल राम प्रेमी । वह भी अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० प्रधानी । श्री प्रधानी जी गायब हैं ।

गृह मंत्री कहां हैं ?

मुझे पता लगाना है । मेरे सदस्य गायब हो गए हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा । प्रश्न 459 । वह भी यहां नहीं हैं ।

श्री के० के० तिवारी : यह प्रश्न बिहार के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा । प्रश्न 462 ।

कल तो डागा जी की बड़ी व्याख्या हो रही थी ।

श्री रामविलास पासवान : हर समय मौजूद रहते हैं इसलिए इनको मन्त्री नहीं बनाया जाता ।

छठी योजना के दौरान वैगनों का निर्माण

*462. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक लाख वैगनों का निर्माण करने की योजना है जबकि वर्ष 1980-81 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 13,000 वैगन की तुलना में केवल 10,400 वैगनों का निर्माण किया गया और 1981-82 के 6 महीनों में केवल 7,744 वैगनों का निर्माण किया गया जबकि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 18,000 वैगन था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किये जायेंगे, और यदि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जायेगा तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) शुरू में छठी योजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले योजना परिव्यय के भीतर चौपहियों के हिसाब से 1,00,000 माल डिब्बों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । लेकिन, योजना तैयार करने के बाद, मूल्यों में वृद्धि के कारण अब यह अनुमान लगाया गया है कि योजना परिव्यय के भीतर चौपहियों के हिसाब से केवल लगभग 78,000 माल डिब्बों की खरीद करना संभव होगा ।

उपर्युक्त लक्ष्य की तुलना में अब तक की गयी प्रगति नीचे दी गयी है—

वर्ष	लक्ष्य	(आंकड़े चौपहियों में) निर्मित डिब्बों की सं०
1980-81	13,000	12,064
1981-82	18,000	17,362
1982-83	17,580	12,424 (फरवरी 1983 तक)

1981-82 के पहले छः महीनों (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान चौपहियों के हिसाब से 8,288 माल डिब्बों का निर्माण किया गया था, चौपहियों यूनिटों के हिसाब से 7,744 माल डिब्बों का नहीं ।

1983-84 के लिए, उपलब्ध धन के भीतर, चौपहिया यूनिटों के हिसाब से 12,500 माल डिब्बों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अभी तक उत्पादन का रुख संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप है और छठी योजना अवधि के दौरान चौपहियों के हिसाब से 78,000 माल डिब्बों का निर्माण करने में किसी प्रकार की कठिनाई की प्रत्याशा नहीं है, बशर्ते कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता रहे ।

श्री मूलचन्द डागा : छठी पंचवर्षीय योजना में आपने एक लाख वैगन्स बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस योजना के अनुसार आप 22 हजार वैगन्स बना रहे हैं। आप यह बतायें कि आज देश को कितने वैगन्स की जरूरत है और कितनी कमी है। इतने कम बनाने के बाद आपको माल ढोने में कितना नुकसान उठाना पड़ता है और रेलवे को कितना घाटा होता है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वैगनों की कोई कमी नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य को आशंका है। सभा को ज्ञात ही है कि रेलवे के पास अपेक्षित संख्या में वैगन हैं। हालांकि हमारा एक लाख वैगन का लक्ष्य था, परन्तु मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण हमने उसे बदल दिया। अब अनुमान है कि हम केवल 78,000 वैगन प्राप्त कर सकेंगे। वैगन बनाने का हमारा कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1980-81 में 12,064 वैगन बनाये गये, जबकि लक्ष्य 13,000 वैगन बनाने का था।

1981-82 में 17,362 वैगन बनाये गये, जबकि लक्ष्य 18,000 वैगन बनाने का था। और 1982-83 में (फरवरी, 1983 तक) 12,424 वैगन बनाये गए, जबकि लक्ष्य 17,580 वैगन बनाने का था। वस्तुतः जहां तक वैगनों की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि वैगनों की कोई कमी नहीं है और हम सारा माल ढोने की स्थिति में हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो उत्तर दिया गया है, बहुत ही कांट्रेडिक्टरी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वैगन्स की कमी नहीं है और दूसरी तरफ आपने नए वैगन्स बनाने की योजना बनाई है। अच्छा होता अगर आप पहले ही कह देते कि कमी नहीं है इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है।······(व्यवधान) आज रेलवे में घाटा क्यों होता है ? जितना भी सामान ढोया जाता है ज्यादातर ट्रकों द्वारा ही लोड होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चूना जैसी कई चीजें हैं जो वैगनों की कमी के कारण नहीं ढोयी जाती हैं। आपका कहना है कि कीमतें बढ़ गई हैं। आपने जब योजना बनाई थी तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया था ? उस धनराशि की कितनी कमी महसूस हुई ? इसके लिए आपने क्या कभी सप्लीमेंटरी डिमान्डस रखीं ? अगर नहीं तो क्या कारण था ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कमी का प्रश्न नहीं है। शायद माननीय सदस्य औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में वैगनों की आवश्यकता के सन्दर्भ में वैगनों की कमी की बात सोच रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जितना माल हमारे पास आता है हम उसकी ढुलाई करने की स्थिति में हैं।

सड़क परिवहन के सम्बन्ध में, अर्थात् ट्रकों द्वारा माल ढोने के सम्बन्ध में, जैसा कि सभा को ज्ञात है हमने भारी मात्रा में माल को उसके उद्गम से लेकर गंतव्य स्थान तक ले जाने की नीति अपनाई है, अर्थात् हम कोयले को कोयला खानों से ताप बिजली घरों तक ले जाते हैं। अनुपूरक अनुदानों की मांगें सभा के समक्ष लाने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। हमने बजट में समुचित नियतन किया है। 1983-84 के लिए भी हमने नियतन किया है······(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव : कितने वैगनों के लिए ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : 1983-84 के लिए चार पहियों वाले 12,500 माल डिब्बे हम अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। कमी की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय श्री डागा ने कहा है कि उत्तर परस्पर विरोधी है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह परस्पर विरोधी नहीं अपितु भ्रामक है। उन्होंने कहा है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण रेलवे को 1,00,000 की बजाय केवल 78,000 माल डिब्बों की जरूरत है। आप उत्तर पढ़िए जिसमें कहा गया है कि योजना बनाने के बाद मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण चौपहियों के हिसाब से केवल 78,000 माल डिब्बों की खरीद सम्भव होगी। आपको ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल कमी वाला राज्य है हमें हर मास 4,00,000 मीटरी टन अनाज की आवश्यकता होती है परन्तु माल डिब्बों की कमी होने के कारण पश्चिमी बंगाल को केवल 2,50,000 मीटरी टन अनाज सप्लाई किया जाता है। आपको ज्ञात है कि पश्चिमी बंगाल में और कलकत्ता के आसपास माल डिब्बे बनाने के कारखाने हैं और रेलवे द्वारा क्रयादेश की कमी के कारण उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः माल डिब्बों की भी कभी है और माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे माल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग को पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों के लिए क्रयादेश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो क्रयादेशों की कमी हुई, माल डिब्बों की नहीं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसाकि बजट में स्पष्ट किया गया है, हमने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। माल डिब्बों के निर्माण के लिए नियत धनराशि के अनुरूप हमने क्रयादेश दिए हैं। अतः माल डिब्बे बनाने वाली कम्पनियों को और क्रयादेश देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या मंत्री महोदय कुछ अग्रेत्तर स्पष्टीकरण देंगे। उन्होंने कहा है कि छठी योजना के दौरान 1,00,000 माल डिब्बे बनाने की योजना थी। अब उनका कहना है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण यह संख्या घटाकर 78,000 कर दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि धन की कमी के कारण सरकार 1,00,000 माल डिब्बे खरीदने की स्थिति में नहीं है और इसलिए माल डिब्बों की कमी जारी रहेगी। योजना की अवधि में आपको 1,00,000 माल डिब्बों की जरूरत है लेकिन आप 1,00,000 माल डिब्बे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इसका अर्थ है कि कमी जारी रहेगी। यह मेरा पहला प्रश्न है दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित करने का है और क्या यह सुझाव दिया गया है कि इसे गोरखपुर में स्थापित किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि इस मामले में मैं आपकी सिफारिश करूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आजमगढ़ के लिए नहीं कह रहा हूं······(**व्यवधान**)। बिहार की भी मदद की जानी चाहिए, इसमें उन्हें ~~क्यों चिन्ता~~ हो ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि माल डिब्बों की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है······(**व्यवधान**) मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मुझे स्थिति की जानकारी है। जहां तक मूल्यों में वृद्धि के बारे में माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण हमने माल डिब्बों को संख्या घटाकर 78,000 कर दी है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, पहले ही सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बे बनाने के छः कारखाने हैं। गोरखपुर में एक और कारखाना स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्रीमती प्रमिला दंडवते—अनुपस्थित। अगला प्रश्न, श्री बापूसाहिब परूलेकर—अनुपस्शित: श्री भीम सिंह—अनुपस्थित। मैं समझता हूं कि इस बार अनुपस्थित सदस्यों का भी एक रिकार्ड ही होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष की ओर से उसके नाम वारन्ट क्यों नही जारी कर दिए जाते ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। अगला प्रश्न, श्री कुम्भाराम आर्य—अनुपस्थित। अगला प्रश्न, श्री नित्यानन्द मिश्र।

श्री नित्यानन्द मिश्र : महोदय, मैं उपस्थित हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

रचनात्मक कलाकारों की आर्थिक स्थिति

* 466. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लेखकों, कवियों, चित्रकारों और अन्य रचनात्मक कलाकारों की संख्या उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी अल्प आय के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार रचानात्मक कलाकारों, लेखकों और अन्य व्यक्तियों की सहायता के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रतिभावान बच्चों, युवकों तथा उत्कृष्ट अध्येताओं को रचनात्मक तथा

आलोचनात्मक अध्ययन करने के अवसर प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति तथा अधिछात्रवृत्ति की योजनाएं है । संक्षेप में ये इस प्रकार हैं :

(i) **सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति** : इस योजना में या तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करने वाले अथवा परम्परागत निष्पादन कलाओं में सेवारत परिवारों से सम्बन्धित 10 से 14 वर्ष के आयु-वर्ग के उत्कृष्ट युवा बच्चों को अपना अध्ययन जारी रखने के लिए अवसर सुलभ किए जाते हैं । अधिछात्रवृत्तियां एक वर्ष के लिए प्रदान की जाती हैं तथा प्रथम विश्वविद्यालय डिग्री तक अथवा 20 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र द्वारा संतोष जनक प्रगति बनाये रखने पर, वर्षानुवर्ष के आधार पर जारी रखी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत परम्परागत निष्पादन कलाओं में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित 25 शिक्षा-वृत्तियों सहित 100 नई छात्रवृत्तियों को प्रदान की जाती हैं ।

(ii) **युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना** : इस योजना में भारत के अन्दर संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि के क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट युवा कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । 18 से 28 वर्ष के आयु-वर्ग के उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष 75 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । सामान्यतः छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है ।

(iii) **निष्पादन साहित्य तथा रूपकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना** : 25-65 वर्ष के आयु-वर्ग में साहित्यिक, रूपंकर तथा निष्पादन कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है । एक वर्ष में कुल छात्रवृत्तियों की संख्या 50 है ।

(iv) **पाँडुलिपि शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, लुप्त भाषाओं तथा लिपियों एवं मुद्रा शास्त्र आदि में उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए अधिछात्रवृत्तियों प्रदान करने की योजना** : इस योजना में उन लुप्त भाषाओं में तथा लिपियों आदि के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है जिनमें विशेषज्ञता का तेजी से ह्रास हो रहा है । इस योजना में प्रत्येक वर्ष 10 अधिछात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनकी अवधि दो वर्ष होती है ।

(v) **साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की योजना** : इस योजना में अभावग्रस्ति परिस्थितियों में रह रहे साहित्य कलाओं आदि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक है और कुछ मामलों में उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी भी रचानात्मक कलाकारों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में अधिछात्रवृत्तियां प्रदान करता है ।

श्री नित्यानन्द मिश्र : हम सब तथ्य से अवगत हैं कि हमारे हमारे देश में रचनात्मक कलाकारों की आर्थिक स्थिति अति दयनीय है । जो कलाकार अपनी कला को एक व्यवसाय के

रूप में अपना लेते हैं उनकी स्थिति कुछ बेहतर है, परन्तु जो केवल अपनी कला के प्रति समर्पित होकर केवल रचनात्मक कार्य करते हैं उनकी दशा बहुत दयनीय है । वे अपनी जीविका कमाने की स्थिति में भी नहीं हैं। जो व्यक्ति चाहे वह लेखक हो अथवा कवि अथवा चित्रकार केवल कला की साधना में लगा रहता है, उसे सफलता अथवा सम्मान बहुत समय बाद प्रायः उसके जीवन काल के अंतिम दिनों में या मृत्यु के बाद प्राप्त होता है । अतः क्या मन्त्रालय का विचार देश में रचनात्मक कलाकारों का पता लगाकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ताकि वे अपना जीवन रचनात्मक कला के प्रति समर्पित कर सकें जो कि समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री पी०के थुंगन : इस बारे में हमारी कई योजनाएं हैं । एक योजना है सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति तथा दूसरी योजना युवक कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की है। फिर एक योजना निष्पादन, साहित्य तथा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की है तथा एक और योजना उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान आदि के ऐसे अधिछात्रवृत्तियां प्रदान करने की हैं। फिर एक अन्य योजना साहित्य, कला और जीवन के लिए ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की है ।

श्री नित्यानन्द मिश्र : यदि आप केवल उन्हीं कलाकारों को जिन्होंने कुछ सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा मान्यता प्राप्त कर ली है और विश्व ने भी उन्हें मान्यता प्रदान की है, वित्तीय सहायता देते हैं तो इसमें कोई उद्देश्य हल नहीं होगा । इन कलाकारों के अतिरिक्त भी जिन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की है हजारों ऐसे रचनात्मक कलाकार हैं जो निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या सरकार का विचार ऐसे कलाकारों का पता लगाने जो केवल कला की साधना के लिए रचनात्मक कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उन्हें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देने का है, ताकि वे अपना रचनात्मक कार्य जारी रख सकें ।

श्री पी०के थुंगन : मैंने योजनाओं का उल्लेख किया है । माननीय सदस्य का प्रश्न इन्हीं योजनाओं से संबंधित है । इस सुझाव के बारे में कि ललित कला में लगे कलाकारों के लिए कुछ किया जाना चाहिए मैं समझता हूं कि हमारे जैसे बड़े देश में प्रत्येक कलाकार के लिए व्यवस्था करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहां कलाकारों की संख्या बहुत अधिक है । इसलिए ये योजनाएं बनाई गई हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी जाती है । पहले कलाकारों का पता लगाया जाता है फिर उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है और फिर उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय मैं माननीय सदस्य को यह प्रश्न उठाने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे देश में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो वृद्धावस्था में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी वित्तीय असुरक्षा के शिकार बने रहते हैं

तथा इनमें अधिकांश कलाकार ऐसे हैं जो स्वतंत्र भावना के हैं और अपनी सेवाएं वाणिज्यिक संगठनों को नहीं बेचते।

महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार किसी ऐसी योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत ऐसे कलाकारों को जो अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हैं अथवा जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है पेंशन प्रदान की जाए और क्या राज्य को यह निदेश दिया जाएगा कि इस पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे कलाकारों की सूची वह केन्द्र को भेजें ?

श्री पी०के० थुंगन : महोदय, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है, विशेषकर उन कलाकारों के लिए जिन्होंने वृद्धावस्था में प्रतिष्ठा प्राप्त की है जो अपनी कला अथवा सेवाएं वाणिज्यिक गृहों को नहीं बेचना चाहते। माननीय सदस्य के सुझावों पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात को फिर नहीं दोहराना चाहता जो कि मैंने माननीय मित्र ने कही है कि हमारे देश में कलाकारों की स्थिति इतनी दयनीय है। उन कलाकारों में जो राष्ट्रीय स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच जाते हैं तथा अन्य कलाकारों में अन्तर है। धन तथा वित्तीय सहायता की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में कलाकारों की सही सूची भी नहीं बनायी गई है तथा केन्द्र ने भी इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार देश में कला के संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई आवृत्ति निधि बनाने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। (**व्यवधान**) क्या राज्य स्तर के कलाकारों तथा उन कलाकारों को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है, सहायता देने के लिए कोई आवृत्ति निधि है ? मैं जानता हूं कि क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, माननीय सदस्य ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है।

(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : महोदय, मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं तथा यह उत्तर नहीं चाहता कि जांच की जायगी आदि आदि, क्योंकि सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र में कोई आवृत्ति निधि अवश्य बनायी जानी चाहिए (**व्यवधान**) वह कहते हैं कि यह केवल एक सुझाव है। मैं इस बारे में एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री पी० के० थुंगन : मैं एक बहुत उत्साहवर्द्धक उत्तर देना चाहता हूं। महोदय माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम अवश्य उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मंत्री के अच्छे स्वभाव तथा उनकी दानशीलता को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में जांच की है कि इन योजनाओं के अधीन प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा धन की कमी के कारण

कितने आवेदन रद्द किए गए। क्या सरकार के पास इस बारे में जांच करने के लिए कोई तन्त्र है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के अधीन प्राप्त होने वाले बहुत से आवेदन-पत्रों पर धन की कमी के कारण विचार नहीं किया जाता। क्या आप वास्तव में वर्तमान योजनाओं के कार्यकरण की जांच करेंगे और कुछ नई योजनाएं भी बनायेंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारे जैसे बड़े देश में, इतने बड़े समाज में जहां कि सहायता प्राप्त करने के इच्छुक कलाकारों की संख्या बहुत अधिक है प्रत्येक कलाकार को सहायता नहीं दी जा सकती और इसीलिए चयन की प्रणाली अपनाई गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है आवेदन पत्र बहुत अधिक होते हैं। जहां तक उनके व्यक्तिगत अनुभव का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि उनके पास कोई विशेष मामला हो तो वह मुझसे मिलें और मैं अवश्य उस पर सविस्तार विचार करूंगा। यदि वह कोई सिफारिश करना चाहती है तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 467 श्री हरीश रावत उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 468, श्री रामलाल राही।

श्री रामलाल राही : ...

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपने कमाल कर दिया। मैं सोच रहा था कि राही जी कहां हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : पानी में से निकल कर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल निखर कर आए हैं।

मेरठ और दिल्ली के बीच और अधिक शटल गाड़ियां चलाना

*468. **श्री रामलाल राही** :

श्री आर० एन० राकेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदीनगर, मुरादनगर, महिउद्दीनपुर, परतापुर तथा मेरठ के दैनिक यात्रियों ने रेल मंत्री से अपनी परेशानी बताते हुए मेरठ और दिल्ली के बीच और अधिक शटल गाड़ियां चलाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों की भारी कमी, रास्ते में लाइन क्षमता की तंगी और दिल्ली क्षेत्र के सभी स्टेशनों तथा मेरठ सिटी स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं के

अभाव के कारण मेरठ और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच कोई नई शटल गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है । इसके पड़ौस में जो नगर और गांव हैं, वहां से रोजाना हजारों की तादाद में लोग काम करने के लिए दिल्ली आते हैं । यहां रिहायशी मकानों की कमी है । यदि वे अपने वेतन का तीन-चौथाई हिस्सा भी मकान के लिए दें, तो भी उनको रहने के लिए मकान नसीब नहीं होता है । जिसकी वजह से उनको रोजाना यहां आना पड़ता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दैनिक यात्रियों को रेल सुविधा पहुंचाने के लिए आप कोई ठोस कदम उठाने का क्या प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं पहले ही बता चुका हूं कि लाइन क्षमता, सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों की भारी कमी है । इसी वक्त हम सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं । इस समय 9 अप गाड़ियां और 10 डाउन गाड़ियां चलती हैं । इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब है स्थिति में सुधार होने पर इस बारे में विचार करेंगे ।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी जनसुविधा के लिए सवाल सदन में उठाया जाता है, तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि सरकार इस कठिनाई में है और इस संकट में है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा समय आएगा, जब सरकार जनहित को दृष्टि में रखकर अपने बजट को लगाएगी, ताकि आम आदमियों को सुविधा मिल सके ? आप आम आदमियों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास से आने वाली गाड़ियों में मंथली टिकट समाप्त कर दिया था, जिसके कारण बड़ी कठिनाई पैदा हुई थी । रोडवेज की हालत आप देख रहे हैं कि दिनोंदिन गिरती जा रही है । हड़ताल हो चुकी है । उत्तर प्रदेश की हालत भी खराब है । दुर्भाग्य है कि सरकार वह काम अपने हाथ में ले रही है, जिन कामों को वह नहीं कर पा रही है । रोडवेज के अलावा और भी दूसरे व्यवसाय हैं, जिनको सरकार अपने हाथ में ले रही हैं । जितना यह काम आप अपने हाथ में लेते जा रहे हैं, उतनी ही कठिनाई बढ़ती जा रही है । रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये ।

श्री रामलाल राही : सरकार जनता को यह सुविधा नहीं दे पा रही है । कम से कम आप अपने मंत्रालय में बैठकर कुछ इस तरीके से व्यवस्था कीजिए—बसेज का काम आप पब्लिक पर छोड़िये या कोई और सुविधा दीजिए, जिससे जनता को आने-जाने में आसानी हो । क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक यात्रियों के कल्याण के बारे में माननीय सदस्य की भावनाओं और चिन्ता का सम्बन्ध है मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझे स्वयं तथा इस सदन के अन्य सदस्यों को अधिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भले दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी । **(व्यवधान)**

श्री दयाराम शाक्य : मंत्री महोदय ने कहा है कि रोलिंग-स्टाक और कोचेज की कमी के कारण यह सुविधा नहीं बढ़ा पायेंगे। दिल्ली में जो सर्कुलर देन है उसके लिए काफी कोचेज की व्यवस्था की गई थी और वे आइडल पड़ी हुई हैं। क्या सरकार जब तक उन कोचेज का प्रयोग दिल्ली में पूर्ण रूप से न हो, जहां उनकी आवश्तकता है जैसे मेरठ और अलीगढ़ लाइन पर वहां उनका प्रयोग करके लोगों को सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने केवल डिब्बों, इन्जनों आदि की कमी का ही नहीं बल्कि लाइन क्षमता की कमी का भी उल्लेख किया है।

विकलांगों के लिए योजनाओं की प्रगति

*470. **जी० वाई० कृष्णन : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में विकलांगों के लिए धनराशि के आबंटन और संस्थान बनाने के अलावा "विकलांगों" के प्रति हमारे प्रेम के बावजूद विकलांगों के लिए योजनाओं की सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण प्रबन्ध क्षमता का अभाव और उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुसन्धान की कमी है; और

(ग) क्या सरकार ने पश्चिमी समाज के किन्हीं अनुसंधान आंकड़ों का अध्ययन करने का प्रयास किया है जहां विकलांग व्यक्तियों को हमारे देश के विकलांग व्यक्तियों की तरह अनेक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। विभिन्न योजनाओं की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) योजनाओं को तैयार करते समय पश्चिम समाज के संबंधित अनुभव को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

विभिन्न योजनाओं की प्रगति नीचे दिए गए अनुसार है :

1. विकलांगों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 12,575 छात्रों को 75 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दिए जाने का अनुमान है। यह छात्रवृत्ति नवीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जाती है और इसमें इनप्लान्ट और व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्मिलित है।

2. वर्ष 1981-82 के दौरान विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में समेकित शिक्षा प्रदान करने के लिए 680 स्कूलों में लगभग 74 लाख रु० खर्च किए गए।

3. सहायक यंत्रों और उपकरणों की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 19,056 लाभप्राप्तकर्ताओं ने मुफ्त या रियायती दरों पर सहायक यन्त्र और उपकरण प्राप्त किए, जिस पर लगभग 76.00 लाख रुपए की लागत आई।

4. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान 127 स्वयंसेवी संगठनों को 162.00 लाख रुपए अनुदानों के रूप में दिए गए।

5. विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 22 विशेष रोजगार केन्द्र कार्यरत हैं। गत 3 वर्षों के दौरान रोजगार केन्द्रों के माध्यम से रोजगार प्राप्तकर्ताओं की संख्या नीचे दिए अनुसार है :

	सभी केन्द्र (विशेष रोजगार केन्द्रों सहित)
1980	4,616
1981	12,470
1982	9,381

6. विकलांगों का मूल्यांकन, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने और अन्त में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने हेतु देश भर में 14 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गये हैं। गत 3 वर्षों के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है :

1980	2,781
1981	3,914
1982	3,510

7. शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए सरकार ने 3 प्रतिशत पदों को आरक्षित किया है। लगभग 5,700 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत और 2,600 व्यक्तियों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्रदान किया गया।

8. विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन बूथों के आबंटन किए जाने की योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1982 को देश भर में 1,784 स्थानीय टेलीफोनों को अपंग विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा था।

श्री जी०वाई० कृष्णन : महोदय, माननीय मन्त्री ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है, उसे देखने से यह प्रतीत होता है कि मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा है कि क्या विकलांगों के लिए बनाई गई योजनाओं में कोई प्रगति हुई है और यदि कोई प्रगति नहीं हुई है,

तो क्या इसका कारण प्रबंध क्षमता का अभाव है ? मेरे प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

महोदय, शारीरिक रूप से विकलांग वर्ष अभी हाल में समाप्त हुआ है । शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए गत वर्ष को विकलांग वर्ष घोषित किया गया था । मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि हमारे देश में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन में से कितने व्यक्ति वयस्क हैं और कितने बच्चे हैं ?

श्री पी०के० थुंगन : महोदय, जैसाकि मैं सभा को पहले भी बता चुका हूं, हमारे पास कोई निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है किंतु सर्वेक्षण के अनुसार हमारी आबादी के 12 प्रतिशत लोग विकलांग हैं ।

श्री एन०जी० रंगा : क्या हमारी जनसंख्या के 12 प्रतिशत लोग विकलांग हैं ।

श्री पी०के० थुंगन : जी हां, सर्वेक्षण से यही पता चला है कि 12 प्रतिशत लोग विकलांग हैं । (व्यवधान)

श्री प्रो० के० के० तिवारी : मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा था कि इस में राजनीतिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं । उन्होंने कहा था कि "हा हैं" ।

एक माननीय सदस्य : इसमें आप भी शामिल हैं ।

प्रो० के०के० तिवारी : इसमें आप सब शामिल हैं ।

प्रो० पी० के० थुंगन : जहां तक विकलांगों के लिए योजनाओं का संबंध है, मैं पहले ही विवरण में बता चुका हूं कि हमने विकलांगों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनायें बनाई हैं ।

श्री जी०वाई० कृष्णन : विवरण में यह बताया गया है कि विकलांगों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित किए गए हैं उनके माध्यम से लगभग 22,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है जिनमें से लगभग 10,000 व्यक्तियों व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रम बनाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि शेष व्यक्तियों की स्थिति क्या है ।

विवरण में यह भी बताया गया है कि देश में. 14 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं । यह संख्या नगण्य है । हमें इसे बढ़ाना होगा । तभी विकलांग व्यक्तियों की दशा में सुधार हो सकता है । विवरण में यह भी बताया गया है कि सरकार ने तीन प्रतिशत स्थान अपंग व्यक्तियों के लिये भी आरक्षित किये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीन प्रतिशत आरक्षित स्थान भी भरे नही गये हैं । विवरण के आंकड़ों से पता चलता है कि इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया है । क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि कम से कम उन व्यक्तियों का, जो

शारीरिक दृष्टि से अपंग हैं तथा जिन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया गया है तथा जिन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, पुनर्वास किया जाएगा।

श्री पी० के० थुंगन : यह सही है कि 14 पुनर्वास केन्द्र हैं। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितने अपंग व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है। 1980 में 2,781, 1981 में 3,914 और 1982 में 4,510 व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया था इससे पता चलता है कि पुनर्वासित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निरन्तर वृद्धि हो रही है और यह ही इस बात का सबूत है कि हम विकलांग व्यक्तियों की दशा में सुधार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और उन्हें अधिक से अधिक से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सभी विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वासित करना तो संभव नहीं क्योंकि देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए यह समस्या बहुत गम्भीर है।

जहाँ तक विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण करने का संबंध है केन्द्रीय सरकार ने 5,700 व्यक्तियों को तथा अन्य 2,600 व्यक्तियों को केन्द्र प्रायोजित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त किया है।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : सरकार ने शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने पर भारी धनराशि खर्च की है। बहुत से विकलाँग ऐसे हैं जिनकी शल्य-चिकित्सा करके उनके अंगों को चलने फिरने तथा योग्य बनाया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनकी शल्य-चिकित्सा करने के लिये कोई योजना बनायी है ताकि विकलांग व्यक्ति पुनः अपने अंग प्राप्त करके सामान्य रूप में कार्य कर सकें। क्या सरकार इस संबंध में कुछ कर रही है।

श्री पी०के० थुंगन : हमने विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाने के लिये एक योजना बनायी हुई है। जहां तक शल्य-चिकित्सा का संबंध है वह डाक्टर ही कर सकते हैं। जो विकलांग गरीब होते हैं उन्हें निःशुल्क कृत्रिम अंग दिये जाते हैं तथा जिनकी आर्थिक दशा कुछ बेहतर होती है उनसे लागत की कुछ प्रतिशतता ली जाती है।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : यह मेरा हरगिज प्रश्न नहीं है। जब शल्य-चिकित्सा की जाती है तो व्यक्ति को काम करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे मामलों में शल्य-चिकित्सा करने के लिये कुछ वित्तीय सहायता दे सकती है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों के तथा जो गवर्मेन्ट सर्विस में कार्यरत हैं, उनके कितने लड़के-लड़कियाँ विकलांग हैं और उनमें से कितने लड़के-लड़कियों को आपने रोजगार दिया है, कृपया बताएं ?

श्री पी०के०थुंगन : आनरेबल मेम्बर ने बहुत जटिल प्रश्न पूछा है, इसके बारे में अभी तक हमने वर्क-आउट नहीं किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारी तो आपक हैं।

श्री पी०के० थुंगन : ऑनरेबल मेम्बर ने जो पूछा है वह अगर दुबारा पूछ लें तो मैं छान-बीन करके बता दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय मालवाहक जहाज एम०वी० मारजन का डूब जाना

*452. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री आर०पी० गायकवाड़ : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मालवाहक जहाज एम०वी० मारजन बहरीन से कांडला पत्तन आते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह में डूब गया था;

(ख) यदि हां तो नाविकों सहित कितने व्यक्तियों के मरने की आशंका है और कितने शब अब तक निकाल लिए गए हैं और पहचान कर लिए गए हैं;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को सरकारी तौर पर सूचित कर दिया गया है;,

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही है;

(ङ) मृतकों के परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या सरकार मृतकों के प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह राशि कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) : जी, हां।

(ख) जिन 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की आशंका थी, उनमें से 16 के शव प्राप्त कर लिए गए हैं। इनमें से 12 शवों की शिनाख्त कर ली गयी है।

(ग) और (घ) : जहाज मालिक और शिपिंग मास्टर, बम्बई ने इस दुर्घटनाग्रस्त जहाज के कर्मीदल के निकटतम संबंधियों को सूचित कर दिया है।

(ङ) से (छ) : नाविक संघों और नियोक्ताओं के बीच द्विपक्षीय करार के अनुसार ही

कर्मीदल के सदस्यों को मुआवजा दिया जाता है। सरकार, दो लाख रुपये का मुआवजा देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

नौवहन कंपनियों के कार्यकरण के बारे में पद्मनाभन समिति का प्रतिवेदन ।

*453. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नौवहन कम्पनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) भारत के विदेश व्यापार में ट्राम्प प्रचालकों के घिनौने क्रियाकलाप का अध्ययन करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की गयी थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) समिति ने ग्यारह सिफारिशें की जिसमें से नौ-सामान्य किस्म की थीं। अन्य दो सिफारिशें नौवहन एजेंटों को लाइसेंस देने की पद्धति शुरू करने और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन के चार महापत्तनों में स्थायी समितियां गठित करने से संबंधित थीं ।

एक को छोड़कर सभी सिफारिशों को मान लिया गया है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है अभी तक एक सिफारिश पर निर्णय नहीं किया गया है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना

*455. **श्री रामसिंह शाक्य :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विभिन्न सभी शाखाओं, स्मारकों और पार्कों में कर्मचारी दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) दैनिक मजूरी के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का मानदण्ड वही है जो गृह मंत्रालय के अनुदेशों में निहित है। संक्षेप में वे इस प्रकार है :—

(i) दैनिक मजदूरों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से काम पर लगाया जाना चाहिए। यह शर्त उन दैनिक मजदूरों के लिए लागू नहीं होती जो 20 मार्च, 1979 तक काम पर लगाये गये थे और अन्यथा सभी प्रकार से योग्य थे।

(ii) जिन्होंने दैनिक मजदूरों के रूप मे लगातार दो वर्षों तक सेवा की हो और दैनिक मजदूरों में दो वर्षों की ऐसी सेवा के दौरान कम से कम 240 दिनों तक। इसमें सेवा भंग की अवधि भी शामिल है जिन्हें काम पर लगाया गया हो, वे भी नियमित किए जाने योग्य हैं।

(iii) दैनिक मजदूर के रूप में सेवा भंग की अवधियों पर भी विचार किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी सेवा अवधि लगातार छः महीने से अधिक की हो।

(iii) दैनिक मजदूरों को नियमित किये जाने की तारीख को अधिकतम आयुसीमा में होना चाहिए। एतदर्थ आयुसीमा पर निर्णय लेने के लिए दैनिक मजदूर के रूप में उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को घटा दिया जाता है।

(iv) दैनिक मजदूरों के पास इस पर के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(ग) 340 दैनिक मजदूरों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में भारत यू० के० वार्ता

*456 **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री पी० एम० सईद : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यू० के० के बीच अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए हाल ही में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। भारत और ब्रिटेन के बीच अधिकारी स्तर की वार्षिक बातचीत विदेश सचिवों के स्तर पर 3 फरवरी, 1983 को नई दिल्ली हुई।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की तथा भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर खोखरापार मार्ग का खोला जाना

*457. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान प्राधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच खोखरापार का रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने उक्त रास्ते को खोलने के लिए सरकार से लिखित रूप में आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 14 सितम्बर, 1974 के भारत-पाक वीजा करार में यह व्यवस्था है कि एक देश से दूसरे देश को जाने/वहां से आने वाले राष्ट्रिकों के प्रवेश/निकास के लिए सीमा पर दो पड़ताल चौकियां—वागा/अट्टारी और खोखरापार-मुनाबाओ—खोली जाएं। लेकिन अब तक अकेली वागा/अट्टारी पड़ताल-चौकी ही खुली रही है।

सरकार ने विभिन्न अवसरों पर मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी, खोखरपार-मुनाबाओ पड़ताल चौकी खोलने के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐसा करने से इन्कार किया है।

स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से महिलाओं की सहायता करने की योजना

*458. **श्री के० प्रधानी :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से महिलाओं की सहायता करने के लिए समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कुछ कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आदिवासी महिलाओं पर खासतौर पर उड़ीसा राज्य में, कोई विशेष ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस राज्य को वित्तीय अथवा अन्य क्या सहायता दी गई है तथा उस राज्य में कौन-कौन सी स्वैच्छिक एजेंसियां काम कर रही हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) जी, हां।

(ख) केवल आदिवासी महिलाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तथापि, बोर्ड के सभी कार्यक्रम धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा पर विचार किए बिना समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के सभी लोगों के लिए हैं। इस प्रकार आदिवासी महिलाएं भी आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों का काम उठा रही हैं।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताए गए कारणों से बोर्ड आदिवासी महिलाओं के कल्याण में लगी संस्थाओं को अलग सूची नहीं रखता।

मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान

*459. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** बिहार के विश्वविद्यालयों के विकास सम्बन्धी अनुदान के बारे में 4 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिथिला विश्वविद्यालय को बिहार सरकार द्वारा कोई बराबर का अनुदान दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या;

(ख) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में मिथिला विश्वविद्यालय अथवा बिहार सरकार से इस बीच जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो विकास सम्बन्धी अनुदान देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि मिथिला विश्वविद्यालय को विकास सम्बन्धी अनुदान बिलकुल भी न देने से अध्यापकों, विद्यार्थियों और अध्यापन में बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा और संस्कृतिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) बिहार सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए पहले ही काफी सुविधाएं उपलब्ध की हैं जिनका कुल मूल्य 200 लाख रुपए से भी अधिक है।

अन्य बातों के साथ-साथ नियमावली में यह जरूरी है कि जिस कानून के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों की अभिशासी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप हो। आयोग ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार द्वारा ये संशोधन अभी किए जाने हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को विकास अनुदान, राज्य

सरकार द्वारा इस आशय की कि अधिनियम में ये संशोधन कर दिए गए हैं, पुष्टि करने के बाद ही संस्वीकृत किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय में पहले ही नियुक्त कर्मचारियों के वेतनों के भुगतान का खर्च राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुरक्षण अनुदान में से बहस किया जाता है। अतः विकास अनुदानों का भुगतान न होने के कारण उन्हें हो रही किसी प्रकार की कठिनाई का प्रश्न नहीं ही उठना चाहिये।

बरौनी कटिहार छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*463. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में बरौनी-कटिहार छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को जनता शासन काल में स्वीकृति दे दी गई थी;

(ख) क्या वहां पर कार्य आरम्भ करने के लिए धनराशि आबंटित कर दी गई थी और बड़ी लाइन बिछाने के लिए आवश्यक मिट्टी डालने कार्य भी आरम्भ कर दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह कार्य बन्द कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप यह कार्य 1982 तक निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो सम्पूर्ण लाइन कब तक डाल दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : इस कार्य को 1978-79 में अनुमोदित करके शुरू किया गया था। बड़ी लाइन बिछाने के लिए मिट्टी डालने का काम धन की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया गया था।

(ग) से (ङ) इस परियोजना पर कार्य बन्द नहीं किया गया है और यह संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है। संसाधनों की तंगी को देखते हुए, इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

मराठवाडा नागरिक रेलवे ब्राडगेज एक्शन कमेटी द्वारा 'रेल रोको' आंदोलन

*464 **श्री बापू साहिब परुलेकर** :
श्री भीम सिंह : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाडा नागरिक रेलवे ब्राडगेज एक्शन कमेटी ने 'रेल रोको' आंदोलन प्रारम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने आंदोलन प्रारम्भ करने के अपने इरादे की पूर्व सूचना दी थी;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हाँ। 26-2-1983 को मराठवाडा बन्द तथा 26 फरवरी, 1983 से 28 फरवरी 1983 तक तीन दिन के लिए 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया गया था।

(ग) से (ङ) आन्दोलन के दौरान रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए मराठवाडा क्षेत्र में राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया था। आन्दोलन की मुख्य माँग मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-पुर्ली बैजनाथ आमान-परिवर्तन परियोजना के लिए 1983-84 के रेलवे बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन करने के सम्बन्ध में थी। बहरहाल, धन की अत्यधिक तंगी को देखते हुए अभी तक 1983-84 के दौरान इस कार्य के लिए परिव्यय की राशि को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाना संभव नहीं है।

भटिण्डा बीकानेर बड़ी लाइन का मार्ग बदलना

*465. **श्री कुंभा राम आर्य :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित भटिण्डा-बीकानेर बड़ी लाइन बीकानेर नगर के बीच से होकर जाएगी अथवा नगर के बाहर से होकर जाएगी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोग विद्यमान छोटी लाइन को जो बीकानेर नगर के बीच से होकर जाती है नगर से बाहर करने की लम्बे समय से मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या बड़ी लाइन नगर के बाहर से निकाली जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे आजकल राज्य सरकार की ओर से भीड़-भाड़ वाले तीन समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था करने के साथ-साथ सड़क यातायात की रुकावट को दूर करने के लिए बीकानेर जंक्शन स्टेशन को अन्तरित करने सहित मौजूदा मीटर लाइन को बीकानेर सिटी से बाहर ले जाने हेतु सर्वेक्षण करवा रही है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही कोई निर्णय ले पाना सम्भव होगा।

समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत लाए गए सामुदायिक प्रखण्ड

* 467. **श्री हरीश रावत :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कितने सामुदायिक प्रखण्डों समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है

(ख) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और खर्च पर निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) देश में वर्ष 1982-83 तक 336 सामुदायिक विकास प्रखण्डों और 190 आदिवासी विकास प्रखण्डों के लिए समेकित बाल विकास सेवा कायक्रम मंजूर किया गया है। इसके अलावा, शहरी गन्दी बस्तियों के लिए 94 परियोजनाएं की गई हैं।

(ख) और (ग) समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन और व्यय के प्रबोधन की एक पद्धति पहले ही अस्तित्व में है। समाज कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम का निर्देशन करता है और परियोजनावार प्रगति का प्रबोधन करता है।

ब्रूसेल्स में भारतीय दूतावास के सामने बम का पाया जाना

* 469 **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1983 में विस्फोटक विशेषज्ञों ने भारतीय दूतावास के सामने पाए गए बम को निष्प्रभावी बना दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में बेल्जियम सरकार के साथ बातचीत की है कि भारतीय दूतावास के सामने बम कैसे पाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) बेल्जियम पुलिस अभी इस मामले की छान-बीन कर रही है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

भावनगर-तारापुर रेल लाइन का पूरा होना

* 471. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **रेल मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में भावनगर-तारापुर रेल लाइन के पूरा होने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसे यातायात के लिए कब खोला जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) यह अनुमोदित परियोजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय सड़क मालभाड़ा संस्थान की स्थापना

* 472. **श्री भीकू राम जैन :**

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय सड़क माल भाड़ा संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना के उद्देश्य क्या है, इसका गठन क्या होगा और इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) से (ग) एक राष्ट्रीय सड़क वहन संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह सड़क परिवहन से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन, मिलान और विश्लेषण करने वाली एजेंसी के रूप में काम करेगा और सामान्य रूप से देश में ट्रक उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

रेलवे बोर्ड में सहायकों के अस्थायी पदों का स्थायी बनाया जाना

5137. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार रेलवे बोर्ड के कार्यालय में 425-800 रुपये (आर० एस०) के वेतनमान में सहायक ग्रेड के कितने पदों का सृजन किया गया है;

(ख) कितने अस्थायी पदों को वर्ष 1960 के पश्चात् वर्षवार स्थायी पदों में परिवर्तित किया जा चुका है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ऐसे पदों में से कितने पद वर्ष 1960 के पश्चात् वर्षवार अभी तक अस्थायी हैं तथा उनको तीन से पांच वर्ष तक की यथोचित अवधि के भीतर-भीतर स्थायी पदों में परिवर्तित न करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 1982 को समाप्त होने वाली पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में सहायक ग्रेड में बजट से सम्बन्धित कार्य आदि के लिए मौसमी पदों को छोड़कर 14 पदों का सृजन किया गया था। सहायकों के 2 पदों 1978 में, छुट्टी एवजियों के 10 पदों 1980 में और रेलवे सुधार समिति के लिए 2 पद 1981 में सृजित किए गए थे। इनमें से किसी पद को स्थायी नहीं किया गया है। अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए उन पदों का पता लगाने के

लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। ऐसा करते समय उन पदों के वर्तमान रहने की अवधि, उस कार्य की प्रकृति जिसके लिए पदों का सृजन किया गया है, वित्त मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा इस विषय पर जारी अनुदेशों/मार्ग-निर्देशों आदि जैसे घटकों को ध्यान में रखा जाता है।

राज्य परिवहन निगमों को हुआ घाटा

5138. **श्री ए० के० राय** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन निगम को जनवरी, 1983 तक कुल कितना घाटा हुआ है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों से आवर्ती घाटे को समाप्त करने और घाटे को पूरा करने हेतु योजना आबंटन की राशि को इसमें खर्च न करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) चालू वर्ष के आंकड़ों को अभी राज्य उपक्रमों द्वारा व्यवस्थित किया जाना है।

(ख) और (ग) राज्य परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य दोनों में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है।

वर्ष 1982 में पूरे किए गए ऊपरी पुलों और चौड़ी की गयी सड़कों की संख्या

5139. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में वर्ष 1982 में कितने ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उनकी अनुमानित लागत कितनी थी; और

(ख) राजधानी में वर्ष 1982 में कितनी सड़कों को चौड़ा किया गया तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1982 **में पूरे किए गए फ्लाई ओवर/पुलों पर सड़कें** :

क्रम सं०	**फ्लाई ओवर का नाम**	**अनुमानित खर्च (लाख रुपये)**
1	2	3
1.	मूलचन्द अस्पताल के निकट फ्लाई ओवर का निर्माण	400.00
2.	ओबराय होटल के निकट फ्लाई ओवर का निर्माण	395.00
3.	लोधी होटल चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण	329.00

1	2	3
4.	इन्द्रप्रस्थ चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण	395.00
5.	दिल्ली कैंट में जेल रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण	450.00
6.	सेवा नगर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण	310.00
7.	स्कूल लेन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	470.00
8.	दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन पर बाहरी रिंग रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण	107.00
9.	दिल्ली-करनाल रेलवे लाइन पर बाहरी रिंग रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण	74.00
10.	आजाद पुर में रिंग रोड पर मौजूदा ओवर ब्रिज को चौड़ा करना	86.50
11.	शकुरबस्ती में रिंग रोड पर मौजूदा ओवर ब्रिज को चौड़ा करना	96.50
12.	आश्रम में रिंग रोड पर मौजूदा ओवर ब्रिज को चौड़ा करना-	165.00
13.	नरैना में रिंग रोड पर मौजूदा ओवर ब्रिज को चौड़ा करना	110.00

1981 **में चौड़ी की गई सड़क**

क्रम सं०	**सड़क का नाम**	**अनुमानित खर्च (लाख रुपये)**
1	2	3
	लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन	
1.	जी टी करनाल रोड को 2 लेन से 4 लेन में बदलना	500.00
2.	सड़क संख्या 45 को चौड़ा करना	128.00
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग-I को सलकेम गढ़ चौराहे से मेटकाफ हाऊस तक चौड़ा करना	124.00
4.	सड़क संख्या 63 को चौड़ा करना	55.00
5.	सड़क संख्या 59 को चौड़ा करना	180.00
6.	सड़क संख्या 26 को 2 लेन से 4 लेन में बदलना	428.00
7.	ओवर ब्रिज (सं० 36) पर सड़क संख्या 75-क से पटपड़ गंज रोड तक पहुंचमार्गों को चौड़ा करना।	12.00
8.	मैरो रोड को कलवर्टों सहित 4 लेन से 6 लेन में बदलना और सुधार करना	14.68
9.	सड़क संख्या 5 को चौड़ा करना।	13.45
	दिल्ली नगर निगम	
10.	राजघाट बिजली घर रोड़ को चौड़ा करना।	28.06

1	2	3
11.	रिंग रोड़ से तिलक नगर तक नजफगढ़ रोड़ को चौड़ा करना	75.16
12.	रिंग रोड से सेवा नगर तक भीष्म पितामह रोड को चौड़ा करना	39.52
13.	झिलमिल रोड को चौड़ा करना।	15.68
14.	रंजीत सिंह मार्ग को चौड़ा करना।	21.86
15.	IV-एवेन्यु से मथुरा रोड तक लोधी रोड को चौड़ा करना	120.35
16.	बसन्त रोड को चौड़ा करना।	46.18
17.	महरौली बदरपुर रोड को चौड़ा करना (चरण-I से-III)	122.36
18.	पटपड़ गंज बांयी मार्जिनल बांध गीता कालोनी ब्लाक 11, 14, होकर पटपड़ गंज रोड को चौड़ा करना।	7.88
19.	घोंडा चौकी से गांव गामरी तक पहुंच मार्ग को चौड़ा करना।	13.44
20.	जवाहरलाल नेहरू मार्ग को चौड़ा करना	37.02
21.	असफ अली रोड को चौड़ा करना	19.46
22.	दिल्ली छावनी में स्टेशन रोड, मौडे रोड, हास्पीटल रोड को चौड़ा करना।	82.15
23.	तुलसी नगर रोड को चौड़ा करना।	19.91
24.	कीर्ति नगर, सेवा नगर, लोधी रोड, निजामुद्दीन और लाजपत नगर के विभिन्न रिंग रेलवे स्टेशनों को पहुंचाने वाली सड़कों को चौड़ा करना।	60.32
	नई दिल्ली नगर पालिका	
25.	लिंक रोड को चौड़ा करना	25.26
26.	पंडारा रोड को चौड़ा करना	12.16
27.	गोल्फ कोर्स रोड को चौड़ा करना	20.30
28.	लोधी रोड को चौड़ा करना	48.48
29.	लोधी रोड संख्या-III को चौड़ा करना	27.67
30.	कार्नवालिस रोड को चौड़ा करना	78.31
31.	डा० ज किर हुसैन मार्ग को चौड़ा करना	22.03
32.	पंचकुइयां रोड को चौड़ा करना	22.50
33.	सन मार्टिन मार्ग (चरण-II) को चौड़ा करना	12.65
34.	शंकर रोड को चौड़ा करना	49.87
35.	रामकृष्ण आश्रम मार्ग पर अतिरिक्त कैरेज-वे	18.62
36.	कैनिंग रोड (चरण-II) को चौड़ा करना	2.65
37.	एस पी मार्ग होटल और आर्मी आफिसर्स मेस के बीच सड़क को चौड़ा करना	16.66

1	2	3
38.	न्याय मार्ग को चौड़ा करना ।	34.26
39.	डलहौजी रोड को चौड़ा करना ।	20.26
40.	टालस्टाय मार्ग को चौड़ा करना ।	36.78

पश्चिमी समुद्र तट पर बन्दरगाहों के विकास के लिए निर्धारित धनराशि

5140. **श्री नवीन रावणी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पश्चिमी समुद्र तट पर बन्दरगाहों के विकास के लिए वर्ष 1982-83 हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) उक्त अवधि में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेष कर गुजरात में वर्ष 1983-84 में प्रमुख बन्दरगाहों के विकास के लिए कितनी धनराशि की गयी है ?

लोक नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पश्चिमी तट पर, बम्बई, कोचिन, कांडला, मरमागाओं और न्यू मंगलौर के महापत्तनों के लिए 1982-83 में 58.80 करोड़ रुपए के अनुमोदित योजना परिव्यय में से 28.2.1983 तक 40.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए ।

1982-83 के दौरान निष्पन्न की जा रही मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं—

बम्बई

1. कंटेनर हैंडलिंग उपकरणों की खरीद करना ।
2. विश्व बैंक टैंकरों के हैंडलिंग करने के लिए उच्च शक्ति वाले 2 टगों की खरीद ।
3. एस टी 'आनन्द' को बदलने के लिए एक उच्च शक्ति वाले टग की खरीद ।
4. बूचर द्वीप में चौथे तेल घाट का निर्माण करना ।

कोचिन

समाकलित पत्तन विकास परियोजना जिसमें एक उर्वरक घाट और एक तेल घाट का निर्माण शामिल है ।

कांडला

1. छठे जनरल कार्गो बर्थ का निर्माण ।
2. एक नये तेल घाट का निर्माण ।

मारमागाओ

1. बहुउद्देशीय-व-जनरल कार्गो बर्थ का निर्माण ।

न्यू मंगलौर

1. अतिरिक्त जनरल कार्गो बर्थ का निर्माण ।

592 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से न्हावा-शेवा में एक महापत्तन की 8.6.1982 को मंजूरी दी गयी है ।

(ग) 1983-84 की वार्षिक योजना में महापत्तनों के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	(करोड़ रुपये)
1. कलकत्ता/हल्दिया	14.33
2. बम्बई	46.20
3. मद्रास	21.33
4. कोचीन	22.54
5. विशाखापत्तनम	13.03
6. कांडला (गुजरात)	17.28
7. मारमागाओ	7.53
8. परादीप	11.20
9. तूतीकोरिन	5.65
10. न्यू मंगलौर	5.75
11. न्हावा-शेवा	90.00
कुल	254.84

खुर्दा रोड डिवीजन में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए की गयी कार्यवाही

5141. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को निरुत्साहित करने के लिए प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए खुर्दा रोड, रेलवे डिविजन में हाल ही के महीनों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) खुर्दा रोड मंडल पर बिना टिकट यात्रा की बुराई को नियंत्रित करने के लिए खुर्दा रोड में वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी के अधीन एक विशेष टिकट जांच संगठन स्थापित

किया गया है। इस संगठन ने 31 जनवरी, 1983 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान 521 छापे मारे और बिना टिकट यात्रा करते हुए अथवा अनुचित टिकटों पर यात्रा करते हुए 10,400 व्यक्तियों को पकड़ा। रेलवे को देय राशि के रूप में उनसे 1.83 लाख रुपये वसूल किए गए।

टिकट कलक्टरों और चल टिकट परीक्षकों द्वारा की जाने वाली सामान्य जांचों के अलावा, भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध की गयी विशेष किस्म की कुछ जांचें इस प्रकार से हैं :—

1. वरिष्ठ रेल आधकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को बड़ी संख्या में तैनात करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष गहन जांच आयोजित की जाती है जिनके साथ एक रेलवे मजिस्ट्रेट भी रहता है।

2. राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध *संयुक्त अभियान।*

3. चल टिकट परीक्षकों द्वारा सादे वस्त्रों में गुप्त रूप से जांच की जाती है।

4. सघन अचानक जांचें करना विशेषकर रेलवे सुरक्षा बल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ सड़क परिवहन द्वारा जांच पार्टियां संचालित करना।

5. मुख्यालय और मण्डल टिकट जांच दस्तों द्वारा मध्यवर्ती खंडों में गाड़ियां रोककर बदलाव जाँच।

6. एक रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर टिकटों की जांच करने के लिए तैनात करना।

7. रेलों के सतर्कता संगठन द्वारा निवारात्मक जांच।

यात्रियों विशेषकर विद्यार्थियों के बीच बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार।

मूलतः बिना टिकट यात्रा और उससे सम्बद्ध असामाजिक गतिविधियां कानून और व्यवस्था की हालत से सम्बन्ध है। चूंकि रेलों पर कानून और व्यवस्था बनाये रखना और अपराधों की रोकथाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है।

मीटर गेज लाइनों को बड़ी गेज लाइनों में बदलने के लिए धनराशि और प्राथमिकता

5142. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मीटर गेज लाइनों को बड़ गेज की लाइनों में बदलने के लिये अपेक्षित धनराशि के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का, जोनवार, किन मुख्य मीटर गेज लाइनों को बदलने का विचार है;

(ग) क्या किसी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चालू परियोजनाओं में से, निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है :—

क्षेत्रीय रेलवे	परियोजनाओं का नाम	टिप्पणी
उत्तर	सूरतगढ़-भटिंडा बरास्ता हनुमानगढ़	यातायात के लिए खोल दी गयी है। अवशिष्ट कार्य प्रगति में है।
उत्तर	सूरतगढ़-सरुपसर और सरूपसर-अपूपगढ़	—
उत्तर	सूरतगढ़-बीकानेर	—
पूर्वोत्तर	बाराबंकी-समस्तीपुर कतरनियाघाट-कुरियागोला घाट सहित	यातायात के लिए खोल दी गयी है। अवशिष्ट कार्य प्रगति में हैं।
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी	—
दक्षिण मध्य	धर्मावरम-बेंगलूरू सिटी गन्तकल्लु-धर्मावरम (ब. ला.) सहित	26-1-83 को यातायात के लिए खोल दिया गया है
पश्चिम	वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर	वीरमगाम से हापा तक के प्रथम चरण को पूरा करके यातायात के लिए खोल दिया गया है।

इजरायलियों की लेबनान से वापसी

5143. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को लेबनान से इजरायली सैनिकों के वापिस जाने के सम्बन्ध में अमरीका के लिये ताजा प्रस्तावों के बारे में जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) लेबनान से इजरायली सेनाओं की वापसी के सम्बन्ध में इस समय लेबनान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमरीका के

प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। चूंकि यह बातचीत अभी चल ही रही है, इसलिए अमरीका के ताजा प्रस्तावों के ब्यौरे के बारे में उससे अधिक कुछ मालूम नहीं हैं जो अखबारों में छपा है।

बहादुरगढ़ और अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे/केन्द्रीय सचिवालय के बीच नियमित बस सेवा का प्रस्ताव

5144. **श्री स्वामी चन्द्रवेश** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहादुरगढ़ और अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे/केन्द्रीय सचिवालय के बीच फरीदाबाद/गाजियाबाद/गुड़गांव और अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा/और केन्द्रीय सचिवालय बस सेवाओं की ही तरह एक नियमित सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस रूट पर मौजूदा यातायात की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे कि दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं को बढ़ाया जाए।

यूनेस्को की 'वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट' में स्मारकों के नाम

5145. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 'यूनेस्को' की "वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट" में शामिल किये जाने हेतु अनेक स्मारकों के नामों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यूनेस्को की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उन 25 संस्मारकों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी जा रही है जिन्हें विश्व-पुरासम्पदा सूची में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)

1. लाल किला, दिल्ली
2. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली
3. कुतुब मीनार, दिल्ली

गोआ

1. गोआ स्थित गिरजाघर और कन्वेंट्स

गुजरात

1. लोथल के उत्खनित अवशेष

जम्मू तथा कश्मीर

1. मार्त्तण्ड मन्दिर

कर्नाटक

1. बीजापुर में गोल गुम्बज
2. ऐहोल के संस्मारक
3. पट्टाडकल के संस्मारक
4. हाम्पी के संस्मारक समूह

मध्य प्रदेश

1. खजुराहो के मन्दिर समूह

महाराष्ट्र

1. अजन्ता की गुफाएं
2. एलोरा की गुफाएं
3. एलिफेंटा की गुफाएं
4. कार्ला की गुफाएं

उड़ीसा

1. सूर्य मन्दिर, कोणार्क

राजस्थान

1. चित्तौड़गढ़ किला और संस्मारक, चित्तौड़गढ़
2. कालीबंगां के उत्खनित अवशेष

तमिलनाडु

1. महाबलिपुरम के संस्मारक समूह

2. बृहदेश्वर मंदिर, थंजावुर

उत्तर प्रदेश

1. आगरा किला, आगरा
2. ताज महल, आगरा
3. अकबर का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा
4. फतेहपुर सीकरी के संस्मारक समूह
5. इत्मादुद्दौला का मकबरा, आगरा

परादीप बन्दरगाह से निर्यात में कमी

5146. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में परादीप बन्दरगाह से निर्यात में अत्यधिक कमी होने के कारण इसके कार्यकरण को आघात पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इस बन्दरगाह से पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितना निर्यात किया गया;

(ग) इस बन्दरगाह से निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि प्रारम्भ में परादीप बन्दरगाह पर पाँच कार्गो बर्थ बनाए जाने थे;

(ङ) यदि हाँ, तो वर्ष 1982-83 में कुल कितने कार्गो बर्थ पूरे हुए हैं; और

(च) उन्हें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के निर्यात आंकड़े निम्न प्रकार है :

1979-80	1.92 मिलियन टन
1980-81	1.93 मिलियन टन
1981-82	1.77 मिलियन टन

(ग) चूंकि परादीप पोर्ट से निर्यात किए जाने वाली सामग्रियों में लौह अयस्क प्रमुख है, इसलिए निर्यात में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) परादीप पोर्ट में प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन तक थ्रू-पुट को बढ़ाने के लिए लौह अयस्क हैंडलिंग प्लांट में विस्तार और परिवर्धन करना। यह परियोजना जून, 1983 में पूरी हो जाएगी।

(ii) 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों को आने के लिए लौह अयस्क बर्थ में डुबाव को बढ़ाकर 42 फुट कर दिया गया है।

(iii) रात्रि के समय जहाजों को हैंडल करने के लिए रात्रि नौचालन सुविधाएं शुरू की गयी हैं।

(iv) लौह अयस्क निर्यात में गिरावट और अतिरिक्त सुविधायें लगाने की दृष्टि से एम० एम० टी० सी० और वाणिज्य मंत्रालय को 1983-84 में लौह अयस्क के और जहाज नामित करने के लिए कहा जा रहा है।

(घ) पोर्ट परामर्शदाताओं मैसर्स रैंडल पालमेर एण्ड ट्रिटन के अनुसार परादीप पोर्ट के चरण-I में प्रारम्भ में एक जनरल कार्गो बर्थ और लौह अयस्क बर्थ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। यह काम पूरा हो गया है।

(ङ) और (च) दूसरे जनरल कार्गो बर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके दिसम्बर, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है। तीसरे जनरल कार्गो बर्थ का भी निर्माण कार्य चल रहा है और इसके अप्रैल, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है। उर्वरक बर्थ के निर्माण के लिए टेंडरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। काम शुरू होने की तारीख से 24 महीने में इस बर्थ का काम पूरा हो जाएगा।

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर निचले पुल का निर्माण

5147. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के उत्तर सिंगल के पास एक निचले पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव 1983-84 में क्रियान्वित हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रस्ताव पर तब विचार किया जायेगा जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसे प्रायोजित किया जायेगा, क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार, किसी समपार के बदले ऊपरी/निचले पुल की लागत का 50 प्रतिशत उन्हें वहन करना होता है।

चीन-भारत सांस्कृतिक आदान-प्रदान

5148. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन की सरकारों में दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए कोई करार सम्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को उससे क्या लाभ होगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) यद्यपि ऐसा कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है, लेकिन चीन के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान शुरू किया गया है और यह चल रहा है। आदान-प्रदान के कार्यक्रमों पर सरकारी स्तर की बातचीत में और नियमित राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श किया जाता है। इस कार्यक्रम में छात्रों, कलाकार मंडलियों, प्रदर्शनियों, सूचना सामग्री और फिल्मों का आदान-प्रदान शामिल होता है और यह कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

जिन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे विकलांग हैं उनको विशेष वेतन देना

5149. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों में आमतौर पर यूरोपीय देशों में विकलांग अपाहिज बच्चों के कल्याण के प्रति दिये गये समुचित ध्यान और उनके रख रखाव की प्रणाली का अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार के पास उन सरकारी कर्मचारियों को विशेष वेतन देने की कोई योजना है जिनके बच्चे विकलांग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत जनता के बहुत कमजोर वर्ग के लोग मुफ्त सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। जनता के एक वर्ग के लिए ये सुविधाएं उदार दरों पर उपलब्ध हैं। इसलिए सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को विशेष वेतन देने पर विचार नहीं किया गया है जिनके बच्चे विकलांग हैं।

रायपुर आयुर्वेदिक कालेज में आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना

5150. **श्री केयूर भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार रायपुर आयुर्वेद कालेज के विकास हेतु एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रायपुर आयुर्वेदिक कालेज में एक आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

● **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) :** (क) और (ख) इस मंत्रालय के विचारधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे 1971-72 के दौरान शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज रायपुर के कार्यचिकित्सा विभाग का दर्जा बढ़ाया गया था तथा छठी योजना अवधि के दौरान इस सहायता को जारी रखा जा रहा है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

भारत का दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के मुक्ति संघर्ष को समर्थन

5151. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्र की रिपोर्ट की जानकारी है कि दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के मुक्ति संघर्ष के लिए हमारे प्रधान मंत्री के समर्थन का संदेश देने वाले पत्र पर रोक लगा दी गई; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ट्रान्सवाल दक्षिण अफ्रीका विरोधी भारतीय परिषद समिति के संयोजकों, इसके सदस्यों और दक्षिण अफ्रीका की जनता को 14 जनवरी, 1983 को एक शुभकामना संदेश भेजा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, चाहे वे किसी भी जातीय मूल के क्यों न हों, जातीय-पृथग्वासन और जातिवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष में एकजुट होकर रहना चाहिए और उन्हें ऐसे भ्रामक संवैधानिक परिवर्तनों से गुमराह नहीं होना चाहिए जिनका उद्देश्य लोगों की इच्छा और दृढ़-निश्चय को दुर्बल करना है तथा उनमें सुरक्षा का एक भ्रम पैदा करना है। इस संदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को परस्पर और अधिक बांटने के लिए शासन के सभी प्रयत्नों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया जाना चाहिए। अखबार की खबरों के अनुसार जातिवादी शासन ने उस सूचना-पत्र पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसमें यह संदेश छपा था।

(ख) भारत सरकार ने अपनी नीति पर चलते हुए हमेशा प्रीटोरिया शासन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन और जातिवाद की नीति में क्रियान्वयन की निन्दा की है और बार-बार यह कहा है कि इसे पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। भारत ने जातीय पृथग्वासन और जातीय भेदभाव से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संकल्पों का सक्रिय रूप से समर्थन और अनुसरण किया है। दक्षिण अफ्रीकी जातिवादी शासन के साथ भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मुक्ति संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन देते रहेंगे।

हल्दिया और पटना के बीच जलमार्ग से उर्वरक परिवहन की योजना

5152. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने हल्दिया से पटना तक विभिन्न अन्तर्देशीय स्थानों को जल मार्ग से उर्वरक परिवहन की एक योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या इस योजना के लिए नये जलपोतों की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले नदी के किनारों पर स्थित अन्य स्थानों के नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने इस तरह की कोई भी योजना स्वीकृत नहीं की है।

केरल से सभी इस्पात नगरों से होकर गुजरने वाली स्टील एक्सप्रेस चलाने की योजना

5153. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने केरल से भारत के सभी इस्पात नगरों से होकर जाने वाली स्टील एक्सप्रेस चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधि "सल्लाकी" की बिक्री

5154. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "सल्लाकी" ब्रांड नाम से एक आयुर्वेदिक औषधि की बिक्री को अधिकृत किया है;

(ख) क्या यह सच है कि "सल्लाकी" औषधि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों आदि से तैयार नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो भाग (क) में बताई गई तथाकथित औषधि की किस्म और प्रमाणिकता को ध्यान में रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) "सल्लाकी" एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका आयुर्वेद शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। मैसर्स ग्रफिक प्राइवेट लिमिटेड, नवसारी द्वारा इसका विपणन किया जा रहा है। निदेशक, खाद्य तथा औषध नियंत्रण प्रशासन, गुजरात राज्य ने सूचित किया है कि उनके आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, जिनसे परामर्श लिया गया था, की यह राय थी कि यह एक प्रामणिक आयुर्वेद औषधि है तथा उसने मैसर्स गुफिक प्राइवेट लिमिटेड को "सल्लाकी" गोलियाँ बनाने तथा उनके विपणन की अनुमति दी है। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया है कि यह फर्म गोलियां बनाने के लिए रासायनिक अरक इस्तेमाल नहीं कर रही है।

रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए धनराशि

5155. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में और कितने किलोमीटर उड़ीसा में अभी चौड़ा किया जाना है और इसके लिए पिछले दो वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि दी गयी है;

(ख) इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी कितने पुल और पुलिया (कलवर्ट) बनाए जाने हैं और इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस राजमार्ग को केशकला घाटी की ओर मोड़ देने का प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गयी है;

(ङ) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल पुल और पुलिया (कलवर्ट) पुराने हैं और उनका नवीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो ऐसे अधूरे कार्यों का ब्यौरा क्या है जहां पुल तो बना दिए गए हैं, परन्तु पहुंच मार्ग अभी बनाए जाने हैं; और

(छ) शेष कार्य को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि उपलब्ध की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) रायपुर और जगदलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 की लम्बाई, जिसे चौड़ा किया जाना है, लगभग 73 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 144 किलोमीटर उड़ीसा में पड़ती है। इन सड़क खंडों को चौड़ा करने के लिए 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में क्रमशः 38 लाख रुपये, 44 लाख रुपये और 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

(ख) लगभग 37 पुलों और 350 पुलियों का अभी पुनर्निर्माण किया जाना है। यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हुई तो छठी योजना अवधि में लगभग 14 पुलों और 80 पुलियों का पुनर्निर्माण किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) : केशकला घाटी ने सड़क की ज्यामिति में सुधार करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था, परन्तु धन अभाव के कारण इसे स्वीकृत करना संभव नहीं हो पाया है। परन्तु, छठी योजना (1980-85) में 40 लाख रुपये का प्रावधान है।

(ङ) जी, हां। लगभग 350 पुलियों और 37 पुलों का फिर से निर्माण करने की जरूरत है।

(च) और (छ) : किलोमीटर *246/2 में एक ही पुल है, जिसके पहुंचमार्गों का निर्माण* किया जा रहा है। इसके लिए 1982-83 में 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

"यूनेस्को" से परियोजनाओं और फैलोशिप के लिए अनुदान

5156. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों और संस्थानों ने परियोजनाओं और फैलोशिप के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान 'यूनेस्को' से अनुदान प्राप्त किया है;

(ख) विभिन्न कार्यों के लिए कितने व्यक्ति विदेश भेजे गए;

(ग) क्या अनुदान और फैलोशिप मन्त्रालय की सिफारिश पर प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भाग लेने वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को से तथा यूनेस्को के तय गये ठेकों के अन्तर्गत 74 व्यक्तियों और संस्थाओं ने परियोजनाओं लिए के अनुदान और शिक्षावृत्तियां प्राप्त की ।

(ख) पिछले 3 वर्ष के दौरान विदेशों में यूनेस्को संबंधी कार्यों के लिए कुल 21 भारतीन राष्टिकों को चुना गया।

(ग) जी, हां ।

(घ) यूनेस्को से प्राप्त अनुदान और शिक्षावृत्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6264/83]

सफदरजंग अस्पताल से फरीदाबाद तक बस सेवा का प्रस्ताव

5157. **श्री केशव पारथी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल और फरीदाबाद के बीच कोई सीधी बस सेवा नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रोगियों तथा अन्य लोगों के लाभार्थ सफरजंग अस्पताल से फरीदाबाद तक डी टी सी की बस सेवा चलाने का है

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम के पास विचाराधीन नहीं है। किंतु फरीदाबाद और लाजपत नगर के बीच एक नियमित सेवा है। जहां से दिल्ली परिवहन निगम के अनेक रूटों द्वारा सफदरजंग अस्पताल तक लाया जा सकता है ।

परीक्षा प्रश्न पत्रों का पहले से पता चल जाना

5158 **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : (क) क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ए-वन सीनियर स्कूल सार्टीफिकेट के प्रश्न पत्रों का पहले से ही पता चल गया था;

(ख) क्या प्रश्न पत्रों का इस प्रभार पहले से पता चल जाने से उन छात्रों को गहरा धक्का पहुंचता है जो परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं;

(ग) क्या प्रश्न पत्रों का पहले से पता चल जाने के मामले में जिसकी छानबीन नहीं हो पाती है, बेईमान विद्यार्थियों को फायदा होता है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने और जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अखिल भारतीय सीनिनर स्कूल सार्टीफिकेट परीक्षा के वर्ष 1982 में तीन प्रश्न पत्रों तथा 1983 में एक प्रश्न पत्र का पहले पता चल गया था ।

(ख) जी हां, । तथापि प्रश्न-पत्रों का पता पहले चल जाने की बात ध्यान में आने पर प्रभावित केन्द्रों पर पुन: परीक्षा की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) पिछले वर्ष प्रश्न-पत्रों का पता चल जाने के संबंध में जांच चल रही है । इस वर्ष प्रश्न पत्र का पहले पता चल जाने के सम्भावित कारणों की जाँच की जा रही है । पिछले वर्ष प्रश्न-पत्रों का पता चल जाने के सम्बन्ध में दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । इस वर्ष प्रश्न-पत्र का पहले पता चल जाने के संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध भी समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग निदेश

5159. **श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विषयों के पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को किस प्रकार के मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के छात्रों के शुल्क में छूट देने के लिए विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे छात्रों को छूट देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परामर्श देगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी रूप रेखाएं परिचालित की हैं । इन कि मार्गदर्शी रूपरेखाओं में उद्देश्य, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने की शर्तें, दाखिले के मानदण्ड, अवधि, अनुदेश सामग्री तैयार करना, पाठ/पठन सामग्री भेजना, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं तैयार करना और उनका मूल्यांकन

करना, अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन और कर्मचारी, पुस्तकालय सेवा और वित्त से सम्बन्धित व्यवस्थाएं करना. निर्धारित किया गया है ।

(ख) और (ग) इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार पत्राचार पाठ्यक्रमों के छात्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों सहित) उन्हीं रियायतों, निशुल्क, शिक्षा छात्रवृत्तियां इत्यादि के हकदार हैं । जो विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों के लिये उपउपलब्ध हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों और वरिष्ठ निजी सहायकों की श्रेणी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

5160. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्या । मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1983 को रोस्टर सहित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कुल कितने निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सहायक थे;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकि सेवा में कुल कितने निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सहायक हैं और कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) क्या उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों में मन्त्रालय द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों और वरिष्ठ निजी सहायकों की श्रेणियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों को भरने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री, (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) और (ख) स्वास्थ्य काडर में 1.1. 1983 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों तथा वरिष्ठ वैयन्तिक सहायकों की मंजूर शुदा संख्या इस प्रकार हैं :—

(i) निजी सचिव

(ii) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक—18

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निजी सचिवों तथा वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) **निजी सचिव**

(क) अनुसूचित जाति	एक
(ख) अनुसूचित जनजाति	शून्य

(ii) **वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक**

(क) अनुसूचित जाति एक

(ख) अनुसूचित जनजाति शून्य

(ग) और (घ) : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए उन आरक्षण आदेशों का जो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धित ब्रोशर में दिए गए हैं, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों के आरक्षित पदों को भरने के लिए पालन किया जाता है।

रेलवे बोर्ड के एग्जीबिशन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

5161. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रेल मंत्री** रेलवे बोर्ड के एग्जीबिशन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के बारे में 4 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4052 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड के एग्जीबिशन अधिकारी के विरुद्ध शुरू की गई दण्ड सम्बन्धी कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए, आरोप केन्द्रीय सतर्कता आयोग में एक विभागीय जांच आयुक्त को सौंप दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

रेलवे कैन्टीन कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों के समान समझना

5162. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कैन्टीन कर्मचारियों को अब रेलवे कर्मचारियों के समान समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या अब भी ऐसी रेलवे कैन्टीनें हैं जिनके कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों के बराबर नहीं समझा जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे कैन्टीनों के क्या नाम हैं और वहाँ के कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारी न समझे जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे कर्मचारियों के समान समझे जाने वाले कैन्टीन कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों के बराबर पास और पी० टी० ओ० मिलते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इन कर्मचारियों को नियमित किए जाने से पहले की भविष्य निधि राशि उन्हें वापिस कर दी गई हैं अथवा उसे नये भविष्य निधि लेखे में अन्तरित कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) उच्चतम न्यायालय के 22-10-80 के निर्णय के अनुसरण में, सभी सांविधिक कैन्टीनों और दिल्ली में आधारित 11 गैर-सांविधिक कैन्टीनों के कर्मचारी, जो उपर्युक्त निर्णय के अन्तर्गत आते हैं, उक्त तिथि से रेलवे कर्मचारी मान लिए गए हैं।

(ख) 22-10-1980

(ग) और (घ) जी हां। ये गैर-साँविधिक कैन्टीनें हैं, जो विभिन्न रेलों पर कल्याणकारी उपायों के रूप में स्थापित की गई हैं।

(ङ) जी हां।

(च) भविष्य निधि की रकमों के हस्तान्तरण/वापसी का प्रश्न संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के परामर्श से विचाराधीन है।

विट्ठलवाडी (मध्य रेलवे) में माल शेडों का निर्माण

5163. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विट्ठलवाडी (मध्य रेलवे) महाराष्ट्र में माल शेडों के निर्माण से संबंधित कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है; और

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है कितनी राशि खर्च की गई है और अब तक कितना प्रतिशत कार्य किया गया है और इस परियोजना के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) महाराष्ट्र में, मध्य रेलवे में विट्ठलवाडी स्टेशन पर माल गोदाम की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों में दक्षिण पूर्व रेलवे की लाइनें

5164. **श्री बृजमोहन मोहन्ती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित भिन्न-भिन्न राज्यों में दक्षिण पूर्व रेलवे की लाइनें कितनी-कितनी किलोमीटर में है; और

(ख) क्या उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेलवे का कोई मुख्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 31 मार्च, 1982 को दक्षिण पूर्व रेलवे के मार्ग किलोमीटर का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण इस प्रकार था :

राज्य	मार्ग किलोमीटर
आंध्र प्रदेश	527.36
बिहार	916.98
मध्य प्रदेश	2004.48
महाराष्ट्र	676.90
उड़ीसा	1982.14
पश्चिम बंगाल	932.80
जोड़	7040.66

(ख) जी नहीं। रेलों के पुनर्गठन की आवश्यकता, यदि कोई हो, की रेल सुधार समिति द्वारा जाँच की जा रही है।

एक वृद्धा की जान बचाते समय अपनी बाजू से हाथ धो बैठने वाले अवयस्क बच्चे को सहायता और राहत

5165. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सराय रोहिल्ला किशनगंज रेल लाइन पर एक वृद्धा की जान बचाते समय एक अवयस्क बच्चा अपनी बाजू से हाथ धो बैठा;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली प्रशासन ने इस बच्चे को कितनी और किस प्रकार की राहत और सहायता देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उसे एक दुकान आबंटित करने का भी है ताकि वह भविष्य में अपनी आजीविका कमा सके; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने प्रोस्थेटिक सहायक यन्त्र को क्रय करने हेतु बालक को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त बालक को मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा 2 00 रुपए की धनराशि और पुलिस आयुक्त द्वारा 500 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। एक जनता फ्लैट आबंटित किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

इस प्रयोजन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एक की आस्क भी आबंटित किया गया है।

सोवियत संघ द्वारा एक भारतीय अध्यापक को दिया गया पुश्किन पुरस्कार

5166. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने एक भारतीय अध्यापक को पुश्किन स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्यापक का नाम क्या है तथा उसे किस कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में भारतीय अध्यापकों को ऐसे कितने पुरस्कार दिये गये हैं; और

(ङ) क्या भारत सरकार भी रूसी अध्यापकों को परस्पर आधार पर इसी प्रकार के पदकों से पुरस्कृत करती है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) 1979 में स्थापित पुश्किन पदक, अन्तर्राष्ट्रीय रूसी भाषा और साहित्य शिक्षक संघ के तत्वावधान में दिया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दो भारतीय शिक्षक अर्थात् रूसी अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी० एन० चक्रवर्ती तथा भोपाल विश्वविद्यालय की श्रीमती शकुन्तला वैद्य को रूसी भाषा के शिक्षण में उनके योगदान के लिए क्रमशः 1979 और 1982 में पदक प्रदान किए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने उन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार की अनुमति नहीं माँगी।

(ङ) ये पुरस्कार सोवियत रूस की सरकार द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं और पारस्परिक आधार पर भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गरीब रोगियों की उपेक्षा करना

5167. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में बहुत गम्भीर हालत वाले रोगियों को जनरल वार्ड में तब तक दाखिल नहीं किया जाता जब तक कि 2 से 8 यूनिट रक्त का दान न किया जाये जबकि यह प्राइवेट वार्ड में दाखिल किये गये ऐसे लोगों के लिए यह अनिवार्य नहीं है जिनको जरूरत पड़ने पर रक्त कोष से रक्त दिया जाता है;

(ख) क्या साधन सम्पन्न लोगों का बिना बारी के इलाज किया जाता है और गरीबों की उपेक्षा की जाती है और छुट्टी के दिनों में भी आपरेशन के लिए प्राइवेट वार्ड के रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) क्या वरिष्ठ डाक्टर केवल 4-5 रोगी ही देखते हैं और जनरल वार्ड के रोगियों की अपेक्षा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सभी आपातकालीन रोगियों की चाहे वे जनरल अथवा प्राइवेट वार्ड में हों, रक्त की जरूरतों को संस्थान के रक्त कोष से निःशुल्क पूरा किया जाता है।

(ख) से (घ) आपरेशन के लिए प्राइवेट वार्ड में भर्ती किए गए रोगियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यह सही नहीं है कि वरिष्ठ डाक्टर केवल 4 से 5 रोगियों को ही देखते हैं और जनरल वार्ड के के रोगियों की अपेक्षा की जाती है सभी रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति का लिहाज किए बिना प्रदान की जाती है।

सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों द्वारा समाज सुरक्षा और पेंशन योजना का अपनाया जाना

5168. **श्री तारिक अनवर :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें वित्त आयोग ने राज्यों द्वारा समाज सुरक्षा पेंशन योजना अपनाये जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने वाले राज्यों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना के आरम्भ से अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) असम के अलावा सभी राज्य योजना को कार्यान्वित करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन

5169. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैसी समस्याएं इस समय

हैं वे विस्फोटक स्थिति में न पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों दोनों के लिए ही शिकायतें दूर करने तथा "डिफ्यूजिंग" तंत्र गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उपर्युक्त रूप से पुनर्गठन करने का है और इसे ऐसी भूमिका सौंपने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रधान मन्त्री के निदेशों की क्रियान्विति

5170. **श्री सुभाष यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार कार्यकरण में बड़े पैमाने पर सुधार करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेल संचालन में सुधार के प्रयास करना एक निरन्तर प्रक्रिया है । प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार, अन्य उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपायों को लागू करने और उन पर नजर रख कर रेलों के संचालन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं :—

(I) कार्यालयों में बेहतर उपस्थिति ।

(II) सरकारी काम को निपटाने में तत्परता ।

(III) अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, स्वीकृत परियोजनाओं पर कड़ी नजर रखना ।

(IV) बिजली, कोयला, उद्योग, आदि प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता देना ।

(V) सादगी के मानकों को लागू करना ।

(VI) व्यर्थ के और अनुत्पादक कार्यक्रमों को समाप्त करके खर्च में किफायत ।

रेल मंत्रालय में और सभी रेलों पर एक सर्व-सम्पूर्ण सतर्कता संगठन है जो शिकायतों की जांच के माध्यम से तथा निवारक जांच करके रेलों के संचालन से भ्रष्टाचार की रोकथाम करता है । प्रधान मन्त्री के निदेशों के अनुसार शिकायतों की तेजी से जांच करके तत्काल अनुवर्ती अनुशासनात्मक कार्रवाई करके सतर्कता संगठन को अधिक प्रभावी बनाने की कार्रवाई की गयी है ।

मन्त्रालय के अन्तर्गत पटना, राँची और मुजफ्फरपुर के संस्थानों में बिहार के नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर

5171. **श्री कुंवर राम** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले संस्थानों में बिहार के नवयुवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सरकार पटना, रांची और मुजफ्फरपुर के उम्मीदवारों के साक्षात्कार और शर्त करने की व्यवस्था करेगी ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : इस मंत्रालय के सड़क पक्ष का एक क्षेत्रीय कार्यालय पटना में है। इसे जहां तक भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए स्थानीय लोगों को भर्ती करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया गया है। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानीय रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त होते हैं। समूह 'क' और 'ख' के पदों के लिए मुख्यालय संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करता है।

2. इस मंत्रालय के अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय का दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय पटना में है। वे समूह 'क' और 'ख' के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है और समूह 'ग' तथा 'घ' के पदों के लिए निदेशालय पटना में साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करता है।

जनवरी-फरवरी 1983 के दौरान राजधानी में हुई सड़क दुर्घटनाएं

5172. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी और फरवरी 1983 के दौरान कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और कितने मामलों में मोटर वाहन ड्राइवरों द्वारा पैदल चलने वालों को मारा गया है;

(ग) क्या टक्कर मारने वाले अधिकांश मोटर वाहन ड्राइवरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और पुलिस द्वारा अपराधियों का पता न लगाए जा सकने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरे वार सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई गोदी से रसायनों और आयातित पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की चोरी

5173. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 ,1981 और 1982 (दिसम्बर के अतिरिक्त तक) बम्बई गोदी से रसायनों और पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न की बड़े पैमाने पर चोरियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चोरियों में चोरी करने के कौन से तरीके उपयोग किये गये थे और उन आयातकों का ब्यौरा क्या है जिनके चोरी किये गये माल का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है;

(ग) क्या पुलिस ने कुछ माल बरामद किया है;

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित आयातकों के नाम क्या हैं और बरामद किए गए माल का मूल्य क्या है;

(ङ) बम्बई गोदी में 1980-81 के दौरान ताइवान से आयातित पोलिस्टर फिलामेंट यार्न का कोई पात्र खोलने पर वह खाली पाया गया था; और

(च) यदि हां, तो उन आयातकों का ब्यौरा क्या है जिनके पात्र खाली पाए गए थे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1980, 1981 और 1982 (दिसम्बर तक) में बम्बई डाक से कुछ रसायनों और आयतित पोलिस्टर धागे की चोरी हुई ।

(ख) से (घ) चोरी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

परेषिति का नाम	**चोरी गए कार्गो का मूल्य**	**बरामद कार्गो का मूल्य**	**कार्य प्रणाली**
1	2	3	4
1. स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई	40,00,000	—	कंटेनर से चोरी
2. -वही-	3,50,00	3,50,000	खुले ह्वार्फ से चोरी
3. -वही-	1,15,000	80,000	"बी" शेड से चोरी
4. हैक्स्टफार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई	4,00,000	—	कंटेनर से चोरी

1	2	3	4	5
5.	-वही-	1,00,000	—	शेड से चोरी
6.	रिलायन्स टेक्सटाईल बम्बई	2,00,000	—	कंटेनर से चोरी
7.	-वही-	2,00,000	—	-वही-
8.	कोलम्बो पोर्ट के लिए माल	1,30,000	1,20,000	जहाज के गोदाम से चोरी
9.	-वही-	8,68,660	8,68,660	गोदाम से चोरी
10.	पाली ड्रग कैमिकल, बम्बई	4,50,000	4,50,000	खुली जगह से चोरी
11.	रिलायन्स टैक्सटाइल, बम्बई	1,05,000	—	देशी क्राफ्ट में कार्गो निकालना
12.	स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बंबई	26,00,000	—	डाक की दीवार के रास्ते माल निकालना
13.	-वही-	1,10,000	1,10,000	-वही-
14.	आरजे एक्सपोर्ट्स, बम्बई	8,00,000	8,00,000	कंटेनर से निकाल कर दीवार के रास्ते निकालना

(ङ) वर्ष 1980 और 1981 में तायवान से आए कंटेनरों जिनमें पोलीस्टर धागे थे उन्हें खोलने पर खाली पाया गया, इस बारे में कोई मामला दर्ज नही किया गया है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एशियाड 1982 के लिए पुराने पुलों तथा सड़कों के सुधार हेतु किया गया व्यय

5174. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में एशियाड 1982 के लिए पुराने पुलों तथा सड़कों के सुधार हेतु कुछ राशि खर्च की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन पुलों तथा सड़कों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी और उन पर कितना व्यय किया गया ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली में खासकर एशियाड में पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत पर कोई खर्च नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिजली ज्वारीय नहर तथा उड़ीसा तटवर्ती नहर का सर्वेक्षण कार्य

5175. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की ओर से हिजली ज्वारीय नहर तथा उड़ीसा तटवर्ती नहर का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड ने राज्य सरकारी के अधिकारियों और अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के मुख्य अभियंता व प्रशासक द्वारा नहर का संयुक्त निरीक्षण करने के लिए सिफारिश की । नहर के पश्चिम बंगाल वाले भाग का संयुक्त निरीक्षण पूरा हो गया है और उड़ीसा वाले भाग का संयुक्त निरीक्षण करना अभी बाकी है । संयुक्त निरीक्षण के आधार पर नहर के सुधार के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने की संभावना है ।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन पर हुआ खर्च

5176. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिये हमारी सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने कितना कितना खर्च वहन किया; और

(ग) बनायी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य कितना है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय खर्च की ठीक-ठीक राशि बता पाना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न सरकारी विभाग सम्मेलन की व्यवस्था से सम्बद्ध थे और इस मद में हुए खर्च के समेकित आंकड़े तैयार होने में कुछ समय लगेगा । तथापि अनुमान है कि कुल खर्च 30 करोड़ रुपये के आस-पास होगा ।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले देश केवल सम्मेलन सचिवालय के प्रबन्ध के लिए ही आंशिक रूप से खर्च वहन कर सकते हैं।

(ग) विज्ञान भवन कौम्प्लेक्स, अस्पताल और भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपकरणों, वाहनों की प्राप्ति से एवं इमारती परिवर्धन तथा परिवर्तन द्वारा बनाई गई परिसम्पत्तियों का मूल्य 17 करोड़ के आस-पास होगा।

दयाल सिंह कालेज में हिंसा

†5177. **श्री गुलेशर अहमद :**

श्री के० लकप्पा : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1983 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'वायलेंस ऐट दयाल सिंह कालेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) दयाल सिंह कालेज, नई दिल्ली में हुई हिंसात्मक घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 1982 से दिल्ली के विभिन्न कालेजों और शिक्षा संस्थाओं में हिंसा, घेराव और मार पीट की अन्य कितनी घटनायें हुई और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक मामले में की गई पूछताछ/जांच पड़ताल अथवा अन्य कार्यवाही के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) राजधानी की शिक्षा संस्थाओं में जान व माल की सुरक्षा के लिए क्या उपचारी और रोकथाम सम्बन्धी उपाय किए किए अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दयाल सिंह कालेज तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों में हुई हिंसात्मक घटनाओं और उन पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

भीनमल रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म

5178. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 266 अप 265 डाउन जोधपुर भिल्दी एक्सप्रेस की लम्बाई की तुलना में जोधपुर डिवीजन में सामदारी-भिल्दी के बीच के प्लेटफार्मों की लम्बाई कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन पर भीनमल रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म के दोनों ओर नाले हैं जिसके कारण यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने और उतरने में बड़ी असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सामदरी-भिल्दी के बीच इस एक्सप्रेस गाड़ी के आधे स्टेशनों के प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने का है, और यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि मारवाड़ भीनमल के प्लेटफार्म के दोनों ओर छोटी पुलियां हैं तथापि गाड़ियां उनसे अलग खड़ी होती हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी गाड़ी की लम्बाई से अधिक है । जो यात्री स्टेशन का उपयोग करते हैं, उन्हें पुलिया पार नहीं करनी होतीं, वैसे पुलिया पर पैदल-पथ की भी व्यवस्था है जहाँ से जनता उन्हें पार कर सकती है ।

(ग) और (घ) 266 अप/265 डाउन गाड़ी जिन-जिन स्टेशन पर ठहरती है सरकार का प्रस्ताव उनके प्लेटफार्मों की पटरी की सतह पर लम्बाई बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि वहां पूरी लम्बी गाड़ी समा सके । उत्तर रेलवे से कहा गया है कि इस काम के लिए ऐसी योजना बनाये कि इसे एक वर्ष के भीतर पूरा किया जा सके बशर्ते कि तकनीकी व्यावहारिकता हो और धन-राशि उपलब्ध हो ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों और अस्पतालों को परामर्श (रेफरल) अस्पताल घोषित करने की योजना

5179. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा करने की दृष्टि से सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों और अस्पताओं को परामर्श अस्पताल घोषित करने का है;

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में गत वर्ष के दौरान सामान्य रोगी कितने आए तथा अन्य अस्पतालों और राज्यों द्वारा पृथक पृथक कितन रोगी भेजे गये; और

(ग) देश के सभी लोगों के लिये ऐसे अस्पतालों की विशेषज्ञ सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ को जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, पूर्णतया रेफरल अस्पतालों के रूप में घोषित करना तब तक व्यवहार्य नहीं है जब तक कि राज्य सरकारों द्वारा अपने उन अस्पतालों में विशेषज्ञ उपचार की सुविधाएं विकसित नहीं कर ली जाती जहां से रोगियों को अति विशिष्ट उपचार के लिए इन संस्थानों में भेजा जा सके ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पास दूसरे अस्पतालों/राज्यों से

भेजे गए रोगियों के आंकड़े नहीं हैं। रोगियों द्वारा दिए गए पतों के अनुसार 1981-82 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पताल तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में क्षेत्रवार रोगियों का विवरण इस प्रकार है :—

राज्य	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में रोगियों की संख्या	राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में रोगियों की संख्या
दिल्ली	22377	3449
उत्तर प्रदेश	4625	432
हरियाणा	2412	365
पंजाब	212	75
राजस्थान	394	91
अन्य राज्य	1790	283
अन्य देश	259	9
योग	32069	4704

(ग) उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विशेषज्ञ उपचार उन सभी को प्रदान किया जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

छठी योजना के दौरान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना और उनका दर्जा बढ़ाया जाना

5180. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष सहित छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अलग अलग राज्यवार और प्रत्येक वर्ष में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे और कितने मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा प्रदान किया जायेगा;

(ग) क्या और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत उपकेन्द्रों की संख्या भी बढ़ायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने उपकेन्द्र खोले जाने की संभावना है तथा साथ

ही छठी योजना की समाप्ति तक प्रत्येक उपकेन्द्र द्वारा कितने लोगों की सेवा किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) छठीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 600 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना तथा 174 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का है। 1982-83 के दौरान जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोले जाने की सम्भावना है उनकी संख्या तथा 1983-84 में इन केन्द्रों को खोलने के लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। 1984-85 के लक्ष्यों के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करते समय निर्णय लिया जायेगा। यह विचार विमर्श 1983 के अन्त तक होने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) छठी योजना के लक्ष्यों के अनुसार लगभग 40,000 और उप-केन्द्र खोलने का विचार है। छठी योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य में उप-केन्द्रों की सम्भावित संख्या का एक ब्यौरा विवरण-2 में किया गया है। 74 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति 5,000 तक ही आबादी के लिए एक-एक उप-केन्द्र होगा जबकि शेष 26 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक-एक उप-केन्द्र 10,000 तक की आबादी को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संख्या को घटा कर 5000 तक कर दिया जायेगा।

विवरण-1

(आंकड़े अनन्तिम हैं और वार्षिक योजना विचार-विमर्श पर आधारित है)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		दर्जा बढ़ाये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	1	16	6	10
2. असम	2	7	2	2
3. बिहार	60	—	5	—
4. गुजरात	10	—	5	—
5. हरियाणा	2	2	2	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	4

1	2	3	4	5
7. जम्मू और कश्मीर	6	3	1	2
8. कर्नाटक	--	10	—	—
9. केरल	7	7	—	4
10. मध्य प्रदेश	10	5	—	5
11. महाराष्ट्र	23	228	—	—
12. मणिपुर	3	2	1	1
13. मेघालय	2	4	1	1
14. नागालैण्ड	1	—	—	—
15. उड़ीसा	3	7	—	—
16. पंजाब	—	—	10	10
17. राजस्थान	6	12	7	6
18. सिक्किम	2	1	—	—
19. तमिलनाडु	20	15	15	—
20. त्रिपुरा	2	4	2	1
21. उत्तर प्रदेश	33	20	7	12
22. पश्चिम बंगाल	12	—	10	10
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	2	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—
26. दादरा और नगर हवेली	1	—	—	—
27. दिल्ली	—	—	—	—
28. गोवा, दमन और दीव	—	—	—	—
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—
30. मिजोरम	2	3	1	1
31. पांडिचेरी	1	—	1	1
योग :	209	348	76	70

विवरण-2

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छठी योजना के दौरान उप-केन्द्रों का लक्ष्य (राज्य-वार)
1. आन्ध्र प्रदेश	1123
2. असम	905
3. बिहार	5000
4. गुजरात	2369
5. हरियाणा	560
6. हिमाचल प्रदेश	300
7. जम्मू और कश्मीर	300
8. कर्नाटक	1092
9. केरल	1661
10. मध्य प्रदेश	3000
11. महाराष्ट्र	3000
12. मणिपुर	284
13. मेघालय	150
14. नागालैंड	140
15. उड़ीसा	2000
16. पंजाब	497
17. राजस्थान	1825
18. सिक्किम	33
19. तमिलनाडु	2343
20. त्रिपुरा	238
21. उत्तर प्रदेश	7900
22. पश्चिम बंगाल	3000
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	65
24. अरुणाचल प्रदेश	10
25. चण्डीगढ़	4
26. दादरा और नगर हवेली	8
27. दिल्ली	5
28. गोवा, दमन और दीव	85
29. लक्षद्वीप	—
30. मिजोरम	30
31. पांडिचेरी	13

टूण्डला स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय

5181. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के टूण्डला स्टेशन पर प्लेट फार्म संख्या 1 और 2 में ही पूछताछ कार्यालय है;

(ख) क्या लोगों को गाड़ियों का समय पूछने या आरक्षण कराने के लिए प्लेटफार्म टिकट खरीदने के बाद प्लेटफार्म को जाना पड़ता है क्योंकि स्टेशन के बाहर कोई पूछताछ कार्यालय नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में ही एक आरक्षण व पूछताछ कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक यह काम हो जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जैसे ही नयी इमारत उपलब्ध हो जायेगी, पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय को उसके प्रतीक्षालय में शिफ्ट कर देने का प्रस्ताव है।

हावड़ा और कुमारी अन्तरीप के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाना

5182. **प्रो० पी ० जे० कुरियन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा से कुमारी अन्तरीप तक सीधी रेलगाड़ियां चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक श्री एन० डैनी, संसद सदस्य, से मिला है। कोचिंग स्टाक और रेल इन्जनों की अत्यधिक कमी एवं मार्ग में लाइन क्षमता की तंगी तथा कन्याकुमारी में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण, हावड़ा से कन्याकुमारी तक एक सीधी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाते समय इण्डियन मैडिकल एसोशिएशन से परामर्श न करना

5183. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाते समय सरकार इण्डियन मेडिकल एसोशिएशन अथवा मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया से परामर्श नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया की उपेक्षा करने के कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश में चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले इन संगठनों की सलाह और विचार लेने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारतीय आयुर्विज्ञान संघ तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् सहित विशेषज्ञों/व्यावसायिक संघों आदि की टिप्पणियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भाप के इन्जनों का प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त करना

5184. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० बी० देसाई : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक दशक पूर्व भाप के इन्जनों का निर्माण बन्द किये जाने के बावजूद इन इन्जनों का प्रयोग समाप्त करने में रेलवे बोर्ड असमर्थता के कारण रेलवे को 1979-80 के मूल्यों के आधार पर कम से कम 185 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा हो रहा रहा है;

(ख) क्या रेलवे सुधार समिति ने टिप्पणी की है कि भाप के इन्जनों को कंडम करने का काम बहुत पिछड़ गया है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि भाप के इन्जन का रख-रखाव करने के लिए 12-8 व्यक्तियों की जरूरत है जब कि डीजल इन्जन के लिए केवल 7-8 व्यक्तियों की जरूरत होती है; और

(घ) भाप के इन्जनों का प्रयोग समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) भारतीय रेलों ने अपना परिचालन भाप कर्षण से प्रारम्भ किया था। बाद में आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास होने पर, कुछ खंडों पर कतिपय गाड़ी सेवाओं के लिये डीजल/बिजली कर्षण शुरू किया गया है। आमतौर पर भाप कर्षण की अपेक्षा डीजल/बिजली कर्षण अधिक किफायती होती है। लेकिन, यह मानना ठीक नहीं होगा कि भाप कर्षण के कारण प्रतिवर्ष 185 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि हमारे देश में सामग्रीगत संसाधनों, जैसे कोयले, की उपलब्धता तथा लंबी दूरी के चुनींदा

मांगों पर भारी लदान के लिए डीजल/बिजली कर्षण को इस्तेमाल करने की आवश्यकता, जिससे कि रेलों को अधिकतम लाभ होता है, तथा धीमा गति से चलने वाली गाड़ियों, यार्ड शटिंग, माल गाड़ियों की शटिंग और धीमी गति वाली शाखा लाइनों के लिए भाप कर्षण के अनवरत प्रयोग को ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

(ख) रेल सुधार समिति ने यह उल्लेख किया है कि यद्यपि विगत में (अर्थात तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में) गतायु भाप रेल इन्जनों को कंडम करने का काम बहुत बड़ी मात्रा में बकाया हो गया था, तथापि तब से, विशेषकर *1979-80* के बाद से, इस कार्य में काफी प्रगति हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) भाप रेल इन्जनों को यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक "कंडम" किया जा रहा है और यह भी लक्ष्य है कि भाप रेल इन्जनों की श्रेणियां कम कर दी जायें और इन्हें कोयला क्षेत्र से दूर अवस्थित कतिपय क्षेत्रों से यथा संभव हटा दिया जाये। इस नीति के अनुसरण में, *1882-83* के दौरान 866 भाप रेल इन्जनों को "कंडम" किया जायेगा। दक्षिण रेलवे में बड़ी लाइन पर भाप रेल इन्जनों का प्रयोग बन्द कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कुष्ठ उपचार केन्द्रों को सहायता

5185. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन कुष्ठ उपचार केन्द्रों के नाम तथा संख्या क्या है जो देश में कार्य कर रहे हैं तथा जो केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस रोग का उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रीय योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) देश से कुष्ठ उपचार केन्द्रों के नाम और संख्या इस प्रकार है :

केन्द्र का नाम	संख्या
1. कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	389
2. नगरीय कुष्ठ केन्द्र	607
3. सर्वेक्षप, शिक्षा और उपचार केन्द्र	6,955
4. अस्थाई अस्पताली भरती वाले वार्ड	243
5. पुनर्रचनात्मक-शल्य चिकित्सा यूनिट	74
6. स्वैच्छिक सर्वेक्षप शिक्षा और उपचार केन्द्र	50
7. कुष्ठ गृह और अस्पताल	231

उक्त सभी केन्द्र सरकार से पूर्ण या आंशिक सहायता पाते हैं ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान निम्नलिखित और केन्द्र खोलने का विचार

केन्द्र का नाम	1983-84 में खोले जाने वाले केन्द्र की संख्या
1. कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	7
2. नगरीय कुष्ठ केन्द्र	52
3. सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	51
4. अस्थायी अस्पताली भरती वाले वार्ड	10
4. पुनर्रचनात्मक शल्य चिकित्सा यूनिट	2

(ग) जी, हाँ ।

(घ) भारत सरकार ने इस शताब्दी के समाप्त होने तक देश से कुष्ठ के उन्मूलन के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था । सरकार ने इस दल की सिफारिशों पर विचार करके यह निर्णय किया है कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम का नाम बदल कर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया जाए, जिसकी नई कार्य नीति और कार्यकलापों में रोगियों का शीघ्र पता लगाने, उनका नियमित इलाज करने, जिन जिलों में कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक हो वहां पर चरणवार तरीके से बहु-औषधीय-विज्ञान द्वारा इलाज करने, स्वास्थ्य शिक्षा देने और लोगों का सहयोग प्राप्त करने, रोगियों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, पुनर्वास और कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने, स्वैच्छिक संगठनों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था हो इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के दिशानिर्देशन के लिए एक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन आयोग का गठन किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री करेंगे । यह निर्णय लिया गया गया है कि इस आयोग द्वारा अनुमोदित नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वियन के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन बोर्ड बनाया जायेगा जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के सचिव करेंगे । जिन राज्यों में कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक है वहाँ पर भी सम्बन्धित राज्य के क्रमशः मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में इसी प्रकार के दिशा-निर्देशन और कार्यान्वियन निकाय होंगे ।

रेलवे की भूमि के आवंटन सम्बन्धी नियम

5186. **प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की भूमि के आवंटन सम्बन्धी नियम क्या है;

(ख) क्या भूमि के आवंटन में भूतपूर्व रेल कर्मचारियों, भूतपूर्व, सैनिकों, हरिजनों, अल्पसंख्यकों और भूमिहीनों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है;

(ग) एक व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है और क्या भूमि के आवंटन के समय अधिकतम भूमि सीमा नियमों को ध्यान में रखा जाता है;

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे में छपरा और बलिया के बीच माझी में रेलवे की कितनी भूमि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य "अधिक अन्न उपजाओ" प्रयोजनों के लिए रेलवे भूमि को लाइसेंस पर देने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों के बारे में जानना चाहते हैं। ये मानदण्ड मई, 1979 में निर्धारित किये गये थे। इन मानदण्डों के अनुसार, रेलवे भूमि आमतौर पर लगभग दो-दो एकड़ के प्लाटों में बांटी जाती है और बाहरी व्यक्तियों तथा रेल कर्मचारियों, दोनों को लाइसेंस पर दी जाती है। ऐसा करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा अन्य भूमिहीन गरीबों को तरजीह दी जाती है। इन प्रयोजनों के लिए लाइसेंस पर दी गई रेलवे भूमि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतर सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आती।

(घ) और (ङ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अधिक अन्न उपजाओ योजना के सम्बन्ध में 1959-60 से 31.3.1965 तक 5 वर्ष के लिए छपरा और बलिया के बीच मांझी में 32 एकड़ रेलवे भूमि का पट्टा शुरू में श्री हरदेव यादव तथा कुछ अन्य लोगों को दिया गया था। बाद में, श्री यादव को समय-समय पर 32 से 37 एकड़ तक भूमि जोतने के लिए अनुमति दी गई थी। बढ़ाई गई अन्तिम समयावधि 31.3.82 को समाप्त हो गई किन्तु 1982 की तीसरी तिमाही में, इस क्षेत्र के भू- उपयोग के बारे में सावधानी से विचार किया गया और माँझी स्थित भूमि की रेलवे की तात्कालिक और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुई, यह पाया गया कि श्री यादव के कब्जे वाली 37 एकड़ भूमि में से लगभग 15 एकड़ भूमि रेलवे की दीर्घकालिक आवश्यकताओं से फालतू है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, रेलवे को राज्य सरकार के माध्यम से 15 एकड़ भूमि मौजूदा बाजार भाव पर श्री यादव के लिए मुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं, बशर्ते कि श्री यादव शेष 22 एकड़ भूमि रेलवे को सौंप दें।

चिचाकी स्टेशन पर सियालदेह तथा जम्मूतवी एक्सप्रेस को ठहराना

5187. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद और कोडरमा रेलवे स्टेशनों के बीच चिचाकी स्टेशन पर 15 नवम्बर 1982 (दीवाली) के दिन लगभग 20 हजार लोगों ने उस स्टेशन पर सियालदह एक्सप्रेस के 2 मिनट ठहराने की मांग को लेकर 24 घंटे तक रेल यातायात को रोक कर एक आंदोलन आरंभ किया था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अप्रैल 1983 से प्रभावी होने वाली अगली रेलवे समय सारिणी तैयार करते समय धनबाद तथा कोडरमा रेलवे स्टेशनों के बीच चिचाकी स्टेशन पर सियालदह तथा जम्मूतवी एक्सप्रेस को ठहराव देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ। लगभग दो हजार लोगों ने प्रातः 8.30 बजे से 12.00 बजे तक प्रदर्शन किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यातायात का औचित्य न होने के कारण।

अनाथों की शिक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि

5188. **श्री गदाधर साहा** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 1982-83 के लिए "नान इन्स्टीट्यूशनल केअर स्कीमों" के अन्तर्गत निस्सहाय अनाथों की शिक्षा के लिए राज्यों और संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) जिस प्रयोजन के लिए यह धनराशि दी गई उसके लिए कितनी धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को उक्त स्कीम से लाभ पहुंचा; और

(घ) कितनी राशि अप्रयुक्त पड़ी है और इसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) "नान इन्स्टीट्यूशनल केअर स्कीमों" के अन्तर्गत यह मंत्रालय निराश्रित बच्चों के पालन पोषण के लिए स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आंशिक सहायता प्रदान करता है। निःसहाय अनाथों की शिक्षा के लिए इस योजना के अन्तर्गत अलग से कोई कोष प्रदान नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लेपरोस्कोपिक महिला नसबन्दी की लोकप्रियता

5289. **श्री गुफरान आजम** :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेपरोस्कोपिक महिला नसबन्दी देश में बहुत लोकप्रिय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस नसबन्दी की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं; और

(ग) सरकार ने देश में महिलाओं में इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) जी, हां ।

(ख) सक्षम डाक्टरों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि अपेक्षाकृत सुरक्षित और साधारण होती है । इससे आपरेशन में कम समय लगता है और पेट में एक नाममात्र निशान रह जाता है और अस्पताल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा बहुत कम आवश्यकता होती है ।

(ग) राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार लेपरोस्कोपिक क्रियाविधि में अधिक डाक्टर दलों को प्रशिक्षण देकर, राज्य सरकारों को अधिक लेपरोस्कोप उपलब्ध करके तथा लेपरोस्कोपिक शिविरों इत्यादि का आयोजन करके इसे आसानी से उपलब्ध कराकर तथा स्वीकार्य बना कर लेपरोस्कोपिक नसबन्दी को देश की महिलाओं में अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न कर रही है ।

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णय

5190. **श्री बी०डी० देसाई** : क्या **विदेश मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने जो कि 7 मार्च से 12 मार्च, 1983 तक आयोजित किया गया था प्रमुख निर्णय लिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा क्या निर्णय लिए गए थे;

(ग) किन-किन मुद्दों पर अधिकांश भाग लेने वाले देशों में मतभेद था;

(घ) किन-किन प्रस्तावों पर गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा विचार नहीं किया गया था ;

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या थे; और

(च) इस सम्मेलन को सफल बनाने में भारत की क्या भूमिका रही ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) 7 से 12 मार्च, 1983 तक नई दिल्ली में आयोजित गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में एक राजनीतिक घोषणा, नई दिल्ली संदेश, एक आर्थिक घोषणा और आर्थिक सहयोग की एक कार्य-योजना तथा सार्वभौम सम्पन्नता और गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता से सम्बद्ध घोषणा स्वीकार की गई है । इस सम्मेलन में मध्यपूर्व में न्यायोचित और व्यापक शांति सुनिश्चित करने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए भारत की अध्यक्षता में राज्याध्याक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर पर 8 सदस्यों की एक समिति का भी गठन किया गया ।

(ग) और (ड़) यद्यपि ऐसे बहुत से प्रश्न थे; जिन पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच मतभेद थे, तथापि सभी प्रस्तावों पर चर्चा की गई; और जिन मामलों पर सहमति हुई, उन्हें सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। प्रचलित पद्धति के अनुसार, गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में आम राय से निर्णय लिये जाते हैं, मतदान द्वारा नहीं।

(च) सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने एक, सक्रिय और रचनात्मक भूमिका अदा की, जिसके फलस्वरूप शिखर सम्मेलन में एकता, एकात्मता, सहिष्णुता और परस्पर सहयोग के वातावरण में सफलतापूर्वक विचार-विमर्श किया जा सका।

निर्गुट शिखर सम्मेलन के सचिवालयीय कामों के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित न करना

5191. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री सन्तोष मोहन देव :
श्री के०ए० राजन : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवें निर्गुट शिखर सम्मेलन के दौरान सचिवालयीय सेवाएं तथा अनुवाद, भाषान्तरण और भाषाई टाइपिस्टों, दस्तावेज वितरकों, सुपरवाइजरों आदि का कार्य मुख्यता विदेशियों द्वारा किया गया;

(ख) यदि हां, तो विदेशियों को कौन-कौन सी प्रमुख प्रकार की सेवाएं सौंपी गई तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) भारतीय प्रतिभावान व्यक्तियों को, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही के वर्षों में भारतीयों ने अनेक विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्ण-रूपेण तथा सफलतापूर्वक संचालित किए थे, प्रोत्साहित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) हमारे देश के लोगों को ठेका न दिये जाने तथा उसके स्थान पर विदेशियों को कार्य दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशियों पर जोर न देकर भारतीयों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अरबी, स्पेनी और फ्रांसीसी में अनुवाद, भाषान्तरण और टाइपिंग का काम तो अन्तर्राष्ट्रीय अमले ने किया था लेकिन अंग्रेजी टाइप, दस्तावेज वितरण तथा अधीक्षण करने वाले अधिकांश भारतीय थे। अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों पर विदेशी मुद्रा खर्च लगभग 90 लाख रुपये हुआ।

(ग) से (ङ) यह सामान्य परम्परा रही है कि छोटे सम्मेलन के लिए भारतीय दूभाषियों, संशोधकों, अनुवादकों आदि की सेवाएं ली जाती रही हैं। लेकिन, अपेक्षाकृत बड़े अन्तर्रा-

ष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए, जैसा कि हाल ही में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र स्तर के अर्हता प्राप्त व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रीय अमले की सेवाएं ली जाती हैं। ऐसे सम्मेलनों के लिए जहां संभव होता है, अपेक्षित योग्यता और स्तर की उपलब्ध स्थानीय प्रतिभा का भी उपयोग किया जाता है। प्रधान मन्त्री तथा अन्य सभी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं भारतीय सम्मेलन कर्मचारियों की प्रशंसा की गई थी।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे क्रासिंगों के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल

5192. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने छठी योजनावधि के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न सेक्शनों, विशेषकर उड़ीसा में वर्तमान रेलवे क्रासिंगों के बदल कौन-कौन से सड़क ऊपरी पुलों की स्वीकृति दी है;

(ख) प्रत्येक पुल की अनुमानित लागत कितनी है और उनकी स्वीकृति के बाद कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इन ऊपरी पुलों के संबंध में उनके मन्त्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है अथवा दक्षिण पूर्व रेलवे ने इन पुलों की रिपोर्ट तैयार की है और इन सेक्शनों के विकास को सामान्य रूप से लिया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने कोरापुट जिले के रायगाडा नगर में वर्तमान रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल के नाम का सुझाव दिया है क्योंकि इस पुल का प्रस्ताव पांचवी योजना के दौरान किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा इस पुल को पुराने प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिकता देकर सम्मिलित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में निम्नलिखित सात ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण-कार्य चालू है :—

क्रम संख्या	स्थान	राज्य
1.	बालंगीर	उड़ीसा
2.	बरगढ़	,,
3.	बालासौर	,,
4.	निरगुण्डि	,,
5.	कटक	,,
6.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
7.	राजनांदगांव	मध्य प्रदेश

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्थान	लागत में रेलवे का भाग (लाख रु. में)	संभावित 31.3.83 तक व्यय (लाख रु. में)	1893-84 के लिए अंतिम आवंटन (लाख रु० में)
बालंगीर	13.12	11.52	1.60
बरगढ़	16.92	14.34	2.58
बालासौर	43.15	35.36	7.79
निरगुण्डि	28.32	5.05	10.00
कटक	120.50	5.00	10.00
पुरुलिया	89.38	10.00	14.93
राजनांदगांव	30.50	25.72	4.78

(ग) जी हां, उपरोक्त सभी मामलों के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये गये थे, जो लागत में भागीदार भी हैं।

(घ) और (ङ) : रायगडा पर समपार के बदलाव में सड़क पुल के निर्माण के लिये अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दक्षिण-पूर्व रेलवे ने 1974 में राज्य सरकार को लागत में भागीदारी के आधार पर प्रस्ताव पर सहमत होने के लिये लिखा था, किंतु राज्य सरकार धन की तंगी के कारण इस पर सहमत नहीं हुई।

जब तक उड़ीसा राज्य सरकार से लागत में भागीदारी के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता, तब तक रेलवे द्वारा रायगडा में ऊपरी सड़क पुल के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना

5193. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

श्री कृष्णा दत्त सुलतानपुरी : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इससे कितने शोधार्थियों को तथा किस प्रकार का लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या व्यय और उपयोगिता दोनों पक्षों को देखते हुए यह संस्थान बहुत अधिक खर्चीला बन गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक बदला जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) पिछले पांच वर्षों 1978-89 से 1981-82 के दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने 1,38,31,141.00 रु० का कुल व्यय किया था इसमें से लगभग 44.0) लाख रुपये शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास काम्पलैक्स के रख-रखाव पर खर्च किए गए थे । 1977-78 के दौरान संस्थान में 4 कोर फेलो, 32 विजिटिंग फेलो और 11 गेस्ट फेलो अपनी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य कर रहे थे । इसके अलावा संस्थान ने दो विजिटिंग प्रोफेसरों को व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया था और 3 सेमिनार आयोजित किए । 1978-79 में 4 कोर फेलो के अतिरिक्त संस्थान में 14 विजिटिंग फेलो थे । सरकार द्वारा संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर निर्णय होने तक 1978 से कोई नई शिक्षावृत्ति प्रदान नहीं की गई । अतः अनुवर्ती वर्षों में, संस्थान में केवल 4 कोर फेलो थे जिनमें से एक ने 1980-81 मे दूसरे ने 1981-82 में त्यागपत्र दे दिया था ।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया था कि संस्थान के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का पुनर्गठन और उनकी पुनः संरचना की जाए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, संस्थान में शैक्षिक क्रियाकलाप पुनः आरम्भ होने तक इसके द्वारा जो प्रमुख व्यय किया जा रहा है वह संस्थान में कार्यरत स्टाफ के वेतन और भत्तों की अदायगी और राष्ट्रपति निवास परिसर जो इसमें स्थित है, के अनुरक्षण पर हो रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्धे बच्चों की राज्यवार संख्या

5194. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 40,000 बच्चे हर वर्ष अन्धे हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) अन्धत्व निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि व्यय हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हर वर्ष कितने बच्चे दृष्टिहीन हो जाते हैं उनकी संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । किंतु 1973-75 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा किए गए एक नमूना सर्वेक्षण से अनुमान लगाया गया है कि अकेले विटामिन "ए" की कमी

से प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक बच्चे प्रभावित होते हैं जिससे केरेटोमलेशिया और अन्धापन हो जाता है।

(ख) राज्य वार आकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने की एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के समय से चल रही है जिसके अन्तर्गत विटामिन "ए" घोल की बड़ी खुराक पिलाई जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूल पूर्व आयु के 12.5 करोड़ बच्चों का बचाव किया जाएगा यह योजना सभी राज्यों/ सघं शासित क्षेत्रों के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त जन संचार के सभी साधनों तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सम्पर्क तरीकों द्वारा स्तनपान कराने दुग्ध छुड़ाने के उपयुक्त आहारों, हरे पतों वाली सब्जियों तथा विटामिन "ए" से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षा प्रयासों को तेज किया जा रहा है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए तीन वर्षों में की गई बजट व्यवस्था इस प्रकार थी :—

(आंकड़े लाखों में)

1981-81	1981-82	1982-93
97.50 रुपये	69.00 रुपये	71.25 रुपये

पंचवर्षीय विधि डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना

5195. **श्री जैनुल बशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचवर्षीय विधि डिग्री पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा यह पाठ्यक्रम कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए कानूनी शिक्षा का स्तर निर्धारित करने सम्बन्धी अधिकार भारतीय बार परिषद के पास हैं। बार परिषद ने 10+2 शिक्षा स्तर के बाद, पांच वर्ष की कानूनी शिक्षा की एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार की है जिसे 1-6-1982 से लागू कर दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित देश के सभी विश्वविद्यालयों को बार परिषद द्वारा यह सलाह दी गई है कि वे दो वर्षों में, अर्थात् 1984-85 शैक्षिक वर्ष तक, नई योजना को अपना लें।

राज्यों में गैर-सरकारी इन्जीनियरी कालेज और तकनीकी संस्थाएं

5196. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ राज्यों में सम्बन्धित मार्ग-निर्देशों का घोर उल्लंघन करके खोले गये गैर-सरकारी इन्जीनियरी कालेजों और तकनीकी संस्थाओं में तेजी से हुई वृद्धि के मामले को गम्भीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसे गैर-सरकारी तकनीकी संस्थाओं में वृद्धि का पता चला है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक।

(ग) जी, हां। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रति छात्र शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त कर दें।

(घ) इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों की अनुकूल प्रतिक्रिया रही है परन्तु वे राज्य सरकारें जहां ऐसी तथाकथित संस्थाएं मौजूद हैं, कुछ कानूनी और अन्य कठिनाइयों के कारण इस प्रथा को अभी तक बन्द नहीं कर पाई है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रति छात्र शुल्क एकत्र करने पर रोक लगाने का एक विशेष अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश को एक विधेयक द्वारा बदला जा रहा है जिसे राज्य विधान सभा ने 21 मार्च, 1983 को पारित कर दिया है।

सियालदाह डिवीजन में उपनगरीय और गैर-उपनगरीय
रेलगाड़ियों के चलने में बार-बार बाधा पड़ना

5197. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियालदाह डिवीजन में उपनगरीय और गैर-उपनगरीय रेल गाड़ियों के चलने में बार-बार बाधा पड़ने के कारणों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) हाल ही में 12 मोटर डिब्बों सहित 48 बिजली गाड़ी डिब्बे (ई एम यू) पूर्व रेलवे को दिए गए हैं जो न केवल कुछ गतायु डिब्बों को बदलने के लिए हैं बल्कि गाड़ी सेवा की विश्वसनीयता में सुधार लाने तथा फेरों में वृद्धि करने के लिए भी हैं। बार-बार की खराबी का मुख्य कारण बदमाशों द्वारा महत्वपूर्ण उपस्कर की चोरी, क्षति और उठाईगीरी होता है। सम्बन्धित सुरक्षा एजेन्सियों और राज्य सरकार के साथ भी प्रभावी सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(ग) इस सम्बन्ध में अभी कुछ कह पाना कठिन है।

चेंगाइल स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड और संयोजक सड़क का निर्माण

5198. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चेंगाइल स्टेशन पर तीन प्लेटफार्म शेडों के निर्माण के कुछ छोटे-मोटे काम और स्टेशन से संयोजक सड़कों पर मरम्मत या पुनः निर्माण के कुछ काम बहुत वर्षों से अभी तक पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस काम के लिए अधिक धनराशि का आवंटन करके काम को शीघ्र पूरा करायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। प्लेटफार्म नं० 1 और 2/3 पर शेडों के 3 खण्डों के विस्तार का काम 1979-80 के बजट में अनुमोदित किया गया था और यह अभी पूरा नहीं हुआ है। पहुंच मार्ग, जो पानी से घिरी हुई पक्की सड़क है, की कहीं-कहीं पर मरम्मत अपेक्षित है।

(ख) और (ग) धन की सामान्य कमी और शेडों के निर्माण में कुछ विलम्ब के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। नींव डालने का काम पूरा हो चुका है और रेलवे को आशा है कि उत्थापन कार्य आगामी कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा।

आशा है कि वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पहले, पानी से घिरे पक्के पहुंच मार्ग की कहीं-कहीं यथापेक्षित मरम्मत का काम भी पूरा हो जायेगा।

उड़ीसा में ढुंकेलाघाट और बानईगढ़ के बीच ब्राह्मणी नदी पर पुल

5199. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (उड़ीसा) पर ढूंकलेघाट और बानईगढ़ के बीच ब्राह्मणी नदी पर एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पुल का कब निर्माण किए जाने का विचार है;

(ग) उस पुल की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उपरोक्त पुल के निर्माण के लिए 1983-84 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी हां। परन्तु, धन अभाव के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है। उड़ीसा की 1982 की दर सूची के अनुसार पुल परियोजना पर जिनमें चार छोटे पुलों सहित पहुंच मार्ग भी शामिल है, 520.25 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पिछले छः महीनों में बन्द रहना

5200. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सामान्य कार्य दिवसों के दौरान गत छः महीनों में कितनी बार बन्द रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : पिछले छः महीनों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 25 फरवरी, 1983 से केवल एक बार बन्द हुआ था। तथापि, यह 3 मार्च, 1983 को पुनः खुल गया।

भारत और इथियोपिया के बीच सांस्कृतिक समझौता

5201. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में भारत और इथियोपिया के बीच हुए सांस्कृतिक समझौते का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : भारत सरकार तथा समाजवादी इथोपिया की प्रोविजनल सैनिक सरकार के बीच एक सांस्कृतिक करार पर 9 फरवरी, 1983 को हस्ताक्षर किए गए थे। करार का उद्देश्य, भारत और इथोपिया के बीच कला, संस्कृति, शिक्षा (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलाप सहित) खेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और फिल्मों, दूरदर्शन, रेडियो और प्रेस सहित सूचना के जन-संचार साधनों के क्षेत्रों में, घनिष्ठ सहयोग को विकसित करना है। इस प्रयोजन के लिए दोनों पक्ष प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरों; संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल आदि के क्षेत्रों में सामग्री के विनिमय; उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने; कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मंडलियों के विनिमय; कला तथा अन्य प्रदर्शनियों के विनिमय; फिल्मों, वृत्त चित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के विनिमय; एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने; खेल दलों आदि के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएंगे।

विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करार में दोनों सरकारों की एक संयुक्त समिति की स्थापना की व्यवस्था है जो करार में परिकल्पित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले ठोस विनिमय कार्यक्रम तैयार करने हेतु सम्बन्धित सरकारों को सलाह देने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

यह करार दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन-लिखितों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा।

दिल्ली से एकलखी बरास्ता बलूरघाट तक रेल लाइन का निर्माण

5202. **श्री चित्त बसु :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से एकलखी बरास्ता बलूरघाट तक रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इस बीच इसका अनुमोदन कर दिया है; और

(घ) यह प्रस्ताव अब किस स्तर पर है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) बलूरघाट के रास्ते एकलखी से हिली तक रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एकलखी से बलूरघाट तक रेल लाइन के निर्माण के लिए हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। इस पिछड़े क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

मिथिला विश्वविद्यालय खोलना

5203. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और केन्द्र सरकार सर्वप्रथम दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव बिहार में किससे तथा किस तारीख को प्राप्त हुआ था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दल दरभंगा कब गया था और वह प्रस्तावित विश्वविद्यालय के पक्ष में अथवा विपक्ष में लोगों के किन वर्गों अथवा राजनैतिक दलों में मिला था; और

(ग) क्या इस विश्वविद्यालय को अभी तक विकास अनुदान नहीं दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के थुंगन) : (क) विद्यमान के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करके मिथिला विश्वविद्या-

लय की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम मई, 1967 में बिहार सरकार के तत्कालीन उप-मुख्यमन्त्री से प्राप्त हुआ था।

(ख) आयोग की विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 1968 में प्रस्ताव की जाँच के लिए दरभंगा का दौरा किया। समिति को इसके दौरे के दौरान विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए। जो के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रस्तावित पुनर्गठन के खिलाफ थे, वे हैं :

1. कुलपति,
   के० एस० डी० संस्कृत विश्वविद्यालय।

2. श्री देव नारायण झा,
   सचिव,
   राष्ट्रीय पुस्तकालय बिहार।

3. श्री एस० एन० ठाकुर,
   प्रबन्धक प्रचारक,
   मिथिली प्रचारक संघ,
   मिर्जापुर।

4. श्री जटाशंकर झा,
   प्राचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय,
   पटना।

5. अध्यक्ष केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड।

6. बिहार के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों
   के कुलाधिपति

7. प्रो० चेतकर झा,
   पटना विश्वविद्यालय और सदस्य,
   बिहार विधान परिषद।

समिति को मिथिला विश्वविद्यालय समिति के संयोजक श्री सालिग नाथ मिश्र से प्रस्तावित पुनर्गठन के पक्ष में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ग) विश्वविद्यालय को इसके संस्थागत विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12क के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित कुछ शर्तें अभी पूरी नहीं की गई हैं।

उर्दू विश्वकोष का प्रकाशन

5204. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्दू विश्वकोष के प्रकाशन के लिए निदेशक उर्दू विकास ब्यूरो तथा दिल्ली के हमदर्द प्रेस के बीच सौदा हुआ है यद्यपि उस फर्म द्वारा दी गई निविदा सबसे ऊंची नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस फर्म से कोई प्रतिभूति ली गई है, जैसा कि नियमों में उपबंध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम में आयुर्वेद हेतु राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना

5205. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में आयुर्वेद हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है इस समय प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम, केरल में आयुर्वेद, का एक राष्ट्रीय संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जयपुर में एक आयुर्वेद का एक राष्ट्रीय संस्थान पहले ही खुला हुआ है।

उच्च माध्यमिक और कालेज स्तर पर जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा

5206. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की उच्च माध्यमिक और कालेज स्तर पर जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत भेज दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त कब तक भेजने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली

में एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अप्रैल, 1980 से शुरू की है। इसके अन्तर्गत राज्य योजना के प्रस्ताव रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा बनाई गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इस समय वह कार्यक्रम 21 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य विशेष भौतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या शिक्षा में प्राथमिक/मिडिल तथा माध्यामिक स्कूल स्तरों के लिए पाठ्यचर्या का विकास कर रहे हैं। वे जनसंख्या सम्बन्धी विचारों तथा मूल्यों को अपनी पाठ्य-पुस्तकों तथा छात्रों और शिक्षकों के लिए निर्धारित शिक्षण सामग्री को भी शामिल कर रहे हैं। राज्य अपने शिक्षकों अध्यापक शिक्षकों तथा स्कूल प्रशासकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। कुछ राज्यों ने अब उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या का विकास शुरू किया है।

कालेज स्तर पर जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा शुरू करने के बारे में *विश्वविद्यालय अनुदान* आयोग ने जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर 15 लैक्चर, *विश्वविद्यालयों द्वारा* यथा अपेक्षित संशोधन के साथ उपयोग के लिए परिचालित किए हैं।

आयुर्वेदिक अस्पताल, कोयम्बटूर के विकास/विस्तार हेतु अनुदान

5207. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयम्बटूर (तमिलनाडु) और सूरजगढ़ (राजस्थान में झूनझूनु जिला) में बहुत अच्छे आयुर्वेदिक अस्पताल हैं जिनमें पोलियो, लकवा और गठिया रोगों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि यूरोप के *अत्यधिक उन्नत देशों जैसे फ्रांस,* इंग्लैंड आदि से भी रोगी अपनी चिकित्सा के लिए इन अस्पतालों में आते हैं और पूरे स्वस्थ्य होने के बाद जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धन राशि की सहायता दी गई और क्या सरकार का इन अस्पतालों के विकास विस्तार हेतु विशेष धनराशि स्वीकृति करने का विचार है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार को आयुर्वेदिक ट्रस्ट अस्पताल, कोयम्बटूर के बारे में जानकारी है, जहां पोलियो, अधरंग रयूमेटिस्म आदि के लिए पंचकर्मा उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैसे, सूरजगढ़ में प्रदान किए जाने वाले उपचार की किस्म और क्वालिटी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने आयुर्वेदिक ट्रस्ट, कोयम्बटूर को, जो कोयम्बूटर में आयुर्वेदिक

अस्पताल चला रहा है, पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान के रूप में निम्नलिखित धन-राशि रिलीज की है :—

		(रुपये लाखों में)
1980-81		शून्य
1981-82		1.00
1982-83		2.00
	कुल	3.00

आयुर्वेदिक अस्पताल, सूरजगढ़ को कोई अनुदान नहीं दिया गया था क्योंकि इस अस्पताल से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

इस मन्त्रालय द्वारा इन अस्पतालों को कोई विशेष सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी० जी० एम० आई० आर० के उद्देश्य और उपलब्धियां

5208. **श्री वी० डी० सिंह :**

श्री रसीद मसूद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी० जी० एम० आई० आर० चंडीगढ़ नामक दो प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर हुई थी;

(ख) सरकार ने इन चिकित्सा संस्थानों के आरम्भ होने के समय से उनकी उपलब्धियों और इन संस्थानों के कार्यकरण में कोई कमियों/समस्याओं को यदि कोई है जानने के लिए यदि कोई समिति गठित की थी तो उनकी संख्या (नाम सहित) क्या है और इस प्रयोजन के लिए पिछली समिति कब स्थापित की गई थी;

(ग) इन समितियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों की खास बातें क्या हैं और सरकार ने उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार के विचाराधीन कोई रिपोर्ट अभी भी लम्बित पड़ी है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य थे (1) स्नातकपूर्ण एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के अध्यापन के आदर्श विकसित करना; (2) स्वास्थ्य की विभिन्न शाखाओं में

प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना; तथा (3) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना;

(ख) से (घ) इन दोनों चिकित्सा संस्थानों की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए इनके खुलने की तारीख से अब तक भारत सरकार ने कोई समिति गठित नहीं की। वैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 1963 में डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1964 में दे दी थी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए जाने से पूर्व स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने डा के० एन० राव की अध्यक्षता में 1966 में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इन दोनों संस्थानों के अध्यक्ष की हैसियत से अगस्त, 1978 में एक पुनरीक्षा समिति गठित की थी जिसका काम इन संस्थाओं के कार्य संचालन को देखना था। पहले इस पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष के श्री टी० ए० पाई और बाद में डा० एस० जे० मेहता। इसने 30.4.81 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पुनरीक्षा समिति ने अध्यापन के आदर्श विकसित करने, ग्रामीण और नगर स्वास्थ्य केन्द्र परियोजनाओं, अनुसंधान कार्य, अस्पताली सेवाओं और इन संस्थानों के शैक्षिक तथा प्रशासनिक ढांचे आदि के मूल्यांकन के बारे में अपनी शिफारिशें दीं। इनके संस्थान निकायों ने इस रिपोर्ट में आई तथ्यात्मक असंगतियों, यदि कोई हो, का पता लगाने और इसके विवरणात्मक अंश का अवलोकन करने के लिए एक छोटी सी समिति का गठन किया। पुनरीक्षा समिति और इस लघु समिति दोनों की रिपोर्टों पर इन संस्थानों के निकायों ने 15.2.83 को हुई अपनी बैठकों में विचार विमर्श किया। संस्थान निकायों ने कतिपय संशोधनों के साथ इस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को आमतौर पर मान लिया है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए ये संस्थान आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

ललितागिरि बौद्ध स्मारक

520९. **डा० कृपा सिंधु भोई** : *क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या ललितागिरि जिला कटक उड़ीसा जो अपने बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय मूल्य में अत्यधिक समृद्ध है तथा राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र है को 'बोल्डर' तथा 'मोरीन' निकालने के लिए पत्थर को खदान हेतु पट्टे पर दिया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था में इस क्षेत्र की रक्षा करने हेतु पर्याप्त रक्षक हैं;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र को पट्टे पर कैसे दिया जा रहा है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है

कि इस क्षेत्र को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर न दिया जाये और बौद्ध काल के खजाने का पता लगाने के लिए ललितागिरि के आस-पास पूर्ण खुदाई न हो ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) ललितागिरि में केन्द्रीय संरक्षित क्षेत्र किसी प्रकार के खदान कार्य हेतु पट्टे पर नहीं दिया गया है।

(ख) स्थल पर तीन संस्मारक परिचर चौबीस घंटे चौकसी के लिए तैनात हैं।

(ग) सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल को पट्टे पर दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) गोलाश्म आदि के अवैध संग्रह का पता चलने पर ऐसे मामले तुरन्त कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस तथा जिला प्राधिकारियों के ध्यान में लाये जाते हैं। स्थल का सीमांकन कर दिया गया है ओर ऐसा अवैध कार्य वहां पर तैनात पहरा व निगरानी कर्मचारियों की नजर से बच नहीं सकता। फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल पर उत्खनन कार्य कराए जाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस समय वह समस्यामूलक स्थलों में संलग्न है।

अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करना

5210. **श्री मोती भाई आर. चौधरी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से विभिन्न संगठनों द्वारा निरंतर की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक यह शुरू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लाइन क्षमता, कोचिंग स्टाक, आदि अपेक्षित संसाधनों की कमी के कारण।

जल मार्ग से कोयले का परिवहन

5211. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल मार्ग से कोयले की सुचारू परिवहन के लिए कितने पोत प्रयुक्त किये गए हैं;

(ख) इन पोतों के लिए उस मामले में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना लदान की शर्तों और माल

भाड़े में कुछ परिवर्तन कर लिए गए हैं जिसके कारण कंपनियों में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और कोयले के परिवहन की गति धीमी हुई;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उपयोगी और अनुपयोगी श्रेणी को उचित समय पर कोयले को पहुंचाने के लिये कोयले के कारगर लदान हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) प्रति माह औसतन 10 जहाज।

(ख) रेलवे और सीमेंन्ट कंपनियों के लिए कोयला लाइनर शर्तों पर ढोया जाता है जब कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड के लिए कोयला पूम्पुहर शिपिंग कारपोरेशन द्वारा टाइम चार्टर पर जहाज से ढोया जाता है।

(ग) हाल ही में रेलवे प्राधिकारियों ने भाड़े के भुगतान की प्रक्रिया में एक तरफा परिवर्तन कर दिया है। यह पहले बिल्टी जमा करने पर भुगतान हो जाता था जिसे अब बदलकर कोयले के डिस्चार्ज होने पर किया जाता है। नौवहन महानिदेशक के हस्तक्षेप करने पर उन्होंने पहले वाली प्रक्रिया फिर से अपना ली है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति

5212. **श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति, जैसा कि शिक्षण कर्मचारियों के मामले में किया गया है, देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-अध्ययन स्टाफ के लिए एक समिति नियुक्त की है; जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

(1) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-अध्यापन स्टाफ के विभिन्न वर्गों के वेतनमानों में किसी प्रकार की असमानता/विचारों का पता लगाना।

(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन स्टाफ की प्रौन्नति के अवसरों के प्रावधान में असमानता, यदि कोई हो, का पता लगाना;

(3) इसके सुधार के विशेष सिफारिशें करना तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-अध्यापन कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए तर्क संगत आधार पर प्रोन्नति के अवसरों के लिए उपयुक्त प्रावधान का भी सुझाव देना ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु के कलाकारों की विदेश यात्रा

5213. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उन नर्त्तकों, कण्ठ संगीतकारों, मृदंगम, विद्वानों, वायोलिन विद्वानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन कलेंडर वर्षों के दौरान विदेशों की यात्रा की थी;

(ख) उन्होंने इस अवधि के दौरान कितनी बार यात्रा की;

(ग) वे विभिन्न देशों में कितनी-कितनी अवधि तक रहे;

(घ) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(ङ) उनके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

दिल्ली तथा अमृतसर के बीच जी० टी० रोड को चौड़ा करने के कार्य में हुई प्रगति

5214. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अमृतसर के बीच जी० टी० रोड को चौड़ा करने सम्बन्धी अद्यतन प्रगति क्या है और इसे कहां तक चौड़ा कर दिया गया है;

(ख) उसे अमृतसर तक चौड़ा करने में कितना समय और लगेगा; और

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) माडल टाऊन/आजादपुर क्षेत्र से बाहर और राजघाट तथा दिल्ली/हरियाणा सीमा के बीच 12 किलोमीटर का बाईपास बनने से दिल्ली में अब जी० टी० रोड की लम्बाई 31 किलोमीटर है । सड़क के इस भाग को पूरी तरह चार लेनों में चौड़ा कर दिया गया है । हरियाणा में 183 किलोमीटर की सड़क में से दिल्ली/हरियाणा सीमा से मुर्थल तक 21 किलोमीटर की सड़क को चार लेनों में चौड़ा कर दिया गया है और सड़क यातायात के लिए खोल दी गयी है । ड्रेन नं०

8 के ऊपर नीचे पुल के पहुंचमार्गों का थोड़ा-सा भाग अभी रहता है और वहां काम हो रहा है। पंजाब में अमृतसर तक सड़क की लम्बाई 244 किलोमीटर है, जिसमें से खन्ना गौराया और रय्या से गुजरने वाली 5.5 किलोमीटर लम्बी सड़क को चार लेनों में चौड़ा कर दिया गया है और लुधियाना और गोरायां के बीच 22.5 किलोमीटर की सड़क को चार लेनों में चौड़ा किया जा रहा है। पहुंचमार्गों और 2 सड़क उपरिपुलों को छोड़ कर गोरायां से 10 किलोमीटर की सड़क को 31.3.83 तक यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है। कार्यकारी एजेन्सी ने, फरवरी, 1983 तक लगभग 19.50 करोड़ रुपये के खर्च की सूचना दी है।

हरियाणा और पंजाब में, लगभग 124 किलोमीटर की और सड़क चार लेनों में चौड़ा करने के लिए छठी योजना में शामिल किया गया है। परन्तु, इसका निर्माण छठी योजना की शेष अवधि में वर्षानुवर्ष धन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। शेष सड़क खंडों को चौड़ा करने का कार्य, उपलब्ध समस्त संसाधनों और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 7वीं योजना में करने पर विचार किया जाएगा।

नेशनल इंस्टिट्यूट फार विजुअली हैन्डिकैप्ड, देहरादून में भागलपुर केन्द्रीय जेल के विचाराधीन कैदियों का प्रशिक्षण

5215. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टिट्यूट फार विजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून में भागलपुर केन्द्रीय जेल के कितने विचाराधीन अन्धे व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या इन विचाराधीन कैदियों में से किसी को संस्था से जेल वापस भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो, उसके क्या कारण है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) इस समय भागलपुर केन्द्रीय जेल के विचाराधीन केवल एक नेत्रहीन कैदी को राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1981-82 में संस्थान में 11 प्रशिक्षणार्थी आए थे जिनमें से दो ने फरवरी, 1982, में अवकाश ले लिया, एक अप्रैल, 1982 में अवकाश लेकर घर चला गया और सात को प्रवीणता प्रमाण पत्र दिए गए और दिसम्बर, 1982 में उनको छुट्टी दे दी गई। शेष एक विचाराधीन अभी भी प्रशिक्षण ले रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को बिहार सरकार द्वारा मार्ग रक्षकों के साथ भेजा गया और मार्ग-रक्षकों के साथ वापस ले आया गया।

फल और सब्जी के व्यापारियों को माल-डिब्बे उपलब्ध कराया जाना

5216. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे कौन-कौन से भाग हैं, जहां सेब, आलू, केला आम और सब्जियों की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों की भारी मांग है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि फलों, सब्जियों आदि के परिवहन के लिए समय पर माल-डिब्बे उपलब्ध न होने के कारणगत दो वर्षों के दौरान व्यापारियों और किसानों को कितना नुकसान भुगतना पड़ा है; और

(ग) इस संबंध में लोगों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सेब, केला, आम और सन्तरा जैसे फलों के परिवहन के लिए माल-डिब्बों की अधिकांश मांग मध्य, उत्तर, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों पर तथा आलू और प्याज जैसी सब्जियों की मध्य, उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिम रेलों पर संकेंद्रित है।

(ख) पिछले दो वर्षों में फलों और सब्जियों के लदान के लिए माल-डिब्बों की सप्लाई मांग की अनुकूल रही है। इसलिए, माल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण किसानों तथा व्यापारियों को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फलों और सब्जियों के लदान के लिए माल डिब्बों की मांग तत्काल पूरी की जाती है और निकट भूत में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

भोपाल में सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला

5217. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट बनने वाली सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1982-83 के बजट आवंटन में इस परियोजना पर 28 फरवरी, 1983 तक कुल कितना व्यय किया गया है; और

(घ) संशोधन कार्यक्रम के अनुसार इसके कब तक चालू होने/उत्पादन होने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विस्तृत अनुमान, सामग्री अनुसूचियां, आदि तैयार करने के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है।

(ग) 28 फरवरी, 1983 तक कुल व्यय 54 लाख रुपये हुआ जबकि वर्ष 1982-83 के लिए 107 लाख रुपये के बजट आवंटन की व्यवस्था की गयी थी।

(घ) कारखाने में 1985-86 में उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है, परन्तु वास्तविक प्रगति धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

दिल्ली परिवहन निगम के डिपुओं में मरम्मत के लिए खड़ी बसों की संख्या

5218. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के डिपुओं में अनेक ऐसी बसें बेकार खड़ी हैं, जिन्हें मामूली सी मरम्मत करने के बाद सड़कों पर लाया जा सकता है;

(ख) यदि हां तो डिपु-वार उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इन्हें सड़क पर चलाने के काबिल बनाने हेतु इनकी मरम्मत न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विश्वविद्यालय शिक्षकों के कार्य की स्थितियों की जांच

5219. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के कार्यकरण तथा जीवन की परिस्थितियों, विशेष रूप से उनके वेतन मान, पदोन्नति के अवसर, आवास तथा सभी प्रबन्ध, निकायों में उनकी साझेदारी के संदर्भ में कोई व्यापक जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की 103 दिन की हड़ताल के द्वारा सामने लाई गई, विचार किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस बारे में आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाईजेशन से अभ्यावेदन आमंत्रित किये जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रायों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अध्यापकों की कार्य करने तथा रहने की स्थिति, उनके वेतनमान, पदोन्नति के अवसर, आवास समस्याएं इत्यादि से संबंधित ऐसी कोई जांच नहीं जा रही है। तथापि, सरकार ने पिछले साल अध्यापक दिवस (5 सितम्बर 1982) की पूर्व सन्ध्या के अवसर पर घोषित निर्णय के अनुसरण में दो राष्ट्रीय आयोग संगठित किए अर्थात एक स्कूल अध्यापकों के लिये और दूसरा उच्च शिक्षा के अध्यापकों के लिये । इन आयोगों के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय के सदस्यों के लिये एक उचित स्तर प्रदान करने के लिये उपाय निर्धारित करना, अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभावशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें व्यवसाय में रोके रखने के लिये आवश्यक उपायों पर विचार करना; प्रशिक्षण/अनुस्थापन के लिये मौजूदा व्यवस्थाओं की पुनरीक्षण, व्यावसायिक विकास और व्यावसायिक चेतना में शिक्षा संगठनों की भूमिका निर्धारित करना; अध्यापकों के लिये एक ऐसी आचरण संहिता तैयार करने की संभावना पर विचार करना जो स्वीकार्य तथा कार्यान्वियन के योग्य हों, : अध्यापक कल्याण की प्रोन्नति के लिये पर्याप्त व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इत्यादि

शामिल है । यद्यपि ये आयोग मुख्यतः अध्यापकों की शिकायतों की जांच करने के निकाय नहीं हैं फिर भी वे अपने विचारार्थ विषयों से सम्बंधित किसी भी मामले पर विचार कर सकते हैं और विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक संगठनों का अखिल भारतीय संघ आयोग के विचारार्थ कोई भी सुझाव भेज सकता है ।

जयपुर तथा टोडाराय के बीच मीटर गेज लाइन बन्द रहने वाला दिन

5220. **श्री बनवारी लाल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर और टोडाराय सिंह (पश्चिम रेलवे) के बीच मीटर गेज लाइन कार्यरत है ;

(ख) यह लाइन 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान कितने दिन तक बन्द रही ;

(ग) उसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इस लाइन पर स्टेशनों की संख्या कम कर दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दरार पड़ जाने के कारण 1981-82 के दौरान 81 दिन तक तथा कोयले की कमी के कारण 1982-83 के दौरान 24 दिन तक यह लाइन बन्द रही ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नौवहन उद्योग और व्यापार पर मन्दी का प्रभाव

5221. **श्री सुभाष चन्द्र अल्लूरी** :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन उद्योग को विश्वव्यापी मन्दा का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन उद्योग और व्यापार पर इनका क्या प्रभाव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय नौवहन कम्पनियों की भाड़ा/चार्टर कमाई में काफी कमी आई है जिससे भारतीय नौवहन कम्पनियों को गम्भीर मुद्रा प्रसार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

कुछ भारतीय नौवहन कम्पनियों को अपने प्रचालन को बन्द करना पड़ा। भारतीय नौवहन कंपनियों को अपनी पूंजी जरूरतों को पूरा करने में भी कठनाई हो रही है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नेत्रहीन व्यक्ति

5222. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या और इनका अद्यतन प्रतिशत कितना है; और

(ख) नेत्रहीनता के कारण क्या हैं और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1973-75 में किये गए एक नमूना सर्वेक्षण के मोटे अनुमानों के अनुसार देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या लगभग 90 लाख है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में कितने दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, इस बारे में सूचना उपलब्ध नही है।

(ख) (i) उपर्युक्त सर्वेक्षण से यह पता चला कि भारत में दृष्टिहीनता के मुख्य कारण थे: मोतियाबिन्द (55 प्रतिशत), रोहे और उनसे संबंधित संक्रमण (20 प्रतिशत), चेचक (3 प्रतिशत), पोषण की कमी (2 प्रतिशत), घाव (1.20 प्रतिशत), ग्लूकोमा (0.50 प्रतिशत) और अन्य कारण (18.30 प्रतिशत)

(2) देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा किए कुछ मुख्य मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

1. बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, अधिकांशतया ग्रामीण क्षेत्रों में विटामिन "ए" घोल की एक बड़ी खुराक पिलाए जाने की एक योजना चलाई जा रही है।

2. छठी योजना के दौरान सारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नेत्र विज्ञान उपकरणों से लैस करना और प्राथमिक नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए नेत्र विज्ञान सहायकों को प्रशिक्षित करना, जिला अस्पतालों के नेत्र विज्ञान विंग का विकास करना, चुने गए मैडिकल कालेजों के नेत्र विज्ञान विभागों को सुदृढ़ करना, डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र, नई दिल्ली को विभिन्न नेत्र परिचर्या जिसमें शल्य चिकित्सा की सेवाएं भी शामिल हैं, खीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करना।

इसके अलावा डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान नेत्र परिचर्या सेवाओं के संबंध में अनुसंधान कार्य करने हैं और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ख) व्यापक नेत्र परिचर्या सेवाओं के 80 मोबाइल यूनिट खोलना जिनमें इन्ट्राआकुलर आपरेशन का काम और खासकर नेत्र शिविरों में मोतियाबिंद आपरेशन का काम भी शामिल है।

(ग) देश में दृष्टिहीनता के लिए मोतियाबिंद आम कारण होने के नाते मोतियाबिंद और अन्य इन्ट्राआकुलर आपरेशनों को करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और 50 हजार की आबादी वाले कस्बों में नेत्र शिविरों का आयोजन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और जिला परिषदों/पंचायतों को 60 रुपए प्रति रोगी के हिसाब से (किंतु प्रति शिविर के लिए अधिकतम 12,000/-रुपये) की सहायता अनुदान की व्यवस्था है।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में तैनात किए जाने के लिए नेत्र विज्ञान सहायकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्कूल खोलना।

(ङ) जन संचार के सभी प्रचार माध्यमों के द्वारा नेत्र परिचर्या के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देना जिसमें बच्चों और अन्य पीड़ित वर्गों के बीच नेत्र-स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या और पषोण संबंधी कमियों की समस्याओं के बारे में शिक्षकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को जानकारी दी जाएगी।

(च) रोहे के उपचार के लिए एंटीबायोटिक टयूबों का वितरण।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले देश

5223. **श्री सनत कुमार मण्डल** :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने हाल में राजधानी में आयोजित गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया है ;

(ख) इस सम्मेलन की उपलब्धियां क्या हैं और विश्व में तनाव और हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों के प्रभाव को रोकने और फिलिस्तीनी समस्या तथा इजरायल आक्रमण को हल करने में यह कहां तक सहायक हुआ है;

(ग) भारत ने इस विचार-विमर्श में क्या भूमिका निभाई है; और

(घ) भारत द्वारा शिखर सम्मेलन आयोजित करने और मेजबानी पर किया जाने वाला अनुमानित खर्च कितना है और यदि भाग लेने वाले किसी देश ने इसमें योगदान किया हो, तो वह कितना है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव): (क) उन देशों/संगठनों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिन्होंने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) शिखर सम्मेलन ने आम राय से एक राजनीतिक घोषणा, नई दिल्ली संदेश, एक आर्थिक घोषणा और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कार्ययोजना तथा विश्व समृद्धि के लिए सामूहिक कार्यवाही के बारे में घोषणा और गुट-निरपेक्ष देशों तथा अन्य देशों के बीच सामूहिक आत्मा-निर्भरता सम्बन्धी घोषणा पारितकी। राजनीतिक घोषणा में हिंद महासागर, फिलिस्तिनियों की समस्या और इजरायल के आक्रमण के प्रश्न के सम्बद्ध विशिष्ट प्रस्ताव शामिल है जबकि नई दिल्ली सन्देश में शांति, निरस्त्रीकरण, तनाव-शैथिल्य और विकास के लिए जोरदार अपील की गई है। आशा है कि शिखर सम्मेलन में जो विचार-विमर्श हुआ है और जो अन्तिम दस्तावेजों में प्रतिलाक्षित होता है उससे तनावों को कम करने में सहायता मिलेगी और उन समस्याओं के सुलझाने में योगदान मिलेगा जिनसे विश्व-शांति को खतरा है।

(ग) भारत की सक्रिय और ठोस भूमिका से शिखर सम्मेलन में एकता, एकजुटता, सहिष्णुता और परस्पर समझौतों के वातावरण में विचार-विमर्श हो सका।

(घ) अभी इस खर्च के सही-सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस सम्मेलन के आयोजन में सरकार के विभिन्न विभाग संलग्न थे और इसके समेकित आँकड़े तैयार होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ऐसा अनुमान है कि अन्तत: यह खर्च 30 करोड़ रुपये के आसपास बैठेगा जिसमें स्थायी स्वरूप की आधारिक संरचना के निर्माण का खर्च भी शामिल है। भाग लेने वाले किसी भी देश ने कोई वित्तीय अंशदान नहीं दिया है।

विवरण

मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन, में सदस्य के रूप से भाग लेने वाले देशों की सूची :—

क्रम सं०	राष्ट्र	क्रम सं०	राष्ट्र
1.	अफगानिस्तान	12.	बोलीविया
2.	अल्जीरिया	13.	बोत्स्वाना
3.	अंगोला	14.	बुरूंडी
4.	अर्जेन्टीना	15.	केमरून
5.	बहरीन	16.	केप वर्दे
6.	बहामास	17.	मध्य अफ्रीका गणराज्य
7.	बंगलादेश	18.	छाद
8.	बारबाडोस	19.	कामरोस
9.	बेलीज	20.	कोलम्बिया
10.	बेनिन	21.	कांगो
11.	भूटान	22.	क्यूबा

क्रम सं०	राष्ट्र
23.	साइप्रस
24.	जिबूती
25.	मिस्र
26.	इक्वाडोर
27.	इक्यूटोरियल गिनी
28.	इथियोपिया
29.	गनौन
30.	गाम्बिया
31.	घना
32.	ग्रेनाडा
33.	गिनी
34.	गिनी बिसाऊ
35.	गुयाना
36.	भारत
37.	इंडोनेशिया
38.	ईरान
39.	इराक
40.	आइवरी कोस्ट
41.	जमैका
42.	जोर्डन
43.	कीनिया
44.	कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य
45.	कुवैत
46.	लाओस, लोकतांत्रिक जन गणराज्य
47.	लेबनान
48.	लेसोथो
49.	लाइबेरिया
50.	लीबिया
51.	मेडगास्कर
52.	मलावी
53.	मलयेशिया
54.	मालदीव
55.	माली
56.	माल्टा
57.	मारीतानिया
58.	मारीशस
59,	मोरक्को
60.	मोजाम्बीक
61.	नेपाल
62.	निकारागुआ
63.	नाईजर
64.	नाइजीरिया
65.	ओमान
66.	पाकिस्तान
67.	फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन
68.	पनामा
69.	पेरू
70.	कातार
71.	रवांडा
72.	साग टौम और प्रिंसी पे
73.	सेनेगल
74.	सऊदी अरब
75.	सेशल्स
76.	सिऊरा लिओन
77.	सिंगापुर
78.	सोमालिया
79.	स्वापो
80.	श्रीलंका
81.	सूडान
82.	सूरीनाम
83.	स्वाजीलैंड
84.	सीरिया
85.	तन्जानिया
86.	टोंगो

क्रम सं०	राष्ट्र	क्रम सं०	राष्ट्र
87.	त्रिनिदाद और टोबागो	93.	यमन अरब गणराज्य
88.	ट्यूनीशिया	94.	यमन लोकतांत्रिक गणराज्य
89.	उगांडा	95.	यूगोस्लाविया
90.	संयुक्त अरब अमीरात	96.	जाईर
91.	अपर वोल्टा	97.	जाम्बिया
92.	वेनुआतु	98.	जिम्बाबवे

ेक्षकों के रूप में भाग लेने वाले राष्ट्रों/संगठनों की सूची

1. ब्राजील
2. अल सल्वाडोर
3. मेक्सिको
4. पापुआ न्यू गिनी
5. फिलीपाइन्स
6. उरूग्वे
7. वेनेजुएला
8. अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस
9. अफ्रीकी एशियाई जन एकजुटकता संगठन
10. अरब राज्यों·········संघ
11. अफ्रीकी एकता संगठन
12. इस्लामी कांग्रेस संगठन
13. पान अफ्रीकीनिस्ट अनूानिया कांगेस
14. पयूरटो रिक्को समाजवादी पार्टी
15. संयुक्त राष्ट्र संघ

अतिथियों के रूप में भाग लेने वाले राष्ट्रों/संगठनों की सूची

1. आस्ट्रिया
2. डोमीनिकल गणराज्य
3. फिनलैंड
4. पुर्तगाल
5. रूमानिया
6. सान मारिनो
7. स्पेन

8. स्वीडन
9. स्विटजरलैंड
10. द होली सी
11. एशिया और प्रशान्त महासागर संबधी आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
12. खाद्य और कृषि संगठन
13. अंतर्राष्ट्रीय रैडक्रास समिति
14. फिलीस्तीनियों के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
15. हिंद महासागर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति
16. नामीबिया के संयुक्त राष्ट्र कमिश्नर
17. फिलीस्तीनी जनता के अविछेद्य अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र समिति
18. नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद
19. व्यापार और विकास से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
20. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
21. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिण, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
22. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
23. रंगभेद विरोधी संयुक्त राष्ट्र विशेष की समिति
24. उपनिवेशन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति
25. विश्व खाद्य परिषद
26. विश्व स्वास्थ्य संगठन

वर्ष 1983-84 के दौरान विश्वविद्यालयों को धन का आवंटन

5224. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में देश में विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय राशि में कटौती करने का निर्णय किया है जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को और अधिक धन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वर्ष 1983-84 के लिए विश्वविद्यालयवार कितना धन आवंटित किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विकास अनुदान संस्वीकृत करने के लिए, वार्षिक योजना में 52.77 करोड़

रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । यह प्रावधान विश्वविद्यालयवार आवंटन के आधार पर नहीं किया गया है । छठी योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विकास कार्य-क्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर तथा उन पर किए गए खर्च की जरूरत को देखते हुए आयोग द्वारा इस आवंटन में से भुगतान किए जाते हैं ।

चार प्रमुख बंदरगाहों पर माल भाड़ा जाँच ब्यूरो को मजबूत बनाया जाना

5225. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चार बड़े बन्दरगाहों—बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कोचीन में माल-भाडा जांच ब्यूरो को मजबूत बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) नौवहन एजेंटों का पंजीकरण करने की प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से नए कदमों पर विचार किया जा रहा है ।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) ट्रांप प्रचालकों पर गठित कार्यदल (पद्मनाभन समिति) ने अन्य बातों के साथ साथ नौवहन एजेंटों को लाइसेंस देने की सिफारिश की थी । इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है । जब कभी इस बारे में कानून पारित किया जाता है तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता कोचीन और विशाखापत्तनम के भाड़ा अन्वेषण ब्यूरो (एफ आई बी) के कार्यालयों को सुगठित करने की आवश्यकता होगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तमन का आधुनिकीकरण

5226. **श्री के० ए० स्वामी** :
श्री कुसुम कृष्णा मूर्ति : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का आधुनिकी-करण किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) प्रगति को तेज करने के लिए किन कदमों पर विचार किया गया है; और

(ङ) क्या विस्थापित लोगों के परिवारों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी गई है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हां ।

(ख) सरकार ने मई, 1981 में 55.00 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से हिन्दुस्तान शिपयार्ड की चरण II विकास और आधुनिकीकरण परियोजना की मंजूरी दी थी । परियोजना के पूरा हो जाने के बाद शिपयार्ड की 21,6000 डी० डब्ल्यू० टी० के 3 "पायनर" क्लास जहाज की मौजूदा क्षमता बढ़कर 6½ से 7 "पायनीयर" क्लास जहाज तक हो जाएगी । नवम्बर, 1981 में परियोजना पर काम शुरू हुआ । परियोजना में प्रि-फेब्रिकेशन क्षेत्र, इंजिन जोड़ने का कारखाना और अन्यान्य कारखानों, आवश्यक मशीनरी और उपकरण, यातायात और सामग्री हैंडलिंग उपकरण में परिवर्धन, मौजूदा दो बर्थों में एक के स्थान पर बिल्डिंग डाक और गेट लगाने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) परियोजना के बिल्डिंग डाक के लिए टेंडर प्राप्त हो गए हैं । हैवी ड्यूटी क्रेनों, सेल्फ एलिवेटिंग लौ बेड ट्रांसपोर्टर और कम्प्रिहेंसिव स्टील प्रोसेसिंग प्लांट प्राप्त करने की कार्रवाई अन्तिम चरण में है । स्वदेशी पार्टियों को क्रेन, वेल्डिंग मशीनों और अन्य छुटपुट मदों की सप्लाई के लिए भी आर्डर दिए जा रहे हैं । परियोजना में जिन निर्माण कार्यों की परिकल्पना की गई है, उनका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है ।

(घ) बिल्डिंग डाक का निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर दिए जाने का विचार है । समय पर स्थापित करने और बेरोक टोक काम को सुनिश्चित करने के लिए एक मुश्त प्लाँट और उपकरण के प्रमुख मदों को आयात करने का भी विचार है । परियोजना की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और समस्याओं का हल ढूंढने तथा परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए समीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं । परियोजना को तेजी से पूरा करने में मदद करने के लिए परियोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों में परामर्शी सेवायें प्रदान करने के लिए विदेशी परामर्शदाताओं को भी लगाया गया है ।

(ङ) शिपयार्ड के अहाते में ही काम किया जा रहा है और किसी व्यक्ति को नहीं हटाया गया है । इसलिए रोजगार में तरजीह देकर उन्हें फिर से नौकरी देने का प्रश्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालयों में एकरूपता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गनिदेश

5227. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन कार्य आदि के एक समान स्तर के अनुसरण के लिए कोई विनियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा इनका अनुसरण किया जा रहा है; और

(ग) यदि इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो इनके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) विश्वविद्यालयों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या, परीक्षा की प्रणालियां, मूल्यांकन की पद्धतियां इत्यादि प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधियों और अध्यादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर ऐसी मार्गदर्शी रूपरेखायें तैयार करता रहा है, जिनमें विभिन्न विषयों की पाठ्य-चर्या, अपेक्षित मानक स्तर, अवर स्नातक स्तक पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन का आधार, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने सम्बन्धी उपाय इत्यादि दर्शाये गये हैं। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को विचारार्थ विश्वविद्यालयों के ध्यान में लाया जाता है। इन्हें ऐसे विनियमों के रूप में तैयार नहीं किया गया है जिन्हें सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आरा-सासाराम छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

5228. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आरा-सासाराम छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हाँ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच कर लिए जाने के बाद इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और योजना आयोग इसके लिए स्वीकृति दे दे।

"शांति क्षेत्र" के रूप में हिन्द महासागर

5229. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :
श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने की ओर ध्यान आकर्षित करने और उस क्षेत्र में महाशक्तियों के नौसेना निर्माणों को रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) इस दिशा में क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत और समान विचार वाले अन्य राज्य 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संकल्प 2832 (XXVI) में निहित शांति-क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर सम्बन्धी घोषणा में प्रस्तुत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में मिलकर काम करते रहे हैं। विगत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा तदर्थ समिति से यह अनुरोध करती आई है कि वह अपना काम जारी रखे तथा हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आवश्यक प्रारम्भिक कार्य, जिसमें सर्वप्रथम 1981 में इस सम्मेलन के आयोजन की बात भी शामिल है, पूरा करने के लिए हर प्रयत्न करे। चूंकि सम्मेलन की तारीख के बारे में तदर्थ समिति में कोई आम राय नहीं थी इसलिए महासभा के एक के बाद एक संकल्पों द्वारा इसे स्थगित किया जाता रहा। 13 दिसम्बर, 1982 को 37 वें अधिवेशन द्वारा पारित अद्यतन संकल्प में 1984 के उत्तरार्द्ध तक इसके आयोजन की मांग की गई है।

गुट-निरपेक्ष देशों के नई दिल्ली में हाल में सम्पन्न शिखर सम्मेलन में जिसमें हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती और पश्च राज्यों ने भाग लिया, गुट-निरपेक्ष देशों ने 1971 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रियान्वयन की दिशा में अपना प्रयत्न जारी रखने के अपने दृढ़-निश्चय की पुन: पुष्टि की। लेकिन इस लक्ष्य के क्रियान्वयन में मुख्य कठिनाई कुछ बड़ी शक्तियों के रवैये की है जो 1971 की घोषणा को स्वीकार नहीं करतीं और जो इस घोषणा में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिन्द महासागर सम्बन्धी सम्मेलन शीघ्र आयोजित नहीं करना चाहतीं।

मारमागाओ पोर्ट-ट्रस्ट के कर्मचारियों की आवासीय सुविधायें

5230. **श्री एडुआर्डो फंलोरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में, विशेषतया वास्को-डे-गामा शहर में आवासों की अत्यन्त कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो मारमागाओ पोर्ट ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) मारमागाओ पोर्ट ट्रस्ट ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए 72 यूनिटों के अलावा अपने कर्मचारियों के लिए 670 आवासीय यूनिटों का निर्माण किया है और 60 यूनिटों को किराए पर लिया है। पोर्ट के कर्मचारियों के लिए दूसरे 432 पारिवारिक यूनिटों के निर्माण का काम अन्तिम चरण में है और अप्रैल, 1983 तक रहने के लिए तैयार हो जायेंगे।

डाक्टरों की भर्ती के नियमों में छूट

5231. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के अधीन अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार के पद के लिए डाक्टर की भर्ती के लिए अपेक्षित निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि नई दिल्ली में डा० राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, सुचेता कृपलानी, गोविन्द बल्लभ पंत तथा मौलाना आजाद अस्पतालों में इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कुछ आवेदकों को अहर्ताओं में छूट दी गई है।

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) उपरोक्त अस्पतालों में इन पदों पर काम कर रहे डाक्टरों में ब्यौरे क्या हैं और उनकी अहर्ताएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) से (घ) किसी विशेषज्ञता में सीनियर रेजिडेण्ट के चयन के लिए न्यूनतम अहर्ता सम्बन्धित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा है। यदि किसी विशेष विशेषज्ञता में ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उन अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाता है, जिनके पास स्नातकोत्तर अहर्ताएं नहीं होती। सीनियर रेजिडेण्टस के पदों पर भर्ती के मामले में इन अस्पतालों से किसी भी अस्पताल में नियमों के विरुद्ध कोई छूट नहीं दी गई है।

आद्रा डिविजन में रेल कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना

5232. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में कितने रेल कर्मचारी निलम्बित किए गए और कितने दण्डित हुए;

(ख) उस अवधि के दौरान कर्मचारियों को कितने गुरू दण्ड आरोप पत्र और कितने लघु दण्ड आरोप पत्र जारी किए गए; और

(ग) कितने रेल कर्मचारी नियम 14/2 के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के जाफर शरीफ) : (क) प्रश्नगत अवधि के दौरान, 18 रेल कर्मचारी निलम्बित किए गए थे और 23 कर्मचारियों को 'बुक-आफ' कर दिया गया था।

(ख) 17 रेल कर्मचारियों को बड़े दण्ड के लिए और 58 रेल कर्मचारियों को मामूली दण्ड के लिए आरोप-पत्र दिए गए थे।

(ग) कोई नहीं।

उड़ीसा के विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त की गई धनराशि का उपयोग

5233. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान संबलपुर विश्वविद्यालय, बहमपुर विश्वविद्यालय और उत्कल विश्वविद्यालय को मंजूर की गई धनराशि का लक्षित प्रयोजन के लिये पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और कार्य को पूरा करने के लिए कितनी और धनराशि आवश्यक होगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री डिब्बा कारखाना

5234. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 और उसके बाद कितने यात्री डिब्बा कारखानों को स्वीकृति दी गई है और वे कहां पर स्थित हैं;

(ख) केरल राज्य की पालघाट योजना को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना का विचार छोड़ दिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1980 से रेलों ने किसी नये सवारी-डिब्बा कारखाना की स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) और (ग) रेलवे क्षेत्र में एक नया रेल सवारी-डिब्बा/उत्पादन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण, लागत अनुमान आदि शामिल होंगे, तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। रिपोर्ट तैयार हो जाने पर, कारखाने के स्थान-निर्धारण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा। केरल सरकार से प्राप्त यह सुझाव नोट कर लिया गया है कि कारखाना उस राज्य में स्थापित किया जाये। स्थान-निर्धारण के बारे में विनिश्चय करते समय, अन्य प्राप्त दावों के साथ-साथ इस सुझाव पर भी यथोचित विचार किया जायेगा। कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई तभी की जायेगी जब इस परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा धन आवंटित कर दिया जायेगा।

दिल्ली के निकटतम उपनगरों को रिंग रेलवे से जोड़ना

5235. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के निकटतम उपनगरों को जोड़कर रिंग रेलवे सेवा को स्थानीय गाड़ी सेवा के रूप में चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं, फिलहाल नहीं।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

"हैंडीकेप्पस हेम्पर एज्जूकेशन ड्राइव" शीर्षक से समाचार

5236. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 1983 को अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में 'हैंडीकेप्स हेम्पर एज्जूकेशन ड्राइव' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1990 तक शिक्षा को एक समान बनाने के मार्ग में आ रही बाधाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या शिक्षा को शीघ्र एक समान बनाने के लिये योजना तैयार करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 1990 तक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक उपायों की परिकल्पना/शुरू किए गए हैं। वे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) चौथा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 30 सितम्बर, 1978 को संदर्भ तिथि मान कर 1978-79 में किया गया था। सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य ऐसे अनिवार्य आंकड़े एकत्र करना था, जो विशेष तौर से प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए वास्तविक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपेक्षित हैं।

(घ) सर्वेक्षण की रिपोर्ट संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए परिकल्पित तथा किये गए उपाय :

(I) प्रारम्भिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा सरकार के नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को शिक्षा में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(II) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें।

(III) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(IV) एकल शिक्षक स्कूलों को दो-शिक्षक स्कूलों में बदलना ।

(V) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना ।

(VI) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(VII) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व-स्कूलों की व्यवस्था करना ।

(VIII) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना ।

(IX) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिक तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्षित समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(X) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक तथा लेखन-सामग्री, निःशुल्क वर्दियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थिति छात्रवृत्तियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना ।

(XI) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना ।

(XII) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उस की कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है, किन्तु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिएं ।

(XIII) प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में वह बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था करना ।

(XIV) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयासों को इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया गया है ।

(XV) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों मे उपस्थिति का निरीक्षण ।

(XVI) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना ।

(XVII) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना ।

(XVIII) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग ।

(XIX) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्यबल स्थापित करना ।

(XX) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता ।

(XXI) अध्यापक दिवस (5 सितम्बर) और बाल दिवस (14 नवम्बर) के बीच की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभियान शुरू करना ताकि अभियान की अवधि के दौरान नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों को अध्ययन जारी रखने के लिए व्यापक प्रयास किये जा सकें तथा सारे शैक्षिक वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके ।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों का हटाया जाना

5237. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों को इसलिये हटाया जा रहा है कि निगम को हानि हुई थी तथा एशियाड के दौरान अतिरिक्त बसें चलाई गई थीं; और

(ख) यदि नहीं, तो हानि के बावजूद उन प्राइवेट बसों को चलाते रहने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) शहर की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की अपर्याप्त बस बेड़े को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम बसों की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट बसों के परिचालन को जारी रखा गया है ।

जहाज निर्माण श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी

5238. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश सहित, देश-वार जहाज निर्माण श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : देश में जहाज निर्माण में लगे श्रमिकों को कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की गई है । सरकारी क्षेत्र के चार बड़े शिपयार्डों के अनस्किल्ड श्रमिकों को जो न्यूनतम मजूरी दी जाती है, वह इस प्रकार हैं :—

शिपयार्ड का नाम	अनस्किल्ड श्रमिक की न्यूनतम मजूरी
(I) मजगांव डाक लि०	721.53 रु० प्रतिमास
(II) गार्डन रीच शिपबिल्डर्ज एंड इंजीनियर्स)	662.80 रु० (मूल वेतना महंगाई भत्ता+मकान किराया भत्ता)

(III)	कोचीन शिपयार्ड लि०	738.10 (मूल वेतन + महंगाई भत्ता+नगर पूर्ति भत्ता+ मकान किराया भत्ता+ट्रांसपोर्ट भत्ता)
(IV)	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	727.90 (मूल वेतन+महंगाई भत्ता+नगर पूर्ति भत्ता+मकान किराया भत्ता+सरकारी भत्ता)

विदेशी शिपयार्डों में श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को मान्यता देना

5239. **श्री रामजी भाई मवाणी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुजरात और अन्य राज्यों के कुछ विश्वविद्यालयों को मान्यता नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मान्यता कब तक दी जायेगी;

(ग) मान्यता के लिए जाने के लिए नियम नीति और मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) मान्यता के लिए कितने विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया है और उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य विधान के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और आगे पुनर्गठित करना आवश्यक हो। फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (क) के प्रावधान के अन्तर्गत 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किया जायेगा। आयोग अपने आपको इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (क) के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी हो गई है, सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों को योग्य घोषित कर देता है। इन नियमों की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 6265/83]

(घ) उन विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार से हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी योग्य घोषित किया जाना है :

1. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ० प्र०
2. भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर, गुजरात
3. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, उ० प्र०
4. रोहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उ० प्र०

5. गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग, कर्नाटक
6. मंगलूर विश्वविद्यालय, मंगलूर, कर्नाटक
7. जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी उड़ीसा
8. तमिल विश्वविद्यालय, तन्नजौर, तमिलनाडु
9. विद्यासागर विश्वविद्यालय, त्रिची, तमिलनाडु
10. भारतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
11. भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, त्रिची, तमिलनाडु
12. जम्मू और काश्मीर कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
13. बीरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार
14. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
15. खुला (ओपन) विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

सलेम रेलवे डिवीजन की स्थापना

5240. **श्री सी० पलानी अप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलेम में रेलवे डिवीजन शुरू करने के लिए जो, तमिलनाडु की चिर प्रतीक्षित मांग है, क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) सलेम शिवपेट मार्किट रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काऊंटर शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सलेम रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सलेम में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की नियुक्ति करने के लिए क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलों के पुनर्गठन और मंडलों/क्षेत्रों के सृजन के समूचे प्रश्न पर फिलहाल रेलवे सुधार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस मामले में आगे कोई कार्रवाई समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

(ख) इस रेलवे पर इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है। बहरहाल, एक सलेम मार्केट स्टेशन है जहाँ इतना यातायात नहीं होता कि आरक्षण काउंटर खोला जाए।

(ग) सलेम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था है जिनमें बड़ी और मीटर लाइन के छतदार प्लेटफार्म, प्रतीक्षा भवन, प्रतीक्षालय, विश्राम कक्ष, अमानती सामान घर, आरक्षण कार्यालय और स्नान तथा शौचालय की सुविधाएं शामिल हैं। रेलवे इस स्टेशन पर और भी बड़े खुले प्रांगण और एक बड़े बुकिंग आरक्षण कार्यालय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, किन्तु धन की तंगी के कारण इसे अभी तक बजट में शामिल नहीं कर सकी है।

(घ) समपार का स्थान नहीं बताया गया है। प्रत्यक्षतः आशय अयोध्या पट्टिनम और सलेम पूर्व के बीच कि० मी० 183/10-11 पर स्थित समपार से है। रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर, जहां बसें नियमित रूप से चलती हैं, 4 साल के चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत चौकीदारों की व्यवस्था करने का कार्य कर रही है। इस चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समपार पर भी चौकीदार की व्यवस्था का कार्य किया जायेगा।

रेलवे बोर्ड में पदोन्नत सहायकों को स्थायी करना

5241. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पदोन्नत सहायकों को 425-800 रुपये के वेतनमान में तब स्थायी किया जाता है, जब वे 425-800 (आर एस) ग्रेड में 10 से 15 वर्ष तक की सेवा पूरी कर चुकते हैं, जबकि (संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को दो वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थायी कर दिया जाता है तथा यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 10 वर्ष से भी अधिक अवधि की सेवा के उपरान्त पदोन्नत सहायकों को स्थायी करने सम्बन्धी विलम्ब से उनके श्रेणी दो के अनुभाग अधिकारियों के पदों पर आगे पदोन्नति के अवसर नष्ट हो गये हैं तथा यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ग) पदोन्नत सहायकों को स्थायी करने में हो रही अनियमितता को दुरुस्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि उन्हें भी रेलवे बोर्ड कार्यालय में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों की भांति दो वर्ष के भीतर स्थायी कर दिया जाए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सहायकों को रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी किया जाता है। इन नियमों के अधीन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए सहायक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद, कुछ शर्तें पूरी करने पर स्थायी होने के पात्र हो जाते हैं। पदोन्नत सहायकों का स्थायीकरण स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और जिस अवधि के बाद उन्हें स्थायी किया जाता है वह अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति का स्थायीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) सीधी भर्ती वाले सहायकों की भर्ती मूल रिक्त पदों पर की जाती है जबकि निचले ग्रेड से पदोन्नति किए जाने वाले सहायकों की पदोन्नति अधिकांशतः शुरू में अस्थायी रिक्त पदों पर की जाती है और उन्हें नियमानुसार सहायक ग्रेड में स्थायी किया जाता है। वर्तमान नियमों के अनुसार भी स्थायीकरण के मामले में इन दोनों के बीच समानता लाना सम्भव नहीं होगा।

बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए यात्रियों की संख्या

5242. **श्री नवीन रावणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1982-83 में कितने छापे मारे गये;

(ग) रेलवे के प्रत्येक जोन में वर्ष 1982-83 के दौरान बिना टिकट वाले कितने यात्री पकड़े गए और उनसे दण्ड तथा टिकट शुल्क के रूप में जोनवार कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) सरकारी गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 (जनवरी, 1983 तक) के दौरान, भारतीय रेलों पर 1.48 लाख बार जाँच की गई और हर महीने औसतन 2.83 लाख व्यक्ति बिना टिकट या अनुचित टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये।

(ग) 1-4-1982 से 31-1-1983 तक की अवधि के दौरान, बिना टिकट या अनुचित टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या और रेलवे को देय राशि तथा न्यायिक जुर्माने के रूप में उनसे वसूल की गई राशि रेलवे वार नीचे दी गई है :

रेलवे	बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या *	रेलवे को देय राशि, जो वसूल की गई		न्यायिक जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि *
		किराया *	अधिप्रभार *	
मध्य	3.99	42.80 रु.	40.06 रु.	5.51 रु.
पूर्व	5.20	27.92 रु.	43.00 रु.	6.06 रु.
उत्तर	3.85	38.10 रु.	39.48 रु.	12.39 रु.
पूर्वोत्तर	1.24	6.17 रु.	11.13 रु.	8.71 रु.
पूर्वोत्तर सीमा	0.71	14.22 रु.	6.75 रु.	0.05 रु.
दक्षिण	2.08	23.68 रु.	21.82 रु.	0.57 रु.
दक्षिण मध्य	1.92	26.60 रु.	18.10 रु.	0.60 रु.
दक्षिण पूर्व	4.10	31.05 रु.	28.59 रु.	0.17 रु.
पश्चिम	5.13	39.15 रु.	47.88 रु.	3.03 रु.

(* ये आँकड़े लाख में हैं)

(घ) टिकट कलक्टरों और चल टिकट परीक्षकों द्वारा की जाने वाली सामान्य जाँचों के

अलावा, भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध की गई विशेष किस्म की कुछ जांचें इस प्रकार से हैं :

(1) वरिष्ठ रेल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को बड़ी संख्या में तैनात करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष गहन जांच आयोजित की जाती है जिनके साथ एक रेलवे मजिस्ट्रेट भी रहता है।

(2) राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध संयुक्त अभियान।

(3) चल टिकट परीक्षकों द्वारा सादे वस्त्रों में गुप्त रूप से जांच की जाती है।

(4) संघन अचानक जांचें करना विशेषकर रेलवे सुरक्षा बल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ सड़क परिवहन द्वारा जांच पार्टियां संचालित करना।

(5) मुख्यालय और मंडल टिकट जांच दस्तों द्वारा मध्यवर्ती खंडों में गाड़ियाँ रोककर बदलाव जाँच।

(6) एक रेलवे के टिकट जाँच कर्मचारियों की दूसरी रेलवे पर टिकटों की जाँच करने के लिए तैनात करना।

(7) रेलों के सतर्कता संगठन द्वारा निवारात्मक जाँच।

यात्रियों विशेषकर विद्यार्थियों के बीच बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार।

मूलतः बिना टिकट यात्रा और उससे सम्बद्ध असामाजिक गतिविधियां कानून और व्यवस्था की हालत से सम्बद्ध हैं। चूंकि रेलों पर कानून और व्यवस्था बनाये रखना और अपराधों की रोकथाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों का सहयोग माँगा गया है।

खुरधा रोड रेलवे डिवीजन में यात्री हाल्ट

5243. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में दक्षिण पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत खुरधा रोड रेलवे डिवीजन में कुल कितने यात्री हाल्ट बनाने का विचार है;

(ख) किन-किन स्टेशनों पर ये यात्री हाल्ट बनाए जाएंगे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे ने खुर्दा रोड मंडल में दो यात्री हाल्ट खोलने का विनिश्चय किया है। एक यात्री हाल्ट कें दुआपदा और बाउदपुर स्टेशनों के बीच कापली रोड में और दूसरा ढेंकानल और सदाशिवपुर

स्टेशनों के बीच खोलने का प्रस्ताव है। इन हाल्टों को यथाशीघ्र खोलने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा को बढ़ाया जाना

5244. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन पंजीकृत बहादुरगढ़ द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा को बढ़ाया जाये;

(ख) इसे कब तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक ओर से कितनी आवृत्तियां बढ़ाई जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यस्ततम घंटों के दौरान केन्द्रीय सचिवालय और बहादुरगढ़ के बीच एक नियमित बस सेवा है। मौजूदा यायायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस सेवा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यों में रजिस्टर्ड होमियोपैथों के सैन्ट्रल रजिस्टर तैयार करना

5245. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल काउंसिल आफ होमियोपैथिक सिस्टम आफ मैडिसंस ने सम्बन्धित राज्यों के होमियोपैथों का सैंट्रल रजिस्टर तैयार करने को कहा गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित राज्यों के काउन्सिलस आफ होमियोपैथिक सिस्टम आफ मैडिसंस से तब तक और आगे होमियोपैथों का रजिस्ट्रेशन न करने के आदेश दिए गए हैं जब तक कि सैन्ट्रल रजिस्टर पूरा नहीं हो जाता; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रक्रिया किस तारीख तक पूरी हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 21 में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय परिषद् को होम्योपैथी प्रैक्टीशनरों का विहित ढंग से एक रजिस्टर बनाना होगा जो कि होम्योपैथों के सैंट्रल रजिस्टर के नाम से जाना जाएगा।

(ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के प्रवर्तन से उन राज्यों तथा संघ

शासिक क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है, देश में केवल अनुभव के आधार पर होम्योपैथी के प्रैक्टीशनरों का पंजीकरण बन्द कर दिया गया है। जब तक सेंट्रल रजिस्टर पूरा नहीं हो जाता, आगे और पंजीकरण करने को रोकने के लिए कोई हिदायत नहीं दी गई है।

(ग) केन्द्रीय परिषद् ने हौम्योपैथी के सैन्ट्रल रजिस्टर बनाने की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है जो कि एक निरन्तर प्रक्रिया है।

भोपाल में डिवीजन और कोच मरम्मत कारखाने की स्थापना

5246. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन की स्थापना सम्बन्धी कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां कोच मरम्मत कारखाने की भी स्थापना की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो डिवीजन और कारखाने की स्थापना सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। भोपाल में मंडल की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मंडल की स्थापना का सीधा सम्बन्ध इस बात से है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार इसके लिए भूमि दे। उसे कुल 120 एकड़ भूमि निःशुल्क देनी है। अब तक केवल 33 एकड़ भूमि निर्दिष्ट की गयी है। समग्र रूप से धन की तंगी के कारण यह बताना संभव नहीं है कि मंडल की स्थापना से सम्बन्धित कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। "मण्डलीकरण योजना" के सम्बन्ध में मंडल कार्यालय के कार्य को एक करोड़ रुपये की लागत पर रेलवे बजट में शामिल किया गया है। अभी ब्यौरेवार अन्तिम लागत का हिसाब लगाया जाना है और यह अधिक भी हो सकती है।

यदि धन उपलब्ध हुआ तो कारखाने के 1985-86 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। अनुमान है कि इस पर कुल लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

भारतीय नौवहन और परिवहन निगम को 1982-83 के दौरान हुई हानि

5247. **श्री चिंतामणि जेना** :

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम को वर्ष 1982-83 के दौरान हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और कितनी हानि हुई है; और

(ग) हमारे नौवहन उद्योग को लाभकारी बनाने के लिए इसकी बेहतरी के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम को 1982-83 में लगभग 25.00 करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना है । निगम को घाटा होने के कारण इस प्रकार हैं–

1. विश्वभर में नौवहन उद्योग को समुद्री व्यापार में मंदी के और तेजी से गिरावट आने के कारण घाटा हुआ । दूसरी ओर, समुद्री व्यापार में वृद्धि की आशा से 1973 के तेल संकट से पूर्व जहाज निर्माण के अधिक संख्या में आर्डर दिए जाने के फलस्वरूप जहाजों की संख्या में वृद्धि हुई । मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण भाड़ा दरों में समय समय पर गिरावट आई है और इस समय भाड़ा इतना कम है कि इससे परिचालन खर्च पूरे नहीं होते ।

2. मुद्रा स्फीति के कारण परिचालन खर्च मे वृद्धि हुई ।

3. उन पत्तनों पर, जहां जहाजों को खड़ा रखने पर भारी खर्च आता है, घाट मिलने में विलम्ब हुआ ।

4. विदेशी कम्पनियों, विशेषकर नान-कांफ्रेंस कम्पनियों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता ।

(ग) अपने परिचालन को लाभप्रद बनाने के लिए भारतीय नौवहन निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

1. जहाजों के टर्न-राउंड समय में कमी करके और जहां संभव हो खर्च में कमी करके लाईनर सेवाओं को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए जोरदार अभियान शुरू किया गया है ।

2. अधिकाधिक माल प्राप्त करने के लिए और समान दरों पर समाज सेवा उपलब्ध कराने के लिए मार्केटिंग प्रयास तेज कर दिए गये हैं ।

3. कार्गो क्लेम में कमी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

4. माल उतारने-चढ़ाने के खर्च में कमी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

5. बेकार खर्च में कमी करने के लिए कई उपाय किए गए हैं ।

सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र पर विलम्ब शुल्क की बकाया राशि

5248. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य बड़े व्यापारिक गृहों पर विलम्ब शुल्क प्रभारों के बकाया की बड़ी धनराशि शेष है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1982-83 की समाप्ति पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हाँ, कुछ बकाया राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा कुछ बड़ी व्यावसायिक फर्मों से वसूल की जानी है। चूंकि 1982-83 के लेखे अभी तक बन्द नहीं किए गए हैं, इसलिए मांगी गयी सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) बकाया विलम्ब शुल्क प्रभार वसूल करने के लिए रेलें विभिन्न स्तरों पर निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई करके लगातार प्रयास करती हैं। जहां आवश्यक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्य बकाया राशि के सम्बन्ध में मंत्रालय स्तर पर भी पत्र-व्यवहार किया जाता है। जहां आवश्यक होता है, ग्रहणाधिकार निष्पादित करने वाले भारतीय रेल अधिनियम की धारा 55 और 56 के अन्तर्गत नोटिस देने, माल भाड़े की अग्रिम अदायगी की शर्त लगाने और क्षतिपूर्णा तथा धन-वापसी के पार्टी के दावे से समायोजन जैसे कड़े उपाय किए जाते हैं।

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान रेल गाड़ियों के पटरियों से उतरने के मामले

5249. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों के पटरियों से उतर जाने के मामलों में दिन प्रति-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान जोनवार ऐसे कितने मामले घटित हुए;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) भविष्य में उन दोषों को दूर करने तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने के मामलों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1982-83 के पहले ग्यारह महीनों में गाड़ियों के पटरी से उतरने की 611 घटनाएं हुई जबकि 1981-82 में 936 घटनाएं हुई थीं। रेलवे वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेलवे	पटरी से उतरने वाली गाड़ियों की संख्या	
	81-82	82-83 (अप्रैल—फरवरी)
मध्य	101	63
पूर्व	49	48

उत्तर	121	74
पूर्वोत्तर	110	25
पूर्वोत्तर सीमा	103	84
दक्षिण	84	60
दक्षिण मध्य	101	65
दक्षिण पूर्व	170	150
पश्चिम	97	42
जोड़	936	611

(ग) जी, हां।

(घ) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाएं रेल कर्मचारियों की चूक, उपस्कर की खराबी, तोड़-फोड़ और पटरी पर अवरोधक रखने आदि के कारण होती हैं।

(ङ) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) गतायु पटरी और चल स्टाक के नवीकरण की गति तेज करना।

(2) पटरी, चल स्टाक और सिगनल उपस्कर के बकाया अनुरक्षण कार्य को समाप्त करना।

(3) गतायु रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों को निष्क्रिय करने की दर तेज करना।

(4) चल स्टाक की जांच और उसके अनुरक्षण पर अधिक ध्यान देना।

(5) नामित यार्डों में रोलर बेयरिंग वाले माल डिब्बों की विशेष जांच तेज करना।

'एश, कोल तथा ट्रांशिपमेंट' श्रमिकों के लिये वैकल्पिक रोजगार

5250. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कुल कितने एश, कोल तथा ट्रांशिपमेंट श्रमिक कार्य कर रहे हैं और वे प्रत्येक जोन में अलग अलग कितने कितने हैं;

(ख) क्या डीजल तथा विद्युत इंजनों द्वारा भाप के इंजनों को हटाये जाने के कारण श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं;

(ग) दशक से कार्य कर रहे इन श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगारों की क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) दिसम्बर, 1972 तक कुल कितने एश, कौल तथा ट्रांशिपमेंट श्रमिकों की छंटनी की गई और 31 दिसम्बर, 1982 तक कुल कितने कर्मचारी फालतू घोषित किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980 के दौरान रेलों पर राख, कोयले और परिवहन सम्हलाई में नियुक्त ठेका श्रमिकों की संख्या से सम्बन्धित सूचना दी गयी है।

(ख) भाप रेल इंजनों के बदले डीजल/बिजली रेल इंजनों की व्यवस्था के कारण जहां भाप लोको शेडों को बन्द कर दिया गया है वहां उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा कोयले के लदान और उसकी उतराई के काम को सम्हालने के लिए सामान्यत: निजी ठेकेदारों अथवा श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को एक या दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए दिए गए ठेके समाप्त कर दिये गये हैं।

(ग) रेलें ऐसी भाप लोको शेडों के बन्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप फालतू हुए नियमित रेल कर्मचारियों को पुनः समायोजन करके अन्य वैकल्पिक कामों पर तैनात करने में लगी हैं। इनके अलावा, रेलों में 2 लाख से अधिक नैमित्तिक श्रमिक हैं जो नियमित सेवा में समाहरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब तथ्यों को देखते हुए रेलों के लिए ठेकेदारों के श्रमिकों को वैकल्पिक कार्य देने की जिम्मेदारी लेना व्यावहारिक न होगा।

(घ) ठेकेदारों द्वारा की गयी ठेका श्रमिकों की छंटनी के आंकड़े रेलों द्वारा नहीं रखे जाते।

विवरण

रेलवे	1980 में नियुक्त ठेका श्रमिकों की कुल संख्या	
	राख और कोयला सम्हलाई में	माल/पार्सल सम्हलाई में
मध्य	1,161	841
पूर्व	3,995	1,337
उत्तर	3,387	757
पूर्वोत्तर	1,376	559
पूर्वोत्तर सीमा	860	675
दक्षिण	1,491	236
दक्षिण मध्य	1,075	307
दक्षिण पूर्व	588	400
पश्चिम	873	2,594
	14,806	7,706

स्टेशन मास्टर संवर्ग का पुनर्गठन

5251. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स ऐसोसिएशन ने 25 जनवरी,

1982 को घोषित प्रतिशतता के आधार पर स्टेशन मास्टर संवर्ग के पुनरीक्षित न करने तथा अपनी यूनिफर्म सम्बन्धी आदेश को लेकर तथा अन्य 12 मांगों के सम्बन्ध में वार्ता/समझौता करने में देरी करने के कारण रेल मंत्रालय के आवास के सामने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल सहित चरणबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने तथा वार्ता द्वारा अन्य मांगों के सम्बन्ध में समझौता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे औद्योगिक सम्बन्ध मधुर बने रहें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रिपोर्ट मिली है कि आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन का चरण-बद्ध कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार किसी भी दिशा से प्राप्त माँगों पर वर्तमान नियमों और वित्तीय कठिनाइयों के ढांचे के भीतर समुचित ढंग से विचार करके उनके बारे में यथा-अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की मांगों पर भी इस नीति के अनुसार विचार करके उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की कोठियों में संवर्ग पुनर्संरचना को 1.1.79 और 1.10.79 से कार्यान्वित किया गया है। सहायक स्टेशन मास्टरों की कोटि और वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ' की कुछ अन्य कोटियों में और आगे पुनर्संरचना करने के कुछ प्रस्तावों की जांच संवर्ग पुनर्संरचना समिति द्वारा की गयी है और विभागीय परिषद् द्वारा अभी इन्हें अपनाना है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जाना है।

जहां तक वर्दियों का सम्बन्ध है, स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को सफेद ड्रिल की वर्दियां प्रवर्तमान वर्दी विनियमों के अनुसार दी जा रही है। बहरहाल संशोधित वर्दी विनियमों के अनुसार, जो 1984 की ग्रीष्म ऋतु से लागू होंगे वे टेरीकाट की वर्दियों के लिए पात्र होंगे।

निविदाएं आमंत्रित किए बिना ठेके

5252. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के मार्च, 1981 के पत्र संख्या 78/डब्ल्यू 1/सी० 1/9 के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित न करने के लिये निविदा शक्तियों पर विचार करने के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला अभियन्ता (निर्माण), पूर्व रेलवे द्वारा जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1982 तक निविदायें आमंत्रित किये बिना दिये गये निर्माण ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिए गए निर्माण ठेकों और करारों के ब्यौरे सहित ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है और जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1982 तक प्रत्येक जिले में ठेकों की राशि कितनी थी;

(ग) प्राक्कलनों, जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, की तुलना में जनवरी, 1981 से पूर्व किये गये कार्य की प्रगति का प्रतिशत कितना था;

(घ) पूर्व रेलवे में प्रत्येक जिले में उक्त अवधि के दौरान विभागीय रूप से किए गए कार्यों और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्माण ठेके जिला अभियन्ता (निर्माण) द्वारा मुख्य अभियन्ता, पूर्व रेलवे की जानकारी में दिये गये थे और क्या बोर्ड के निर्देशों का पालन किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वर्तमान पदों का परित्याग करके उतनी ही संख्या में नये पदों का सृजन

5253. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि नयी योजना सम्बन्धी अस्तियों और नयी गतिविधियों के प्रचालन और रख-रखाव के लिए आवश्यक सभी नये पदों का सृजन, उतनी ही संख्या में वर्तमान पदों का परित्याग किये जाने पर, किया जा सकता है ताकि अतिरिक्त बजट भार को टाला जा सके;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे की ओपन लाइन के लिये 1981-82 में कितनी नयी आस्तियां सृजित की गई और इनके समक्ष निर्माण सम्बन्धी कर्मचारियों को खपाने के लिये वर्तमान पदों का परित्याग करके उतनी ही संख्या में कितने नये पद बनाए गए और तत्सम्बन्धी डिस्ट्रिक्ट-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व रेलवे, कलकत्ता के चीफ इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन) द्वारा ओपन लाइन को दी गई नई अस्तियों के समक्ष बनाये गए नये पदों का ब्यौरा क्या है और दिसम्बर 1982 तक ओपन लाइन में खपाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा दिए गए पदों की मंजूरी सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां । बहरहाल निर्माण संगठनों द्वारा सृजित नयी परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए, नवम्बर, 1982 से इन निर्देशों में ढील दे दी गयी है ।

(ख) चालू लाइन को सौंपी गयी नयी परिसम्पत्तियां	वर्ष 8-1-82 के दौरान समाहित किये गये निर्माण कर्मचारियों की संख्या
सियालदह मण्डल	30
सोनपुर में बिजली गाड़ी कार शेड चरण-I	
नारकेल डांगा में कर्मचारी क्वार्टर और बैरेकें	
दक्षिणेश्वर में क्वार्टर	
बी० आर० सिंह अस्पताल के तीसरे और चौथे माले में	

बाह्य रोगी विभाग	
सियालदह् यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	
हावड़ा मण्डल	52
ग्रंडेल-कलकत्ता कार्ड लाइन पर डाउन फ्लाई ओवर	

(ग) निर्माण विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए 181 पद निर्माण नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा भरे जायेंगे। इन पदों का वितरण इस प्रकार है :—

धनबाद	144
सियालदह्	14
दानापुर	11
हावड़ा	9
मुगलसराय	3
जोड़	181

ग्राई० डब्ल्यू० टी० पटना में ड्रेजर बक्सर की मरम्मत

5254. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1983 के दौरान आई० डब्ल्यू० टी० पटना में ड्रेजर बक्सर की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) वर्ष 1977 से 1983 के दौरान जिस पार्टी/फर्म को इस पोत की मरम्मत के आर्डर दिए गए थे, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1977 से 1983 के दौरान जिन पार्टियों को भी इस पोत की मरम्मत करने के लिये आफर दिए गए थे, और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस समाचार-पत्र या उन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं, उनमें वर्ष 1977-83 के दौरान पोत की मरम्मत हेतु निविदा मंगाने के लिये विज्ञापन दिये गये थे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख)

(I)	1977-78	19,857.00	विभागीय
(II)	1978-79	22,480.00	टेक्स ओ० इंडिया कलकत्ता

(III) 1980-81	—		आर० डी०
	4,41,991.00		इंटरप्राइजेज कलकत्ता
			निम्नलिखित रूप से भुगतान किये गये
			1980-81　2,26,917.00
			1981-82　1,78,533.00
			1982-83　36,541.00
			4,41,991.00
(I) 1981-82	28,886.00		विभागीय
(II) 1982-83	2,21,706.00		ए० सी० राय एण्ड कं० कलकत्ता
	7,33,920.00		

(ग) निम्नलिखित पम्पों की टेंडर सूचना दी गई है :—

1978-79

—मैसर्स ए० एस० इन्टरप्राइजेज कलकत्ता-36

—मैसर्स टेक्सी इंडिया, कलकत्ता-36

—मैसर्स दत्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, हुगली

—मैसर्स पायनियर कंस्ट्रक्शन, हुगली

—मैसर्स डे इंजीनियरिंग वकर्स, कालना

—मैसर्स नेचुरल कंसट्रक्शन एण्ड कं० हुगली

1980-81

—मैसर्स राय एण्ड राय, कलकत्ता-20

—मैसर्स ए० सी० राय एंड कं०, कलकत्ता

—मैसर्स पीपल इंजीनियरिंग एंड मोटर वकर्स, हावड़ा

—मैसर्स टूल्स एंड एसेसरीज, हावड़ा

—मैसर्स आर० डी० इंटरप्राईजेज, कलकत्ता

—मसर्स बी० एन० बोस एंड कं० हावड़ा

—मैसर्स कारपोरेटेड इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज, कलकत्ता

1982-83

—मैसर्स कलकत्ता डायिंग एंड इंजीनियरिंग कं०, कलकत्ता-69

—मैसर्स चिंगवाह एंड़ कं०, कलकत्ता-16

—मैसर्स हिंडौक इंजीनियरिंग कं० लि०, कलकत्ता

—मैसर्स हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कं० लि०, कलकत्ता-20

—मैसर्स मार्टिन इंजीनियर्स, कलकत्ता-27

—राजा बगान डाक यार्ड, कलकत्ता

—मैसर्स सिंह हिन्दुस्तान मैरिटाइम प्रा० लि०, कलकत्ता

—मैसर्स हिमालय शिपिंग एंड कं० लि०, कलकत्ता

—मैसर्स इंडिया स्टीमशिप कं० लि०, कलकत्ता-1

—मैसर्स रत्नाकर शिपिंग लि० कलकत्ता-1

—मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लि० कलकत्ता-16

—मैसर्स निश्हाट शिपिंग एंड कं० लि०, कलकत्ता-16

—मैसर्स पंचशील शिपिंग कं० लि०, कलकत्ता

—मैसर्स शिवशक्ति इंजिनिरिंग वर्क्स, हावड़ा

—मैसर्स राय एंड राय, कलकत्ता-20

—मैसर्स टूल्स एंड एसेसरीज, हावड़ा

—मैसर्स ए० सी० राय एंड कं०, कलकत्ता-16

—मैसर्स आर० डी० इंटरप्राइजेज, कलकत्ता-16

—मैसर्स वी० एन० बोस एंड कं०, हावड़ा

—मैसर्स हुगली पैरीन इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सदस्य, कलकत्ता

—कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता

—मैसर्स सीतल दास, हावड़ा

(ग) (घ) में बताई गई फर्मों को सूचना जारी कर टेंडर आंमत्रित किये गए जिसकी एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के नोटिस बोर्ड पर लगायी गयी।

किन्तु विज्ञापन, प्रेस द्वारा विज्ञापित नहीं किया गया।

नोर्थ फ्रन्टियर रेलवे के मुख्यालय में अधिकारियों की सेवाओं को बढ़ाया जाना

5255. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्ति की 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा काल बढ़ाने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या नोर्थ फ्रन्टियर रेलवे मुख्यालय कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के पक्ष में कुछ अपबाद अपनाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सेवा काल बढ़ाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा-काल बढ़ाने सम्बन्धी अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाता।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्यालय के इस समय कोई भी कर्मचारी/अधिकारी बढ़ाये गये सेवा-काल में कार्य नहीं कर रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोहाटी रेल सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करना

5256. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर सीमान्त रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर 6 फरवरी, 1983 को आयोजित की जाने वाली गोहाटी रेल सेवा आयोग परीक्षा को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों से इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों, विशेषकर महिला उम्मीदवारों को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा;

(ख) अधिकारियों द्वारा कटिहार में 6 फरवरी, 1983 को 10 बजे सुबह तक सूचना न देने के कारण क्या थे; और

(ग) उक्त परीक्षा को अन्तिम क्षणों में रद्द करने के क्या कारण थे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 6.3.83 को ली जाने वाली परीक्षा रद्द कर देनी पड़ी, क्योंकि 4.2.83 की रात को कुछ शरारती तत्व इस्पात के एक तालाबन्द बक्से को, जिसमें शिलांग केन्द्र के लिए प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाएं बन्द थीं, उठा ले गये थे । सभी परीक्षा केन्द्रों को 5.2.83 को तार/बेतार द्वारा सूचना भेज दी गई थी और परीक्षा रद्द करने की सूचना आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कर दी गई थी । बहरहाल, 16 परीक्षा केन्द्रों में से, पांच को सूचना समय पर प्राप्त नहीं हुई । अब यह परीक्षा जून, 1983 में आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वालों के लिए किराए में वृद्धि

5257. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के यात्रियों के लिए किराये में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

पावनार में विनोबा आश्रम

5258. **श्री केयूर भूषण :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पवनार में विनोबा आश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को कहीं से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली परिवहन निगम के नन्दनगरी और नांगलोई डिपो

5259. **श्री राम लाल राही :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंदनगरी तथा नांगलोई में दिल्ली परिवहन निगम के दो डिपुओं का निर्माण किया जा रहा था और उन्हें एशियाड-82 से पहले पूरा किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन दिनों डिपुओं का निर्माण पूरा हो चुका है, और वहां मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) नंदनगरी डिपो का निर्माण 30.11.1982 को पूरा हो गया था। नांगलोई डिपो का निर्माण सामान की सप्लाई न हो सकने के कारण निर्धारित समय के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका और डिपों को अप्रैल, 1983 के मध्य तक पूरा करके चालू किए जाने की सम्भावना है।

के० के० एक्सप्रेस का रोज चलाया जाना

5260. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच के० के० एक्सप्रेस को रोज चलाने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में यात्रा करने वाले पासधारी तथा सीजन टिकट धारी

5261. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों के अलावा इस समय भारतीय रेलों में कितने पासधारी व्यक्ति यात्रा करते हैं; और

(ख) इस समय कितने सीजन टिकट धारी व्यक्ति भारतीय रेल में रेलवे-वार यात्रा करते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) ऐसे व्यक्तियों/संगठनों के नामों को दर्शाने वाली सूची जिन्हें मानार्थ कार्ड पास जारी किए गये हैं, जो 26-3-1983 को वैध थे ।

पहला दर्जा

1. श्री डी० जी० केललर, निदेशक राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पहले दर्जे में एक साथी सहित ।

2. श्री शील भद्र याजी, उपाध्यक्ष आई एन ए शहीद स्मारक समिति, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

3. श्री कनू गांधी, कस्तूरबा आश्रम, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

4. श्रीमती आभा गांधी, कस्तूरबा आश्रम, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

5. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, इन्दौर का एक पदाधिकारी ।

6. श्री शंकर राव लोंधे जनरल सेक्रेटरी, तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

7. प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी, तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

8. श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, तृतीय हिन्दी विश्व सम्मेलन, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

9. श्री मधुकर राव चौधरी, तृतीय हिन्दी विश्व सम्मेलन, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

10. श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

11. स्वामी विजयानन्द भारत सेवाश्रम संघ, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित ।

12. श्री एच० एम० पंडित, पहले दर्जे में एक परिचर सहित।

13. श्री राज किशोर तिवारी, दूसरे दर्जे में एक परिचर सहित।

दूसरा दर्जा

1. मदर टेरसा की अध्यक्षता में चल रहे संगठन मिशनरिज आफ चैरिटी, कलकत्ता की दो सिस्टर।

(ख) एक महीने में रेलवेवार जारी किए गए सीजन टिकटों के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

रेलवे	एक महीने में जारी किए गये सीजन टिकटों की संख्या (आंकड़े हजार में)
मध्य	621
पूर्व	417
उत्तर	142
पूर्वोत्तर	25
पूर्वोत्तर सीमा	1
दक्षिण	280
दक्षिण मध्य	72
दक्षिण पूर्व	94
पश्चिम	959

इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद डिवीजनों में ओपेन डिलीवरी, और मूल्यांकन कार्य

5262. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद डिवीजनों में स्टेशन सुपरिंटेंडेंट स्टेशन मास्टर, चीफ गुड्स सुपरिन्टेंडेंट/चीफ गुड्स क्लर्क व्यापारियों के साथ मिलकर सामान तथा पार्सल कार्यालय में आने वाले सामान की हानि और क्षति के बारे में सूचना देते हैं और मूल्यांकन और ओपन डिलीवरियों की बढ़ी हुई तथा ऊंची दर की प्रतिशतता मंजूर करते हैं तथा रेल प्रशासन को बहुत अधिक घाटा पहुंचाते हैं और इस प्रकार प्रति वर्ष हर्जाने की बहुत अधिक राशि अदा की जाती है;

(ख) चीफ गुड्स सुपरिन्टेंडेंट/स्टेशन मास्टर की बजाय कमर्शियल/क्लेम इन्सपेक्टर द्वारा ओपन डिलीवरी, और मूल्यांकन की प्रक्रिया कराये जाने से रेल प्रशासन को क्या लाभ या हानि होती है; और

(ग) ऐसी प्रक्रियाओं तथा भ्रष्ट कार्यों, को, जिनसे दावों में वृद्धि हो रही है, दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) कदाचार/भ्रष्टाचार का कोई कथित मामला उत्तर रेलवे प्रशासन के नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) केवल वे ही स्टेशन मास्टर और मुख्य माल बाबू, जिन्हें क्षेत्रीय रेल प्रशासनों ने प्राधिकृत कर रखा है, निर्धारित शक्तियों के भीतर खुली/मूल्यांकन सुपुर्दगियां देते हैं । यदि स्टेशन मास्टर/मुख्य माल बाबू खुली/मूल्यांकन सुपुर्दगी देने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं अथवा क्षति का अनुमान उन सीमाओं से, जिस सीमा तक स्टेशन मास्टरों/ मुख्य माल बाबुओं को प्राधिकृत किया गया है, अधिक हो तो वाणिज्य निरीक्षक अथवा मण्डल कार्यालय को तत्काल सूचित कर दिया जाता है । ऐसे मामलों में खुली/मूल्यांकन सुपुर्दगी वाणिज्य निरीक्षक अथवा किसी वाणिज्य अधिकारी द्वारा दी जाती है । यदि सभी खुली/मूल्यांकन सुपुर्दगियां निरीक्षकों/ अधिकारियों द्वारा सम्हाली जायें तो खुली/मूल्यांकन सुपुर्दगियों देने में अत्यधिक विलम्ब होगा जिससे जनता को असुविधा होगी और परेषणों को अधिक क्षति पहुंचेगी ।

(ग) कदाचार और नियमों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए दावा निरीक्षक संगठन द्वारा बार-बार निरीक्षण तथा जांच की जाती है। अन्य वाणिज्य निरीक्षकों अथवा वाणिज्य अधिकारियों द्वारा भी अपने निरीक्षणों के दौरान इस प्रकार भी जांच की जाती है ।

पाकिस्तान को चीन के हथियारों की सहायता

5263. **श्री हरीश रावत :** *क्या* **विदेश मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन पाकिस्तान को ए-5 विमान जो अत्यधिक आधुनिक युद्ध-विमान हैं, सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस बारे में विरोध प्रकट किया है और;

(ग) यदि हाँ, तो क्या चीन की इस कार्यवाही का भारत-चीन वार्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क)से (ग) सरकार को निःसन्देह इस बात की जानकारी है कि चीन ने पाकिस्तान को ए-5 किस्म के विमान और अन्य सैनिक उपकरण दिए हैं । पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार दिये जाने के बारे में हमारे विचार सर्वविदित हैं और हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्बद्ध सभी देश, जिनमें चीन भी शामिल है, यह जानते हैं कि

पाकिस्तान को हथियार देने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। द्वितीय संबंधों में ऐसी सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता हो। चीन के साथ सीमा-प्रश्न और द्विपक्षीय संबंध विकसित करने के लिए अधिकारी स्तर की वार्ता चल रही है और चीन की नीति के सभी पहलुओं को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

कर्नाटक में प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का परिरक्षण

5264. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में प्राचीन मन्दिरों और अन्य स्मारकों के परिरक्षण के लिए प्रभावशाली उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के उन प्राचीन मन्दिरों और स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिनकी ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इन मन्दिरों के उचित रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक के इन मन्दिरों और स्मारकों के उचित रखरखाव के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) प्राचीन संस्मारक तथा *पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम*, 1958 के अन्तर्गत देश भर में कुल 3498 मन्दिर, *संस्मारक और स्थल राष्ट्रीय महत्व* के घोषित किए जा चुके हैं। नामों और स्थानों सहित कर्नाटक के मन्दिरों और संस्मारकों की सूची संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) कर्नाटक में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों के रूप में सुरक्षित प्राचीन मन्दिर और अन्य संस्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। इन संस्मारकों के संबंध में राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

5265. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली में अध्ययन करने वाले उन छात्रों को, जिन्हें वृत्तिका के अतिरिक्त निशुल्क शिक्षा, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, निशुल्क चिकित्सा, आदि जैसी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, को छोड़कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान नहीं कर रहा है। तथापि केन्द्रीय विद्यालयों में अनु० जा०/अनु०जन०जा० के छात्रों को शिक्षा शुल्क देने से छूट दी जाती है । कक्षा X तथा कक्षा XII की परीक्षा के लिए उनकी परीक्षा शुल्क का केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भुगतान किया जाता है । केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बूढ़े व्यक्तियों की आर्थिक असुरक्षा

5266. **श्री राम लाल राही :** क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बूढ़े व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी आर्थिक असुरक्षा बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत और वर्तमान जनगणना के अनुसार पृथक-पृथक उनकी संख्या कितनी है;

(ग) आर्थिक असुरक्षा को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है; और

(घ) यदि कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के०थुंगन) : (क) वृद्धों 60+ की संख्या बढ़ रही है । वृद्धों की आर्थिक असुरक्षा के संबंध में सरकार कोई विशेष आंकड़े नहीं रखती ।

(ख) जनसंख्या 60+ (1971 जनगणना) 3.27 करोड़ अभी उपलब्ध नहीं ।

जनसंख्या 60+ (1981 जनगणना) अभी उपलब्ध नहीं ।

(ग) संगठित क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि जैसे अनेक सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ मिलते हैं, असंगठित क्षेत्रों में, असम को छोड़कर सभी राज्य एक गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना कार्यान्वित करते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पोलियो के टीके को दी गई निम्नतम प्राथमिकता

5267. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पोलियो के टीके को केन्द्र के रोग प्रतिरक्षण के विस्तार कार्यक्रम में निम्नतम प्राथमिकता दी गई है जो 2 नवम्बर, 1982 के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) ग्राह्य आयु वर्ग के अधिक बच्चों को पोलियो के विरुद्ध प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है लेकिन यह सही नहीं है कि रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में पोलियो के टीके को कम से कम प्राथमिकता दी गई है। पोलियो टीका कार्यक्रम और लाभार्थियों के लक्ष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। अनेक स्वास्थ्य कार्मिकों के जरिये वैक्सीनों को उपलब्ध करने, उनका भंडार करने और उनके वितरण की स्थिति में सुधार लाने तथा टीका लगाने के इस कार्य को और क्षेत्रों में शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

शारीरिक शिक्षा के कालेजों का दर्जा बढ़ाना

5268. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थित सरकारी शारीरिक शिक्षा कालेजों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो शारीरिक शिक्षा के उन कालेजों के नाम क्या हैं जिनका दर्जा 1983-84 में बढ़ाया जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे राजकीय शारीरिक शिक्षा कालेजों की स्थापना सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की गई है। उनके दर्जे बढ़ाने और/अथवा विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की होगी। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय में सरकारी तथा गैर-सरकारी शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता भी देता है।

मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

5269. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में मस्तिष्क शोथ के शिकार हुए व्यक्तियों का राज्यवार कोई सर्वेक्षण कराया है और राज्यवार कितने व्यक्तियों की मस्तिष्क शोथ से मृत्यु हो गयी;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान मस्तिष्क शोथ से पीड़ित होने वालों और मरने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या ठोस उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जैसा कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है, 1981 और 1982 के दौरान जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगियों तथा उससे हुई मौतों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निदेशालय में एक सैल खोला गया है ताकि इस रोग के प्रकोप को रोकने के लिए भारत सरकार और राज्यों के कार्यकलापों में तालमेल रखा जा सके।

2. स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जापानी एन्सेफलाइटिस पर एक नोट छाप कर उसे जनता और चिकित्सा कार्मिकों में बंटवाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

3. जापानी एन्सेफलाइटिस पर एक तकनीकी नोट तैयार कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है, जो उसके होने के कारण संक्रमण, महामारी विज्ञान, रोग निदान विज्ञान, लक्षण उपचार, वैक्सीन और अन्य निवारक उपायों के बारे में है।

4. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि जहाँ कहीं किसी रोगी की सूचना मिले, वहाँ उसके आस-पास के 2/3 किलोमीटर के इलाके में बी०एच०सी०/डी०डी०टी० का छिड़काव कराया जाए।

5. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में कीटनाशी औषधियों की व्यवस्था कराई गई है ताकि रोगवाहक कीटाणुओं की प्रभावी रूप से रोकथाम करने के लिए जापानी एन्सेफलाइटिस ग्रस्त इलाकों में स्थानीय छिड़काव कराया जा सके।

6. राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन दिए जाने की व्यवस्था है। देश में इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

7. रोग ग्रस्त इलाकों में मलाथियन का धुआँ छोड़ा जाता है।

8. रोगियों को सलाह देने और उनकी चिकित्सा करने के कार्यक्रम में राष्ट्रीय वाइरस

विज्ञान संस्थान, पुणे; स्कूल आफ ट्रोपिकल मेडिसिन कलकत्ता; अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली शामिल हैं।

9. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को छिड़काव के उपकरण सप्लाई किए जाते हैं।

10. राज्यों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे जापानी एन्सेफलाइटिस पर कीट विज्ञान सम्बन्धी कार्य करें जिनमें इस रोग के शीघ्र होने के परीक्षण, रोगवाहक कीटाणुओं की सघनता आदि भी शामिल है।

11. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे जापानी एन्सेफलाइटिस के प्रकोप की सम्भावना के प्रति सतर्क रहें और उस पर निगरानी रखें।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1981		1982 (अनन्तिम)	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1. असम	87	46	145*	59
2. आन्ध्र प्रदेश	1273	439	417	140
3. बिहार	157	60	229	68
4. दिल्ली	शून्य	शून्य	1	1
5. गोवा	शून्य	शून्य	35	13
6. कर्नाटक	837	236	150	52
7. केरल	2	2	अप्राप्त	अप्राप्त
8. मणिपुर	शून्य	शून्य	100	53
9. पांडिचेरी	49	17	शून्य	शून्य
10. त्रिपुरा	19	16	अप्राप्त	अप्राप्त
11. उत्तर प्रदेश	75	26	637	199
12. तमिलनाडु	1324	290	242	83
13. पश्चिम बंगाल	71	35	1469	555
योग :	3894	1167	3425	1223

*वाइरल एन्सेफलाइटिस के रूप में सूचित किया गया।

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कम्पूचिया की सीट को खाली छोड़ना

5270. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान जनवादी कम्पूचिया की सीट खाली छोड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्होंने यह मांग की कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन कम्पूचिया की सीट खाली छोड़कर हवाना शिखर सम्मेलन में अपनायी गयी कार्यविधि को अस्वीकार करे और जनवादी कम्पूचिया को पुनः सीट दे; और

(ग) क्या यह सच है कि अनेक विदेशी मन्त्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में परामर्श किया गया था ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैसा कि आपको याद होगा, कम्पूचिया के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर आम सहमति न होने के कारण गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के सितम्बर, 1979 में हवाना में सम्पन्न छठे सम्मेलन में यह फैसला किया था कि गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की सिफारिश मिलने तक, जिसे इस प्रश्न पर विचार करने का काम सौंपा गया था, सभी गुट निरपेक्ष बैठकों में कम्पूचिया का स्थान खाली रखा जाए। चूंकि समन्वय ब्यूरो इस विषय पर कोई सिफारिश नहीं दे सका, इसलिए इस प्रश्न पर विदेश मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया जो नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले हुई थी।

सातवें शिखर सम्मेलन में कम्पूचिया के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर शिखर सम्मेलन से पहले भी विचार-विमर्श किया गया था।

विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श के बाद सम्मेलन के अध्यक्ष ने 5 मार्च, 1983 को एक वक्तव्य दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि :

"1. सम्मेलन में इस प्रश्न पर गहन विचार विमर्श किया गया है। व्यापक बहस से जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह स्पष्ट हुआ है कि इस मसले पर आंदोलन में अलग-अलग दृष्टिकोण बने हुए हैं। प्रतिनिधि मंडलों के एक वर्ग की यह राय है कि आंदोलन में कम्पूचिया के स्थान का सही हकदार लोकतांत्रिक कम्पूचिया है और यह स्थान उसे मिलना चाहिए। प्रतिनिधिमंडलों के दूसरे वर्ग की राय में कम्पूचिया का स्थान उचित रूप से कम्पूचिया लोक गणराज्य का है और उसे इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडलों के एक तीसरे वर्ग का कहना है कि आंदोलन में विद्यमान मतभेदों को देखते हुए कम्पूचिया का स्थान खाली रखा जाए।

2. आम राय से यह तय कर पाना मुमकिन नहीं हो सका है कि दोनों में किस पक्ष को यह स्थान दिया जाए।"

शिखर सम्मेलन में इस प्रश्न पर आगे कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

सत्ता से हटाये गये छाद शासन के शिष्टमंडल को वापस भेजना

5271. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० ई० होरो : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित

समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सत्ता से हटाये गए मौकौनी कादिल के छाद शासन के पाँच सदस्यीय विवादग्रस्त शिष्टमण्डल को जो बिना आमंत्रित 4 मार्च, 1983 को सवेरे आ पहुंचा था, वापस भेज दिया गया;

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी०, नरसिंह राव) : (क) से (ग) अपने आपको "चाड का प्रतिनिधिमण्डल" कहने वाले पांच व्यक्तियों का एक दल 3 मार्च, 1983 को सुबह एयर फ्रांस की एक उड़ान से पालम एयरपोर्ट पहुंचा था। उनके पास भारत में प्रवेश के लिए वीजा नहीं थे; उनमें से तीन के पास तो अपेक्षित यैलो फीवर टीका के प्रमाण-पत्र भी नहीं थे।

चूंकि ये व्यक्ति चाड सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, अतः उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। वे एयरपोर्ट पर ही ठहरे और उसी दिन शाम को लौट गये।

निर्गुट सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति दिए गये देश

5272. **श्री के० मलन्ना :**
श्री के० प्रधानी :
श्री अनन्त रामलु मल्लु :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला **विवरण सभा** पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने निर्गुट-सम्मेलन में भाग लिया और किन-किन देशों ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उनको सातवें निर्गुट-सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी जाये; और

(ख) किन-किन देशों को निर्गुट-सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई और किन-किन देशों को अतिथियों के पर्यवेक्षकों (आब्जरवरों) के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नये देशों के आवेदन-पत्रों पर फरवरी, 83 में न्यूयार्क में समन्वय ब्यूरो ने आम राय से निर्णय लिया था। इसलिए, भारत ने केवल उन्हीं देशों को आमंत्रित किया, जिनके आवेदन-पत्रों की सिफारिश समन्वय ब्यूरो ने की थी। तदनुसार, गुट-निरपेक्ष आँदोलन के 101 सदस्यों में से 99 ने शिखर-सम्मेलन में भाग लिया। कम्पूचिया की सीट खाली रखी गई और सेंट लूसिया सम्मेलन में सम्मिलित न हुआ। भाग लेने वाले सदस्य देशों, प्रेक्षकों और अतिथि प्रतिनिधियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सातवें सम्मेलन में निम्नलिखित सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लियाः—

अफगानिस्तान लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जनतीना, बहामास, बहरीन, बंगलादेश, बारबादोस, बेलाइज, बेनिन, भूटान, बोलीविया, बोत्सवाना, बुरूंडी, केप वर्डे, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोलम्बिया, कोमोरोस, कांगो, क्यूबा, साइप्रस, कोरिया लोकतंत्रात्मक जन गणराज्य, जिबूती, इक्वाडोर, मिस्र, इकुटोरियल गिनी इथियोपिया, गबोन, जाम्बिया, घना, ग्रेनाडा, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना, भारत, इण्डोनेशिया, ईरान, इराक, आइवरी कोस्ट, जमैका, जोर्डन, कीनिया, कुवैत, लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य, लेबनान, लेसोथे, लाइबेरिया, लीबियाई अरब जम्हूरिया, मेडगास्कर, मलावी, मलयेशिया, मालदीव, माली, माल्टा, मारीतानिया। मारीशस, मोरक्को, मोजाम्बीक, नेपाल, निकारागुआ, नाईजर, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, पनामा, पेरू, कात्तार, रवांडा, साओतुमे और प्रिंसिपे, सऊदी अरब, सेनेगल, सेशल्स, सीअरा लिओन, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जनवादी संगठन, श्री लंका, सूडान, सूरीनाम, स्वाजीलैंड, सीरियाई अरब गणराज्य, टोगो, त्रिनिदाद एवं तोबागो, तूनीशिया, उगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त केमरून गणराज्य, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, अपर वोल्टा, वानुआतु, वियतनाम, यमन अरब गणराज्य, यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य, यूगोस्लाविया, जाईर, जाम्बिया, जिम्बाबवे।

2. निम्नलिखित देशों और संगठनों तथा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रेक्षक के रूप में इस सम्मेलन में भाग लियाः—

ब्राजील, अल सल्वाडोर, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, फिलिपीन्स, उरूग्वे, वेनेजुएला, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीकी एशियाई जनवादी एकता संगठन, इस्लामी सम्मेलन संगठन, आजानिया पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस, पिओरटो रीको समाजवादी दल संयुक्त राष्ट्र।

निम्नलिखित देशों संगठनों के अतिथि प्रतिनिधि भी सम्मेलन में मौजूद थेः—

आस्ट्रिया, डोमीनिकी गणराज्य, फिनलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सान मारिनो, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, द होली सी, एशिया तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्र से सम्बद्ध आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, खाद्य तथा कृषि संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रैड क्रास समिति, फिलिस्तीन के मसले से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हिन्दमहासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति, नामीबिया से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र आयुक्त, फिलिस्तीनी जनता के अविच्छेद्य अधिकारों से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति, नामीबिया सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र परिषद व्यापार तथा विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, पृथग्वासन विरोधी राष्ट्र विशेष समिति, उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति, विश्व खाद्य परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नैमित्तिक कर्मचारी

5273. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की सभी शाखाओं, स्मारकों और पार्कों में श्रेणी-वार कितने नैमित्तिक कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो नैमित्तिक आधार पर अलग-अलग पिछले तीन वर्षों, पांच वर्षों, अथवा पिछले सात वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) यह सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सम्पूर्ण भारत में फैले समस्त कार्यालयों से एकत्र की जा रही है।

भिखारियों की राज्यवार संख्या

5274 **श्री के० प्रधानी :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य-वार भिखारियों की वर्तमान संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में भिखारियों की संख्या बढ़ी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उसके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) देश में भिखारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 1971 की जनगणना रिपोर्ट में भिखारियों, आवाराओं, आदि की संख्या का अनुमान 10, 11, 679 लगाया गया है। राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

1981 की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि भिखारियों की संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं।

(ग) भिक्षा-वृत्ति विरोधी कानूनों और भिक्षा-वृत्ति विरोधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासनों की जिम्मेदारी है। 15 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों ने भिक्षा-वृत्ति विरोधी अधिनियम बना लिए हैं। सरकार अधिनियमों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को राज्यों के साथ उठा रही है।

विवरण

जनगणना के अनुसार देश में भिखारियों और आवाराओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला **विवरण**।

राज्य	कुल संख्या	
	पुरुष	महिलाएं
आन्ध्र प्रदेश	66,675	49,151
असम	12,432	14,162
बिहार	30,181	16,562
गुजरात	30,119	7,035
हरियाणा	6,535	830
हिमाचल प्रदेश	1,843	699
जम्मू तथा कश्मीर	5,751	1,378
केरल	6,729	5,630
मध्य प्रदेश	55,024	28,009
महाराष्ट्र	57,553	34,978
मणिपुर	233	142
मेघालय	146	34
कर्नाटक	32,361	20,292
नागालैंड	95	58
उड़ीसा	25,387	21,240
पंजाब	10,028	1,475
राजस्थान	37,227	10,063
सिक्किम	242	154
तमिलनाडु	13,281	9,869
त्रिपुरा	1,291	2,326
उत्तर प्रदेश	92,757	1,08,441
पश्चिम बंगाल	1,03,584	86,424
केन्द्र शासित प्रदेश		
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	21	8
अरुणाचल प्रदेश	14	16
चंडीगढ़	47	10
दादरा और नगर हवेली	4	13

दिल्ली	1,352	269
गोवा, दमन और दीयू	317	745
लक्षद्वीप	1	1
पांडिचेरी	271	161
	5,91,501	4,20,178

स्रोत—सारणी "ख" 8 वीं 1971 की जनगणना महापंजीयक का कार्यालय

(आंकड़े 10 प्रतिशत ग्रामीण और 20 प्रतिशत शहरी आंकड़ों पर आधारित हैं)

—इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें आय के स्रोत के संकेत के बिना स्वतंत्र महिलाएं और जिनकी जीविका के स्रोत अस्पष्ट हैं तथा जो आर्थिक रूप से उत्पादक किसी काम में नहीं लगे हैं।

बाढ़-माउंट आबू रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

5275. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में बाढ़ (पाली जिले में) से माउंट आबू तक के रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। आर्थिक बाधाओं के कारण केन्द्रीय सरकार अभी किसी राज्य की किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है। यह बात राजस्थान की इस सड़क पर भी लागू होती है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

राष्ट्रीय बाल मंडल

5276. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 2 मार्च, 1979 को राष्ट्रीय बाल कोष का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समय मंडल के पास कितना धन है उसमें सरकार का कितना योगदान है और क्या संगठन-वार दी गई धनराशि की एक सूची सदन के सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) इस राष्ट्रीय कोष का उपयोग अब तक किन-किन मदों पर किया गया है और अब तक मद-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 15 मार्च, 1983 तक राष्ट्रीय बाल कोष में एकत्रित किया गया कुल कोष 1,11,80,823.28 रुपए था। (एक करोड़ ग्यारह लाख अस्सी हजार आठ सौ तेईस रुपए अट्ठाइस पैसे)। जब यह कोष शुरू किया गया था सरकार ने इसमें 1.00 लाख रुपए का अंशदान दिया था। 15 मार्च, 1983 तक विभिन्न संगठनों को मंजूर की गई राशियों और जिन मदों के लिए यह मंजूर की गई है उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम और पता	मंजूर की गई राशि	मद
1	2	3	4
1.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	97,875.00 रुपए	बच्चों के प्रशिक्षण और बहुत छोटे बच्चों के लिए पोषाहार निवेश के लिए ज्योराम्बती (बांकुरा) में मुर्गी पालन केन्द्र स्थापित करने के लिए।
2.	दुर्गापुर सब्ज संघ, पश्चिमी बंगाल	18,000.00 रुपए	शारीरिक और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने के लिए।
3.	बृज बाल निकेतन समिति, राजस्थान	90,000.00 रुपए	ऊनी कपड़ों के उत्पादन में निराश्रित बच्चों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए।
4.	आनन्द भवन, पश्चिम बंगाल	40,000.00 रुपए	विकलांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए।
5.	रामकृष्ण मिशन ब्वाइज होम, राहरा, पश्चिम बंगाल	50,000.00 रुपए	700 अनाथ, निराश्रित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए बिजली व पानी की पूर्ति के लिए डीजल जनरेटिंग सैट खरीदने के लिए।
6.	रामकृष्ण मिशन ब्वाइज होम, राहरा, पश्चिम बंगाल	20,000.00 रुपए	उपरोक्त (क्र०सं०5) में उल्लिखित बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक-व-संदर्भ पुस्तकालय खोलने के लिए।

1	2	3	4
7.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, राजगड़िया रोड, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	15,000.00 रुपए	ज्योराम्बती में, जहां बिजली नहीं है, दाखिल 126 गरीब और निराश्रित बच्चों के हित के लिए एक 3.5 किलोवाट का जनरेटर खरीदने के लिए।
8.	विकास भारती वेल्फेयर सोसायटी, पश्चिम बंगाल	90,000.00 रुपए	निम्नलिखित में बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के भार ग्राम में एक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के लिए: 1) ऊनी वस्त्रों का निर्माण 2) चमड़े के सामानों का निर्माण 3) टेलरिंग और वस्त्र निर्माण
9.	चिल्ड्रन्स एंड सोसायटी, बम्बई	77,950.00 रुपए	निराश्रित माताओं और उनके बच्चों का पुनर्वास
10.	बाल सहयोग, नई दिल्ली	1,00,000.00 रुपए	बाल सहयोग गृह, नई दिल्ली में 100 बच्चों का चिकित्सा, देखभाल, पोषाहार आदि प्रदान करने के लिए।
11.	नेहरू बाल समिति, नई दिल्ली	1,00,000.00 रुपए	श्रमजीवी बच्चे के विषय पर फीचर फिल्म बनाने के लिए।
12.	रामकृष्ण शारदा मिशन, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता	30,000.00 रुपए	पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के पिछड़े बच्चों को शौचालय, जल आपूर्ति चिकित्सा सहायता और शैक्षणिक उपकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए।
	योग :	7,28,825.00 रुपए	

दिल्ली में बसें चलाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता

5277. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बसें चलाने में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, बैंकों और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि तक यह योजना जारी रही; और

(ग) इस योजना को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना 1979-80 में बनाई थी, जिससे कि वे लोग, किलोमीटरी योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के अधीन लगाए जाने के लिए बसों की खरीद कर सकें। इसके अन्तर्गत, 15 प्रतिशत तक का मार्जिन धन-राशि दिल्ली प्रशासन द्वारा दी जाती थी, 80 प्रतिशत स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा और शेष 5 प्रतिशत की व्यवस्था स्वयं मालिक को करनी होती थी। इसी प्रकार की वित्तीय सहायता योजना माइक्रो-मिनी बसें खरीदने के लिए 1980-81 में भी शुरू की गई थी। माईक्रो मिनी बसों की संख्या में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस तरह की योजना 1982-83 में शुरू नहीं की गई।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सचिवालयीय कार्य के लिए भारतीयों को काम पर लगाया जाना

5278. **श्री बापू साहिब परूलेकर :**
श्री भीकू राम जैन :
श्री भीम सिंह :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सम्पन्न हुए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सचिवालयीय कार्य भारतीयों को नहीं सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन व्यक्तियों के क्या विवरण हैं जिनको कि यह कार्य सौंपा गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ व्यक्तियों को लगातार लम्बे समय तक यही कार्य सौंपा जाता रहा और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

सचिवालय कार्य करने वाले 375 कार्मिकों में से 160 भारतीय कार्मिक थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ व्यक्ति तो वही होते हैं, लेकिन काम की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर दूसरे कुछ लोग बदल जाते हैं।

भारत द्वारा गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया प्रारूप आर्थिक घोषणा-पत्र

5279. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**
श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों को भारत द्वारा पेश किए गए प्रारूप आर्थिक घोषणापत्र में एक योजना परामर्शदात्री समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव शामिल था;

(ख) नई दिल्ली में हुए इस शिखर सम्मेलन में इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोजन से सम्बद्ध सलाहकार समिति की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का उद्देश्य परीक्षण-प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना है जिनमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं, संभावनाओं और उनके उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समन्वित आधार पर परियोजनाएं स्थापित करना संभव हो। राज्याध्यक्षों का विचार था कि गुट-निरपेक्ष कार्य-योजना के अन्तर्गत सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वयकारी देशों को परीक्षण प्रक्रिया द्वारा तथा अपने उच्च स्तरीय विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों अर्थ-शास्त्रियों और योजनाविदों के बीच विचार-विमर्श द्वारा, विकासशील देशों की आवश्यकताओं, सम्भावनाओं और उनके पास उपलब्ध संसाधनों पर आधारित सामूहिक दृष्टिकोट से परियोजना-निर्माण के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। सबसे पहले, विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और विकासशील देशों द्वारा उत्पादित कच्चे माल को उनके यहां ही संसाधित करने के बहुपक्षीय एफ सी डी सी कार्यक्रमों को तरजीह दी जानी चाहिए।

राज्यों में वर्ष 1982-83 के दौरान तपेदिक के नए मामलों का पता लगना

5280. **श्री हरीश रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1982-83 के दौरान तपेदिक के कितने नए मामलों का पता लगा था;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय तपेदिक के रोकथाम हेतु राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उपायों से संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी राशि दी है और देश भर में इस प्रयोजन के लिए कितने नए उपचार केन्द्र खोले गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1982-83 में पता लगाये गये क्षय रोग के नए रोगियों और इस वर्ष रोगियों का पता लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के राज्य-वार आंकड़े विवरण-1 में दिये गये हैं।

रोगियों का पता लगाने सम्बन्धी कार्य राज्यों में एक जैसा नहीं हुआ है। जहाँ कुछ राज्यों उदाहरणतया बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रोगियों का पता लगा है वहां कुछ राज्यों ने अभी ये लक्ष्य पूरे करने हैं और अन्य राज्यों ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार राज्यों को कोई नकद अनुदान नहीं देतो। वैसे, क्षयरोग-रोधी औषधियों/सामग्री तथा उपकरणों आदि के रूप में सहायता दी जाती है। देश में अब तक पूर्णरूप से सुसज्जित तथा स्टाफ से लैस 353 जिला क्षय रोग केन्द्र खोले जा चुके हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1982-83 के दौरान नए क्षयरोगियों का पता लगाने संबंधी निर्धारित लक्ष्य	फरवरी, 1983 तक बतलाई गयी कुल उपलब्धियां। इनमें वे उपलब्धि शामिल नहीं है जो आंकड़ों के आगे लिखी गयी है।
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	70,000	49,901
2.	असम	30,000	9,483
3.	बिहार	75,000	77,417
4.	गुजरात	85,000	79,004
5.	हरियाणा	20,000	16,545
6.	हिमाचल प्रदेश	10,000	10,446
7.	जम्मू व कश्मीर	12,000	6,765
8.	कर्नाटक	60,000	41,716
9.	केरल	35,000	27,312
10.	मध्य प्रदेश	70,000	67,105
11.	महाराष्ट्र	1,10,000	1,55,677
12.	मणिपुर	3,000	1,191
13.	मेघालय	1,200	819
14.	नागालैण्ड	500	×109 ×12/82

1	2	3	4	
15.	उड़ीसा	30,000	18,366	
16.	पंजाब	25,000	24,122	
17.	राजस्थान	20,000	30,123	
18.	सिक्किम	1,000	× ×1,059	× ×1/83
19.	तमिलनाडु	70,000	79,814	
20.	त्रिपुरा	1,000	= 1,269	=1/83
21.	उत्तर प्रदेश	1,50,000	1,63,470	
22.	पश्चिम बंगाल	70,000	41,113	
23.	अरुणाचल प्रदेश	700	679	
24.	गोवा, दमन और दीव	2,000	1,995	
25.	मिजोरम	500	473	
26.	पांडिचेरी	3,000	4,054	
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	700	488	
28.	चण्डीगढ़	1,500	1,303	
29.	दादरा व नगर हवेली	200	102	
30.	दिल्ली	32,500	30,455	
31.	लक्षद्वीप	200	79	
	योग	10,00,000	9,42,954	

राजस्थान में बाल विकास केन्द्र और उन पर हुआ व्यय

5281. **श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या समाज कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के नाम और संख्या क्या है जहां बाल विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वर्ष 1982-83 के दौरान उन पर कितना व्यय हुआ और वर्ष 1983-84 के दौरान कितना व्यय किया जाना है; और

(ख) इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) राजस्थान में वर्ष 1982-83 तक 29 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। 1983-84 और 1984-85 के दौरान 16 अतिरिक्त परियोजनाओं द्वारा राज्य में कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1982-83 में राजस्थान सरकार को 104.45 लाख रुपए की राशि का सहायक अनुदान विमुक्त किया गया है। 1983-84 के दौरान राज्य लगभग 114.07 लाख रुपए के सहायक अनुदान का पात्र होगा।

आबू रोड स्टेशन के लिए आरक्षण, कोटा

5282. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफस्ट गाड़ी में आबू रोड़ स्टेशन के लिए कोई आरक्षण कोटा नही निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का आबू रोड स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितना आरक्षण कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) 1.4.1983 से प्रस्तावित 506 डाउन/505 अप अहमदाबाद-दिल्ली सुपर-फस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में आबू रोड स्टेशन के लिए पहले दर्जे में 2 शायिकाओं और दूसरे दर्जे के शयन-यान में 28 शायिकाओं का कोटा निर्धारित करने का विनिश्चय किया गया है।

ईरान-इराक विवाद के निपटारे के लिए भारत की ओर से एक तरफा प्रस्ताव

5283. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष सम्मेलन के चेयरमैन के रूप में भारत से ईरान और इराक विवाद को निपटाने के लिए कोई निश्चित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध करने वाले देशों का क्या नाम है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत एक बार फिर इस सम्बन्ध में एक तरफा प्रस्ताव पेश करेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में उपस्थित राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा दिए गए वक्तव्यों के आधार पर, प्रधान मन्त्री ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षा की हैसियत से ईरान-इराक युद्ध पर एक वक्तव्य दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि "बहुत से राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा सुझाव और प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश का मत यह है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को इस दुःखद युद्ध की शीघ्र और शांति-पूर्ण ढंग से समाप्ति के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। यह बात पूरी तरह से मेरे ध्यान में है और अध्यक्षा के रूप में मैं इस उद्देश्य के लिए विचार-विमर्श जारी रखूंगी और सभी सम्भव तथा उचित कार्रवाई करूंगी।"

गुजरात में निर्माणाधीन नई रेल लाइनें

5284. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में निर्माणाधीन नयी रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालयों में राज्य मंत्री ((श्री सी० के० जाफर शरीफ) : गुजरात राज्य में निम्नलिखित नयी लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। प्रत्येक परियोजना के पूरा होने का समय उसके सामने दर्शाया गया है :—

	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1. भुज-नालिया (बड़ी लाइन उप-संरचना सहित मीटर आमान की लाइन)	*1985-86,* बशर्ते धन उपलब्ध हो।
2. कपडवंज-मोडासा (ब० ला०)	निर्धारित नहीं की गयी है।

पालघाट और रेलवे स्कूल का प्रस्ताव

5285. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के स्वामित्व वाले वर्तमान स्कूलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल के पालघाट में रेलवे द्वारा एक स्कूल चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

स्कूल का विवरण	शिक्षा का माध्यम	सं०	स्थान
1. हायर सेकण्डरी	अंग्रेजी	2	पेरम्बूर मदुरै
	तमिल	1	गोल्डन राक
2. हाई स्कूल	अंग्रेजी	6	अरकोणम जोलारपेट्टै विषुपुरम पोदनूर ईरोड गोल्डन राक
	मलयालम	1	पालघाट
3. मिडिल स्कूल	तमिल	1	जोलारपेट्टै
4. प्राइमरी स्कूल	तमिल	4	सेलम पोदनूर गोल्डन राक-नार्थ गोल्डन राक-ईस्ट
5. ए० टी० पी० स्कूल	तमिल	8	अरकोणम तांबरम सेनेटोरियम तिरुच्चिरापल्ली— गुड्स यार्ड विषुपुरम शेकेट्टै कोल्लम बंगारपेट बेंगलूरू सिटी
	मलयालय	1	पोदनूर
	कन्नड़	4	अरसीकैरे शिमोगा टाउन हिन्दूपुर बेंगलूरू सिटी
	कन्नड़ और अंग्रेजी	1	यशवंतपुर
	जोड़—उनतीस		

दिल्ली परिवहन निगम का केन्द्रीय शिकायत कक्ष

5286. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने जनता की शिकायतों पर गौर करने के लिये एक केन्द्रीय शिकायत कक्ष की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस मामले में अपनाई जाने वाली कार्यविधि क्या है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के मुख्यालय में 21.2.1983 से एक केन्द्रीय शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। इस कक्ष का मुख्य दायित्व मुख्यालय से प्राप्त गम्भीर शिकायतों का जल्दी-जल्दी निपटान करना है। इसके अलावा यह कक्ष डिवीजनल स्तर के शिकायत कक्षों और डिपों के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करता है। लोग टेलीफोन पर जबानी या लिख कर केन्द्रीय शिकायत कक्ष की शिकायत कर सकते हैं। जब कोई व्यक्तिगत रूप से आकर शिकायत करने में असमर्थ हों, तो यह कक्ष, शिकायत कर्ताओं से गम्भीर किस्म की शिकायतें एकत्र करने भी व्यवस्था करता है।

फरवरी, 1981 में सम्पन्न हुई रेल सेवा आयोग की परीक्षा का परिणाम

5287. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ने विभिन्न पदों हेतु फरवरी, 1981 में लिखित परीक्षा की थी और 7 फरवरी 1982 को साक्षात्कार लिए थे और उनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से परिणाम को रोका गया है और परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। लिखित परीक्षा फरवरी, 1981 में आयोजित की गयी थी तथा इन्टरव्यू जून, 1982 से नवम्बर 1982 तक की अवधि के दौरान लिए गए थे।

(ख) परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद को निदेश दिए गए थे।

सिवान स्टेशन से और अधिक रेलगाड़ियाँ शुरू करना और रेलगाड़ियों के समय पर चलने को सुनिश्चित करना

5288. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिवान स्टेशन से (बिहार), इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के एक वर्ष बाद भी, केवल 10 रेलगाड़ियां चलती हैं;

(ख) क्या इस जंक्शन से, पश्चिम की ओर बरास्ता गोरखपुर यात्रा के लिए 24 घंटों में केवल एक रेलगाड़ी उपलब्ध होती है और हावड़ा के लिए भी एक ही रेलगाड़ी है;

(ग) क्या इस जंक्शन से रेलगाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) वहां रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने और तेज गति की एक लम्बी दूरी तक जाने वाली रेलगाड़ियां शुरू करने और उनके समय पर चलने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। बड़ी लाइन की 12 गाड़ियां हैं।

(ख) जी हां। बहरहाल, गोरखपुर से आगे तथा हावड़ा के लिए भी यात्रा करने हेतु सम्बद्ध सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) हाल ही में गाड़ियों के समय-पालन में थोड़ा सुधार दिखाई दिया है।

(घ) गाड़ियों के विलम्ब से चलने के मुख्य कारण बिना सोचे समझे खतरे की जंजीर खींचना तथा भाप रेल इन्जन की खराबियां हैं।

(ङ) 15.2.83 से 27/28 धनबाद-मुजफ्फरपुर मोर्य एक्सप्रेस को गोरखपुर तक/से चलाया जाने लगा है और 1.4.83 से, 551/552 भटनी-गोरखपुर पैसेंजर को सिवान के रास्ते छपरा तक बढ़ाया जा रहा है। 19/20 गोरखपुर-हावड़ा एक्सप्रेस डीजल रेल इन्जन से चलने लगी है और इस प्रकार उसका चालन समय एक दिशा में लगभग 3 घन्टे 30 मिनट तथा दूसरी दिशा में 5 घन्टे कम हो गया है।

इस खण्ड पर गाड़ियों के समय-पालन में अधिक सुधार करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। सवारी-डिब्बों जैसे संसाधनों तथा टर्मनिल सुविधाओं की कमी के कारण, लम्बी दूरी की यात्रा के लिए गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है।

सिवान जंक्शन के लिये आरक्षण कोटा

5289. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिवान जंक्शन बिहार के छः जिलों और पड़ोसी देश, नेपाल के यात्रियों के लिए पारगमन स्टेशन है;

(ख) यदि हां, तो इस जंक्शन के लिए 2 डाउन में केवल 42 शायिकाएं, 506 डाउन के चेयरकार में 10 सीटें और 20 डाउन में दो शायिकाएं आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या जंक्शन के लिए मुज्जफरपुर, गोरखपुर, भाटनी, वाराणसी, लखनऊ और पटना से आरम्भ होने वाली किसी भी ट्रेन में कोई भी सीट या शायिका आवंटित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में समुचित व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सीवान एक जंक्शन स्टेशन है और सीवान-गोरखपुर तथा सीवान-छपरा लूप मीटर आमान खंडों के लिए एक पारगमन स्टेशन का काम देता है। इन खण्डों पर भारत-नेपाल सीमा का कोई स्टेशन नहीं है। यह गोरखपुर-पटना बड़ी लाइन ट्रंक मार्ग पर एक मध्यवर्ती स्टेशन है।

(ख) जी हां,।

(ग) और (घ) सीवान से लखनऊ और दिल्ली जाने वाले यातायात के लिए 1.4.83 से सीवान स्टेशन को 507 अप गोरखपुर-लखनऊ एक्सप्रेस/119 अप लखनऊ-नयी दिल्ली गोमती एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे के शयनयान में 3 शायिकाओं का कोटा देने का प्रस्ताव है। लेकिन वर्तमान मांग इतनी नहीं है कि मुज्जफरपुर, भटनी, वाराणसी और पटना से बनकर चलने वाली अन्य गाड़ियों में कोटे की व्यवस्था करने का औचित्य हो।

सिवान जंक्शन पर और अधिक टिकट खिड़कियां खोलना

5290. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीवान जंक्शन पर द्वितीय श्रेणी के टिकटों के लिए दो, और प्रथम श्रेणी के टिकटों के लिए एक खिड़की है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता और उन्हे किसी अन्य वाहन से यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी के टिकटों की बिक्री और आरक्षण के लिए और अधिक खिड़कियां खोलने की व्यवस्था करेगी; और

(ग) यदि हां, तो ये खिड़कियां कब तक खोल दी जायेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) सीवान स्टेशन पर दूसरे दर्जे की टिकटों की बिक्री के लिए दो खिड़कियां और पहले दर्जे की टिकटों की बिक्री के लिए एक खिड़की की व्यवस्था की गयी है। इन टिकट खिड़कियों पर 8 घन्टे की शिफ्ट में बुकिंग क्लर्क काम करते हैं।

(ख) दैनिक प्रारम्भिक यात्री यातायात की मात्रा को देखते हुए सीवान में अतिरिक्त बुकिंग खिलाड़ियों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली, डीजल और भाप के इन्जनों में लागत अनुपात

5291. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली, डीजल और भाप के इन्जनों में अनुपात क्या है;

(ख) क्या विद्युतीकृत रेल पथों के नाम क्या हैं जहां अब भी भाप के इन्जनों का प्रयोग किया जाता है और उनकी लम्बाई कितनी है तथा इस तरह से कितना और कितनो कीमत का कोयला इस्तेमाल किया जाता है और स्टीम लोकों के रख-रखाव, उनके शेडों तथा कार्यशालाओं में कितना खर्च हुआ है;

(ग) बिजली के इन्जनों के प्रतिदिन औसतन कितने कार्य घन्टे हैं और भाप के इन्जनों के स्थान पर बिजली के दैनिक अप्रयुक्त इन्जनों की क्षमता को उपलब्ध करा कर बिजली के इंजन चलाने से गत महीनों में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) स्टीम इन्जनों के स्थान पर डीजल/बिजली के इन्जन चलाकर गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में कितना और कितनी कीमत का कोयला बचाया गया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 1982-83 में भाप, डीजल और बिजली रेल इन्जन गाड़ी सेवा के प्रति 1000 सकल टन कि.मी. के लिए तुलनात्मक अनुरक्षण और परिचालन लागत (अनुमानित) इस प्रकार रही :—

(रुपयों में)

	यात्री गाड़ी सेवाएं		माल गाड़ी सेवाएं	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1. भाप	54.02	61.26	65.39	62.91
2. डीजल	23.51	38.00	16.77	26.16
3. बिजली	37.85	37.69	18.68	21.94

(ख) विद्युतीकृत खण्डों के नाम जहां अभी तक भाप कर्षण का उपयोग हो रहा है और खपत हुए कोयले का वजन तथा मूल्य नीचे की तालिका में दिखाया गया है :—

रेलवे	विद्युतीकृत खण्डों के नाम और उनकी मार्ग दूरी जहाँ अभी तक भाप कर्षण का उपयोग हो रहा है	रेलवे पर विशिष्ट ईंधन खपत, कि.ग्रा./1000 सकल टन कि.मी. में.	कोयले का अनुमानित मूल्य रु./1000 सकल टन कि.मी. में

	खण्ड का नाम	मार्ग कि०मी०	यात्री और मिश्रित का अनुपात	माल और मिश्रित का अनुपात	यात्री	माल
मध्य (ब०ला०)	बम्बई वी०टी०— इगतपुरी					
	कल्याण-पुणे	305.54	65.6	92.1	15.74	22.10
	इगतपुरी-भुसावल	312.00				
पूर्व (ब०ला०)	सियालदह मंडल राणाघाट-गेडे — कृष्णनगर-लालगोला— राणाघाट-बोंगांव— हावड़ा-बर्दवान (मुख्य और कार्ड), बर्दवान — मुगलसराय (कार्ड) शेवराफुली-तारकेश्वर को छोड़कर	1217.00	62.0	84.9	14.88	20.37
उत्तर (ब०ला०)	दिल्ली-मुगलसराय	784.00	90.4	80.3	21.69	19.27
दक्षिण (मी०ला०)	मद्रास-विलुपुरम	166.44	90.5	119.6	21.72	28.70
(दक्षिण-पूर्व (ब०ला०)	खड़गपुर-हावड़ा	116.00	76.1	90.7	18.26	21.77
	आद्रा-बर्नपुर	37.00				
	झारसगुडा-बोंडामुंडा	109.00				
	डोंगापासी-बड़ा जामदा	21.00				
	बिलासपुर-झारसुगुडा	204.00				
	बिलासपुर-भिलाई	116.00				
पश्चिम (ब०ला०)	भडच-वडोदरा	70.00	67.1	91.2	16.10	21.80

विद्युतीकृत खण्डों पर भाप सेवाएं बहुत कम हैं जो केवल धीमी यात्री गाड़ियों/माल गाड़ियों की हैं जो गैर-विद्युतीकरण खण्डों से प्रारम्भ होती हैं अथवा समाप्त होती हैं।

इन खण्डों पर भाप कर्षण के लिए खपत हुए कोयले के वजन और उसकी लागत गाड़ी संख्या, गाड़ी भार और गाड़ी की रफ्तार आदि के आधार पर और खंड की रूपरेखा आदि के

आधार पर प्रत्येक खंड पर भिन्न-भिन्न है। इस बात को देखते हुए, मानक सूचकांक विशिष्ट ईंधन खपत है जिसके संबंध में 1981-82 के आंकड़े ऊपर के विवरण में दिए गए हैं।

1981-82 में विभिन्न रेलों पर भाप रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण की लागत इस प्रकार थी :—

रेलवे	लागत प्रति समीकृत इन्जन किलोमीटर—रु० में		
	यांत्रिक कारखाने	परिवहन कारखाने	कुल
मध्य—ब०ला०	1.06	1.81	2.87
पूर्व—ब०ला०	1.47	1.47	2.94
उत्तर—ब०ला०	1.34	1.51	2.85
दक्षिण—मी०ला०	2.13	2.53	4.66
दक्षिण पूर्व—ब० ला०	1.25	2.24	3.49
पश्चिम—ब०ला०	0.98	1.84	2.82

(ग) बड़ी लाइन पर 1981-82 में उपयोग के लिए उपलब्ध प्रति बिजली रेल इन्जन प्रति दिन काम के घन्टे 19.8 रहे जो 1980-81 के 16.7 की अपेक्षा काफी सुधार दिखाते हैं। मीटर लाइन पर, जो दक्षिण रेलवे पर केवल 166 कि०मी० तथा 20 रेल इन्जनों तक सीमित है, मुख्यतः यात्री गाड़ी सेवाओं के सम्पर्कों के कारण 13.5 से 12.8 तक मामूली कमी रही।

रेलें पिछले दो वर्षों से बिजली रेल इन्जनों के कार्य घन्टों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही हैं जो पिछले सात महीनों में भी जारी रहे।

यह इस प्रकार है :—

(1) विद्युत कर्षण पर विद्युतीकृत क्षेत्रों में धीमी यात्री गाड़ियां चलाना।

(2) छोटी दूरी की सभी फीडर सेवाओं और पायलटों को पहले भाप द्वारा चलाया जाता था। इन-इन गाड़ी सेवाओं को उत्तरोत्तर और चयनात्मक आधार पर बिजली कर्षण के अधीन लाया जा रहा है।

(3) मूलतः विद्युतीकरण का काम ट्रंक मार्गों और थ्रू गाड़ियों तक सीमित करने और साइडिंगों का काम भाप इन्जनों द्वारा किए जाने का विचार था। अब, भाप रेल इन्जनों की क्रमिक समाप्ति के साथ, महत्वपूर्ण साइडिंगों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

(घ) 1979-80 से 1982-83 तक की अवधि में बचाये गये कोयले की मात्रा तथा उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	वर्ष में खपत (दस लाख टन में)	पिछले वर्ष की अपेक्षा बचत (दस लाख टन में)	अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपयों में)	1978-79 की अपेक्षा बचत (दस लाख टन में)
1979-80	11.39	0.24	3.36	0.24
1980-81	11.08	0.31	4.34	0.55
1981-82	9.83	1.25	21.87	1.60
1982-83	9.39 (अनुमानित)	0.44	8.80	2.24

यूनानी तिब्बी कालेजों के लिए केन्द्रीय बोर्ड

5292. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मन्त्रालय के ध्यान में 1978 में अथवा इससे पूर्व कभी देश के यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की कोई मांग लाई गई थी कि देश के सभी यूनानी, तिब्बी कालेजों के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक कालेज को, सम्बद्ध कालेज के स्थान से सम्बन्धित क्षेत्र से सम्बद्ध विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या निकट भविष्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की इस माँग को पूरा करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में यूनानी व्यवसाय के प्रतिनिधियों ने राज्य सभा की याचिकाओं सम्बन्धी समिति (1977-78) से अनुरोध किया था कि सभी यूनानी तिब्बी कालेजों के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और इन कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस विषय पर कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग) और (घ) सभी यूनानी कालेजों के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे कालेज या तो विश्वविद्यालयों अथवा राज्य बोर्डों से सम्बद्ध किये जाते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् ने, जिसका भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अन्तर्गत गठन किया गया था, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के लिए एक समान पाठ्यचर्या तैयार की है। इस परिषद् की "यूनानी समिति" और "यूनानी शिक्षा समिति" अलग-अलग है।

पी० एच० सीज० में सुविधाएं तथा सी०एच०सीज० के रूप में दर्जा बढ़ाये जाने पर अतिरिक्त सुविधाएं

5293. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पी० एच० सीज० में इस समय क्या-क्या सुविधाएं हैं और पी०एच०सीज० का दर्जा सी० एच० सीज० के रूप में बढ़ाये जाने पर क्या क्या अतिरिक्त सुविधाएं दिये जाने की सम्भावना है; और

(ख) सामान्य रूप से देश में तथा विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में वर्तमान पी० एच० सीज० द्वारा कितने लोगों की प्रत्येक के मामले में पृथक-पृथक सेवा की जा रही है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सामान्य रूप से देश तथा विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पी० एच० सी०/सी० एच० सीज० द्वारा कितने लोगों की सेवा की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नलिखित चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बाह्य रोगी विभाग में आने वाले रोगियों तथा उप-केन्द्र के ‹ मंच रियों, स्वास्थ्य गाइडों और दाइयों द्वारा रैफर किये गये रोगियों का निदान और उपचार;

(2) प्रयोगशाला सेवाएं;

(3) स्कूल जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा;

(4) जच्चा बच्चा स्वास्थ्य, रोग-प्रतिरक्षण और परिवार नियोजन की सेवाओं की व्यवस्था;

(5) संचारी रोगों का पता लगाने के लिए निरन्तर निगरानी;

(6) स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य-कलाप आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों और उनके नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और उन्हें शामिल करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

(7) अब दवाइयों के लिए धनराशि को बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 18,000 रुपये, प्रत्येक उपकेन्द्र के लिए 2,000 रुपये और स्वास्थ्य गाइडों के माध्यम से दी जाने वाली दवाइयों के लिए लगभग 48,(0) रुपये कर दिया गया है।

(8) कुष्ठ, क्षयरोग और मलेरिया के रोगियों का पता, निदान और उपचार करना।

इसके अलावा दर्जा बढ़ाए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) सर्जरी,

चिकित्सा, प्रसूति रोग विज्ञान और बाल रोग चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में विशिष्ट इलाज करते हैं। एक चिकित्सा अधिकारी के पास जन स्वास्थ्य की अर्हता होनी चाहिए या इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। इन केन्द्रों में प्रयोगशाला और एक्स-रे सुविधाओं की भी व्यवस्था है।

(ख) आरम्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रत्येक विकास खण्ड में खोले गए थे भले ही वहाँ की आबादी कितनी हो। मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 80,000 से 1,25,000 तक की आबादी के लिए खोले गए हैं। पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए अलग से कोई मानदण्ड नहीं थे। अब संशोधित मानदण्डों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 आबादी को और पहाड़ों क्षेत्रों में 20,000 आबादी को सुविधाएं प्रदान करेगा। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्यता एक लाख की आबादी के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों को भी सुविधाएं प्रदान करेगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 174 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त, 1061 ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विचार है, जो कि लगभग 25,000 आबादी की देखभाल करेंगे। इस तरह मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कम आबादी को कवर करेंगे।

पंजाब से खाद्यान्न उठाना

5294. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब, जहां 1979 से खाद्यान्न का स्टाक पड़ा हुआ है, से खाद्यान्न का स्टाक उठाने में रेलवे की असमर्थता के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने स्टाक उठाने के लिए क्या कार्यवाही की है और अभी तक स्टाक उठाने में असमर्थता के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। पंजाब की राज्य सरकार की ओर से खाद्यान्न की ढुलाई की कोई मांग पूर्ति के लिए बकाया नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के संगठनों की ओर से ज्ञापन

5295. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री चित्त बसु : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के संगठनों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी सेवा शर्तों में सुधार करने और अपने सम्बन्धित जोनों के भीतर उनकी तैनाती करने सम्बन्धी मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में उल्लिखित मांगों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तों, जिससे केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है, से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के बारे में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ और इसके शाखा एककों से बहुत बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुए हैं। अन्य मांगों में संघ की मान्यता केन्द्रीय विद्यालय संगठन और शासी बोर्ड में इसका प्रतिनिधित्व, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र का गठन, वेतनमानों का संशोधन, समयबद्ध चयन ग्रेड, आन्तरिक प्रोन्नति कोटा में वृद्धि आदि शामिल हैं।

प्रत्येक संगठन में कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई अनेक मांगों पर संगठन द्वारा पहले विचार किया जा चुका है और यथासम्भव उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। उनकी कुछ मांगें अभी भी संगठन के पास सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जहां कहीं अपेक्षित हों, विचाराधीन हैं।

लोकोशैड और पावरशैड के लिए अतिरिक्त लोको फारमैन और अतिरिक्त टी० एफ० आर० के पद

5296. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में उन लोको शैड और पावर शैड के नाम क्या हैं जिनमें अतिरिक्त लोको फारमैन और अतिरिक्त टी० एफ० आर० के पद हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या वहां इन पदों का सृजन रेलवे बोर्ड की सहमति से किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के अन्तर्गत किसी भी अन्य स्थान पर अतिरिक्त टी० एफ० आर० और अतिरिक्त लोको मैन के पद नहीं हैं और केवल इलाहाबाद डिवीजन में ही ये पद होने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। इलाहाबाद मंडल में इस प्रकार के किसी पद का सृजन नहीं किया गया है।

हल्दिया पत्तन रेलवे को भारतीय रेलवे को सौंपा जाना

5297. **श्री नारायण चौबे :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन प्राधिकरण इस पत्तन की रेलवे को शीघ्र ही भारतीय रेलवे को सौंप रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी विशेष आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई जिससे हल्दिया पत्तन की रेलवे को भारतीय रेलवे को सौंपना पड़ा है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार पोर्ट रेलवे को चरणाबद्ध ढंग से भारतीय रेलवे को अन्तरित करने के बारे में विचार कर रही है। इस नीति के अनुरूप हल्दिया पोर्ट में पोर्ट रेलवे के एक भाग को निकटवर्ती क्षेत्रीय रेलवे को सुपुर्द करने के बारे में जांच की जा रही है।

(ख) पोर्ट ट्रस्टों द्वारा अपने रेलवे सिस्टम की व्यवस्था करने की अवधारण खासकर इस पर अधिक खर्च, पोर्ट की बहुमूल्य भूमि के बड़े भाग को घेरे रहने और अन्य पोर्ट संसाधनों पर रुकावट डालने आदि को ध्यान में रखते हुए अब काफी हद तक पुरानी और अलाभप्रद रह गई है। पूरे पोर्ट रेलवे सिस्टम या उसके एक भाग को भारतीय रेलवे को सुपुर्द करने से स्पष्ट लाभ होगा क्योंकि भारतीय रेलवे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ संगठन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर-दीप, मारमागाओ पोर्टों और हल्दिया डाक कम्पलैक्स के पूरे रेलवे सिस्टम या एक भाग को निकट-वर्ती क्षेत्रीय रेलवे को सौंपने के बारे में जांछ की जा रही है।

रेलवे अस्पतालों में कार्यरत ड्रेसरों का वेतनमान

5298. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अस्पतालों में कार्यरत ड्रेसरों का वेतनमान 1960 से पूर्व फार्मासिस्टम से अधिक था और क्या अब वह उससे कम है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1960 से पूर्व और बाद में, रेलवे अस्पतालों में कार्यरत ड्रेसरों का वेतनमान फार्मासिस्टों के वेतनमान से कम रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेडिकल कालेज और उनमें दाखिला क्षमता तथा उनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

5299. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चल रहे मेडिकल कालेजों के नाम और संख्या क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 1983 को प्रत्येक मेडिकल कालेज के डिग्री स्तर पर दाखिले की कुल क्षमता कितनी थी;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं; और

(घ) प्रत्येक मेडिकल कालेज में दान के लिए प्रति विद्यार्थी शुल्क के देने पर कितनी सीटें मिलती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों के नाम तथा पते और स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में 1981-82 में दाखिल हुए छात्रों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6266/83]

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन संस्थाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार की हिदायतों का पालन करती हैं। इन हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी चाहिएं। राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाली संस्थायें अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन करती हैं।

(घ) केपीटेशन फीस लेने की प्रथा केवल कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और पंजाब के ही थोड़े से प्राइवेट मेडिकल कालेजों तक सीमित है। भारत सरकार इस प्रथा के विरुद्ध है और उसके पास ऐसी व्यवस्थाओं के ब्यौरे से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

"सिकाफेक" की प्रभावकारिता

5300. **श्री रामविलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्सर की वृद्धि को रोकने के लिए डा० (श्रीमती) जे० राय चौधरी और डा० एच० चौधरी द्वारा रामवाण के रूप में, जैसा कि उनका दावा है, विकसित किये गये जीव रसायन, "सिकाफेक" की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए 19:4 में एक पुनर्विलोकन समिति की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने "सिकाफेक" की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिये किसी समिति का गठन नहीं किया है। वैसे, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस औषधि के परीक्षणों का ब्यौरेवार अध्ययन कराने के लिये 1975 में एक समिति गठित की थी। उस समिति ने "सिकाफेक" के परीक्षणों के निष्कर्षों की जांच-पड़ताल की और यह पाया कि यद्यपि सरविक्स के ट्यूमर

वाले कुछेक रोगियों को इस औषधि से कुछ लाभ पहुंचा, तथापि उस समय तक जिन रोगियों का इस दवाई से इलाज किया गया उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी थी जिसके कारण कोई ठोस मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने यह सिफारिश की कि इस दवाई का परीक्षण बड़ी संख्या में रोगियों पर किया जाए और अस्पतालों में इसका उपयोग शुरू करने पर विचार करने से पहले इसके निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाए। उस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इस औषधि का उपयोग सर्जरी, रेडिएशन तथा अन्य केमोथेराप्युटिक औषधियों के साथ-साथ किया जाये ताकि इस बात का मूल्यांकन किया जा सके कि ऐसा करने मे एकल-औषधि-विधि की अपेक्षा बेहतर निष्कर्ष निकलते हैं या नहीं।

(घ) चूंकि "सिकाफेक" नामक औषधि पर परीक्षण अभी चल रहे हैं इसलिए कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती।

अफगानिस्तान और कम्पूचिया से विदेशी सेनाओं को वापस बुलाना

5301. **प्रो० मधु दंडवते :**

श्री मूल चन्द डागा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुटनिरपेक्ष देशों के दिल्ली में आयोजित हाल के शिखर सम्मेलन के माध्यम से अफगानिस्तान और कम्पूचिया से विदेशी सेनाओं की वापसी की मांग करने में सफल रही है; और

(ख) इन देशों से विदेशी सेनाओं की वापसी के बारे में आगे क्या उपाय करने का विचार है?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ने दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण-पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में आम सहमति से प्रस्ताव स्वीकार किए। भारत आम सहमति से स्वीकृत इन प्रस्तावों का समर्थन करता है जिनमें अफगानिस्तान और कम्पूचिया से विदेशी सेनाएं हटाना शामिल है। संगत प्रस्ताव इस प्रकार है :—

दक्षिण-पूर्व एशिया

"दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने इस क्षेत्र के निरंतर संघर्षों और तनावों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, विशेषकर जबकि कई राज्य गुट निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के सदस्य हैं। उन्होंने संप्रभुत्ता संपन्न राज्यों के मामलों में अहस्तक्षेप और संप्रभुत्ता संपन्न राज्यों के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग की अस्वीकार्यता के सिद्धांत के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि कम्पूचिया में और उसके आस-पास तनावों की जो स्थिति है उसके बढ़ जाने का पूरा खतरा है। वे इस ओर से आश्वस्त थे कि यह बहुत जरूरी है कि एक ऐसे व्यापक राजनीतिक समाधान के माध्यम से इन तनावों को शांत किया जाए जिसमें सभी विदेशी सेनाओं की वापसी की व्यवस्था हो और इस तरह इस क्षेत्र के सभी राज्यों की,

जिनमें कम्पूचिया भी शामिल है, संप्रभुत्ता, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता के पूर्ण सम्मान का सुनिश्चय हो सके।

राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि कम्पूचिया की जनता को विदेशी हस्तक्षेप, तोड़-फोड़ और जोर जबरदस्ती के बिना अपने भाग्य के निर्णय करने का अधिकार और आशा व्यक्त की कि बातचीत और पारस्परिक सूझबूझ की प्रक्रिया से ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिससे इस अधिकार का प्रयोग करने में सहायता मिलेगी। वे इस बात पर भी सहमत थे कि इस क्षेत्र में संघर्षों के कारण जो मानवीय समस्याएं पैदा हो गई हैं उनके लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है जिसके लिए सभी सम्बद्ध पक्षों के बीच सक्रिया सहयोग जरूरी है। उन्होंने इस क्षेत्र के सभी राज्यों से ऐसी बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया जिससे उनके पारस्परिक मतभेद सुलझेंगे और इस क्षेत्र में स्थायी शांति एवं स्थायित्व स्थापित होगा तथा बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और दखलअंदाजी का खतरा समाप्त होगा। इस सिलसिले में उन्होंने इस क्षेत्र में शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता का क्षेत्र शीघ्र स्थापित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे इन प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग दें।

दक्षिण-पश्चिम एशिया

राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने दक्षिण-पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहन चिन्ता व्यक्त की और इस बात पर सहमत हुए कि इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए इसके खतरनाक परिणाम होंगे। वे इस बात पर सहमत थे कि इस स्थिति के बने रहने से अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति पर विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की। उन्होंने फरवरी 1981 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की इस अत्यावश्यक मांग को दोहराया जिसमें विदेशी सेनाओं की वापसी के आधार पर राजनैतिक समाधान और अफगानिस्तान की स्वाधीनता, प्रभुसत्ता, क्षेत्री अखंडता और उसकी गुटनिरपेक्ष स्थिति तथा अहस्तक्षेप और गैर दखलन्दाजी के सिद्धान्तों पर सख्ती से अमल करने की मांग की गई है। उन्होंने सुरक्षित रूप से और सम्मानपूर्वक अपने घरों को लौटने के अफगान शरणार्थियों के अधिकार की पुष्टि की और इस व्यापक मानवीय समस्या के तत्काल समाधान की मांग की। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने सभी सम्बद्ध पक्षों से किसी ऐसे समाधान के लिए कार्य करने का अनुरोध किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अफगान जनता बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय कर सके और अफगान शरणार्थी अपने घरों को लौट सक।

राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति के राजनैतिक हल की तलाश में किए गए सच्चे प्रयासों की सराहना की और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किए गए रचनात्मक उपायों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने महासचिव की मध्यस्थता के माध्यम से विचार-विमर्शों को सही दिशा की ओर एक कदम बताया और यह अनुरोध किया कि गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के आदर्शों और सिद्धान्तों के अनुरूप इस समस्या के शीघ्र राज-

नीतिक समाधान को संवर्धित करने के लिए ये प्रयास जारी रखे जाएं। उन्होंने सभी राज्यों से संयम बरतने का अनुरोध किया जिससे कि इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के खतरे को बढ़ने से रोका जा सके और ऐसे उपाय करने का आग्रह किया जिनसे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रादेशिक अखंडता के प्रति सम्मान तथा राज्यों के आंतरिक मामलों में अ-हस्तक्षेप और गैर-दखलन्दाजी के गुट निरपेक्ष सिद्धान्तों के आधार पर इस क्षेत्र के राज्यों में स्थायी और समरसता पूर्ण सम्बन्धों के अनुकूल स्थितियों का निर्माण हो सके।"

चम्पारन में महात्मा गांधी के नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव

5302. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में चम्पारन अथवा किसी अन्य स्थान पर महात्मा गांधी के नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि चम्पारन का जिला प्रशासन विश्वविद्यालय के लिए भूमि देने को तैयार है; और

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिये निर्धारित मानदंड क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार को चम्पारन के जिला प्रशासन अथवा किसी अन्य एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपेक्षित भू-खण्ड की पेशकश करने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए किसी प्रकार का मानदण्ड निर्धारित नहीं किया है।

दक्षिण पूर्व के खुर्दा रोड डिवीजन में चोरी की घटनाएं

5303. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलगाड़ियों के चालन में बचाव, सुरक्षा और समय पालन बनाये रखने पर अधिक जोर दिया है;

(ख) क्या उन्हें दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत खुर्दा रोड डिवीजन में चलती गाड़ियों माल शेड और रेलवे यार्ड में होने वाली चोरी की घटनाओं के बारे में पता है;

(ग) यदि हां, तो उस रेलवे जोन में अपराधों की रोकथाम के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) वर्ष 1982 में कितने मामलों का पता लगा कर कार्यवाही की गई और ऐसे मामलों में कितने लोग अन्तर्ग्रस्त थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) 1981 की तुलना में 1982 के दौरान खुर्दा रोड मण्डल में स्थानीय अपराधों की घटनाओं में गिरावट का रुख दिखायी दिया है ।

(ग) अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) भेद्य गाड़ियों में मार्गरक्षी तैनात किए गए हैं ।

(2) भेद्य खंडों में गश्त लगायी जाती है ।

(3) पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

(4) रे० सु० बल की अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारियों को अपराध और अपराधियों के सम्बन्ध में आसूचना एकत्रित करने के लिए तैनात किया गया है ।

(घ) 1982 के दौरान खुर्दा रोड मंडल में दर्ज स्थानीय अपराधों के 23 मामलों में से 17 मामलों का पता लगाया गया और 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन पर भारतीय दंड संहिता और रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है ।

1983-84 के दौरान कुष्ठ रोग, तपेदिक और अन्धेपन को नियंत्रित करने के लिए धनराशि का आवंटन

5304. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग, तपेदिक और अन्धेपन को नियंत्रित करने के लिए 1983-84 में धनराशि रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) कुष्ठ रोग, तपेदिक और अन्धेपन के नियंत्रण के लिए 1982-83 में चलाए गए कार्यक्रम और 1983-84 में चलाए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (घ) 1983-84 के दौरान कुष्ठ रोग, क्षय रोग और दृष्टिहीनता की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 1100 लाख रुपये, 280 लाख रु० और 668.75 लाख रु० का योजनागत प्रावधान किया गया है । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस धन का बंटवारा उनके द्वारा वास्तव में इस्तेमाल किये गये धन पर निर्भर करता है ।

(ग) 1982-83 में शुरू किए गए और 1983-84 के दौरान शुरू किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कार्यक्रम का नाम	1982-83 में अब तक प्राप्त मुख्य उपलब्धियां	1983-84 की इसी अवधि के लक्ष्य
राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम		
कितने नये रोगियों का पता लगाया गया	3.515 लाख	4.778 लाख
कितने रोगियों का इलाज शुरू किया गया	3.203 लाख	4.778 लाख
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम		
कितने नए रोगियों का पता लगाया गया	9.43 लाख	12.5 लाख
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम		
मोतियाबिन्द के कितने आपरेशन किए गए	6.5 लाख	12.93 लाख

रेल पथों का विद्युतीकरण

5305. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री दीन बन्धु वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का रेलपथों के विद्युतीकरण का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ख) किन प्रमुख रेल पथों को इसके अन्तर्गत लाया जायेगा और उसमें कुल कितनी धन-राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : जी हां, रेलों ने 1980-90 की समयावधि के लिए रेल विद्युतीकरण का एक कार्यक्रम बनाया है।

(ख) निम्नलिखित मुख्य मार्गों के वे खण्ड इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं जिनका पहले विद्युतीकरण नहीं किया गया है :—

(1) दिल्ली-बम्बई (पश्चिम रेलवे)

(2) दिल्ली-बम्बई (मध्य रेलवे)

(3) दिल्ली-मद्रास

(4) बम्बई-हावड़ा

(5) मद्रास-हावड़ा

(6) मद्रास-बम्बई

(7) बिलासपुर-अनूपपुर-कटनी-बीना

(8) भोपाल-नागदा

(9) सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय-जालन्धर सिटी

(10) मद्रास-बेंगलूरू

(11) दिल्ली-अम्बाला

उपर्युक्त मुख्य मार्गों के विद्युतीकरण पर कुल लगभग 1600 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे।

दिल्ली मद्रास मार्ग का विद्युतीकरण

5306. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मद्रास मार्ग का विद्युतीकरण कार्य अब चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय के अन्दर इसके पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इसके मार्च 1988 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

धूम्रपान नियंत्रण उपाय

5307. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धूम्रपान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है; और

(ख) धूम्रपान नियंत्रण उपायों को हमारी स्वास्थ्य सेवा की नीतियों का एक अभिन्न अंग बनाने हेतु सांविधिक चेतावनी के अलावा अन्य क्या उपाय सरकार द्वारा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारत सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) बिक्री किए जाने वाले सिगरेट के सभी पैकेटों पर तथा धूम्रपान के प्रत्येक विज्ञापन में सांविधिक चेतावनी के अलावा धूम्रपान नियंत्रण के लिए कुछ अन्य उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:—

(i) आकाशवाणी और दूरदर्शन ने धूम्रपान को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई भी विज्ञापन स्वीकार न करने का निर्णय लिया है।

(ii) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 को जोरदार ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है।

(iii) प्रकाशन, पत्रिकाओं, आकाशवाणी दूरदर्शन और फिल्मों के जरिए धूम्रपान की हानियों के बारे में जन स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार अभियान चलाये गए हैं।

भारी स्कूली पाठ्यक्रमों के कारण विद्यार्थियों पर अधिक बोझ होना

5308. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री गुफरान आजम :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्री हरीश कुमार गंगवार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जय नारायण रौत :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के अनेक भागों में स्कूलों के छात्र यह महसूस करते हैं कि उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अधिक है और इससे उन पर बोझ बढ़ा है; और

(ख) सरकार का विद्यार्थियों को अपने वांछित व्यक्तित्व गुणों का विकास करने में सहायता देने और शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था, जो परीक्षा प्रधान है, समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और हरियाणा के सम्बन्ध में छोटे नमूने के तौर पर एक समन्वेषी अध्ययन आयोजित किया। प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रत्युत्तरों से निकले निष्कर्ष से यह देखा गया था कि कठिन स्तर, पाठ्यक्रम विषय वस्तु की अधिक मात्रा और समय आवंटन की दृष्टि से छात्रों को किसी भी विषय से सम्बन्धित अपनी पाठ्यचर्या भारी भरकम नहीं लगी।

(ख) छात्रों में अपेक्षित व्यक्तित्व लक्षणों के विकास के लिए पर्याप्त महत्व देने के प्रयास किए गए हैं। उदाहरणार्थ समाज उपयोगी उत्पादक कार्य और सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सह-पाठ्यचर्या कार्य कलाप जैसे पाठ्यचर्या विषयों को अब सामान्यतः स्कूली पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। परीक्षा की वर्तमान पद्धति में सुधार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

नर्सों की कमी

5309. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नर्सों की बहुत अधिक कमी महसूस कर रही है;

(ख) (एक) डाक्टर-नर्स (दो) नर्स मरीज और (तीन) नर्स जनसंख्या का अनुपात क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या मानदण्ड मंजूर किये हैं;

(ग) क्या बहुत बड़ी संख्या में नर्सें खाड़ी के और अन्य देशों में गई हैं यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या बहुत बड़ी संख्या में नर्सों का बाहर जाना (एक) काम की घटिया शर्तों (दो) कम वेतन और अन्धकारमय भविष्य (तीन) नर्सिंग स्कूलों, कालेजों और संस्थानों आदि की कमी के कारण है;

(ङ) नर्सों की मांग, प्रशिक्षण और वेतन आदि के बारे में (एक) और समिति (दो) मुदलियार समिति (तीन) शेही समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(च) क्या प्रशिक्षित नर्सिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया ने 1982 में स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य मांगें क्या हैं; और

(छ) भारत में नर्सों की इस कमी को दूर करने हेतु सरकार की नीति और कार्य-योजना क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) देश में कुल मिलाकर नर्सों की कोई अधिक कमी नहीं है।

(ख) (i), (ii) और (iii)

सरकार ने डाक्टर-नर्स, रोगी-नर्स और जनसंख्या-नर्स सम्बन्धी कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं। वैसे, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने 1968 में हुई अपनी बैठक में शिक्षण अस्पताल तथा दूसरे अस्पतालों में क्रमशः 1:3 और 1:5 नर्स-रोगी अनुपात की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर देश से नर्सें बड़ी संख्या में बाहर नहीं गयी हैं। कुछ नर्सें अधिक परिलब्धियों से आकर्षित होकर खाड़ी के और अन्य देशों में गई हैं। चूंकि यह सारी भर्ती सरकार से सरकार आधार पर नहीं हुई है, इसलिए कितनी नर्सें विदेश गयी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रत्येक रिपोर्ट से लिए गए उद्धरण संलग्न हैं।

(च) जी हां, मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:—

(i) ग्रामीण तथा कस्बों जैसे क्षेत्रों में नर्सों की सुरक्षा और बचाव;

(ii) नर्सिंग सेवाओं का पुनर्गठन

(छ) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नर्सिंग कार्मिकों की सेवा-शर्तों में सुधार किया जा रहा है। कुछ राज्यों में नर्सों के नये स्कूल और कालेज खोले गए हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा किराए पर लिए गए कंटेनर

5310. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा विभिन्न स्रोतों से 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान कुल कितने कंटेनर किराये पर लिए गये और प्रत्येक वर्ष के दौरान उन पर रुपये और विदेशी मुद्रा में किराये का कितने प्रभार का भुगतान किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में कंटेनरों का यातायात बहुत तेजी से बढ़ रहा है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा पर खर्च बचाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु भारतीय नौवहन निगम के अपने कंटेनर रखने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नीचे दी गई सारणी में भारतीय नौवहन निगम द्वारा इस्तेमाल किए कंटेनरों की संख्या और उनके लिए दिया गया किराया दिखाया गया है :

वर्ष	औसत प्रतिदिन कन्टेनर सूची (20 फुट बराबर यूनिट है)	दिया गया भाड़ा (यू० एस० डालर)
1978-79	734	730,300
1979-80	1651	1,486,200
1980-81	3500	3,057,700
1981-82	3700	8,188,788
1982-83 (दिसम्बर 1982 तक)	10000	8,457,507

भारतीय नौवहन निगम ने, ग्लोबल टेंडरों के जरिए किए करार के अन्तर्गत इन्टरनेशनल कंटेर लीजिंग विख्यात कम्पनियों से किराये पर कंटेनर लिये थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंटेनर इस्तेमाल के क्षेत्र पर निर्भर करते हुए विभिन्न अवधियों के लिए कंटेनर किराये पर ही रहे, उपरोक्त प्रतिदिन कंटेनर सूची, कंटेनरों को जरूरत और इस्तेमाल की बेहतर सूचक है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नही।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

तिब्बतियों द्वारा जनमत संग्रह की मांग करना

5311. **डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 11 दिसम्बर, 1982 के "ट्रिब्यून" में "तिब्बतियन्स डिमाण्ड-प्लेबी साइट शीर्षक" समाचार से प्रकाशित होने वाले समाचार को जब्त कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के पास तिब्बती लोगों द्वारा उनके आत्म निर्णय लेने के बारे में संयुक्त राष्ट्र में रखे गये जनमत संग्रह की मांग के बारे में कोई सूचना है;

(ग) क्या अनेक संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को उनकी इस मांग के समर्थन में ज्ञापन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रधान मन्त्री की उस मांग के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हमें, भारत में विभिन्न तिब्बती संगठनों से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सम्बोधित ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं ; हमें विभिन्न पार्टियों के 118 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से एक ज्ञापन की भी प्रति प्राप्त हुई है जिसमें "तिब्बत के 60 लाख लोगों को आत्म-निर्णय तथा स्व-शासन की उनकी न्यायोचित और वैध मांगों के लिए समर्थन एवं सहानुभूति" का वचन दिया गया है ।

(घ) भारत सरकार, तिब्बत को चीन का एक अभिन्न अंग मानती है, अतः भारत सरकार द्वारा प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता ।

संसद सदस्यों की चीन की यात्रा का रद्द किया जाना

5312. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 दिसम्बर, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "चाइना विजिट बाई मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट टीम कैंसल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने स्वयं अथवा चीन की सरकार के कहने पर यह यात्रा रद्द कर दी है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) संसद सदस्यों के जिस दल ने चीन की यात्रा करनी थी उसके नेता और सदस्यों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में वहां एक दल भेजने का है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान सांस्कृतिक, औद्योगिक और विद्वानों के आदान प्रदान के द्वारा भारत चीन सम्बन्धों को सुधारने के लिए क्या अन्य योजनाएं बनाई हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार के साथ परामर्श के बाद इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द कर दी गई थी क्योंकि नवें एशियाई खेलों के समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों पर नवचीन समाचार एजेन्सी की टिप्पणी के कारण वातावरण दूषित हो गया था ।

(ग) सरकारी तौर पर प्रायोजित प्रतिनिधिमंडल में, स्वर्गीय डा० कोटनिस और डा० अटल की पुण्यतिथियों के अवसर पर चीन में आयोजित किए जाने वाले स्मारक समारोह में भारत सरकार की ओर से प्रायोजित प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे : श्री बी० आर० भगत, संसद सदस्य डा० सुब्रह्मणयम स्वामी, संसद संदस्य और श्रीमती राजन नेहरू ।

(घ) चूंकि डा० अटल और डा० कोटनिस की स्मृति में आयोजित समारोह समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ विनिमय चल रहा है और और *अन्य बातों के साथ-साथ* अब चल रही सरकारी वार्ता के माध्यम से यह उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है ।

कुष्ट रोग के विशिष्ट उपचार के लिए अनुसन्धान केन्द्र

5313. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग के विशिष्ट उपचार के लिए देश में कोई राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) नहीं । चिंगलपट (तमिलनाडु) में भारत सरकार का एक केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कुष्ठ उपचार केन्द्र

5314. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से देश में कुष्ठ उपचार केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) जी, नहीं ।

(ख) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

अफगानिस्तान से सोवियत रूस का हटना

5315. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 1 दिसम्बर, 1982 के हिन्दू, "यू० एन० डिमान्ड्स सोवियत पुल आउट आफ अफगानिस्तान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस आशय का संकल्प किन-किन देशों ने प्रस्तुत किया, अफगानिस्तान से विदेशी टुकड़ियों की वापसी के बारे में संकल्प का पाठ क्या है; और

(ग) राष्ट्र संघ में चर्चा के समय किन-किन देशों ने उक्त संकल्प के समर्थन में किन-किन देशों ने विरोध में मत दिया तथा कौन-कौन से देश मतदान के समय अनुपस्थित रहे ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अफगानिस्तान की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए उसके निहित थं" से सम्बद्ध संकल्प का संयुक्त राष्ट्र महासभा के 37 वें अधिवेशन में निम्नलिखित देशों द्वारा सहप्रायोजन किया गया:—

एंटीगुआ व बारबुडा, बहरीन, बंगलादेश, चिली, कोलम्बिया, कोमोरोस, कोस्टारिका, जीबुटी, मिस्र, फीजी, गाम्बिया, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, होंडुरास, जमैका,. जोर्डन, कुवैत, लाइबेरिया, मलयेशिया, मालदीव, मोरीटानिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, ओमन, पाकिस्तान, पापुआ न्यूगिनी, पेराग्वे, फिलीपीन्स, कातार, सेन्ट-लूसिया, सामोआ, सेंट-विसेन्ट व ग्रिनाडाइन्स, सऊदी अरब, सेनेगल, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, सोमालिया, सूडान, थाईलैंड, ट्यूनिशिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे । इस संकल्प का पाठ संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6267/83]

(ग) यह संकल्प 21 के मुकाबले 114 मतों से स्वीकार किया गया, जबकि 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया । मतदान का ब्यौरा संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6267/83]

रेलवे के लेखा विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु सम्मलित सूची

5316. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लेखा विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने (जोन आफ कंसीडरेशन) के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सम्मलित सूची बनाए रखने के क्या कारण हैं और पृथक् सूचियां बनाए रखने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ख) क्या आरक्षण नीति की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित

जनजातियों की पृथक् सूची रखने पर विचार कर रही है जैसा कि तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के मामले में किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) लेखा विभाग सहित रेलवे के सभी विभागों में "ख" (श्रेणी II) के पदों पर नियुक्ति विचारणीय क्षेत्रों में आने वाले पात्र कर्मचारियों में से प्रवरण के आधार पर की जाती है। विचारणीय क्षेत्र सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी दोनों के लिए समान होते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो कर्मचारी इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उन्हें आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है। जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी सामान्य क्षेत्र में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते या सामान्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में से कोई नहीं होता, वहां रिक्तियों की संख्या को पांच गुना बढ़ा दिया जाता है तथा विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (और अन्य नहीं) के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाता है।

भारत सरकार के सभी विभागों की यह सामान्य नीति है। वर्ग "ख" के पद प्रबन्धकीय श्रेणी के होते हैं और जो कर्मचारी इन पदों पर नियुक्त होते हैं उन्हें अपने व्यवसायिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और अपने प्रबन्धकीय कार्य को चलाने के लिए वरिष्ठता, विशेष रूप से अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य चलाने का गुण होना चाहिए।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए, नहीं।

दिल्ली/नई दिल्ली सहारनपुर लाइन पर यातायात की मांग

5317. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली और सहारनपुर लाइन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों में हुई वृद्धि दर कितनी है;

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली और सहारनपुर लाइन में इस समय कितनी रेल गाड़ियां चल रही हैं;

(ग) क्या पिछले 15 वर्षों में इस लाइन पर कोई रेल गाड़ी बढ़ायी गई है;

(घ) इस लाइन में यात्री यातायात की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या उपर्युक्त कार्यवाही यात्रियों की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने हेतु आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1975-76 से 1982-83 तक की अवधि के दौरान दिल्ली/नयी दिल्ली-सहारनपुर खंड पर थोक यातायात को

सम्हालने वाले स्टेशनों, अर्थात् गाजियाबाद, मेरठ शहर, मुज्जफरनगर, पर यात्री यातायात में 9.6% की वृद्धि हुई। 1975-76 से पहले के वर्षों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (च) दिल्ली/नई दिल्ली और सहारनपुर के बीच यात्रा करने के लिए मेरठ के रास्ते अप दिशा में 8 गाड़ियां तथा डाउन दिशा में 9 गाड़ियां और शामली के रास्ते 2 जोड़ी गाड़ियां उपलब्ध हैं। दो जोड़ी सवारी गाड़ियां शामली के रास्ते दिल्ली और सहारनपुर के बीच हाल ही में चलायी गई हैं। ये गाड़ी सेवाएं यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को न्यूनाधिक पर्याप्त रूप से पूरा कर रही हैं। मार्ग में फालतू लाइन क्षमता की कमी तथा दिल्ली और सहारनपुर में टर्मिनल सुविधाओं के अभावों और कोचिंग स्टाक के अभाव के कारण भी दिल्ली और सहारनपुर के बीच कोई नयी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम की बस मास्टर योजना

5318. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने एक बस मास्टर योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में कौन से ट्रेड/श्रेणियां शामिल की गई हैं; और

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को क्या छूट और रियायतें दी गई हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम के तहत दिल्ली परिवहन निगम मैट्रिक या उससे अधिक योग्यता वाले 21 से 27 वर्ष तक की आयु के युवकों को तीन महीने के गहन ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के साथ-साथ यांत्रिक पहलुओं और जनता से व्यवहार करने संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। प्रशिक्षार्थियों को ड्राइवर के कार्य के साथ-साथ कंडक्टर के कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक अभ्यार्थी से प्रतिमाह 300 रुपये शुल्क लिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ग्रेड "क" में पास करने वाले अभ्यार्थियों को 15 दिन रूट प्रशिक्षण देने के बाद दिल्ली परिवहन निगम में ड्राईवर की नियुक्ति के लिए पैनल में ले लिया जाता है।

(ग) यह मुख्य रूप से ड्राईवरों की श्रेणियों के लिए है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा उनके लिए आधी फीस की रियायत भी की गई है।

कार्य प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार को समाप्त करना

5319. **श्री सुभाष यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमन्त्री द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार, सरकार के कार्य प्रणाली में व्यापक स्तर पर सुधार करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) मन्त्रालय और इससे संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे कार्यालय में समय पर उपस्थित हों और शाखाओं में सभी स्तरों पर कार्य का निपटान शीघ्र करें, जनता से कुशल और विनम्र व्यवहार करें, कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनायें, उस पद्धति और प्रक्रिया को अपनायें जिससे कि जनता से माँगी गयी जानकारी का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित हो सके, कार्यालय सूचना में गोपनीयता बरतना सुनिश्चित हो, जनता की कुशल सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की व्यवस्था करना और कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर नियंत्रण रखने और उसे रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा सकें ।

गुर्भुंडि स्टेशन पर उपरि पुल का निर्माण

5320. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर कोडारमा और गया जंक्शन के बीच गुर्भूंडि स्टेशन को पार करने के लिए लोहे से बनाये जाने वाला उपरि पुल का आकलन बहुत वर्ष पहले तैयार हो गया था परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो हजारों रेल कर्मचारियों को और आम लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यह उपरि पुल कब तक निर्मित हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 1977-78 में रेलवे ने कर्मचारी सुविधा निर्माण-कार्य के रूप में गुर्भुंडि रेलवे स्टेशन पर एक पैदल ऊपरी-पुल के प्रस्ताव पर विचार किया था । उस समय यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था और धन की व्यापक तंगी के कारण इसे रेलवे के बजट में शामिल नहीं किया गया था ।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

गिरिडीह-रांची लाइन का सर्वेक्षण

5321. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कोडारमा हजारी बाग से होते हुए गिरिडीह से रांची जाने वाली 223 किलोमीटर लम्बी प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वेक्षण कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने भी इस रेलवे लाइन के लिए निःशुल्क में जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है; और

(ग) क्या इस रेलवे लाइन की योजना आयोग से अनुमोदित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) सर्वेक्षण कराने के लिए रेलवे द्वारा प्रारम्भिक व्यवस्था की गई है। इस पर अनुमानित खर्च 1.35 लाख रुपये होगा।

(ख) जी हां।

(ग) आगे की यथा अपेक्षित कार्रवाई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर लिए जाने के बाद की-जायेगी, बशर्ते कि वह अर्थ-क्षम हो और धन आदि उपलब्ध हो।

राज्य सड़क परिवहन निगम को लाभ के आधार पर चलाया जाना

5322. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपयोगिता संकेतकों को पूरा करके और उचित मूल्य नीति के माध्यम से छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगम को लाभ के आधार पर चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के फिजिकल और वित्तीय दोनों ही तरह के कार्यों में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि वे उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाये और कारगर उपाय करें। राज्य सरकारों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

अंशदायी स्वास्थ्य बीमा

5323. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक अंशदायी स्वास्थ्य योजना को तैयार करने का विचार रखा था जिससे जनसंख्या के एक बड़े भाग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह प्रतिपादित किया गया था कि एक निश्चित अवधि में एक अंशदायी स्वास्थ्य बीमा पद्धति स्थापित की जा सकती है जो जनसंख्या के एक बड़े भाग की जरूरतों को पूरा कर सके।

(ख) औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का धीरे-धीरे और अधिक विस्तार किया गया है।

शिपिंग एजेन्टों और जहाज के मालिकों द्वारा ट्रेडिंग में अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैये की रोकथाम के लिए कानून

5324. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ शिपिंग एजेन्टों और जहाज के मालिकों के गैर-जिम्मेदाराना ट्रेडिंग की जांच के लिए कानून बनाने का है;

(ख) क्या सरकार ट्राम परिचालन में गैर-जिम्मेदारी के रवैये को समाप्त करने के लिए कानूनी उपाय का विचार कर रही है; और

(ग) कानूनी उपाय कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) कानूनी उपायों से दोषी एजेंटों की किस सीमा तक जांच हो सकेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया है कि नौवहन/स्टीमर एजेंटों को लाइसेंस दिया जाए। इस सम्बन्ध में कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों से दोषी एजेंटों को कहाँ तक रोका जा सकता है, इस बारे में अभी कुछ भी बता पाना सम्भव नहीं है।

रेलवे बोर्ड अधिकारों का विकेन्द्रीकरण

5325. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० वी० देसाई :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति :

श्री अनादि चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ दल ने हाल में पेश की गई विस्तृत रिपोर्ट में रेलवे में अधिकारों के केन्द्रीकरण में भारी परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने इस बात का उल्लेख किया है कि जहां सारे अधिकार रेलवे बोर्ड और जोनों में केन्द्रित किए गए हैं, डिवीजनल मैनेजरों को पूरी तौर पर उपेक्षित रखा गया है;

(ग) क्या दल ने सुझाव दिया है कि डिवीजनल मैनेजरों को सुचारु रूप से अपना दायित्व निभाने के लिये पर्याप्त वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार दिए जाने चाहिएं;

(घ) विशेषज्ञ दल ने अन्य और क्या सुझाव दिये हैं; और

(ङ) रेलवे ने इन सुझावों को कहां तक लागू किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) रेल अभिसमय समिति, 1977 की सिफारिशों के अनुसार भारतीय रेलों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन का अध्ययन करने का काम भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली के एक विशेषज्ञ समूह को सौंपा गया था।

अध्ययन दल ने किसी भारी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ, यह उल्लेख किया है कि रेलवे बोर्ड ने सामान्यत: क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को विशाल परिवहन तन्त्र का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ दे रखी हैं और ये शक्तियां महाप्रबन्धक के औहदे, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप हैं। उनके विचार से महाप्रबन्धक अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले रेल सम्बन्धी विभिन्न कार्यकलाप, जैसे निर्माण कार्यों का निष्पादन भंडार की खरीद, कार्मिक प्रबन्ध तथा वाणिज्यिक मामलों आदि की जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में हैं। लेकिन अध्ययन दल की सिफारिशों तथा क्षेत्र प्रबन्धकों/स्थापनाओं को प्राधिकार सौंपने की सरकार की नीति के अनुसार, रेल मन्त्रालय ने कुछ कार्य क्षेत्रों में महाप्रबन्धकों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। बढ़ायी गई शक्तियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(क) **ठेके देना और टेंडर आदि स्वीकार करना** :

ऐसे मामलों में महाप्रबन्धकों की वित्तीय शक्तियों को पिछले वर्ष प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया था। ये शक्तियाँ अब फिर प्रत्येक मामले में 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई हैं।

(ख) **महाप्रबन्धकों की प्राक्कलन सम्बन्धी शक्तियां** :

(i) अनुमोदित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को मंजूरी देने के लिये महाप्रबन्धकों की शक्ति प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(ii) यदि किसी निर्माण कार्य का पहले सर्वेक्षण कर लिया गया हो और स्थूल अनुमान के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट का, बजट में शामिल किये जाने से पहले, बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया

गया हो तो ऐसे प्रत्येक मामले में अब महाप्रबन्धक 10 करोड़ रुपये तक के अनुमान (प्राक्कलन) को मंजूरी दे सकता है। संशोधनपूर्व नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

(iii) रेल पथ नवीकरण सम्बन्धी अनुमान/मरम्मत के मामलों में महाप्रबन्धक को अनुमान मंजूर करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) **बिना बारी के आधार पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति देना**

(i) **लाइन क्षमता निर्माण कार्य** :

पहले महाप्रबन्धकों को ऐसे निर्माण कार्य के हर मामले में 10 लाख रुपये तक की स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त थी। अब वे ऐसे कार्यों के लिए 15 लाख रुपये तक की स्वीकृति दे सकते हैं।

(ii) **रेल पथ नवीकरण निर्माण कार्य** :

पहले महाप्रबन्धक 5 लाख रुपये तक के रेल-पथ नवीकरण की स्वीकृति दे सकते थे। अब वे 8 लाख रुपये तक के ऐसे निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे सकते हैं।

(iii) **लाइन क्षमता और रेल पथ नवीकरण से इतर निर्माण कार्य** :

पहले, 5 लाख रुपये तक के ऐसे निर्माण कार्यों के लिए महाप्रबन्धक स्वीकृति दे सकते थे। अब वे 8 लाख रुपये तक के ऐसे निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे सकते हैं।

(iv) **यात्री सुविधा निर्माण कार्य** :

पहले, महाप्रबन्धक, अधिक से अधिक 1 लाख रुपये तक की लागत के नए यात्री/उपयोग-कर्त्ता सुविधा निर्माण कार्यों, जिनमें माल शेडों और बुकिंग कार्यालयों आदि का निर्माण कार्य भी शामिल है, पर, बिना बारी के आधार पर, खर्च करने की स्वीकृति दे सकते थे। अब वे इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में 2 लाख रुपये तक खर्च करने की स्वीकृति दे सकते हैं।

महाप्रबन्धक, निचले स्तरों पर कार्यकारी प्राधिकारियों को, जिनमें मंडल रेल प्रबन्धक भी शामिल हैं, अपनी शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन करने के लिए प्राधिकृत हैं। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि महाप्रबन्धकों से मंडल रेल प्रबन्धकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था की गई है तथापि दल ने कुछ कार्य क्षेत्रों में इन शक्तियों में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। उनके सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग

5326. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अनेक सदस्यों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि इसे स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंकोरवाट मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु भारत की सहायता

5327. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अंकोरवाट मन्दिर जो कम्पूचिया के लिए, भावनात्मक और संवेदनात्मक महत्व का है, के जीर्णोद्धार में सहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) अंकोरवाट मन्दिर हमारी सभ्यता का एक शानदार नमूना है। अंकोरवाट के प्राचीन मन्दिरों के अनुरक्षण पर एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा तैयार की गई है जिसके लिए भारतीय पुरातत्वविदों का एक दल पिछले वर्ष कम्पूचिया भेजा गया था। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० जी० वी० के० राव के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक दल ने भारत और हिन्द चीन के देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए व्यापक सिफारिशें देने के लिए इण्डो-चीन देशों की यात्रा की थी और इसी दल ने अंकोरवाट मन्दिरों के पुनरुद्धार के लिए अन्य देशों के साथ-साथ भारत की सहायता की भी सिफारिश की थी। इन दोनों रिपोर्टों पर सम्बद्ध अधिकारी विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही अन्तिम फैसला लिया जाएगा।

1982-83 के दौरान हुई रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं

5328. **श्री नवीन रावणी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1982 की स्थिति के अनुसार बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक की जोनवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान ऐसे प्रत्येक फाटक पर जोनवार कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनमें कितने लोग मारे गए;

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान बिना चौकीदार वाले कितने फाटकों पर जोनवार चौकीदार नियुक्त किए गए; और

(घ) देश में सभी बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क) बिना चौकीदार वाले रेल समपारों की क्षेत्र-वार संख्या लगभग इस प्रकार है :

रेलवे	संख्या
मध्य	1221
पूर्व	764
उत्तर	3192
पूर्वोत्तर	3699
पूर्वोत्तर सीमा	1172
दक्षिण	2836
दक्षिण मध्य	2272
दक्षिण पूर्व	3571
पश्चिम	4900
जोड़	22627

(ख) 1982-83 में (फरवरी 83 तक) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं (सड़क वाहनों के साथ टक्करों) तथा उन दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों की संख्या की रेलवे वार स्थिति नीचे दी गई है :

रेलवे	बिना चौकीदार वाले समपारों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
मध्य	3	3
पूर्व	—	—
उत्तर	8	11
पूर्वोत्तर	4	7
पूर्वोत्तर सीमा	1	—
दक्षिण	2	2
दक्षिण मध्य	10	5
दक्षिण पूर्व	4	1
पश्चिम	9	17
जोड़	41	46

(ग) 1982-83 की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) रेलें, बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर होने वाले सड़क और रेल यातायात

की समय-समय पर गणना करती हैं और जहां औचित्य पाया जाता है, वहाँ राज्य सरकार के परामर्श से समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाते हैं। चौकीदार तैनात किए जाने की प्रारम्भिक लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा आवर्ती लागत रेलों द्वारा वहन की जाती है संरक्षा की दृष्टि से, रेलों ने चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर पूर्णतः रेलवे की लागत पर खतरनाक समपारों पर और ऐसे 1200 समपारों पर, जहां नियमित रूप से बसें चलती हैं, चौकीदार तैनात करने का भी विनिश्चय किया है। ऐसे 400 अन्य समपारों के सम्बन्ध में, राज्य सरकारों से प्रारम्भिक लागत वहन करने का अनुरोध किया गया है।

रायगाडा नगरपालिका का दक्षिण पूर्व रेलवे पर बकाया कर

5329. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने रायगाडा नगरपालिका, कोरापुट, उड़ीसा के बकाया कर का भुगतान कर दिया है जो काफी लम्बे समय से देय था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और कब से तथा किस वर्ष में भुगतान किया गया है;

(ग) यदि अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा रायगाडा नगरपालिका लम्बे समय से देय कर का भुगतान करने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(घ) क्या नगरपालिका ने करों की मांग को लेकर वाल्टेयर प्रभाग से बात की थी; और

(ङ) यदि हां, तो चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला और क्या निर्णय लिए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) संविधान के लागू होने से पहले रायगडा मद्रास प्रेजीडेंसी में पड़ता था और मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के अनुसार रायगडा नगर पालिका को 1963 रु. 87 पैसे की वार्षिक दर के सन्दर्भ में सम्पत्ति कर का भुगतान विनियमित किया जाना है।

रायगडा नगरपालिका, जो अब उड़ीसा राज्य का भाग है, उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1950 की दरें लागू करना चाहती थी जिसके अनुसार उसने 1957-58 से 12,070 रुपये की वार्षिक दर तथा 1963-64 से 10,496 रुपये की वार्षिक दर की मांग की थी। चूंकि उड़ीसा अधिनियम लागू नहीं होता इसलिए नगरपालिका, उड़ीसा सरकार तथा दक्षिण मध्य रेलवे के प्रतिनिधियों के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में 5,000 रुपये की सम्मत वार्षिक दर तय की गई थी। तदनुसार 1-10-1957 से 31-3-1966 तक की अवधि से लिए 5,000 रुपये की सम्मत वार्षिक दर से भुगतान कर दिया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 8-9-1978 के निर्णय के अनुसार यदि कोई स्थानीय निकाय संविधान के समय किसी एक राज्य का भाग था लेकिन बाद में किसी दूसरे राज्य का भाग बन गया हो तो वह संविधान के अनुच्छेद 285 (2) का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि कर

वसूल करने के लिए अपना दावा करते समय यह दूसरे राज्य का हिस्सा था । संविधान लागू होने से पहले रायगडा मद्रास प्रेजीडेंसी में पड़ता था लेकिन 1957-58 में यह उड़ीसा राज्य का हिस्सा बन गया था । परिणामस्वरूप 8-9-1978 से कोई कर देय नहीं है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप बदली हुई परिस्थितियों में इस प्रकार के स्थानीय निकायों को भुगतानों का विनियमन किस तरीके से किया जाए. यह वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

रायगडा नगरपालिका ने नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाली रेल सम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन करके 1966-67 से 1980-81 तक के लिए 13,601.34 रुपये की बढ़ी हुई वार्षिक दर से माँग में आशोधन भी किया है । समझौता होने तक रायगडा नगरपालिका ने 1-4-1966 से 5,000 रुपये की दर से वार्षिक भुगतान की मांग की है । यह मामला भारत सरकार द्वारा सामान्य समीक्षा पूरी कर लेने के बाद ही निपटाया जा सकता है ।

रायगडा और मुनीगुडा में रेलवे की भूमि पर अस्थायी दुकानों और शैडों से किराया

5330. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के वाल्टेयर प्रभाग में रायगाडा और मुनीगुडा नगर क्षेत्र के अन्दर रेलवे की भूमि पर अस्थाई दुकानों और शैडों के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों स्टेशनों पर रेलवे लाइन के किनारों पर पहले से बनी हुई दुकानों और शेडों की कुल संख्या कितनी है और उनके आवंटितियों से वाल्टेयर प्रभाग द्वारा कितना किराया एकत्र किया जाता है;

(ग) क्या कुछ दुकानों और शेडों के आवटितियों को अस्थाई दुकानें बनाने के लिए पट्टा दिया गया है;

(घ) दोनों स्थानों पर क्षेत्रफल, दुकानों और शेडों का कितना किराया निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या मुनीगुडा स्टेशन क्षेत्र के दुकानदारों ने किराये में कमी करने और नाममात्र को किराया लेने का अनुरोध किया है क्योंकि दुकानदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में दक्षिण-पूर्व अधिकरण द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) रायगडा और मुनीगुडा में दुकानों की कुल संख्या क्रमशः 178 और 100 है । सितम्बर 1980 तक लागू दरों के हिसाब से मंडल द्वारा प्रतिवर्ष 45,144 रुपये किराया वसूल किया जाता रहा है ।

(ग) रेलवे की भूमि 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई लाइसेंस के आधार पर दी गई है और पट्टे के आधार पर कोई भूमि नहीं दी गई है ।

(घ) इन दोनों स्थानों पर निश्चित किया गया लाइसेंस शुल्क इस प्रकार है :

स्टेशन का नाम	अक्तूबर 1980 से पहले प्रति 100 वर्ग फुट के लिए दरें	अक्तूबर 1980 से प्रति 100 वर्ग फुट के लिए लागू संशोधित दरें
रायगडा	11 रु०	35.20 रु०
मुनीगुडा	5.50 रु०	17.60 रु०

(ङ) जी हां।

(च) लाइसेंस-शुल्क में संशोधन (भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर) 1-10-1980 से किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए दुकान के मालिकों को यथोचित नोटिस पहले ही दे दिया गया था और उन्हें कह दिया गया था कि जब तक रेलवे के वित्त विभाग द्वारा दर का अन्तिम रूप से विनिश्चय नहीं कर लिया जाता, तब तक अक्तूबर 1980 से वे बढ़े हुए लाइसेंस-शुल्क का भुगतान करें। यद्यपि संशोधित दरों में परिवर्तन करने का रेलवे को कोई कारण नजर नहीं आता, तथापि रेलवे द्वारा अन्तिम औपचारिक विनिश्चय अभी संसूचित किया जाना है।

सुतावट और केलीमल स्टेशनों का चालू किया जाना

5331· **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के पांशकुड़ा-हल्दिया सैक्शन में सुतावट और केलीमल स्टेशनों का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के लोग उन को स्टेशन को तत्काल चालू करने के लिये माँग कर रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) यह एक आम मांग है। माननीय सदस्य से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) जब पांशकुड़ा-हल्दिया शाखा लाइन का निर्माण किया था, तब यह पाया गया कि जिन नौ पार-स्टेशनों को खोलने का प्रारम्भ में विचार किया गया था उन सभी को खोलने के लिए पर्याप्त यातायात नहीं है। अन्ततः यह निर्णय किया गया कि प्रारम्भ में इस खण्ड को केवल तीन स्टेशनों के साथ खोला जाये। सुताहाटा और केलोमल स्टेशनों उन स्टेशनों में से हैं जिन्हें फिलहाल न खोलने का निर्णय किया गया था।

साक्षरता का प्रतिशत

5332. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951 में साक्षरता की राज्य-वार प्रतिशतता कितनी है और 1981 में इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) शिक्षा में पिछले वर्ष राष्ट्रीय और राज्य-वार खर्च में कितनी वृद्धि हुई है और यह कुल बजट का कितना प्रतिशत है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन):

(क) विवरण संलग्न है—अनुबन्ध—I [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6268/83**]

(ख) विवरण संलग्न है—अनुबन्ध—II [**ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** [6268/83]

(ग) छठी योजना में सभी नागरिकों को उनकी आयु, लिंग और निवास पर ध्यान दिए बिना न्यूनतम अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया है । अतः उच्चतम प्राथमिकता प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने को दी गई, कार्यक्रम के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होगा।

(i) विद्यमान सुविधाओं का व्यापक उपयोग (ii) व्यवहार्य जनसंख्या वाले पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों में नई सुविधाओं की व्यवस्था। दाखिल न किए गए बच्चों और बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की अनौपचारिक पद्धति लागू की गई है। प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक तथा नवीन परियोजनाओं के लिए सहायता की एक केन्द्रीय प्रायोजित शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में शुरू की गई है।

15-35 वर्ष की आयु-वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों. के लाभ के लिए उत्तर साक्षरता योजनाओं द्वारा सहायता प्राप्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में कमजोर वर्गों जैसे कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और कृषि श्रमिकों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वालों को शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

बिना डिग्री/पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग कालेज वाले राज्य

5333. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार डिग्री और पोस्ट डिग्री इन्जीनियरिंग कालेजों के नाम और संख्या क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें राष्ट्रीय योजना और विकास के 30 वर्ष बाद एक भी कालेज नहीं हैं और इन मामले में इनकी उपेक्षा करने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नीति के मामले रूप में एक राज्य में कम-से-कम एक अथवा दो कालेज खोलना सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे राज्यों में चालू वर्ष में ही कालेज खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हमारे पास उपलब्ध अध्यतन सूचना के अनुसार, डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले अनुमोदित इन्जीनियरी कालेजों तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की संख्या 151 है। इनमें से 80 कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। राज्यवार संस्थाओं की संख्या तथा नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 6269/83]। इसके अतिरिक्त, 56 ऐसे इन्जीनियरी कालेज तथा प्रौद्योगिकी संस्थाएं हैं जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) ऐसे पांच राज्य अर्थात्, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा सिक्किम है जहां कोई इन्जीनियरी कालेज नहीं हैं।

नए इन्जीनियरी कालेजों की स्थापना के प्रस्ताव संबंधी राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाएंगे। तैयार किए गए प्रस्तावों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार जांच की जाती है, जिनमें उन राज्य सरकारों जिनके पास अपनी सुविधाएं नहीं हैं, के सम्बन्ध में उपयुक्त विचार करने की व्यवस्था है। इस समय हिमाचल प्रदेश में एक इन्जीनियरी कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है जो विचाराधीन है। अन्य राज्यों से भी जब कभी प्रस्ताव हुए तो उन पर विचार किया जाएगा।

राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) की डिस्पेंसरियों में और अधिक डाक्टरों की नियुक्ति

5334. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानल में पालम कालोनी स्थित डिस्पेंसरी संख्या 66 सहित, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) की सभी डिस्पेंसरियों में रोगियों के उपचार के लिए डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी डिस्पेंसरियों में और अधिक डाक्टर नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री, (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली में पालम कालोनी सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में चिकि-

तथा अधिकारियों और अन्य वर्ग के कर्मचारियों की कुछ कमी है। संघ लोक सेवा आयोग और रोजगार कार्यालय के माध्यम से कर्मचारियों को भर्ती करने के निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

वाहनों की परिचालन लागत (आपरेटिंग कोस्ट) और सड़क सतह के बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

5335. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए उस अध्ययन की जानकारी है जो इस संस्थान ने सड़कों पर वाहनों में टूटफूट होने, जिससे ईंधन की अधिक खपत होती है और परिचालन लागत तथा सड़क सतह के बीच संबंध के बारे में किया है;

(ख) अध्ययन के अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही शुरू किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की ओर से केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान ने सड़क ज्योमेट्रिक्स और सड़क के रूखड़ापन और गति के बारे में वाहनों की टूटफूट, वाहन प्रचालन खर्च और ईंधन खपत में बचत जैसे विभिन्न पहलुओं पर सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययन किया। अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने अब तक प्राप्त रिपोर्टों पर कोई निर्णय नहीं किया है।

आई डब्ल्यू टी पटना द्वारा पोतों की मरम्मत और अनुरक्षण

5336. **श्री रामावतार शास्त्री** : *क्या* **नौवहन और परिवहन मन्त्री** *यह बताने की कृपा* करेंगे कि :

(क) क्या आई डब्ल्यू टी पटना ने वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान पोतों की मरम्मत और अनुरक्षण पर लाखों रुपयों की भारी राशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या किसी भी मामले में, जिस में मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च हुए थे टेंडर मांगाने का नोटिस किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया;

(घ) क्या लगभग सभी मामलों में, कुछ को छोड़कर मरम्मत का कार्य एक ही पार्टी को दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सारे मामले की किसी उच्चाधिकारी से जांच कराने और दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, पटना ने जहाजों की मरम्मत पर जितनी राशि खर्च की, उसे नीचे बताया गया है :—

1979-80	1,61,846,00 रुपये
1980-81	4,88,478,00 रुपये
1981-82	4,44,961,00 रुपये
1982-83	3,80,881,00 रुपये

(ग) इस संबंध में फ्लोटिंग क्राफ्टों की मरम्मत के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के मोकामा स्थित फ्लोटिंग डाक का प्रयोग करने का अनुरोध करने की आम प्रथा है। यदि यह उपलब्ध नहीं होता है और समय कम होता है तो टेंडर आमन्त्रित किए जाते हैं। ऐसे टेंडर आमंत्रित करने के लिए नोटिस के माध्यम से विभिन्न फर्मों से आमंत्रित किए जाते हैं और इस नोटिस की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय पटना के सूचनापट पर लगा दी जाती है। डी०ए०वी०पी० के माध्यन से विज्ञापन जारी करने के लिए दर आमन्त्रिन करने का काम 1982 से फिर शुरू कर दिया गया है।

(घ) नहीं। एक से अधिक फर्म को जहाज के मरम्मत का काम सौंपा गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हावड़ा-मद्रास लाइन का विद्युतीकरण

5337. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खुर्दा होकर हावड़ा मद्रास रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) हावड़ा मद्रास रेल मार्ग और अन्य प्रमुख रेल मार्गों के विद्युतीकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मद्रास-विजयवाड़ा और हावड़ा-खड़गपुर खंड, जो हावड़ा-मद्रास मार्ग के भाग हैं, के विद्युतीकरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। निम्नलिखित मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य प्रत्येक के सामने दिखाये गये वर्षों के दौरान शुरू करने का कार्यक्रम बनाया गया है :—

(i) विजयवाड़ा-वात्तेरू	- 1985-86
(ii) खड़गपुर-खोरधा रोड	- 1987-88
(iii) खोरधा रोड वात्तेरू	- 1989-90

अन्य प्रमुख मार्गों के विद्युतीकरण का काम प्रगति पर है तथा प्रत्येक के सामने दिखायी गयी तिथियों तक उनके पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हुए :

(i) दिल्ली-बम्बई (पश्चिम रेलवे)	-	1985-86
(ii) दिल्ली-बम्बई (मध्य रेलवे)	-	1985-86
(iii) दिल्ली-मद्रास	-	1987-88

शुष्क गोदियों में सुधार

5338. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने बन्दरगाहों की शुष्क गोदियों के सुधार के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बन्दरगाहों पर इस प्रकार का सुधार कार्यक्रम शुरू किये जाने की आशा है; और

(ग) कार्यक्रम कब शुरू किये जाने की संभावना है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नहीं। सरकार जहाज मरम्मत के लिए 15 वर्षीय अग्रदर्शी-योजना के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

(ख) **चरण—I**

(I) कलकत्ता पोर्ट में डाक सहित जहाज मरम्मत सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव;

(II) बम्बई पोर्ट में ड्राईडाक सहित जहाज मरम्मत सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव;

चरण—II

(I) मुरगाँव—पोर्ट में वृद्धि करने का प्रस्ताव;

(II) विजाग पोर्ट में वृद्धि करने का प्रस्ताव;

(ग) कलकत्ता और बम्बई पोर्ट के कार्यक्रमों को छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाएगा। दूसरे पोर्टों में प्रमुख कार्यों को सांतवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाएगा।

समुद्री कानून पर हुए अभिसमय में सिंगापुर के प्रेजिडेन्ट द्वारा दिया गया सुझाव

5339. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमैका में हाल में समुद्री कानून पर हुए अभिसमय में सिंगापुर के प्रेजीडेंट श्री होमी कोह ने यह सुझाव दिया है कि विवादास्पद खनन दावे के निपटारे के लिए होने वाली वार्ता से संयुक्त राज्य अमरीका को अलग रखा जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) समुद्री कानून सम्मेलन के अध्यक्ष श्री होमी कोह के ऐसे किसी वक्तव्य की हमें जानकारी नहीं है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया है कि भविष्य में खनन सम्बन्धी विवादास्पद दावों के समाधान की वार्ता में अमरीका को शामिल न किया जाये। वस्तुतः इन दावों को अग्रणी निवेशकों को आपस में ही निपटाना चाहिए जिन्होंने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह के समाधान तथा इस बारे में लागू कानूनी अपेक्षाएं सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अग्रणी गतिविधियों से सम्बद्ध संकल्प में निहित हैं। यह अभिसमय लागू हो जाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण गहन समुद्र-तल खनन के लिए आवेदन-पत्रों पर उसी क्रम से विचार करेगा जिस क्रम से वे प्राप्त होंगे और वह बाद में ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं करेगा जिसका क्षेत्र किसी दूसरे आवेदन के क्षेत्र में पड़ता हो।

अध्यक्ष कोह ने 10 दिसम्बर, 1982 को जमैका में अधिवेशन में अपने समापन वक्तव्य में कहा कि :—

> "किसी भी राज्य द्वारा अभिसमय के बाहर गहन समुद्र तल के संसाधनों के खनन के किसी भी प्रयास की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सर्वव्यापी भर्त्सना की जाएगी और उसके गंभीर राजनीति एवं कानूनी परिणाम होंगे। सभी वक्ताओं ने अमरीका से हार्दिक अनुरोध किया है कि वह अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।"

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेलडांगा तथा सरगांछी-महुला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 को चौड़ा करना

5341. **श्री रेणुपद दास** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के एक तरफ से दूसरी तरफ तक की चौड़ाई की विशिष्टी क्या है;

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि बेलडांगा और सरगांछी महुला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 की कुछ किलोमीटर तक की चौड़ाई इतनी संकरी है कि जिससे वाहनों का आना-जाना बहुत कठिनाई से होता है; और

(ग) वाहनों के आने-जाने के लिए इसे कब तक चौड़ा किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक लेन वाले कैरज-वे की चौड़ाई 3.75 मीटर, दो लेन की चौड़ाई 7 मीटर और अतिरिक्त लेन बनाने पर प्रत्येक की चौड़ाई 3.5 मीटर होती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर बेलडांगा और सरगांछी के बीच लगभग 5 किलोमीटर भाग एक लेन कैरजवे है जिस पर हार्ड शोल्डर है। जैसी रिएलाइनमेंट की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इस भाग को अब तक चौड़ा नहीं किया गया है। धन की उपलब्धता और इस कार्य और सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1983-84 में इस भाग को चौड़ा किया जाएगा।

कुष्ठ रोगी पुनर्वास संवर्धन एककों की स्थापना की योजनाएं

5342. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगी पुनर्वास संवर्धन एककों की स्थापना के लिए योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के स्थानिकमारी वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुष्ठ रोग पुनर्वास संवर्धन यूनिटें खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुष्ठ रोग के स्थानिकमारी वाले विभिन्न राज्यों में ऐसी 15 यूनिटें खोलने का विचार है।

ये यूनिटें कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों को सर्जिकल प्रोस्थैरिक और व्यावसायिक सुविधायें प्रदान करेंगी। इन यूनिटों में उनके अंगों को ठीक करने के लिए सर्जरी की जायेगी ताकि कुष्ठ रोगी फिर से रोजी कमाने लायक होकर समाज में रह सकें।

महिलाओं और बच्चों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

5343. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :
श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और बच्चों के लिए बनाई गई नई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं पर छठी योजना की अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च होगी?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) और (ख) समाज कल्याण मन्त्रालय चालू वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए महिलाओं के लिए रोजगार और आय

पैदा करने वाले प्रशिक्षण व रोजगार व उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए सहायता का एक नया कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम नार्वेजियन एजेंसी फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से चलाया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को 47.97 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने हाल ही में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के घटक के रूप में विभिन्न राज्यों के 50 चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है विशेष प्रयासों और आवश्यक निवेशों के माध्यम से इस योजना को मजबूत बनाया गया है ताकि ग्रामीण महिलाएं सामान्य रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रम में और विशेष रूप से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में और अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 15.60 करोड़ रुपए है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर बांटा जाएगा। इसके अलावा योजना अवधि के दौरान यूनिसेफ 90 लाख डालर तक की नगद और उपकरणों की सहायता देकर सरकार के प्रयासों को मदद देगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक एक सहायक अनुदान की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को लाभ पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लागू करना है। छठी योजना के दौरान इस योजना को एक करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

बड़ी शक्तियों द्वारा परमाणु अस्त्रों में कटौती

5344. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 दिसम्बर, 1982 के "नेशनल हैरल्ड" में "यू० एस० एस० आर० गेनिंग एन वैपन्स मोनोपली" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को परमाणु अस्त्रों में कटौती के लिये सोवियत प्रस्ताव और प्रस्ताव से अमेरिका के सहमत/असहमत होने के सम्बन्ध में कोई सूचना है; और

(ग) भविष्य के खतरों को टालने के लिये दो बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु अस्त्रों में कटौती के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित खबरों के अनुसार, सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव किया है कि वह यूरोप में प्रतिस्थापित मध्यम श्रेणी के अपने प्राक्षेपिक अस्त्रों की संख्या घटाकर 162 कर देगा जोकि ब्रिटेन और फ्रांस के इस श्रेणी के कुल प्राक्षेपिक अस्त्रों की संख्या के बराबर है, बशर्ते कि संयुक्त राज्य अमरीका भी इस वर्ष के अन्त तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल अपने कुछ मित्र राष्ट्रों

के क्षेत्रों में 572 पर्शिंग II और क्रूज प्राक्षेपिक अस्त्रों की तैनाती सम्बन्धी अपनी योजना रद्द कर दे। संयुक्त राज्य अमरीका ने मूल रूप से इन आधारों पर सोवियत प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है कि सोवियत संघ (i) इसके द्वारा यूरोप में संयुक्त राज्य अमरीका को उसके मित्र राष्ट्रों से अलग करके नाटो को विघटित करना चाहता है और (ii) अमरीकी प्रतिस्थापना को इस तरह रोककर, यूरोप में जहां तक इस प्रकार के हथियारों की प्रतिस्थापना का प्रश्न है, सोवियत संघ को एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमरीका ने अपना तथाकथित जीरो विकल्प या जीरो-जीरो प्रस्ताव भी दोहराया है जिसमें कहा गया है कि यूरोप में नए प्रक्षेपणास्त्रों की प्रतिस्थापना की अमरीकी योजना पर अमल न करने के बदले में सोवियत संघ भू-स्थापित अपने सभी प्राक्षेपास्त्र हटा ले ताकि यूरोप से एक प्रकार के विशेष नाभिकीय अस्त्र तंत्र की समाप्ति हो जाए। संयुक्त राज्य अमरीका का कहना है कि खासतौर पर सोवियत संघ द्वारा एस एस-20 प्रक्षेपणास्त्रों की प्रतिस्थापना से ही शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सोवियत संघ ने अमरीका के इस तर्क का खंडन करते हुए कहा है कि यूरोप में अब भी शक्ति संतुलन स्थापित है और इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका केवल सैनिक बढ़त हासिल करना चाहता है न कि समानता।

(ग) अपने इस सिद्धान्त के अनुसार कि नाभिकीय हथियारों से मानवजाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है, जिसका समर्थन 1978 में आयोजित निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले विशेष अधिवेशन में, सर्वसम्मति से स्वीकृत अन्तिम दस्तावेज में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया गया था, भारत सरकार ने प्रस्ताव किया है कि सभी नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों के सभी प्रकार के नाभिकीय हथियारों पर तत्काल रोक लगा दी जाए, न कि केवल उन्हीं नाभिकीय हथियारों पर, जो कि इन दो प्रमुख नाभिकीय हथियार रखने वाली शक्तियों के पास हैं; ताकि ऐसे हथियार रखने वाले सभी राज्यों के शस्त्रागारों में रखे गए नाभिकीय हथियारों में कमी और फिर उन्हें पूर्णतया समाप्त किया जा सके। भारत सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि जब तक नाभिकीय हथियार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, तब तक किन्हीं भी हालात में नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल और उनके इस्तेमाल की धमकी देने की निषेध किया जाए।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने में राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

5345. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने में राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनसे ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई प्रभावशाली कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) :

(क) राज्य सरकारों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ग) राज्य सरकारें दो किस्म की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं, अर्थात

(I) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें

(II) राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित

राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

इन योजनाओं का उद्देश्य 300 केन्द्रों तक वाली प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं स्थापित करना है जिनमें एक अथवा दो समीपस्थ विकास ब्लाक शामिल हों । परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 30 व्यक्ति दाखिल करे । 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं में 19,68,594 नामांकनों सहित 69,415 केन्द्र और राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 1849,441, नामांकनों सहित 64,841 केन्द्र थे ।

आदिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं

5346. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औषधालय/अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में बनाई गई नीति के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मरीजों को अपनी बारी आने के लिये काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने जिससे प्रत्येक व्यक्ति कम से कम समय में चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सके और उसे अपनी बारी आने के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें आदिवासी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भी शामिल हैं, मैं एक साथ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों, दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा डिस्पैंसरियों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाकर प्रदान की जा रही हैं। जन जातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र स्थापित करने के प्रतिमान शिथिल कर दिए गये हैं। शिथिल किए गए इन प्रतिमानों के अनुसार 20,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जन जातीय इलाकों में 3000 की आबादी के लिए एक उप केन्द्र खोला जाएगा जबकि गैर जन जातीय इलाकों के लिए यह संख्या क्रमशः 30,000 और 5,000 है। इसके अलावा, एक गांव/1,000 आबादी के लिए एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड और एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था की जा रही है जो आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समेत ग्रामीण आबादी के घरों के नजदीक न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। जबकि उप-केन्द्र खोलना, स्वास्थ्य गाइड योजना तथा दाइयों का प्रशिक्षण शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं।

"सभी के लिए स्वास्थ्य" को सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण

5347. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सभी के लिए स्वास्थ्य" को सुनिश्चित करने के लिए सक्षर्वेण कराया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये सर्वेक्षण कराया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों से जहां ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) हालांकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य की देख-रेख और परिवार कल्याण की सुविधाएं देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों का जाल बिछा कर सन् 2000 ईसवी तक "सबके लिए स्वास्थ्य" सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

(ग) सभी सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए गए हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बिना आमंत्रण के निर्गुट सम्मेलन में भाग लेने नई दिल्ली आने वाले देश

5348. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री एन० ई० होरो : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देश हाल ही में निर्गुट सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में बिना उचित आमन्त्रण के ही नई दिल्ली आये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के हाल ही में सम्पन्न शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी, पिछली परम्परा के अनुसार मेजबान देश द्वारा दिए गए निमंत्रणों के आधार पर थी ।

लेकिन अपने आपको "चाड का प्रतिनिधि-मण्डल" कहने वाले पांच व्यक्तियों का एक दल 3 मार्च, 1983 की सुबह एयर फ्रांस के विमान से पालम हवाई अड्डे पर पहुंचा था । उनके पास भारत में प्रवेश के लिए वीजा नहीं थे, उनमें से तीन के पास तो यैलो फीवर टीका के अपेक्षित प्रमाण-पत्र भी नहीं थे ।

चूंकि ये व्यक्ति चाड सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, अतः उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई । वे हवाई अड्डे पर ही ठहरे रहे और उसी दिन शाम को लौट गए ।

मराठावाड़ा में रेल यातायात का अस्त-व्यस्त होना

5349. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठावाड़ा में रेल परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त धनराशि के विरोध में किये गये आन्दोलन से रेल यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके अस्त-व्यस्तता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने वहां के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) 26-2-83 को सं० 564/563 काचीगुडा-मनमाड और 565/566 पुरना-मनमाड इन चार गाड़ियों को रोका गया था जिसके कारण ये लगभग छः घंटे तक रुकी रहीं ।

(2) 27-2-83 को गाड़ी संख्या 349 हैदराबाद-परली पैसेंजर और 563 काचीगुडा-मनमाड पैसेंजर ये दो गाड़ियां 35 मिनट तक रुकी रही

(3) 28-2-83 को सं० 563/564 मनमाड-काचीगुडा पैसेंजर गाड़ियां और 565 पुरना-मनमाड पैसेंजर गाड़ियों को औरंगाबाद, दौलताबाद और चिक्ल थाना पर रोका गया जिसके परिणामस्वरूप ये लगभग 3½ घंटे तक रुकी रहीं।

(4) 3 दिन के इस आन्दोलन के दौरान लगभग 5,000 रु० की बिजली और यांत्रिक सम्बन्धी फ़िटिंगों, सवारी डिब्बों की क्षति हुई।

(ग) मनमाड से औरंगाबाद तक 114 कि० मी० लम्बे खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कार्य एक अनुमोदित निर्माण कार्य है। किन्तु संसाधनों की भारी तंगी के कारण अभी तक इस परियोजना को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो सका है। जब धन और अन्य संसाधनों की स्थिति में सुधार होगा, तो इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने पर यथावत ध्यान दिया जायेगा।

विदेशी कम्पनी को सुरंग बनाने का कार्य सौंपना

5350. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेट्रो रेलवे के लिए उत्तरी कलकत्ता के एक भाग में सुरंग बनाने का कार्य हंगरी के एक विशेषज्ञ दल को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्य के लिये स्वदेशी प्रौद्योगिकी मशीन और उपस्कर उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो एक विदेशी कम्पनी को इस काम के सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। हंगरी की मैसर्स निकेक्स, हंगेरियन ट्रेडिंग कं० नामक फर्म मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं० की, जिसे सुरंग बनाने बनाने का काम सौंपा गया है, केवल परामर्शदाता/सहयोगी कम्पनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एस० एस० टी० ई० (सी०) निजामुद्दीन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की आर० पी० एफ० में भर्ती

5351. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन में एस० एस० टी० ई० (सी०) के अन्तर्गत कार्यरत उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को आर० पी० एफ० में भर्ती करने के लिए भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान आर० पी० एफ० में कुल कितने कर्मचारी भर्ती किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई नहीं।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को दिल्ली सर्किल की सुरक्षा शाखा में तैनात करना

5352. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को दिल्ली सर्किल की सुरक्षा शाखा में इन्सपैक्टरों, सीनियर डी० एस० ओ०, ए० ओ० एस० (जीं) के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति के एक और कर्मचारी को ट्रैफिक इन्सपैक्टर के रूप में नियुक्त करने के आदेश फरवरी मास में जारी किए गए हैं, यदि हां, तो सुरक्षा शाखा में इस समय कुल कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी ट्रैफिक इन्सपैक्टर तथा अन्य इन्सपैक्टर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि सुरक्षा शाखा में सभी अनुसूचित जाति कर्मचारियों को नियुक्त किया जाये, यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार शीघ्र ही यह निर्णय करेगी कि एक ही जाति के सभी कर्मचारियों को एक ही शाखा में नियुक्त न किया जाए, और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, परन्तु तैनाती जाति के आधार पर न करके प्रशासन के हित में की जाती है।

(ख) जी, हां। अनुसूचित जाति के अधिकारियों, यातायात निरीक्षकों और अन्य निरीक्षकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

अधिकारी—2

निरीक्षक—6

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है। नियुक्तियां प्रशासनिक हित में की जाती हैं।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा मैसर्स मोहराम हरिजन सहकारी समिति लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5353. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** मोहराम नगर देहात

हरिजन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का एक्सप्रैस टूरिस्ट बस सर्विस के साथ बेनामी सौदे के बारे में 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा इस समिति के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : 5.1.1983 को सोसायटी का समापन कर दिया गया और दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया है। उसे निदेश दिया गया है कि वह परिसमापन प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर ले।

अधिवर्षता-प्राप्त अधिकारियों को सेवा-निवृत्त करने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री के निर्देश

5354. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिवर्षता-प्राप्त तथा पुनर्नियुक्त अधिकारियों को सेवा निवृत्ति करने सम्बन्धी हाल के प्रधान मन्त्री के निर्देश को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित दो स्वशासी निकायों पर लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में ऐसे कितने अधिकारियों को कार्य मुक्त किया गया है; और

(ग) कितने अधिकारियों को अत्यावश्यक मामले के रूप में सेवा में रहने दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी आधार क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) सेवा निवृत्ति की आयु के बाद अधिकारियों की बढ़ाई गई अवधि/पुनर्नियुक्कि समाप्त करने से सम्बन्धित प्रधान मंत्री के हाल के निर्देश शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संगठनों पर भी लागू कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में केवल दो अधिकारी-उप आयुक्त (प्रशासन) और एक सहायक पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं। मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मांग

5355. **ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा अपनी 97वीं वार्षिक बैठक में की गई मांगों को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस प्रकार का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेड क्रास, सेंट जान और संबंध संस्थाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले

5356. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, सेंट जान एसोसिएशन आदि को तब तक अपना वार्षिक अनुदान नहीं देती है जब तक ये इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं दे देती है; कि उनके किसी भी पदधारियों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामले लम्बित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इंडियन रेड क्रास सोसाइटी और सेंट जान एसोशियशन तथा अन्य ऐसी संस्थाओं को 1981-82 का अनुदान दिया है जब कि इन संस्थाओं के कुछ पद धारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) से (ग) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन जैसे संगठनों को वार्षिक अनुदान तभी दिए जाते हैं जब सम्बन्धित संस्थाओं से अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र मिल जाता है कि उनके हिसाब-किताब के अथवा उनकी संस्था के किसी पदाधिकारी के आचरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी तथा सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन को 1981-82 के दौरान अनुदान तभी दिए गये जब उक्त संस्थाओं ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उनके हिसाब-किताब के अथवा उनकी संस्था के किसी पदाधिकारी के आचरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

एक्युपंक्चर उपचार के लाभ

5357. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** :
श्री सूरज भान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां एक्युपंक्चर उपचार को मान्यता दी गई है;

(ख) क्या भारत में इस उपचार पद्धति द्वारा रोगियों को हो रहे लाभ का **कोई सर्वेक्षण** किया गया है;

(ग) क्या सरकार इसके लिए लाभ को प्रोत्साहन देना चाहती है और यदि हाँ, तो कैसे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) एक्युपंक्चर चीन, श्री लंका और अन्य प्रयोक्ता देशों में आमतौर से किन देशों में काफी प्रभावकारी हुआ है; और

(ङ) भारत में किन-किन शहरों में लोग एक्युपंक्चर उपचार का लाभ उठा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन, हांगकांग और श्री लंका में एक्युपंक्चर इलाज किया जा रहा है।

(ख) नहीं।

(ग) भारत सरकार ने अपने कुछेक अधिकारियों को एक्युपंक्चर में प्रशिक्षण लेने के लिए चीन भेजा था ताकि वे इस तकनीक के गुणावगुणों को समझ सकें।

(घ) इस मन्त्रालय के पास रोगों के इलाज पर एक्युपंक्चर की प्रभावकारिता के बारे में कोई सुनिश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक्युपंक्चर इलाज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, पांडिचेरी आदि जैसे अनेक स्थानों में उपलब्ध है।

'यूनेस्को' के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने वाला भारतीय राष्ट्रीय आयोग

5358. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनेस्को' के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने वाले भारतीय राष्ट्रीय आयोग को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किये जाने का विचार है जिससे इसे सरकार को उचित, स्वतन्त्र और निष्पक्ष सलाह देने हेतु सक्षम बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नपत्रों का परीक्षा से पूर्व ही पता लग जाना

5359. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री एन० ई० होरो :

श्री बी० बी० देसाई : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि इस वर्ष अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंग्रेजी और गणित के प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही पता लग गया था;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष की परीक्षा प्रश्नपत्रों के परीक्षा से पहले ही पता लग जाने के कई मामले हुए थे; और

(ग) किस स्तर पर इन प्रश्नपत्रों का परीक्षा से पूर्व पता लगा और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के०थुंगन) (क) जी नहीं।

(ख) पिछले साल अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के तीन विषयों के प्रश्नपत्रों का पहले पता लग गया था।

(ग) पिछले साल जिन प्रश्नपत्रों का पता पहले लग गया था, उसकी जाँच की जा रही है। इस वर्ष प्रश्नपत्रों का पहले से पता लग जाने के सम्भावित कारणों की भी जाँच हो रही है। पिछले साल प्रश्नपत्रों का पहले से पता लग जाने के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उन लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी जो इस वर्ष प्रश्नपत्रों का पहले से पता लग जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये जाएंगे।

न्यूयार्क से "फ्यूजन" पत्रिका का आयात

5360. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क के फ्यूजन एनर्जी फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित "फ्यूजन" नामक पत्रिका का भारत में बिक्री के लिए आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पत्रिका की नीति की जांच की गई है;

(ग) इसकी राजनीतिक सम्बद्धता क्या है;

(घ) इस पत्रिका के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक कौन-कौन हैं; और

(ङ) क्या इसके मुद्रक और प्रकाशक हाल में भारत आए थे, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है अर्थात् उनके नाम और ओहदे आदि क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी हां। मूल्य देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है और सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इसकी 500 से कुछ कम प्रतियां भारत में मंगायी जाती हैं। इस पत्र की घोषित नीति "उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नीतियों के बारे में सही-सही और व्यापक सूचना" देना और "अमरीका के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक नेतृत्व की पुनर्स्थापना" करना है। यह इस मत का प्रतिपादन करता है कि "ताप-नाभिकीय आतंक के युग का अन्त करने का एक मात्र सम्भव तरीका यही है कि नाभिकीय

प्रक्षेपास्त्रों को मध्य उड़ान में ही नष्ट कर देने के लिए किरण अस्त्र प्रौद्योगिकी विकसित की जाए" इसके घोषित लक्ष्यों से ऐसा लगता है कि सैद्धान्तिक स्तर पर यह नाभिकीय शस्त्रास्त्र के फैलाव पर जहां का तहां रोक देने का समर्थन करने वालों के विरुद्ध है।

(घ) यह संयुक्त राज्य अमरीका में फ्यूजन एनर्जी फाउन्डेशन, न्यूयार्क द्वारा छापी जाती है। इसके सम्पादकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) इस पत्र के अनुसन्धान निदेशक कम से कम तीन बार भारत आ चुके हैं जिसमें 1981 के उत्तरार्द्ध में उनकी यात्रा भी शामिल है जबकि वे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अतिथि के रूप में आए थे।

विवरण

फ्यूजन के सम्पादकीय स्टाक के सदस्य

1. डा० स्टीफन बर्डवैल, प्रमुख सम्पादक।
2. मार्जोरी मजेल हेच, प्रबन्ध-सम्पादक।
3. लीडिया डिटलर शूलमेन, सहायक प्रबन्ध सम्पादक।
4. चार्ल्स बी० स्टीवेन्स, फ्यूजन टेक्नालाजी सम्पादक।
5. मार्शा फ्री मैन, वाशिंगटन सम्पादक।
6. कैरोल क्लीयरी जैविकी सम्पादक।
7. विलियम एंगदल, ऊर्जा सम्पादक।
8. डेविड चेरी, पुस्तक सम्पादक।
9. कार्लोस डी० होयोस, फोटो सम्पादक।
10. एलेन यू०, कला निदेशक।

भ्रष्टाचार उन्मूलन

5361. **श्री सुभाष यादव** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में कार्यकरण को सुधारने तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : प्रधानमन्त्री के निर्देशों तथा गृह मन्त्रालय द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का भी इस मन्त्रालय द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

'यूनेस्को' द्वारा दी गई धनराशि

5362. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को द्वारा कितनी धनराशि दी गई और आई० एन० सी० के माध्यम से वितरित की गई; और

(ख) धन का प्रयोग किस प्रयोजन हेतु किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को से प्राप्त तथा भारतीय राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से वितरित वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रयोजन जिसके लिए इसका उपयोग किया गया, संलग्न विवरण में देखने की कृपा करें (अनुबन्ध)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6270/83]

राजधानी कालेज के प्रधानाध्यापक का चुनाव

5363. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुलशेर अहमद : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी कालेज के प्रधानाध्यापक का चुनाव करने के लिए 1 सितम्बर, 1982 को साक्षात्कार लिए गए थे परन्तु अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदाई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कालेज के शासकीय निकाय ने चयन समिति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम निर्देशित व्यक्तियों के विचारों/सिफारिशों की उपेक्षा की थी जो नियमों और प्रक्रिया के विरुद्ध है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) चुनाव के विषय में किस समय तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ङ) दिल्ली में इस समय कितने कालेजों में शासकीय निकाय नहीं है और उसके कारण क्या हैं तथा इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली में कालेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति कालेज के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अध्यादेश XI/III (7) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाती है। इस अध्यादेश के अनुसार चयन समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय को भेजनी होती हैं, जो चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करने के बाद उन व्यक्तियों के नाम बताएगा जिनको विश्वविद्यालय प्रधानाचार्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सूचित की गई व्यक्तियों की सूची में से नियुक्ति की जाती है। अध्यादेश में

ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि चयन समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत होनी चाहिए। दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि राजधानी कालेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक 1 सितम्बर, 1982 को हुई थी, फिर भी सिफारिशें विश्वविद्यालय को विचारार्थ अभी तक नहीं भेजी गई हैं जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अध्यादेश XI/II (7) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

(घ) चयन समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय को उपलब्ध होते ही प्रधानाचार्य के अन्तिम चयन तथा नियुक्ति के लिए उन पर कार्यवाई की जायेगी।

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रायोजित 15 कालेज हैं। इन कालेजों के शासकीय निकायों के सदस्यों का कार्यकाल 13 जनवरी, 1983 को समाप्त हो गया। नए शासकीय निकायों का अभी तक गठन नहीं किया गया है।

शिक्षास्तर (स्टैंडर्ड) को बनाये रखना

5364. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शिक्षा के स्तर को बनाये रखने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों का इस प्रयोजन हेतु केन्द्र द्वारा क्या नीति निर्देश भेजे गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) संविधान के सातवें अनुच्छेद में संघ सूची की प्रविष्टि 66 के अनुसार विश्वविद्यालयों में स्तरों के निर्धारण और समन्वय की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को दी गई है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए 1956 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया गया था। अपने सांविधिक कार्यों के अनुसरण में आयोग विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में सभी विश्वविद्यालयों को सामान्यता मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी करता रहा है। आयोग विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षाएं और अनुसंधान के स्तरों में सुधार करने के लिए तैयार किये गये विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता रहा है।

आयोग द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं में, जो विश्वविद्यालयों को उपलब्ध की गई हैं, विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु और स्तर अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यताएं, परीक्षा तथा मूल्यांकन की पद्धतियां, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन इत्यादि जैसे व्यापक विषय शामिल हैं।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र मूल रूप से प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक शिक्षा पद्धति से

सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करती है जिसका राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाई जा सकती है। अनुपालन किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा और अध्यापक शिक्षा दोनों के लिए आदर्श पाठ्यचर्या, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों विश्वविद्यालयों को उनके विचारार्थ परिचालित की गई हैं।

श्री आंद्रोपोव के साथ प्रधान मन्त्री की भेंट

5365. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1982 के बिजनेस स्टेंडर्ड में "पी० एम० टू मीट आन्द्रोपोव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ की यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री की श्री आंद्रोपोव के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं और दोनों ओर से वार्ता के दौरान उपस्थित सहायकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या श्री यूरी आन्द्रोपोव के निकट भविष्य में भारत की यात्रा करने की सम्भावना है और यदि हां; तो कब ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार ने इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार पर गौर किया है। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वर्गीय राष्ट्रपति ब्रेजनेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 14-15 नवम्बर, 1982 को मास्को गई थीं। प्रधान मन्त्री अपनी इस यात्रा के दौरान सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी को केन्द्रीय समिति के नव-निर्वाचित महासचिव श्री वाई० वी० आंद्रोपोव से मिली थीं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी अन्य अधिकारियों सहित, दोनों नेताओं की बैठक में भाग लिया जो सौहार्द और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई। द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर विचार-विमर्श हुआ और दोनों देशों के बीच शानदार सम्बन्धों की पुनः पुष्टि की गई। सोवियत पक्ष ने दिवंगत राष्ट्रपति ब्रेजनेव के प्रति प्रदर्शित सम्मान के लिए प्रधान मंत्री और भारत के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। प्रधान मन्त्री ने श्री आन्द्रोपोव को भारत आने का निमंत्रण दिया। वह निमन्त्रण सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीद है कि यह यात्रा परस्पर सुविधाजनक तारीख को होगी।

भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रधान मन्त्री के निर्देश

5366. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार काम काज में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के लिए और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : विदेश मन्त्रालय में साभान्य कार्यक्षमता,

समय-पाबन्दी, सफाई, कार्य के शीघ्र निपटान और अतिथियों के प्रति शिष्टाचार के बारे में सरकार के स्थाई आदेशों का पालन करता रहा है। प्रधान मन्त्री के हाल के निर्देशों के बाद ये अनुदेश सभी कर्मचारियों को पुनः दिए गए हैं। कार्यालयों और अनुभागों की समय-समय पर जांच और निरीक्षण भी किया जाता है ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि निर्धारित सरकारी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। विदेश सेवा निरीक्षक, जिनमें विदेश और वित्त मन्त्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, विदेश स्थित हमारे मिशनों का भी दौरा करते रहे हैं।

इस मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में एक स्थाई तंत्र भी है। उसका कार्य यह सुनिश्चय करना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी सरकारी हैसियत का अनुचित लाभ न उठाए।

परमाणु सामग्री का गैर-शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करना

5367. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पाकिस्तान में परमाणु सामग्री का उपयोग गैर-शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए होने की बात से इनकार करने अथवा उसकी पुष्टि करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी;

(ख) क्या सरकार ने दिनांक 18-12-82 को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के निदेशक द्वारा नई दिल्ली के एक प्रेस सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य की जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन समाचारों के अनुसार पाकिस्तान उक्त सामग्री का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है और करता रहेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें भारत की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो जायेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार को इन खबरों की जानकारी है कि नई दिल्ली में हुए एक प्रेस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हन्स ब्लिक्स के महानिदेशक ने कहा था कि इस समय न तो हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस सामग्री का उपयोग अस्त्रों के उद्देश्यों के लिए कर रहा है और न हम अन्यथा ही कह सकते हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार इस मामले पर निरन्तर निगाह रख रही है ताकि भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितों की हिफाजत हो सके।

आयुर्वेदिक औषधि "सल्लाकी" का विपणन

5368. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सल्लाकी नामक आयुर्वेदिक औषधि का अधिकारियों की उचित अनुमति से विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि का विषाक्तता सम्बन्धी पर्याप्त परीक्षण कर लिया गया है; और

(ग) यह परीक्षण कि प्राधिकारी ने किया है तथा इस औषधि के विपणन के लिए किस प्राधिकारी ने अनुमति प्रदान की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) और (ग) निदेशक, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात राज्य ने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह पर कि यह दवाई एक प्रमाणिक आयुर्वेदिक दवाई है, "सल्लाकी" गोलियों को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बेचने के लिए निर्माण करने का लाइसेंस दिया है। इस दवाई की तरह जिन दवाइयों में रसायनिक सत्व इस्तेमाल नहीं नहीं किये जाते उनके तथा विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के मामलों में विषाक्तता—परीक्षण आवश्यक नहीं समझे जाते।

कुत्ते के काटे के इलाज के लिए औषधियों की कमी

5369. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुत्ते के काटे के इलाज के लिए अपेक्षित औषधियों का देश में पर्याप्त निर्माण किया जा रहा है यदि नहीं, तो कितनी मात्रा में और किस स्थान पर उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में प्रयुक्त औषधियों की कमी के कारण ये औषधियां जिला अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ख) मध्य प्रदेश में एन्टीरेबीज वैक्सीन की कमी के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

एन्टी रेबीज वैक्सीन का बतलाया गया उत्पादन (मि० लि० लाखों में)

1978-79 से 1981-82 तक

क्रम सं०	संस्थान	स्थापित क्षमता	उत्पादन 1978-79	1979-80	1980-81	** 1981-82
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	55.00	29.32	39.69	44.30	56.00
2.	हफकिन बायोफार्मोस्युटिकलस कारपोरेशन, बम्बई	80.00	67.69	56.09	61.45	अप्राप्त

3.	पास्च्चूर संस्थान, कलकत्ता	25.00	32.89	33.03	4.78	अप्राप्त
4.	" " कुनूर*	48.00	61.58	61.10	51.64	49 73
5.	" " शिलांग	20.00	12.09	13.72	16.03	12.64
6.	जन स्वास्थ्य संस्थान, त्रिवेन्द्रम	25.00	21.96	23.89	22.09	अप्राप्त
7.	राज्य वैक्सीन संस्थान, पटवदेनगर	22.00	26.04	22.66	23.86	"
8.	वैक्सीन इंस्टीट्यूट, नामकुम	23.00	21.59	24.30	27.84	"
9.	" " बेलगांव*	10.00	कुछ नहीं	0.69	4.50	"
10.	" " बड़ौदा	48.00	53.48	51.81	61.82	90.16
11.	किंग इस्टीट्यूट गुण्डी	5.00	0.05	0.23	1.90	अप्राप्त
12.	इस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मैंडिसिन, हैदराबाद *	25.00	2.58	10.68	20.82	29.72
	योग	386.00	329.27	340.89	341.03	238.51

* बी० पी० एल० इन्एक्टीवेटिड ।

** आंकड़े अनन्तिम हैं ।

उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता

53¯0. **श्री के० प्रधानी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता के प्रतिशत और राज्य प्रतिशत के सम्बन्ध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य सरकार अपने संसाधनों में से व्यय को पूरा करने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की स्थिति का अध्ययन प्रत्येक दस वर्षों बाद जनगणना संचालन के माध्यम से किया जाता है। 1981 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में सामान्य जनता और अनुसूचित जनजाति की जनता में साक्षरता की अस्थाई प्रतिशतता क्रमश: 34.23 और 13.96 है ।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने उड़ीसा की जनजाति उप-योजना में, शिक्षा क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान

800 लाख रूपए का आवंटन अनुमोदित किया है। उड़ीसा को 1980-83 के दौरान 556.90 लाख रूपए की राशि मुक्त की गई है और 1983-84 के लिए 190 लाख रुपए अस्थायी रूप से निर्धारित किए गए हैं।

घटिया किस्म के दुग्ध आहार का उत्पादन

5371. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले लाये गये हैं कि देश में विभिन्न दुग्ध आहार उत्पादक कम्पनियों द्वारा घटिया किस्म के दुग्ध आहार का उत्पादन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है और कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 **मध्याह्न**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) कब प्रधान मन्त्री ने सदन को गुमराह किया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक इम्पार्टेन्ट समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सदन में मण्डल कमीशन पर एक बार बहस हो चुकी है। सरकार ने बार-बार यह कहा है कि हम मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में स्टेट गवर्मेन्ट से ओपीनीयन मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : 4 तारीख को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है। उसमें बीस सूत्रीय कार्यक्रम रखा गया है लेकिन मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मण्डल कमीशन के बारे में क्या मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कब प्रधान मंत्री जी ने सदन में कहा कि···

अध्क्षय महोदय : विदेश मन्त्री एक वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : ध्यानाकर्षण के बाद नहीं। विदेश मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं। आप उनसे अभी देने के लिए कह सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): विदेश मंत्री के वक्तव्य देने से पूर्व श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर यह कहना चाहते थे कि कल श्रीमती गाँधी ने इस बात से साफ इन्कार किया था कि श्री नारायण ने मानवधिकार समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थिति हुए थे। प्रधान मंत्री ने यह कैसे कहा था कि वह उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : देश में केरल, तमिलनाडु और सभी जगह मोटे चावल की कमी है। यहां हम कई दिनों से बहस भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की एक फर्म ने मोटा चावल बासमती के रूप में 80 हजार मीट्रिक टन विदेशों को सप्लाई कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप में दें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : प्राइवेट एजेन्सी से जांच कराकर बाहर भेज दिया जबकि यह काम सरकारी एजेन्सी द्वारा होना चाहिए था। इस फर्म ने 24-25 करोड़ रुपए बना लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखकर दिया है या नहीं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कालिंग अटेंशन दिया है।**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने कई एडजार्नमेंट मोशन रिपीटेडली कई बार दिए हैं। हरिजनों पर बढ़ते अत्याचार। एस० सी० एस० टी० कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस यदि आप करा दें तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी डिमान्स आ रही है, बाद में देख लेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : एस० सी० एस० टी० कमिश्नर की रिपोर्ट पर क्या बहस करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ न कुछ करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : जे० एन० यू० के सम्बन्ध में करवा लीजिए।

अध्क्षय महोदय : सारी बातें एक साथ नहीं किया करते।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : आज से कुछ महीने पहले बाजार में चने का भाव 275-280 रुपये क्विंटल चल रहा था। पिछले 10-12 दिनों से मन्डियों के अन्दर चने आने शुरू हो गए हैं लेकिन उसका भाव 180 रुपये क्विंटल से भी नीचे चला गया है। जो सपोर्ट प्राइस थी उससे भी कम है। सरकार ने अभी तक चने का सपोर्ट प्राइस घोषित नहीं किया है। यह देखा

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

गया है कि जब-जब भी किसान के पास अनाज आता है तो बाजार में चने के भाव गिर जाते हैं। जब किसान अपना बाजार का माल बेच देता तो मन्डियों में भाव बढ़ जाते हैं। इस प्रकार का अनुचित लाभ उठाया जाता है आज चने का भाव 180 रुपये से भी कम होता जा रहा है। दुख इस बात का है कि सरकार ने आज तक सपोर्ट प्राइस घोषित नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आपने लिख कर दिया है मुझे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो गंदुम की भी प्राइस आनी है, अनाउन्स होनी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लास्ट टाइम मे भी कम कीमत हो गई है चने की।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, इसे नोट कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मूधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आज न्यूजपेपर्स में आया है कि यवतमाल में 16 माइनर आदिवासी लड़कियों के साथ रेप किया गया है···

अध्यक्ष महोदय : दैट इज ए स्टेट सबजेक्ट। हम डिस्कशन में लेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप कैसे कह सकते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है ? यह आदिवासियों के बारे में है। यह स्टेट सबजेक्ट नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यह स्टेट सबजेक्ट नहीं है। जनजाति-औरतों के साथ बलात्कार किया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव : आप यह कैसे कह सकते हैं कि स्टेट सबजेक्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : सरकार को एक रिपोर्ट मिली है कि राजदूत नारायणन समिति के कुछ चुने हुए सदस्यों से मिले थे···

अध्यक्ष महोदय : अभी थोड़ी देर में पता चल जायेगा। आप बैठिये।

श्री नीरेन घोष : उसे एक सम्वाददाता सम्मेलन बुलाना चाहिए था (**व्यवधान**) किन्तु दूसरे समाचारपत्र ने लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : अध्यक्ष जी, आप किसानों की बात सुन लें। गेहूं और चने की प्राइस अभी तक घोषित नहीं हुई है ··

अध्यक्ष महोदय : कह तो दिया मैंने, और कैसे कहूं।

श्री चतुर्भुज : आप बाध्य करें इनको।

अध्यक्ष महोदय : बाध्य करेंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अवैध खनन के कारण धनबाद में बहुत से खनिकों की मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दो भाई।

श्री ए० के० राय : मैं आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पहले ही दे चुका हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, चावल के घोटाले पर बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लिखकर दे दिया है मैंने।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री शिव शंकर।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने औबजेक्शन लिया है।

अध्यय महोदय : आप बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमारे इस पर चार पाइन्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहला नाम हरिकेश का है और आपका नाम बाद में है।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो नोटिफिकेशन रख रहे हैं इसके बारे में हमारा कहना है कि इतनी बहस भी हो चुकी है संसद में, इस हाउस में भी और दूसरे सदन में भी, सारी बहस के बावजूद आज भी यह पाया जा रहा है कि मिट्टी का तेल कहीं अवेलएबिल नहीं है, खासतौर से गांवों में 4, 5 महीने से नहीं मिल रहा है। वैसें डिस्ट्रिब्यूशन का मामला स्टेट का है, लेकिन अफसोस यह है कि दाम तो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस प्रकार का नोटिफिकेशन भी आता है, सारा देश मजबूर होकर उसको स्वीकार करता है। और सरकार ने 5 बार दाम बढ़ाये हैं 1980 से आज तक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जिसमें केरोसिन आयल, डीजल, मिट्टी का तेल, फर्टिलाइजर्स आदि शामिल हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो यह कीमत बढ़ायी गई है। एक तो इस कीमत को कम से कम मिट्टी के तेल के मामले में फौरन वापस लेना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई आपत्ति है? यह कोई आपत्ति नहीं है। आपको इस वक्त ज्ञान होना चाहिए मन्त्री तो चले गए हैं, दोनों तरफ से सुरक्षा मन्त्रियों से घिरे हुए थे।

श्री हरिकेश बहादुर : दाम बढ़ाना जनहित के विपरीत जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। नियम विरुद्ध है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : 4, 5 रु० एक मिट्टी के तेल के बोतल के दाम हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। यह नियमों के अनुसार नहीं है जो आप इसे उठा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : जो पुरानी कीमत है वही लागू रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नियम विरुद्ध है। बात ठीक ढंग से नहीं उठाई गई है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम हमारा प्रोसीजर के सम्बन्ध में निवेदन है। मैं आपकी रूलिंग की ओर पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने बार-बार इस सदन में कहा है कि जब बजट सत्र चल रहा हो या शुरू होने वाला हो तो कोई भी आर्डिनेंस और खास कर के जिससे आप लोगों की परेशानी बढ़े, टैक्स लगे, ऐसे आर्डिनेंस नहीं लाने चाहियें। लेकिन आपकी रूलिंग और बार-बार कहने के बाद भी दाम बढ़ाते चले गये। और मंत्री महोदय जब चाहते हैं तब आर्डिनेंस के द्वारा बजट सेशन के पूर्व या सत्र के दौरान दाम में वृद्धि करते हैं और फिर यह कहा जाता है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। यह इसी तरह का नोटिफिकेशन है कि उस समय में दाम बढ़ाने का काम किया गया जिसके कि बजट द्वारा किया जा सकता था। क्योंकि बजट पूरे देश का नक्शा रखता है, सब चीजों को सामने रखता है कि कितनी आय है और कितना व्यय है, लेकिन इसे मंत्री महोदय ने अलग तरीके से किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटे हैं तो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी बात आ गई जो यहां दाम बढ़ाने का कारोबार हुआ ?

इधर इन्होंने दाम बढ़ाये और उधर कैरोसिन तेल मार्किट से गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि पूंजीपति और सरकार सांठ-गांठ में हैं पूंजीपति यह जानता है कि कब दाम बढ़ने वाला है, वह सब होर्डिंग कर लेता है। इसका मतलब है कि सरकार की मशीनरी और पूंजीपति दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं।

मैं रांची में गया था, आज वहाँ 20 रुपये लिटर पर भी तेल नहीं मिल रहा है। आज कामन-मैन की जरूरत को देखते हुए, यह नोटिफिकेशन आपकी रूलिंग के विपरीत हुआ है इसलिये इसको टेबल पर रखने की इजाजत न दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ कहना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैंने सोचा मैं सभा पटल पर पत्र रख चुका हूं।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री महोदय ने हमारी बात को सुना नहीं। स्पीकर साहब की रूलिंग थी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1983, जो 18 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 275 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) पेट्रोलियम उत्पाद (पूर्ति और वितरण) दूसरा संशोधन आदेश, 1983, जो 18 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 276 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6226/83]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वित्तीय प्राक्कलन तथा कार्य निष्पादन बजट

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वित्तीय प्राक्कलनों तथा कार्य निष्पादन बजट की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6227/83]

तोषण निधि (संशोधन) स्कीम, 1983, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1981-82 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 109ग की उपधारा (3) के अंतर्गत तोषण निधि (संशोधन) स्कीम, 1983 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 168 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6228/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित की लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6229/83]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे आदि, विश्व-भारती, शाँतिनिकेतन का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, आदि

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : मैं, श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 35 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रन्थालय रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०-6230/83]

(3) (एक) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(दो) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०-6231/83]

(5) (एक) राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी, फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 6232/83]

(1) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०6233/83]

(8) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के लेखे तथा लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6233/83]

(9) (एक) सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6234/83]

(11) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी 6235/83]

(13) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6236/83]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1983
(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983
(3) निनियोग विधेयक, 1983
(4) विनियोग (संख्याँक 2) विधेयक, 1983
(5) निनियोग (रेल) विधेयक, 1983
(6) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1983
(7) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1983

———

लोक लेखा समिति

127वां और 128वां प्रतिवेदन

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) काफी बोर्ड के बारे में 127वां प्रतिवेदन।

(2) खोई हुई सम्पत्ति के कार्यालयों के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 128वां प्रतिवेदन।

———

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० वी० नरसिंह राव।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, पहले वक्तव्य दिया जायेगा या ध्यानाकर्षण लिया जाएगा ?

———

समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार के बारे में वक्तव्य कि वाशिंगटन में भारत के राजदूत संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस की एक समिति के समक्ष साक्ष्य देने गये

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : माननीय सदस्यों ने 28 मार्च के टाइम्स आफ इंडिया में छपी उस खबर को देखा होगा जिसमें यह बताया गया है कि वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत अमरीका की प्रतिनिधि सभा की मानवाधिकार उपसमिति के समक्ष उपस्थित हुए

थे। जैसा कि हमारे राजदूत ने स्वयं बताया है कि कोई भी राजदूत विदेशी विधान सभा की किसी भी समिति के समक्ष न तो उपस्थित हो सकता है और न ही उपस्थित होगा। हमारे राजदूत ने हमें यह सूचित किया है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी और वह किसी भी समिति की बैठक में अनौपचारिक रूप से भी शामिल नहीं हुए थे। हमारे राजदूत 24 मार्च को कैपिटल हिल में कांग्रेस के कुछ सदस्यों और उसके कुछ अधिकारियों से अनौपचारिक रूप से अवश्य मिले थे। उनके साथ राजदूतावास के कुछ अधिकारी भी थे। वहां उपस्थित कांग्रेस के पांच सदस्यों में से सिर्फ कैलिफोर्निया के लेविन, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार उप समिति से सम्बद्ध हैं। कांग्रेस के जिन अन्य सदस्यों ने राजदूत से मुलाकात की थी उनके नाम हैं श्री स्टीफ़न सोलार्ज, श्री टेड वेस्स, श्री मेरविन डीमेली और श्री काकेटे। ये सब विदेशी सम्बन्ध समिति अथवा इसकी एशियाई और प्रशान्त सम्बन्ध उप-समिति के सदस्य हैं।

वाशिंगटन में किसी भी राजदूत के लिए यह एक सामान्य प्रथा है कि वह कांग्रेस के सदस्यों से मिले, उनके साथ विचार-विमर्श करे, उन्हें पृष्ठभूमि सम्बन्धी सूचना प्रदान करे और इसके साथ ही उन्हें समसामयिक विषयों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दे। इसी प्रथा के अनुसार हमारे राजदूत, उपयुक्त अवसरों पर कांग्रेस के सदस्यों से अनौपचारिक रूप से मिलते रहे हैं ताकि उन्हें भारतीय नीतियों और घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। उदाहरण के लिए, कांग्रेस में जब पाकिस्तान को हथियार देने के सवाल पर बहस हो रही थी तो उन्होंने कैपिटल हिल में इस विषय पर कांग्रेस के सदस्यों के साथ भारत के दृष्टिकोण के बारे में विचार-विमर्श किया था। भारत के महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारियों की अमरीका-यात्रा के मौके पर भी कई बार इस प्रकार के अनौपचारिक विचार-विमर्श किए जाते हैं। दरअसल, हम अपने राजदूत को प्रमुख मसलों पर स्वयं आधार सामग्री भेजते हैं ताकि वे इस प्रकार का विचार-विमर्श कर सकें और वे जिनके साथ इस प्रकार की बातचीत करते हैं उनकी प्रतिक्रिया के बारे में हमें रिपोर्ट भेजें।

24 मार्च की मुलाकात में हमारे राजदूत ने वहां मौजूद कांग्रेस के सदस्यों को असम समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, असम की घटनाओं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया था स्वाभाविक है कि उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया।

वाशिंगटन में हमारे राजदूत के पूर्णतया वैध, सामान्य और आवश्यक क्रियाकलाप को "टाइम्स आफ इंडिया" में इस तरह पेश किया गया है जो कि वास्तविक तथ्यों के विपरीत हैं। इसलिए, मैं सदन के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अटकबाजी या सन्देह न रहे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे दो प्रश्न पूछने दीजिए। आप चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जरा रुकिए। आप मुझे सुनिए। यदि आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो आप चर्चा के लिए सूचना दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप चर्चा करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रथा का अनुसरण कीजिए। अब ध्यानाकर्षण किया जायेगा, श्रीमती सुखबन्स कौर। (**व्यवधान**) आप नियमों के अनुसार मुझ से कहिए। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दूंगा। वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जा सकता है।

(**व्यवधान**)*

चर्चा होने पर ही आप इसका उल्लेख कर सकते हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)*

अनुमति नहीं दी जाती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या ऐसे मामलों पर बहस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरे सदन में······

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। उसका उद्धरण मत करिये। मैं अपने सदन के नियमों का अनुसरण कर रहा हूं। नियमों का उल्लंघन करना मुझे कतई मंजूर नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस मामले में एक्सेप्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में लम्बी बहस की जरूरत नहीं है। थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिद्धान्त से विचलित नहीं होता हू।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपका सिद्धान्त क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा सिद्धान्त नियमों का अनुसरण करना है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

श्रीमती सुखबन्स कौर।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपका इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

*कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों से है जो मुझे निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दिये हैं। उन्होंने मुझे संहिता और नियम दिये हैं। और किसी ने नहीं दिये हैं।

(**व्यवधान**)*

बैठ जाईये। कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। श्री राजदा, आप नियम जानते हैं। पुस्तक पढ़कर मेरे पास आइये। नियमों के अन्तर्गत कोई समस्या नहीं है। नियम-बाह्य समस्या है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : नियमों के अनुसार, औचित्य का उल्लंघन किया गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं नियम जानता हूं जो सीधा तथा सरल है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : सभा जानना चाहेंगे कि क्या राजनयिक औचित्य का उल्लंघन किया गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो विचार-विमर्श के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नियम सरल व सीधा है। मैं सदैव नियमों का अनुसरण करता हूं। आप भी नियमों का अनुसरण कीजिए। (**व्यवधान**) चिल्लाइये मत।

श्रीमती सुखबन्स कौर।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उग्रवादियों, प्रतिक्रियावादी तत्वों और धर्मान्ध लोगों की आतंककारी गतिविधियों में कथित वृद्धि के कारण पंजाब में शान्ति का भंग होना

श्रीमती सुखबन्स कौर (गुरदासपुर) : मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "उग्रवादियों, प्रतिक्रियावादी तत्वों तथा धर्मान्ध लोगों की आतंककारी गतिविधियों में कथित वृद्धि, जिनके कारण पंजाब में विभिन्न स्थानों पर निर्दोष व्यक्तियों को गोली से मार दिये जाने से वहां शान्ति भंग हो गई है, तथा देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए इस संकट का सामना करने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, सरकार 21 मार्च, 1983 से पंजाब और चण्डीगढ़ में हुई हाल की घटनाओं से अत्यधिक विकल और चिन्तित है। इन घटनाओं में 2

*कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

व्यक्ति मारे गए और 13 व्यक्ति जख्मी हुए। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि इन घटनाओं के सम्बन्ध में मामले दर्ज किए गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। इन घटनाओं में अन्त-ग्रंस्त व्यक्तियों को पकड़ने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को अनुदेश दिये हैं और राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है।

जैसा कि मैंने 21 मार्च, 1983 को इस सदन में कहा था, पंजाब सरकार को राज्य में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने की सलाह दी गयी है। हमें सूचित किया गया है कि पंजाब के मुख्य मन्त्री ने राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी और उन्हें स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए उचित निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के अनुरोध पर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

जैसा कि सदन को मालूम है, सरकार ने विभिन्न मसलों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने हिंसा को त्यागने और ऐसा कोई कार्य न करने जिससे देश की एकता और निष्ठा को आघात पहुंचता हो, सभी सम्बद्धों से बार-बार अपील की है। निर्दोष व्यक्तियों की मृन्यु और ऐसे कार्य जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच सम्बन्धों में कटुता पैदा होती हो, हम सभी के लिए दु:ख का विषय है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। पंजाब सरकार से स्थिति से दृढ़ता से निपटने के लिए अनुरोध किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह सदन हिंसा की गतिविधियों की निन्दा करने में मेरे साथ होगा।

श्रीमती सुखब स कौर (गुरदासपुर) : महोदय, उग्रवादियों की गतिविधियों से हम सभी को गहरी चिंता हो रही है और प्रगतिशील राज्य पंजाब को, जो देश का अनाज भंडार है, गत एक वर्ष से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तत्व, जो स्वयं को अकाली दल का ही अंग बताते हैं, गैर-सिखों की तरह कार्य कर रहे हैं और आतंककारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह स्मरणीय है कि अकाली दल ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था और उनका भूतकाल वीरतापूर्ण तथा राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत रहा है। लेकिन अकाली दल के वर्तमान नेता अकाली आन्दोलन की भावना भूल गये हैं और गुरुद्वारों का प्रयोग इन उग्रवादियों को शरण देने के लिए किया जा रहा है। हम तो प्रातःकाल गुरुद्वारों में उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बलिदान किये हैं। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अकाली आन्दो-लन सिखों की मांगों को लेकर शुरू हुआ था। और हमारी प्रधान मंत्री ने धार्मिक मांगें स्वीकार कर ली हैं और अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के बारे में आयोग भी गठित कर दिया है। अब तो राज-नीतिक मांगें बची हैं, वे सिखों की मांगें नहीं हैं। वे तो सारे पंजाबियों की मांगें हैं चाहे वे हरिजन हों या हिन्दू हों। मेरा अनुरोध है कि वे गुरुद्वारों के अन्दर से लड़ाई न लड़ें बल्कि बाहर मंच पर आकर संघर्ष करें और पंजाब के लोगों की मांगों के लिए हम भी उनका साथ देंगे।

महोदय, पिछले ध्यानाकर्षण के बाद हाल ही में पंजाब में कुछ घटनाएं हुई हैं। गृह मन्त्री

और पंजाब के मुख्य मन्त्री ने भी आश्वासन दिया था कि हम इन गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई करेंगे। मैं विशेष रूप से गत सप्ताह की तीन घटनाओं में से दो का उल्लेख करूंगी। एक पिछले सप्ताह 22 मार्च को और दूसरी कल हुई। यह दोनों मेरे जिले के कादियां और हार्शोवाल स्थानों में हुयीं। कादियां में घटना 7 और 8 बजे के बीच हुई। उस समय बाजार बन्द हो रहा था, ऐसे समय में लोगों की गतिविधियां तेज रहती हैं। वहां चार निहंग आये और उन्होने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। वहां से पुलिस थाना नजदीक ही है। पर पुलिस तब आई जब वे 11 व्यक्तियों को जख्मी कर चुके थे समाचारपत्रों में भी यह छपा है। लोगों ने उनका पीछा किया और उनमें से एक निहंग एक तालाब में गिर गया और डूब गया। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक भी पता नहीं लगा कि वह निहंग कौन था। वे लोग कौन थे और कहां से आये थे। गृह मन्त्री ने कहा है कि मामला दर्ज किया गया है और जांच हो रही है। घटना को हुए नौ दिन हो गये हैं लेकिन कोई पता नहीं है कि मामले का क्या हुआ और क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है।

दूसरी घटना हर्शोवाल की है। यह व्यक्ति पुजारी नहीं बल्कि एक साधारण आदमी है। यह 8 और 9 के बीच मन्दिर में रामायण का पाठ कर रहा था। वह अकेला था। दो व्यक्ति आए और उन्होंने उस पर गोलियां चलायीं। तीन चार गोलियां तो लाउडस्पीकर में घुस गयीं और एक उसके घुटने में लगी। वह अस्पताल में है। वहां सभी लोग विशेषकर हिंदू बहुत डरे हुए हैं। वे शान्ति से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अकाली हिन्दुओं को छोटे-छोटे गांवों और मन्दिरों में शान्ति से नहीं रहने दे रहे। एक आदमी बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है और बिना किसी कारण उस पर गोलियां चला दी गई। मेरा गृह मन्त्री से अनुरोध है कि वह मुख्य मन्त्री से इन मामलों की जाँच के बारे में कहें। आज भी समाचारपत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की खबर फिर आई है। हमारे एक मन्त्री नगरपालिका के प्रधान तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को घायल कर दिया गया। यह आम व्यवित के लिए बहुत ही निराशाजनक और निरुत्साहित करने वाली घटनाएं हैं जो कि दिन दहाड़े हुई। और इनसे राज्य में शान्ति भंग हुई है। पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहियें। लेकिन उनकी नीति का कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं गृह मन्त्री से जानना चाहती हूं कि वे और क्या कदम उठाना चाहते हैं और पंजाब के मुख्य मन्त्री को क्या सहायता दे रहे हैं। एक वक्तव्य में कहा गया है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय पुलिस बल की सहायता राज्य को प्रदान की गई है ताकि वहां शान्ति और व्यवस्था बनाई रखी जा सके। क्या मैं जान सकती हूं कि केन्द्रीय पुलिस बल को भेज दिया गया है या उसे भेजने पर विचार हो रहा है या उनके कहने पर ही उसे भेजा जायेगा। मैं अकाली नेताओं से अपील करती हूं कि वे सारी स्थिति पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करें। उन्हें भी निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने और सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करने की घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए। अकाली नेता समय-समय पर कहते रहते हैं कि वे हिंसा के पक्ष में नहीं नहीं हैं लेकिन वे ऐसी घटनाओं की निन्दा भी नहीं करते। मेरी उनसे अपील है कि वे पंजाब में सामान्य स्थिति बनाने के लिए पंजाब सरकार को पूरा-पूरा सहयोग दें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मुख्य मन्त्री ने ये हिदायतें दी हैं :

उग्रवादियों और उनके समर्थकों के पास से हथियार बरामद करने के लिए अभियान चलाया जाये। कई जिलों में ऐसा अभियान शुरू कर दिया गया है।

लाइसेंस शुदा हथियारों को गोला बारूद देने पर नियन्त्रण रखा जाए।

सभी जिलों में गाँव-वार सन्त भिंडरावाले तथा अन्य उग्रवादियों के समर्थकों की सूची तैयार की जाए ताकि पुलिस द्वारा अधिक अच्छी तरह कार्यवाही की जा सके और उनका पता लगाकर अपराधों को रोका जाये।

उग्रवादियों और उनके समर्थकों का पता लगाने तथा उनकी गतिविधियों के बारे में असूचना की स्थिति में सुधार किया जाये।

हमने उपरोक्त उपाय किये हैं।

कादियां की घटना के सम्बन्ध में एक करनैल सिंह को पकड़ा गया है और जरनैल सिंह निरंकारी की हत्या के मामले में भी कुछ प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने ब्यौरा नहीं दिया है क्योंकि मामले की जांच हो रही है। केन्द्रीय पुलिस बल के बारे में भी हम पंजाब सरकार के लिखित अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हमने सी० आर० पी एफ० और सीमा सुरक्षा बल की बटालियनें भेज दी हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : महोदय, पंजाब में हाल ही में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं वे न केवल निन्दा के योग्य हैं बल्कि उनसे हम सभी को चिंता हुई है। एक गलत दिशा में गलत मार्ग से कदम बढ़ाया गया है। भारत के बाहर भी कई शानदार सभ्यताओं को उग्रवादियों के भयानक कृत्यों का शिकार बनाया जा चुका है। यह हमारे लिए सरकार तथा विपक्ष दोनों के लिए जरूरी है कि इस बुराई को आरम्भ में ही समूल नष्ट कर दिया जाये। इन स्थितियों को राष्ट्रीय मामले माना जाना चाहिये।

तेज गति से चलते वाहन से निर्दोष व्यक्तियों को गोली से भून देना, अनुचित इरादों से नेताओं पर गोली चलाना, बिना लाइसेंस के आधुनिक हथियारों द्वारा पुलिस के साथ मुठभेड़ करना, असंदिग्ध एकत्रित व्यक्तियों पर हथगोला तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ फैंकना ताकि निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या की जाये या उन्हें विकलांग बनाया जाये और गम्भीर हिंसक गतिविधियों द्वारा भय फैलाना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें कोई भी सभ्य समाज क्षमा नहीं कर सकता।

महोदय, विडम्बना यह है कि ऐसे अत्याचारी लोग धार्मिक स्थानों में आराम से रह रहे हैं। उनका कहां स्वागत किया जाता है। वे वहां फिर से साधन जुटाते हैं और योजनानुसार लोगों को अपना लक्ष्य बनाते हैं। पिछले दिनों में ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं।

महोदय, अमृतसर के निकट मानावला में हाल ही में हुई घटना का उदाहरण लें। उन्होंने

यही कार्य प्रणाली अपनाई और गुरदासपुर जिले में एक सेवा निवृत्त सूबेदार सिख निरंकारी को भून देने का जघन्य कृत्य किया गया।

समाचारपत्रों और पंजाब सरकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इस गिरोह का संत भिंडरा-वाले से सम्बन्ध है। निःसन्देह पूरी स्थिति का अनुमान लगाकर उसने कई बार स्वीकार किया है कि अमुक व्यक्ति उसका आदमी है। मन को यह जानकर घोर निराशा और दुःख होता है कि अपने नाम के साथ संत लगाने वाला व्यक्ति इस प्रकार की हिंसक घटनाओं में लिप्त हैं। हमारे गुरुओं ने तो अहिंसा के देवता के रूप में स्वयं को बलिदान करने का उदाहरण रखा है। और यहां हमारे दोस्त स्वयं को गुरुओं का अनुयायी कहलाने वाले लोग अपने ही आदमियों को गोलियों से भून रहे हैं। संत भिंडरावाले तथा उसके अनुयायिओं के इरादे क्या हैं, यह स्पष्ट नहीं है। क्या वे सैनिक ढंग से राष्ट्र पर अपने विचार लादना चाहते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्या उनका कोई विशिष्ट उद्देश्य है या वे किसी अन्य ताकत (देशी या विदेशी) के हाथ में खेल रहे हैं। उन्हें राष्ट्र विरोधी तथा देश द्रोही कहना चाहिये। क्या वे ऐसे कार्यों से सिख धर्म का या सिखों का आर्थिक उत्थान कर पायेंगे। उनके कार्यों से सिखों की प्रतिष्ठा गिरेगी। भविष्य में यह बात सिद्ध हो जायेगी।

आर्थिक रूप से आज सिख भारत भर में मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा पंजाब में सर्वाधिक प्रगतिशील समाज है। भारत में किसी भी भाग में रहने वाले सिख की स्थिति से इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। पंजाब से बाहर निकल कर आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उससे आगे भी जायें तो देखेंगे कि सिख किसान के पास सबसे उपजाऊ भूमि है, रहने की अच्छी जगह, मोटर कारें, ट्रैक्टर हैं और दूसरे समृद्धि के साधन हैं।

वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, परिवहन तथा अन्य व्यवसायों में, केन्द्र या राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों, वायु, थल तथा नौ सेना सभी में सिखों की स्थिति औसत भारतीय नागरिक से अधिक अच्छी है।

क्या संत भिंडरावाले और उसके प्रतिक्रियावादी साथी यह नहीं चाहते कि सिख सारे भारत में समृद्धि प्राप्त करें। अपनी मातृभूमि की पवित्रता तथा परम्पराओं को बनाये रख सकें जिनके लिए हमारे महान गुरुओं ने सर्वस्व बलिदान कर दिया।

महोदय, ऐसी स्थिति में अकाली दल की भूमिका के बारे में कहना चाहता हूं। क्या वे यह नहीं देख रहे कि हिंसक गोलाबारी में शामिल लोगों को पवित्र गुरुद्वारों में शरण दी जा रही है, जो उनके अधिकार में है, जहां अवैध हथियार जमा हो रहे हैं। यदि मन्दिरों, मस्जिदों आदि सभी धार्मिक स्थानों में ऐसा होने लगे तो क्या स्थिति हो जायेगी। क्या उन्हें पता नहीं कि यही लोग गलियों में निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। परम्परा से सिखों ने लोगों की जान बचायी है, जान ली नहीं है।

क्या वे यह नहीं देख रहे कि गुरुद्वारों में अपराधियों को शरण देकर और उन्हें न पकड़-वाने से आम आदमी के दिल में धार्मिक स्थानों की इज्जत कम हुई है। मैं आपके माध्यम से

अकाली नेताओं से पूछता हूं कि इन हिंसक गतिविधियों की जोरदार निन्दा क्यों नहीं करते ? क्या वे उनसे डरते हैं ? क्या उनकी वीरता और सच्चाई पर चलने की हिम्मत को जंग लग गई है ? या वे उग्रवादियों की नीतियों में विश्वास करते हैं और चुप्पी साधकर उनका मौन समर्थन कर रहे हैं। शायद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के माननीय प्रधान, संत हरचंद सिंह जी और श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा, सही स्थिति को आम जनता के समक्ष रख सकें। अकाली नेता सिखों के सुन्दर ऊंचे धार्मिक आदर्शों को कैसे जनता के समक्ष रख सकते हैं जबकि उनकी अपनी स्थिति ऐसी डांवाडोल है ?

मैं अपने बचपन से और दशाब्दियों से देखता आ रहा हूं कि जो लोग धार्मिक भावनाओं के वशीभूत होकर हजारों की संख्या में स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर में परिक्रमा तथा अन्य स्थलों को प्रतिदिन साफ करते थे और गुरुवाणी का पाठ बड़ी श्रद्धा से सुनते थे उनमें हिन्दू, हरिजन तथा अन्य वर्गों के लोग बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में होते थे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अब इनके गलत व्यवहार के कारण वे लोग गुरु नानक की शिक्षाओं को सुनने नहीं आते। क्या महान गुरुओं का यही उद्देश्य था जिन्होंने यह कहा था "नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला।"

क्या अकाली यह सब भूल जाते रहे हैं और अपने ही धर्म तथा समुदाय से अलग हो रहे हैं ? यदि ऐसा है तो वे अपने ही चारों ओर जाल बुन रहे हैं। कुछ गूढ़ चक्र बना रहे हैं—

"चक्कर चिह्न अर बरन जात इस पात नहिजै,
रूप रंग अर रेख भेख रिहु कहि न सकत कै,
अचल मूरत अनभल परकाश अमत भोज तहिजै।

उन्हें क्या हो गया है ?

"भूल गए कुल के पुरखाए,
हिंडू भयो हरि दिल चिराए।"

क्या धीर गम्भीर व्यक्तियों ने सोचना बन्द कर दिया है ? क्या उन्होंने सभी सिद्धान्त छोड़ दिए हैं ?

मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं। सबसे पहले उन्हें सिखों के एक वर्ग की हिंसात्मक गतिविधियों की पूरे जोर-शोर से निन्दा करनी चाहिये।

दूसरे उन्हें अपने नियंत्रणाधीन गुरुद्वारों में किसी अपराधी या उग्रवादी या आतंककारी को शरण नहीं देनी चाहिये। सरकारी अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दें ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। पवित्र गुरुद्वारों को हर तरह से पवित्र रखना चाहिये।

तीसरे अकाली नेताओं को अपनी मोर्चा मांगों को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। बल्कि उन्हें आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना चाहिए। 4 अप्रैल को 'रास्ता रोको' सम्बन्धी उनकी घोषणा

के बुरे परिणाम होंगे। क्या उन्हें विश्वास है कि वे उग्रवादियों और आतंककारियों पर नियंत्रण रख सकेंगे। उन्हें स्वयं को नियंत्रित रखना चाहिये।

चौथे मैं अकाली दल के उग्र नेताओं से अपील करता हूं कि न केवल सत्ताधारी दल के प्रति बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति सद्भावना के रूप में मोर्चा वापस ले लें।

मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अकाली दल ने इच्छा व्यक्त की है कि पंजाब से निर्वाचित अकालियों से भिन्न संसद सदस्यों तथा विधान के सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह कहना पर्याप्त होगा कि उनका यह विचार हास्यास्पद और गलत है क्योंकि गत चुनावों में कांग्रेस (ई०) के या अन्य संसद् सदस्य अथवा विधायक अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में अपने गुणों के आधार पर जीते थे। मैं उनसे सिफारिश करता हूं कि वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान वाले देश में ऐसी हास्यास्पद और एकपक्षीय घोषणाएं न की जायें।

अन्त में, मैंने भिंडरावाला से केवल एक प्रार्थना करनी है कि यह सिखों तथा समूचे रूप से भारत के लिए अच्छा रहेगा यदि वह गुरुओं की अहिंसापूर्ण शिक्षाओं तक ही सीमित रहें और अपराधियों का साथ न दें।

अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस प्रतिष्ठित सभा को उन व्यावहारिक उपायों से अवगत करायें, जो भारत सरकार पंजाब में शान्ति स्थापित करने के लिए करना चाहती है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, गृह मंत्री से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अन्त वाला प्रश्न ही है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने गागर में सागर भर दिया है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमान, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्थिति विशेषरूप से सिखों की स्थिति स्पष्ट कर दी है क्योंकि अकाली नेता और सन्त भिंडरावाला हमेशा यह कहते आ रहे हैं कि जहां तक सिखों का सम्बन्ध है, उनकी उपेक्षा की जा रही है और उनके साथ विमाता जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महोदय, माननीय सदस्य ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और चूंकि वह उसी सम्प्रदाय के हैं, इसलिए उनके कहने का अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा अकाली नेताओं से अपील की गई है। उन्होंने जो अपील की है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

जहां तक व्यावहारिक उपायों का सम्बन्ध है, हमने कहा है कि हमने कुछ उपाय किये हैं। हमने वहां पर केन्द्रीय पुलिस भी तैनात की है। मैंने यह भी बता दिया है कि इस दिशा में पंजाब की राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। मुझे सभा को यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी

हो रही है कि संत भिंडरावाला से भी कुछ हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है। उसके अनुयायी दल ने अभी तक 9 हथियार जमा कराये हैं तथा और करा रहे हैं।

श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : स्पीकर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसको मैं वैलकम करती हूं। और जो उन्होंने लिखा है कि:

"पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि इन घटनाओं के बारे में मामले दर्ज कर लिए गये हैं और जाँच हो रही है।"

इसको मैं बाद में तफसील मैं कहूंगी। और दूसरे जो उन्होंने कहा है:

"राज्य सरकार की प्रार्थना पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के प्राधिकारियों की मदद करने हेतु केन्द्रीय पुलिस बलों की सहायता की व्यवस्था की गई है।"

और तीसरे उन्होंने कहा है:

"पंजाब सरकार से स्थिति का सख्ती से मुकाबला करने के लिए कहा गया है।"

आज ही मेरे पास पंजाब, हरियाणा, नौर्दन इंडिया के प्रेसीडेंट सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा आये थे और उन्होंने बात करी कि यह जो गुरदासपुर जिले में दो केसेज हुए हैं हरचोवाल टैम्पिल और दूसरे कादियां बाजार में, तो यह खुद वहां पर गये और लोगों से बात की। कोई पौने 8 बजे कादियां बाजार में शाम के वक्त जब दुकानें बन्द हो रही थीं कुछ ने बन्द कर दी थीं और कुछ बैठे हुए थे तो इन आदमियों ने शूट किया और तलवारें चलायीं और बिल्कुल इन्नोसेंट आदमियों को, जिनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, जख्मी किया। तो ऐसे इन्होंने कादियां में अटैक किया। इसी तरह से हरचोवाल टैम्पिल में एक आदमी रामायण पढ़ रहा था, जिसको कहते हैं पुजारी था, जब कि वह पुजारी नहीं था, तो दो आदमियों ने शूट किया और वह ब्लीड करने लगा तो उन्होंने समझा कि मर गया और बाहर चले आये। उनसे पूछा, जब गये थे और लोगों से बात की, कि लोगों को क्या फीलिंग थी ? तो उन्होंने कहा हो कोई कानफीडेंस नहीं रहा है पंजाब पुलिस पर। हमारे आदमियों और टैम्पिल की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिये। नहीं तो हमें इतनी दहशत हो गई है कि गांवों में अगर हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हुए तो हम कैसे रह सकते हैं। यह उनके शब्द हैं। बारबार जो इनकी स्पीचेज आती हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, ऐसे वाकयात हो हो रहे हैं, रुके नहीं, और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया।

अब केवल कृष्ण का बेटा, जो मुकेरियाँ के इन्सीडेंट में घायल हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा जो कि नैक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर हैं, अब उनके बेटे का भी प्रोटेक्शन नहीं है और वहां बम लगाया जाता है, और बम फटता है जिसमें तीन कांग्रेसमैन, जैसा कि आज के पेपर में आया है, बम बलास्ट में इनकी इन्जरी हुई, और उनका बेटा पी०जी०आई० चंडीगढ़ में दाखिल भी है। तो इनका बारबार यह कहना कि ऐसे मूवमेंट को कुचल देंगे और नहीं होने देंगे, समझ में नहीं आता वैसी ही बातें फिर क्यों हो रहीं है ? अभी तक कुचला नहीं जा रहा है, तो क्या वजह है ? कुछ थोड़े से इन्सीडेंसेज मैं आपको बताती हूं। आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लेती, क्योंकि इन्होंने डिटेल में सिखों का स्टेटस भी बताया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

आपने सुना होगा कि लाल सिंह एम०एल०ए० पटियाला के हैं, उनके घर में बम फेंका गया। साथ ही एक एडीशनल जज थे, वह उनके कम्पाउन्ड में गिरा, विन्डो पेन्स वहाँ हुआ। ऐसे ही हरचरन सिंह अजनाला पर भी उनके गांव में हुआ, यह मैं बम-ब्लास्ट कि बात की रही हूं। वह भी एम०एल०ए० हैं। इसी तरह लक्खासिंह एम०एल०ए० अमृतसर में हैं, हरिजन हैं, उन पर भी बम-बलास्ट हुआ।

चीफ मिनिस्टर पर गांव राहों, डिस्ट्रिक्ट जालन्धर में हुआ। वहां पर अजनाला साहब जख्मी भी हुए। ऐसे ही बुआ दास इन्स्पैक्टर आफ पुलिस पर मिडिल आफ फरवरी में अटैक हुआ।

डिटेल में मैं पांडे साहब की बात बताना चाहती हूं। यह मानावाला का केस है। मानावाला 6 किलोमीटर है अमृतसर से हैरानगी की बात है कि पुलिस को पहले पता है कि जीप आ रही है, और वहां पर नाकेबन्दी की गई है फिर भी पांडे साहब जख्मी होते हैं। उसी जीप में एक आदमी भी मर जाता है, उसका नाम हरदेव सिंह है। हैरानगी की बात यह है कि इतनी पुलिस होते हुए भी यह हुआ। बाखा एक विलेज है, वहां पर उनकी जीप पाई गई अगले दिन। जीप जलाई गई और जलने के बाद वह सब गुरू नानक निवास में पहुंच गये। हरदेवसिंह की बाडी भी वहां पहुंच गई। इतने बारीकेड्ज लगाये हुए हैं लेकिन वहां से सब गोल्डन टैम्पल में पहुंच गये। यह समझ नहीं आती की बात क्या है ? मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करती हूं कि इन चीजों की तरफ ध्यान दें।

"जैसा मैंने बताया है कि जो प्रतिनिधि सनातन धर्म के आये हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू ऐसा फील कर रहे हैं कि गुरूद्वारा बड़ा हो या छोटा, टैम्पल बड़ा हो या छोटा, जैसा हम चाहते हैं कि गुरूद्वारों से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये तो टैम्पल वालों को भी कोई हक नहीं है कि वह ऐसा करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब चीजें देखने वाली हैं।

मैं जानना चाहती थी कि जो आपने कहा, स्टेटमैंट अखबार में आया था कि इनके हथियार लिये जायें, उसके बारे में होम मिनिस्टर ने थोड़ा बतलाया है, लेकिन जितनी देर मजबूती से, स्ट्रांग हैंड से इनको हैंडिल नहीं किया जायेगा तो सबसे बड़े खतरे वाली बात यह है कि हिंदू-सिखों की आपस की फीलिंग डिटोरियोरेट होगी। इनको ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिये। मेरी रिक्वैस्ट है कि जो भी कदम आप लेना चाहें, लेकर वहां हालात को सुधारना बेहद जरूरी है। क्योंकि यह एक सदियों से इकट्ठी चीज है, इकट्ठी फैमिली आई हैं। पहले अपने बड़े लड़के को सिख बनाते थे। मैंने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि मुगलों के टाईम में हरेक अपने बड़े लड़के को सिख बनाता था, इतनी श्रद्धा थी। इन्होंने जैसे बताया कि गोल्डन टैम्पल में अमृतसर के सारे हिंदू और सिख सुबह के वक्त जाते थे और वहां पाठ सुनते थे, परिक्रमा की सफाई करते थे और सारा काम करते थे। लेकिन एक नई चीज नई डिमांड्ज शुरू हो गई है।

रिलीजस डिमांड्ज तो प्राइम मिनिस्टर ने मान लीं, फिर उन्होंने यह स्टेटमैंट दी कि सेंटर

स्टेट रिलेशनशिप के बारे में कुछ किया जाये, उसके बारे में उन्होंने एक कमीशन भी मुकर्रर कर दिया, सरकारिया साहब को चैयरमैन बना दिया। अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं जो कि पोलिटिकल तौर पर हर पंजाबी की डिमांड है, यह खाली अकेले सिखों की ही डिमाँड नहीं है। फिर हमें यह समझ नहीं आता कि यह शूट-आउट क्यों हो रहा है, लोगों को कैसे मारा जा रहा है?

मैमासिंह चंडीगढ़ में बुडौल जेल के नजरीक जा रहा था, वहां इसको मार दिया गया। केहरसिंह डी०एस०पी० उसका ब्रदर है, उसका स्टेटमेंट कफ्लिक्टेड आता है। समझ नहीं आया कि इसके बारे में पूछा गया है या नहीं। वह कहता है, इसी अखवार में है कि हाऊ फार इट इज ट्रू।

मैमासिंह का भाई कहता है कि उसने निरंकारियों से अपना कनेक्शन तोड़ लिया था और यह काम एक्स्ट्रीमिस्ट्स का नहीं था। **इंडियन एक्सप्रेस**, मार्च 25, में लिखा है :—

> "पुलिस के उप-अधीक्षक श्री केहर सिंह ने, जो मृतक के छोटे भाई हैं, गुरुवार को बताया कि मैहमा सिंह ने निरंकारियों से अपने सभी सम्बन्ध तोड़ लिये थे। उसने यह भी कहा कि इसका इसमें विश्वास नहीं है कि इसमें उग्रवादियों का हाथ है।"

इन बातों की कोई तो कान्ट्राडिक्ट करे। ये बातें लोगों के मन में शंका पैदा करती हैं कि क्या बात सही है और क्या गलत है।

जहां तक एक एस० पी० के साथ एनकाउंटर का ताल्लुक है, उसके बारे में कहा गया है कि एनक्वायरी चल रही है। मैं अखबार में से क्वोट करना चाहती हूं:—

> "जालंधर रेंज के उप-महानिरीक्षक श्री ए० जी० अटवाल पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जे० पी० बिर्दी द्वारा की जा रही जांच की अभीक्षण कर रहे हैं।"

> "पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक, श्री सुरजीत सिंह बैंस ने आज जारी किए गये एक प्रेस नोट में बतया कि श्री पांडेय तब जख्मी हुए जब कुछ तस्करों या उद्दंडों ने उन पर गोली चलायी और उस पर तथा पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों पर हथगोला फैंका।"

स्मगलिंग और चीज है और एक्सट्रीमिस्ट किसी इनासेंट आदमी को शूट करता है, वह और चीज है। ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक के दिमाग में खलबली पैदा करते हैं। अगर हरदेव सिंह स्मगलर्ज के साथ कनेक्टिड था, तो उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ताकि लोगों को सही बात का पता लगे। एस० एस० पी० की तरफ से कहा गया है कि ये स्मगलर थे और जीप में कुछ ला रहे थे। पुलिस को उनके बारे में पहले से पता था और उसने नाकेबन्दी की हुई थी। पुलिस की तरफ से सब कार्यवाही होते हुए भी वे सारे के सारे गुरु नानक निवास पहुंच जाते हैं, यह क्या बात है?

सरदार दरबारा सिंह, चीफ मिनिस्टर, का जो स्टेटमेंट **इण्डियन एक्सप्रेस**, मार्च 18, में आया है, मैं उसकी क्वोट् करना चाहती हूं:—

"विश्वास किया जाता है कि श्री दरबारा सिंह ने केन्द्र को बताया कि 13 मार्च, रात को पुलिस ने कुछ तस्करों को पकड़ा और उनके पास कुछ चांदी मिली। पुलिस ने तस्करी रोकने तथा अवैध हथियारों का पता लगाने के लिए प्रातः बुधवार को अमृतसर के निकट कुछ नाकाबन्दी की थी। उन्होंने अमृतसर की ओर से एक जीप आती हुई देखी। जीप की रफ्तार कम हो गई और पुलिस के अधीक्षक ने देखा कि जीप के पीछे हथियारों से लैस कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस के अधीक्षक पर अति-विस्फोटक गोला फैंका जिसके फलस्वरूप वह जख्मी हो गये।"

आप हैरान होंगे कि सेक्रेटेरियट से 500 गज पर उन लोगों की कार खड़ी है। वहां पर वे लोग एक निरंकारी को शूट करते हैं और आराम से चले जाते हैं—वे भाग कर नहीं जाते हैं। कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। जब तक लोगों को यह कान्फिडेंस नहीं होगा कि हम सेफ हैं और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तब तक ला एण्ड आर्डर सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती।

पंजाब में अब भी सब लोग एक दूसरे के साथ मुहब्बत करते हैं। हमें तो कोई फर्क नहीं लगता है। लेकिन ये इन्सिडेंट्स-इन्हें स्पोरेडिक इन्सिडेंट्स कह लीजिए—वातावरण भी बिगाड़ते हैं। अभी जब मैं पंजाब गई, तो एक एस० एस० पी० साहब आए और कहने लगे कि हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। वहां पर एम०एल०एज०को भी प्रोटेक्शन चाहिए। आज उनके साथ गन-मैन चल रहे हैं। हम तो पब्लिक के आदमी हैं। हमने पब्लिक के बीच जाना है और उससे मिलना जुलना है। अगर हम गनमैन साथ लेकर चलेंगे, तो कैसे काम कर सकेंगे? ठीक है, मिनिस्टर साहब बड़े हैं उनके साथ जाना चाहिए। हमारे साथ गनमैन की क्या जरूरत है? अगर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, मर जायें।

ऐसी ही एक इन्सीडेंट कपूरथला के एक गाँव मीठावाला में भी हुआ यह सारे इन्सीडेंट जो मैं आपको बता रही हूं वह वन आफ्टर एनदर हुए हैं।

तो यह सारी बातें मैंने आपको यहां के लोगों के लफ्जों में ही बतायी है कि वे कैसा फील करते हैं। उन्होंने मुझ से बात की और मैं खुद भी उनसे मिलना चाहती थी। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे कि क्या उनकी फीलिंग्ज हैं तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि क्या करना चाहिए। मेरे भाई ने बहुत डिटेल में बातें कही हैं और मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती। मेरी बहन ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। मेरी अपील है कि यह जो कांफिलक्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में आप मेहरबानी करके थोड़ा सा क्लियर करके बतायें और साथ ही जैसा मैंने कहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सेन्ट्रल पुलिस आप वहां पर भेज सकते हैं, वह भेजें। सवाल यह भी है कि कितनी देर तक के लिए? इसका हल आपको निकालना ही होगा क्योंकि पंजाब एक इन्टरनेशनल बार्डर स्टेट है। जितनी जल्दी हम इसको हल कर सकें उतना ही अच्छा होगा।

जहां तक गुरुद्वारों की बात है, वह तो हमारे गांवों में भी हैं। थोड़े से ही लोग कुछ जगहों पर ऐसा करते हैं और सिख मासेज उनके साथ सहमत नहीं हैं कि इस तरह की गड़बड़ी अपनी

स्टेट में हो। अभी अप्रैल में हार्वेस्ट भी आने वाला है, क्या लोग इमी में लगे रहेंगे, अपने को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, खेतों में नहीं जा सकेंगे ? मेरी आपसे अपील है कि इसके बारे में आप कुछ बताइये यह क्या है, कैसे है और इसको कैसे सुलझाना है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं अपने विवरण में पहले बता चुका हूं कि इस प्रकार के कार्यों से जातियों में तथा अन्यथा तनाव बढ़ता है और लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती हैं। जब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती और कुछ अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक, मेरे विचार में, लोगों में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। इस बारे में हमने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से आज ही कहा है कि वह ताजा स्थिति के बारे में विचार करने के लिए यहाँ आयें। हम उन उपायों पर, जो उन्होंने किये हैं या करने जा रहे हैं, विचार करेंगे।

जहां तक पुलिस अधिकारियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। हम राज्य सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहेंगे।

जहां तक नाकाबन्दी का सम्बन्ध है, नाकाबन्दी इस मास की 26 तारीख से आरम्भ की गई थी। इसे भी अस्थायी तौर पर 29 तारीख को हटा दिया गया था जब एक धार्मिक जुलूस निकला था। नाकाबन्दी गुरुद्वारे में जाने और उसमें से आने वाले कुछ संदिग्ध लोगों को रोकने के लिए की गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : हम ऐसे विषय के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण पर विचार कर रहे हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व है। यदि सरकार कुछ राजनीतिक बुद्धिमत्ता, कुछ सख्ती और उत्साह से कार्य कर दिखायेगी, तो देश को एक कठिन स्थिति से बचाया जा सकेगा। परन्तु मुझे खेद है कि मन्त्री के विवरण से मुझे निराशा ही हुई है। यह एक असहाय सरकार का विवरण है। विवरण "सरकार को अत्यन्त दुःख हुआ है" शब्दों से आरम्भ होता है। हमें उनकी भावुकता में कोई रुचि नहीं है। उनमें कहा गया है "कि पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि मामले दर्ज कर लिये गये हैं...और जांच हो रही है।" यह जांच कब से हो रही है? निरंकारी बाबा से लेकर लाला जगत नारायण तक के मामलों में प्रगति हो रही है। ऐसा कब तक होता रहेगा ? यह ठीक है, आप कहेंगे कि प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने हिदायतें जारी कर दी हैं, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह विवरण एक कमजोर सरकार का है, जो समस्या का मुकाबला नहीं करना चाहती है। समस्या बड़ी गम्भीर है। मैं बम्बई से प्रकाशित 30 मार्च के इण्डियन एक्सप्रेस में से पढ़ना चाहता हूं। उस दिन इण्डियन एक्सप्रेस का दिल्ली संस्करण नहीं निकला था इसलिए यह बम्बई वाले संस्करण में प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक "भिंडरावाला कहते हैं, मंदिरों से दूर रहो" और उसमें जो कहा गया है वह मैं पढ़ता हूं :

> "युद्धप्रिय सिख नेता, सन्त भिंडरावाला ने आज चेतावनी दी कि खालिस्तान की नींव तभी पड़ेगी जब पुलिस स्वर्ण मन्दिर में घुसेगी।"
>
> "मृतक हरदेव सिंह की भोग की रस्म पर स्वर्ण मन्दिर के परिसर में मन्त्री साहिब

दीवान में भारी संख्या में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए युद्धप्रिय सिख नेता सन्त जनरैल सिंह के एक अनुयायी ने कहा, यदि पुलिस ने स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश किया, तो खालिस्तान को कोई नहीं रोक सकेगा ।"

इस वक्तव्य से मुझे बहुत धक्का लगा है कि कोई सन्त ऐसा वक्तव्य देगा । मैं तो उनसे यह अपेक्षा करता था कि वह "इसे कोई नहीं रोक सकेगा" के बजाए यह कहते कि "मेरा सरकार से मतभेद है, मैं सिखों के कुछ अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं, परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस देश के टुकड़े करना चाहेगा, तो मैं उसे रोकूंगा, उसका विरोध करने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह केवल उसे डराने के लिए है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नहीं जानता कि क्या यह डराने के लिए है अथवा नहीं, परंतु बात यह है पंजाब के लोगों को यह अवश्य जानना चाहिए कि सरकार को डराया नहीं जा रहा है । पंजाब के लोगों को यह बता दिया जाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और यदि कोई व्यक्ति अलग होने की धमकी देगा या इसकी सम्भावना की भी बात करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जायेगा और कि हम इस देश की अखण्डता के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं । यह उन्हें स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए । परन्तु मैं देखता हूं, यह केवल मेरी ही राय नहीं है, बल्कि मुझसे पहले बोलने वाले पंजाब से तीनों सदस्यों ने भी यही कहा है, कि पंजाब के लोगों को संरक्षण प्रदान करने की सरकार की योग्यता पर लोगों का भरोसा समाप्त होता जा रहा है । ऐसा क्यों है ? ऐसा प्रतीत होता है कि भिंडरावाला राज्य में एक पृथक राज्य के रूप में कार्य कर रहे हैं । क्या वहां पर आपका आदेश चलता है या नहीं ? क्या आपके आपके आदेश का वहां पर कोई प्रभाव पड़ा है ? जब लोग कहते हैं, जब पंजाब से लोगों के प्रतिनिधि कहते हैं कि वे नहीं समझते कि वहां लोग सुरक्षित हैं, क्या यह आपकी निंदा नहीं है ? वे ऐसे खुले आम भले ही न कह सकें, जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि वे आपके दल के सदस्य हैं, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में हमारे भी मित्र हैं और वे कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई सरकार नहीं है और वे लोग शासन चला रहे हैं, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया है । आपने यह महसूस कराना है कि वहां पर सरकार है । मैं जानना चाहता हूं कि भिंडरावाला को किसने पैदा किया ? वह कहां से आ गये ? मैं पुराने समाचार पत्रों की कतरनें देख रहा था । मैं नहीं जानता, कि अब उन्हें इस बात का खेद है या नहीं, कांग्रेस (इ) दल की उस समय की अध्यक्ष और अब प्रधान मन्त्री, सितम्बर, 1977 में वहां गयी और भिंडरावाला का आशीर्वाद प्राप्त किया । हो सकता है, वह उस समय यह नहीं जानती थी कि वह इस प्रकार का फ्रैंकन्स्टीन बन जायेगा । मुझे इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शब्द बहुत ही अधिक शक्तिशाली है । फिर भी वह एक ऐसा आदमी बन गया है, जो यह कह सकता है कि यदि आप मन्दिर में घुसेंगे, तो खालिस्तान बनेगा । मैं तो कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति देश की अखण्डता से खिलवाड़ कर रहा है । मैं उसे क्या कह कर पुकारूं ? कुछ भी हो, सरकार ने कई अवसरों पर भिंडरावाला की छवि को बढ़ाया है एक बार पंजाब सरकार ने वक्तव्य दिया कि लायसेंसी हथियार जमा करा दिये जायें ।

इस पर भिंडरावाला ने कहा कि नहीं, पुलिस को सब हथियार उसके पास जमा करा देने चाहिए। यह है जो उसने कहा। आपने क्या किया ? तब एक वारंट जारी किया गया और अपने समर्थकों के साथ भिंडरावाला ने अपने हथियारों का दिल्ली में प्रदर्शन किया। उसका बड़ा सत्कार किया गया। पुलिस का एक उपनिरीक्षक वहां गया। मुझे बताया गया, मैं नहीं जानता हूं, कि आपमें से मंत्रिमंडल का तत्कालीन एक सदस्य, जिसका नाम बताना उचित नहीं होगा, वहाँ गया और उसने उसके पांव छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कैसे होता है ? इससे क्या धारणा बनती है ? भिंडरावाला की छवि स्वतः लोगों में उभरती है। यह आपने किया है।

भिंडरावाला तो गुरुद्वारा में प्रवेश कर सकता है। किन्तु पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। मैं इससे सहमत हूं कि पुलिस को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए परन्तु इसके लिए ऐसी स्थिति बनानी होगी जिसमें ऐसा करने की आवश्यकता ही न पड़े। आपको लोगों में विश्वास उत्पन्न करना होगा कि भिंडरावाला के लिए एक और दूसरों के लिए कोई अन्य कानून नहीं है। इस देश में एक ही कानून है और आप उसे ही लागू करने जा रहे हैं। ऐसा विश्वास देश में और विशेषकर उस राज्य में उत्पन्न करना होगा।

बिच्छुओं की पिटारी खोल दी गई है। उसके एक बार खुल जाने पर उसे बन्द करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि क्या उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक उत्साह और दृढ़ इरादा है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो जिन ताकतों को खुला छोड़ दिया गया है, वे अधिक शक्तिशाली हो जायेंगे। उनकी शक्ति कम नहीं होगी।

एक आदमी जिसका हम मजाक उड़ाया करते थे, उसने अर्थात् जगजीत सिंह चौहान ने संयुक्त राज्य अमरीका में एक समिति के समक्ष साक्ष्य देना है। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के स्वयंभू अध्यक्ष हैं। मैं जानता हूं कि खालिस्तान को यहां या विदेशों में कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। मैं जानता हूं इंग्लैंड में आपात काल के दौरान मेरा सिखों के साथ गहरा सम्पर्क रहा था और तब से मैं जानता हूं कि वहां पर उसे कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि कोई न कोई शक्ति, चाहे संयुक्त राज्य अमरीका या सोवियत संघ, इस देश के टुकड़े करना चाहती है। यह तो केवल अवसर की बात है। (**व्यवधान**) यह ठीक है कि मैं आपकी तरह किसी देश के साथ बंधा हुआ नहीं हूं। मैं तो केवल भारत के साथ बंधा हुआ हूं। मैं कहीं से हिदायतें नहीं लेता हूं।

यह जगजीत सिंह चौहान कौन हैं ? क्या आप उसके पूर्व इतिहास से अवगत हैं ? खालिस्तान की मांग पहली बार कब की गई थी ? 1946 में जगजीत सिंह चौहान स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इण्डिया का एक सदस्य था··· (**व्यवधान**) बाद में वह भारतीय साम्यवादी दल का पूर्णरूपेण सदस्य बन गया।

एक माननीय सदस्य : यहां तो कई लोग हैं जो सी० पी० आई में थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : डा० स्वामी भी सी० पी० आई के सदस्य थे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं एस०एफ०आई० का सदस्य था। उस समय तो जगजीत सिंह चौहान वहां कहीं नहीं थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह सरीन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देखें, जिसमें यह सब कुछ दिया हुआ है। श्री राजेन्द्र सरीन सरकार के सदस्य थे। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। यह उसमें है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप पेश कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उसे उद्धृत कर सकता हूं। यह रिपोर्ट "सर्च" नामक पत्रिका में छपी थी। आप उसे क्यों नहीं पढ़ लेते ? यह ग्रंथालय में उपलब्ध है। साम्यवादी पढ़ने में विश्वास नहीं रखते। वे तो केवल आक्रमण करना चाहते हैं। अतः यह उसमें है।

यह जगजीत सिंह, जो अब सरदारों की बात करता है, इंग्लैंड गया और वहां रेलवे गार्ड के रूप में कार्य किया। उन्होंने कहा, आप दाढ़ी और पगड़ी नहीं रख सकते। अतः उसने दाढ़ी साफ करा दी और पगड़ी बांधनी बन्द कर दी। बाद में जब उसे यह अवसर प्राप्त हुआ, तब उसने पुनः दाढ़ी बढ़ा ली और पकड़ी बांधनी आरम्भ कर दी। आज वह सरदारों की बात करता है। अतः ऐसे लोग हैं जो इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं।

मैं कहूंगा कि यह कोई साधारण खेल नहीं है क्योंकि पंजाब सीमा पर स्थित है। कोई कुछ भी कहे, मैं पाकिस्तान के साथ मित्रता बनाये रखने के पक्ष में हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है, कि वहां के नेता सदा एक जैसे ही होंगे। कल कोई ऐसा नेता भी आ सकता है, जो कहे कि एक पाकिस्तान 10 गुणा भारत के बराबर है। वे याद कर सकते हैं कि हमने उनके देश के दो टुकड़े किये और वे इसे लाभ उठाने का अच्छा मौका समझे। अतः हमें उनकी क्षमता के अनुरूप तैयारी करनी होगी। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और इसलिए यह समय ऐसा है जब आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

मुझे खेद है कि अकाली, जिनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और जो 1977 में हमारे साथ थे तथा जिनके कई सदस्य बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उत्तरोत्तर उग्रवादियों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। यदि अकाली समझते हैं कि वे इस आंदोलन को सफल नहीं बना सकते तो उन्हें वही करना चाहिए जो अखिल असम छात्र संघ ने असम में किया। उन्हें इस आंदोलन को तब तक वापिस ले लेना चाहिए जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तथा तदुपरांत वे इस आंदोलन को पुनः आरम्भ कर सकते हैं। मुझे उनकी उचित माँगों पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आज की स्थिति के संदर्भ में अकाली वह कह रहे हैं जो कुछ भिंडरावाला कह रहा है। वे वही कह रहे हैं जो उग्रवादी कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य है। निस्सन्देह अकालियों को काँग्रेस (इ) के आपसी झगड़े से लाभ होगा। हमें आरम्भ से ही बताया गया कि मंत्रिमंडल स्तर का एक मंत्री भी था जो कि अब मुख्य मंत्री नहीं है और औचित्य की दृष्टि से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता तथा मुख्य मंत्री··· **(व्यवधान)** । वह अब मंत्रिमण्डल स्तर का मन्त्री नहीं है और इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उनकी तथा पंजाब के मुख्य मन्त्री की साठगांठ थी और अका-

लियों ने इसका लाभ उठाया। इस समय मैं दलगत मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता। यह एक राष्ट्रीय मामला है। आप विपक्ष का समर्थन चाहते हैं। विपक्ष के लोग पहले ही मिल चुके हैं तथा उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए एक संकल्प पास किया है। हम आतंकवाद के पक्ष में नहीं है तथा हम अलगाववाद की धमकी में भी नहीं आना चाहते। हम इस आंदोलन को कुचलने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। परन्तु आपको इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे ज्ञात हो कि कोई सरकार मौजूद है। यदि पंजाब में कोई सरकार नहीं है तो आप उसको बर्खास्त कर दीजिये तथा वहां राष्ट्रपति का शासन लागू कीजिए परन्तु ऐसा कुछ अवश्य कीजिए कि जिससे ये स्पष्ट हो कि केन्द्र में कोई सरकार है क्योंकि पंजाब में यह भावना बलवती होती जा रही है कि भारत सरकार नाम की कोई सरकार नहीं है। वे सोचने लगे हैं कि केवल एक ही सरकार है और वह है भिंडरावाला सरकार। अत: अब निर्णय करना आपके हाथ में है। यदि आपकी विशेषज्ञों की सलाह की जरूरत है तो आप विपक्ष के अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं विपक्ष में बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं जिनमें दो भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री देसाई और श्री चरणसिंह शामिल है तथा आप उनके अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु भगवान के लिए ऐसा कुछ अवश्य कीजिए जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो। आपको सर्वप्रथम इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि लोगों में आपकी सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो। आपको भय से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब जीवन रक्षा और देश की एकता की रक्षा का प्रश्न है तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपको लोगों का विश्वास प्राप्त हो। मैं आपसे कोई ठोस प्रस्ताव जानना चाहता हूं बजाय इसके कि आप कहें कि हम गहन संकट से गुजर रहे हैं आदि आदि। आप कोई ठोस कार्यवाही कीजिए। आप राज्य सरकार को बता दीजिए कि यदि वे स्थिति को नियन्त्रण में नहीं ला सकते तो शासन छोड़ दें और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। फिर आप दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप भी कुछ नहीं कर सकते तो आप भी शासन छोड़ दीजिए। परन्तु देश को बर्बाद मत कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद्

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय जैसा कि मैंने कहा है कि पंजाब सरकार विधि और व्यवस्था की स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए हर सम्भव कदम उठा रही है तथा स्थिति इतनी खराब नहीं है कि जिससे पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

महोदय, उन्हें आशा है कि वे स्थिति को नियन्त्रण में ले जाएंगे। यदि बल के रूप में अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्ययता है तो हम और बल भेजने को तैयार हैं। यदि वे चाहते हैं कि केन्द्रीय बल और अधिक समय तक वहाँ रहे तो इसमें कोई समस्या नहीं है, केन्द्रीय बल और अधिक समय तक वहाँ रहेगा फिर भी मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि स्थिति शीघ्रातिशीघ्र नियन्त्रत्र में लायी जानी चाहिए। जितनी जल्दी स्थिति को सामान्य बनाया जाता है उतना ही बेहतर होगा।

13.18

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक देश की एकता का संबंध है मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं और उन्हें वचन देता हूं कि किसी भी कीमत पर देश की एकता को खतरा पैदा नहीं होने दिया जाएगा और हम देश की एकता की रक्षा करेंगे तथा देश के और टुकड़े करने के हर आंदोलन का हर तरह और पूर्ण शक्ति के साथ मुकाबला किया जाएगा।

सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष को मद्रास के पुलिस आयुक्त का 30 मार्च, 1983 का निम्नलिखित आशय का तार आज प्राप्त हुआ है:—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री ईरा अनबारासु, संसद सदस्य को कांग्रेस दल में अन्य सदस्यों के साथ, मद्रास नगर में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके एक जलूस निकालने के कारण मद्रास नगर पुलिस अधिनियय की धारा 41 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 के अन्तर्गत एवस स्टेशन अपराध संख्या 278/83 में ट्राइम्फ आफ लेबर स्टेच्यू, कामराज सलाई, मद्रास के समीप आज (30-3-83) को 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया।"

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में फैल रहे घातक बन्दर विषाणु रोग को रोकने की आवश्यकता

श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : कर्नाटक में बैलथांगथी तालु में मालनदक क्षेत्र में से "बंदर विषाणु" नामक एक भयंकर रोग फैल गया है। दक्षिण कनारा जिले के लोगों को इससे भयानक आघात पहुंचा है। इस बीमारी से बैलथांगथी तालुक में 638 व्यक्ति रोगग्रस्त हुए हैं तथा 50 व्यक्ति काल का ग्रास बन गए हैं। अन्य व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन रोग फैलता जा रहा है तथा मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस रोग की रोकथाम के लिए किए गए उपाय प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं। सर्वप्रथम बन्दर इस रोग के शिकार होते हैं तथा फिर ये बीमारी लोगों में फैल जाती है। इस क्षेत्र में 55 से अधिक बन्दरों के शव प्राप्त हो चुके हैं।

कर्नाटक में फैले इस घातक रोग को दूर करने के लिए औषधि ईजाद करने के प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं।

इस सन्दर्भ में यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार चिकित्सा विशेषज्ञ नियुक्त करे जोकि इस

बीमारी के बारे में अनुसन्धान करें और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी सहायता ली जा सकती है। अब यह बीमारी उत्तर कैनरा तथा सिमोगा जिलों में भी फैल गई है। इन जिलों में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। उत्तर कैनरा में 165 व्यक्ति तथा सिमोगा में 73 व्यक्ति रोगग्रस्त हैं उनका इलाज चल रहा है। इस बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत हर सम्भव प्रयास कर रही। यदि इस बीमारी को रोकने के लिए तुरन्त उपाय नहीं किए गए तो ये कर्नाटक के अन्य जिलों में भी फैल जायेगी और इससे बहुत अधिक व्यक्ति प्रभावित हो जायेंगे।

इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त इस मामले पर विचार करें और इस गम्भीर बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरन्त पर्याप्त कार्यवाही करें।

(दो) तमिलनाडु में सूखा राहत कार्य

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : माननीय प्रधान मन्त्री ने तमिलनाडु में सूखा राहत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि तथा 16000 टन अनाज मंजूर किया है। तमिलनाडु की वर्तमान भयावह स्थिति, जहां कि खाद्यान्न की अभूतपूर्व कमी है तथा अन्य क्षेत्रों में संकट उत्पन्न हो गया है और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, को देखते हुए यह राशि तथा अनाज की मात्रा बिल्कुल अपर्याप्त है। तमिलनाडु में सूखा राहत कार्यों के लिए धन तथा अनाज के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर करते समय, मेरा सुझाव है कि सब कार्यों की उचित रूप से जाँच की जानी चाहिए अन्यथा समूची केन्द्रीय सहायता उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, जिनके लिए मन्जूर की गई है।

वर्तमान परिस्थितियों में मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार को निदेश दे कि चावल का वितरण केवल उचित दर की दुकानों के माध्यम से ही किया जाये। दूसरे एक सर्वदलीय समिति द्वारा सभी स्तरों-तालुक, जिला और राज्य-पर सूखा राहत कार्यों की निरन्तर जांच की जाती रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अभिकरण को तमिलनाडु में राहत कार्यों का निरीक्षण करने में सतर्क रहना चाहिए।

(तीन) कोल्हापुर में रूग्ण इंजीनियरी इकाइयों को बैंकों से ऋण दिया जाना

श्रीमती संयोगिता राणे (पणजी) : कोल्हापुर के इन्जीनियरी एकक घोर संकट में हैं। यदि ये एक ठीक ढंग से नहीं चल पाते तो हजारों कर्मकार बेरोजगार हो जायेंगे। इस स्थिति पर कई उद्योगपतियों ने चिंता व्यक्त की है। उद्यमनगर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन एक करोड़ रुपये से घट कर 45 लाख रुपये रह गया है।

कोल्हापुर के तीन औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 1000 कारखाने हैं जो मशीनों के चालू फालतू पुर्जे बनाते हैं। बैंकों ने इन एककों को ऋण देना बन्द कर दिया है, जिस के परिणाम-स्वरूप उत्पादन 50 प्रतिशत कम हो गया है। 100 छोटे पैमाने के एकक बन्द हो गये हैं। यदि स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तो घारजी पाटिल उद्योगों के लगभग 16000 कर्मकारों के बेरोजगार हो जाने का आशंका है।

इस संदर्भ में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन एककों का सामान्य कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए वह बैंकों को ऋण देना जारी रखने का निदेश दें। बन्द हो गये 100 छोटे पैमाने के एककों को पुनः चालू करने के लिए तुरन्त एक एवं प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए।

(चार) ताड़ीखेत, अलमोड़ा में बन्द पड़ी कुमार ब्रोंज फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता आदि देना

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद अल्मोड़ा के ताड़ीखेत नामक स्थान में स्थित कुमार ब्रोंज फैक्टरी विगत 6 मास से बन्द है। कहीं से पैसे की प्राप्ति न देख कर इसे अचानक बन्द कर दिया गया है। मजबूरों का पहले वेतन का का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूर आंदोलन कर रहे हैं।

मैंने इस फैक्ट्री का संचालन अपने हाथ में लेने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने सिद्धांतः इस बात को तो मान लिया है कि विभिन्न वित्तीय संस्थायें इसे अपने पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लेंगी। लेकिन अभी तक इस निर्णय पर क्रियान्वयन आरम्भ न होने से जनता में धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि इस फैक्ट्री को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक सलाह मदद केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय को देनी चाहिये।

(पांच) देश के विभिन्न भागों में नहरों से पानी के रिसने को रोकने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में नहरों के किनारे खेतों में पानी भरे रहने के कारण लाखों एकड़ जमीन में खेती का काम नहीं हो पाता। ऐसे खेतों में न तो रबी की फसल हो पाती है और न खरीफ ही, जिससे बहुत से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। यह एक अत्यन्त भीषण समस्या है जिसका समाधान ढूंढना अति आवश्यक है। इस समस्या के हल के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इसमें पहल करे और सीपेज समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय स्तर पर सिंचाई मन्त्रालय द्वारा एक संगठन बनाया जाये जो विभिन्न राज्यों में जा कर इसका अध्ययन करे और प्रभावी कदम उठाये। राज्यों को इस कार्य के लिये अलग से धन दिया जाये ताकि "सीपेज" की समस्या के समाधान के वे लिए कार्यवाही कर सकें।

(छः) समुद्री नाविकों की माँगें

श्री एम० एम० लारेंस (इद्दुकी) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

भारत के कोने-कोने से अपने संकटग्रस्त परिवारों सहित नाविक नई दिल्ली में प्रधान मंत्री

के निवास स्थान पर धरना देने और उन्हें ज्ञापन देकर अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने आये थे।

नाविकों के भाग्य को सुधारने के लिए भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। दूसरी ओर वह जहाजों के मालिकों को राजसहायता और ऋण अदायगी को स्थगित करके उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता दे रही है परन्तु नाविकों, जिन्हें सरकार से सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है, को सहायता नहीं दी जा रही है। आजकल भारतीय पत्तनों में एक नाविक को 6 या 7 महीने काम मिलता है और दोबारा काम प्राप्त करने के लिए उसे 36 से 85 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

महोदय, नौवहन और परिवहन उद्योग में नाविकों के अतिरिक्त सभी श्रेणी के कर्मचारी स्थायी होते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 36 वर्ष पश्चात् भी नाविक ठेका-मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं जबकि मास्टर, छोटे अधिकारी और अन्य पदों के लोग स्थायी होते हैं। और नाविक सेरंग से लेकर नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। अधिकारियों को विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए मुआवजा दिया जाता है। जबकि साधारण नाविकों को, जो वास्तव में विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, कोई भी लाभ नहीं दिये जाते हैं। अधिकांश जहाज-मालिक जहाजों पर स्वास्थ्य के बारे में जो एतिहाती कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए वह भी नहीं करते हैं।

नाविकों के मामले में मजदूरी के सम्बन्ध में भी भेदभाव बरता जाता है। विदेशी कम्पनियां भी भारतीय तथा अन्य नाविकों को कम मजदूरी देती हैं जबकि यूरोपियन नाविकों को सामान्यतः अधिक मजदूरी दी जाती है। कुछ ब्रिटिश जहाजों पर भारतीय नाविकों को 800 रुपये प्रति मास वेतन मिलता है।

अन्ततः भारत सरकार ने नौवहन उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने फरवरी, 1982 में अपनी सिफारिशों का पहला भाग प्रस्तुत किया था। नन्दा समिति की 18-सूत्री सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नन्दा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिए लोकतांत्रिक मानदण्ड अपनायें और नाविकों की बहुत लम्बे समय से चली आ रही मांगों, जो फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया नामक उनके श्रमिक संघ ने प्रस्तुत की थी, को स्वीकार किया जाये।

(सात) भारत के टुकड़े करने की अमरीका की कथित योजना के बारे में 'पेट्रिअट' और 'लिंक' में प्रकाशित समाचार

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई, उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैंने हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान मैंने उस दस्तावेज की सच्चाई के बारे में छानबीन की थी जो 'लिंक' समाचार पत्रिका में "यू० एस० प्लान टू बालकेनाइज इंडिया" शीर्षक के अन्तर्गत

प्रकाशित हुआ था। इस दस्तावेज के कुछ उद्धरण 'पैट्रीआट' नामक समाचार पत्र में पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। (व्यवधान)

छानबीन से, पता चला कि यह दस्तावेज एक जाली दस्तावेज है और किसी ऐसी संस्था ने प्रकाशित करवाया है जो भारत और अमरीका के सुधरते हुए सम्बन्धों में कटुता पैदा करना चाहती है। भारत-अमरीकी सम्बन्धों में प्रधान मन्त्री की हाल की ही वाशिंगटन के यात्रा के परिणामस्वरूप सुधार होना शुरू हुआ था।

इस गलत समाचार के अनुसार यह अमरीकी योजना, संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत द्वारा वाशिंगटन में फरवरी, 1982 में कंजरवेटिव पोलिटिकल एक्शन कान्फ्रेंस में दिए गए गुप्त भाषण में निहित बताई गई है। मेरी छानबीन से पता चला कि उस महिला राजदूत ने 1982 में इस कान्फ्रेंस में कभी भी भाषण नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी पता चला है कि कंजरवेटिव पालिटिकल एक्शन कान्फ्रेंस की बैठकें संवाददाताओं के लिए खुली होती हैं और उनसे सम्बन्धित समाचार वाशिंगटन के स्थानीय समाचार पत्रों में छपते हैं। 1982 की बैठक में वाशिंगटन पोस्ट' नामक समाचार-पत्र के संवाददाता उपस्थित थे किन्तु उस स्थानीय समाचार-पत्र की रिपोर्ट में इस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

'पैट्रीअट' और 'लिंक' में प्रकाशित हुए इस दस्तावेज की फोटो कापी प्राप्त करने के लिए मेरे और कुछ अन्य लोगों के प्रयत्न विफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 'पैट्रीअट' और 'लिंक' में प्रकाशित उक्त दस्तावेज का यह पाठ इंगलिश वर्तनी में है अमरीकी वर्तनी में नहीं। इससे इसकी सत्यता के बारे में और भी संदेह पैदा होता है।

भारत के लोगों का अमरीकी सरकार की नीतियों के साथ काफी मतभेद है। परन्तु यह दस्तावेज इस गलत सूचना से हमारी राय को प्रभावित करने और हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया है। हम नहीं चाहते कि कोई तीसरी पार्टी भारत-अमरीकी सम्बन्धों को नियंत्रित और प्रभावित करे।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह 'लिंक' और 'पैट्रीआट' ग्रुप के समाचार-पत्रों से इस समाचार की फोटो-कापी प्राप्त करके सभा पटल पर रखे और उसे पूर्ण जांच के लिए प्रेस परिषद् को सौंप दें··· (व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने इसकी अनुमति इन्हें कैसे दे दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने इन्हें अनुमति दी है। इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता।

(आठ) रेल कुलियों की सेवाओं को नियमित करना और उनकी दशा सुधारना

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कम महानुभाव मिलेंगे, जिन्होंने रेल स्टेशनों पर लाल वर्दी पहने और बाजू पर पीतल का नम्बरों का बिल्ला लगाए हुए कुली को न देखा हो। ट्रंक, पर ट्रंक और बिस्तर, अटैची तथा साथ में छोटी-बड़ी भारी भरकम चीजों को

अपने सिर और बाहुओं पर लादे चढ़ते-उतरते और चलते इन कुलियों की जिन्दगी पशुओं से भी बदतर होगी, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा हो।

आज कुलियों की हालत क्या है ? इन्हें हजारों रुपये लेकर भर्ती किया जाता है। बजाय इन्हें कुछ देने के रेलवे विभाग इनसे 5 रुपया महीना वसूल करता है। इनका सामान एक कनस्तर में बन्द रहता है। उसी में खाने-पीने का सामान और उसी में पहनने के कपड़े। सोने की जगह भी नहीं मिलती। पारियों में सोना पड़ता है। अगर कोई कुली 7 घंटे से अधिक सोये तो हाथ पकड़कर उठा दिया जाता है। बोझा ढोते-ढोते इनके कन्धे दोहरे हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में पानी भर जाता है, सिर और टांगें कमजोर हो जाती हैं। पचास वर्ष की आयु के बाद इनमें से अधिकांश क्षय रोग का शिकार होते हैं। लेकिन रेलवे अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो सकता, यह विडम्बना नहीं तो क्या है ? क्या बन्धुआ मजदूरों से भी इनकी हालत शोचनीय नहीं है?

इस समय देश में लगभग 25 हजार कुली हैं, जो असुविधा का जीवन जी रहे हैं। इनका कोई भविष्य नहीं, इन्हें शिक्षित करने की कोई योजना नहीं है।

श्रीमान रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन कुलियों को नियमित सेवा में लिया जाये। अन्य रेल कर्मचारियों की तरह उन्हें भी प्राविडेंट फंड और ग्रेच्युटी प्रदान की जाये। उन्हें रहने के लिये भूमि, मकान बनाने के लिये कर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ दिया जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का निपटारा करने के लिए एक आयोग गठित करने की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० के० तिवारी।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाता हूं और यह मांग करता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें **(व्यवधान)**

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच इनके बलिया और भोजपुर जिलों में गंगा नदी द्वारा अपना बहाव बदले जाने के कारण बहुत लम्बे समय से सीमा विवाद लगातार चलता आ रहा है। इस विवाद से प्रभावित इस जिलों के किसानों ने इस मामले में अदालतों की शरण ली है और इस बारे में अनेक मुकदमे चल रहे हैं। इस विवाद के कारण वहां हिंसक झगड़े भी हो जाते हैं। बिहार की हजारों एकड़ भूमि पर उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा अधिकारियों की सहायता से जबरन कब्जा किये जाने के कारण उस पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

ऐसा समाचार है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में बड़ा अत्याचार किया है और पिछले सप्ताह उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नैनीजोरे गांव के चार व्यक्तियों को उस समय मार दिया है जबकि वे उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा पुलिस की सहायता से अवैध रूप से फसल काटे जाने का विरोध कर रहे थे।

संसद् द्वारा पारित किए गए अधिनियम और विवाद के सम्बन्ध में त्रिवेदी आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के उपबन्धों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है।

मेरे प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में मंत्री महोदय ने बताया था कि केन्द्रीय सरकार इस मामले पर उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों से पारस्परिक समझौते के लिए विचार-विमर्श करेगी किन्तु दुर्भाग्य से इस सम्बन्ध में कुछ भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के हजारों किसान भूमिहीन हो गए हैं और बड़ी ही शोचनीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गत दो वर्षों में भोजपुर जिले में जो लगभग 20 किसान मारे गए हैं उनके सम्बन्ध में न्यायिक जांच करवायें और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दे तथा एक आयोग बैठाये जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच विद्यमान सीमा विवाद के अन्तिम रूप से निपटारे के लिए कार्यवाही करे। आप गृह मन्त्री को आदेश दें कि वह इस बारे में वक्तव्य दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद को लेते हैं।

———

अनुदानों की मांगें, 1983-84—जारी

रक्षा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में रक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 18 से 23 पर चर्चा और मतदान किया जायेगा जिसके लिए 7 घंटे का समय नियत किया गया है।

सर्वश्री भोगेन्द्र झा, आनन्द पाठक और हेमवती नन्दन बहुगुणा ने रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यदि वे सभा में उपस्थित हैं और अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो वे कटौती प्रस्तावों की संख्या बताते हुए 15 मिनट के अन्दर अपनी पर्चियां सभा-पटल पर भेज दें और इस प्रकार से बताये गये कटौती प्रस्ताव पेश किए माने जायेंगे।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सामान्यत: रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 18 से 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जायें।"

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्य बातों पर जाने से पहले सरकार की रक्षा नीति के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

सैनिक प्रगति और उसकी क्षमता से देश में हुई राजनीतिक और आर्थिक प्रगति का पता

चलता है। इस दृष्टि से, रणनीति तैयार करते हुए हमें उपलब्ध हर साधन का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। हमें स्वप्नों के संसार में न रहकर देश में विद्यमान संभावनाओं को इसका आधार बनाना चाहिए। भारत की रणनीति साम्राज्यवादी पद्धति पर आधारित नहीं की जा सकती। यदि हम सैनिक दृष्टि से मजबूत होना चाहते हैं तो हमें सामाजिक दृष्टि से भी संगठित होना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की कठिनाइयों को आपस में बांट लेना चाहिए और सभी वर्गों के लोगों के बेहतर जीवन के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत होना चाहिए। ऐसा किए बिना हम लक्ष्य प्राप्त न कर सकेंगे। आज रक्षा अन्य विषयों से अलग-थलग नहीं है। आज की रक्षा नीति का आदर्श है देश की सम्पूर्ण और सर्वांगीण रूप से रक्षा करना। शांति के दिनों में लोगों और राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और युद्ध के दिनों में सभी प्रयत्न देश की रक्षा के लिए होने चाहिएं।

हमारे देश में रक्षा सम्बन्धी धारणा साम्राज्यवाद विरोधी और नव-उपनिवेशवाद विरोधी विचारधाराओं पर आधारित होनी चाहिए परन्तु हमारी सरकार ने प्रारम्भ से ही साम्राज्यवादी ताकतों और नव-उपनिवेशवादी ताकतों से समझौता किया है जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस नीति से लोगों का हित होने वाला नहीं है। हमारी रक्षा नीति भी पुराने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है। हमारी सरकार ने रक्षा नीति उसी पद्धति है। हमारी सरकार लोगों में विश्वास नहीं करती। सरकार देश की रक्षा के लिए सभी लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देने की हिम्मत नहीं है। लोगों को यह जानना चाहिए कि रक्षा किसकी करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है। सेना में तो लोगों को संख्या बहुत ही सीमित होती है। जबकि देश के सभी लोगों को देश की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए परन्तु यह विचार हमारी सरकार के ध्यान में बिल्कुल नहीं आता है। हमारी सरकार तो शस्त्रास्त्र, प्रौद्योगिकी तथा विचारों तक की खरीद के लिए साम्राज्यवादी ताकतों पर निर्भर करती है। यदि हम रक्षा कर्मचारियों को सैनिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हम उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका भेजते हैं जोकि हमारे शत्रु हैं और जिन्होंने वर्षों तक हमारे देश को लूटा है। हम अपने सैनिक कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए इन देशों को भेजते हैं। यदि हम उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें सोवियत रूस भेज देते हैं। यदि हम उन्हें थल सेना सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका और इंग्लैंड भेज दिया जाता है। श्री वेंकटरामन और उनके साथियों का सम्पूर्ण विचार यही है। हम इस विचारधारा से सहमत नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तो बहुत ही गम्भीर आरोप है।

श्री हन्नान मोल्लाह : अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बड़े देशों के बीच चल रही होड़ का जिक्र किया है। सरकार निरस्त्रीकरण के बारे में बड़ी ताकतों की भूमिका की आलोचना करती है। ऐसा वक्तव्य देना ठीक नहीं है। यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कौन साम्राज्यवादी षडयंत्र के खिलाफ युद्ध कर रहा और कौन शांति के लिए लड़ रहा है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बड़ी शक्तियां तो युद्ध के बारे में बात

कर रही हैं परन्तु हमारी सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादियों, जो मानवता के विरुद्ध युद्ध करने पर उतारू हैं, का विरोध करने के लिए अपने लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वे अपने देश के लोगों को युद्ध के प्रयासों का विरोध करने के लिए भी प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वे तो पाकिस्तान द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाये जाने की बात करते हैं और ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जिसमें लोग युद्ध और परमाणु युद्ध के बारे में विचार करते रहें और चिंतित हों। सरकार की नीति साम्राज्य-वाद विरोधी और नव उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा पर आधारित नहीं है। इसीलिए हमारा उनके साथ मतभेद है। हमारी रक्षा नीति में लोगों का लोकतांत्रिक आधार पर सहयोग अवश्य होना चाहिए।

रक्षा के मामलों में आवश्यकता से अधिक गोपनीयता बरती जाती है। यह भी साम्राज्य-वादियों की ही देन है। सरकार लोगों से हर बात को छिपाती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो देश में घट रही हैं, रक्षा के बारे में घट रही हैं और जिनके बारे में हमारे शत्रुओं को तो पता है लेकिन लोगों और संसद् सदस्यों को बिल्कुल मालूम नहीं है। रक्षा के मामले में और रक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार कुप्रबन्ध और ऐसी ही अन्य बातें हो रही हैं। मैं उनके बारे में बाद में उल्लेख करूंगा। इन बातों तक हमारी पहुंच बिल्कुल नहीं है। रक्षा संगठन के भीतर क्या हो रहा है, यह किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि यहां गोपनीयता जरूरत से ज्यादा है। इसमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारी सरकार रक्षा के मामले में लोगों का योगदान लेने में विफल रही है। लोगों को बड़े पैमाने पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देश में आज अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में, यदि हम लोगों को अनुशासनबद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें यथा-संभव प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सशस्त्र सेना के जवानों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। सशस्त्र सेना में अधि-कारियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं परन्तु उन्हें अधिक आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।*

जबकि जो आदमी वास्तव में लड़ते हैं उनको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं उन्हें तो यह डर लगा रहता है कि……

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : सशस्त्र सेना के अधिकारियों पर इस प्रकार सामान्य रूप से और लापरवाही के साथ आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि*

मैं इस पर आपत्ति करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : वह तो मार्क्सवादी है। आप उसे क्षमा करें।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : वह संसद् के माननीय सदस्य हैं और ये बातें कार्यवाही वृतान्त में शामिल की जायेंगी।

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने तो केवल कहा है कि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा ।

श्री के० पी० सिंह देव : जो व्यक्ति अपने बचाव में कुछ भी कहने के लिए यहां उपस्थित नहीं है, उनके बारे में इस प्रकार आरोप लगाया जाना उचित नहीं है । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने गलती क्या की है ?

श्री के० पी० सिंह देव : उन्होंने कहा है कि*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्होंने तो केवल यह कहा है कि उन्हें प्रभावित किया जा सकता है ।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि वह कार्यवाही वृतान्त देखेंगे और आप जानते हैं कि इसके बाद वह क्या करेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री हन्नान मोल्लाह : तीसरी बात यह है कि भर्ती के मामले में भी भेदभाव है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि रक्षा के मामले में बोलते हुए वे अपने आप को नियंत्रित रखें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे सेना को एक प्रतिक्रियावादी ताकत समझते हैं ।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह तो किसी ने नहीं कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने आप को नियंत्रित रखें ।

श्री हन्नान मोल्लाह : तीसरे बहुत से राज्यों ने शिकायत की है कि भर्ती के मामले में पक्षपात किया जाता है । देश के विभिन्न भागों से व्यक्तियों को भर्ती करने के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए । हम सरकार की इस नीति से सहमत नहीं । यह न तो साम्राज्यवाद विरोधी, नव उपनिवेशवाद विरोधी है और न ही लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है ।

अब मैं रक्षा मन्त्रालय की गतिविधियों के बारे में कुछ कहूंगा । जैसे मैंने कहा है रक्षा के लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार, उचित औद्योगिकीकरण तथा जनता की भलाई होनी चाहिये । लेकिन सरकार क्या कर रही है । वह तो 60% लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रख रही है, उन्हें अनाज, कपड़ा और आवास नहीं मिलता । वे लोग देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं । रक्षा को विकास से अलग करके नहीं देखा जा सकता । अकेले रक्षा की तैयारी नहीं की जा सकती ।

एक बात और है । यह युग राजनयिक पहल करने का है और इस साधन का प्रयोग

* अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

उचित रूप में होना चाहिये। कई बार आप इस क्षेत्र में बुरी तरह असफल रहते हैं ? लेकिन निर्गुट सम्मेलन की सफलता को देखते हुए हमें जो भूमिका मिली है और शान्ति बनाये रखने तथा विकास कार्य जारी रखने के लिए हमें राजनयिक पहल अधिक से अधिक करनी चाहिये और नीति का जोरदार पालन करना चाहिये।

अब मैं मंत्रालय के कुछ पहलुओं पर आता हूं। लोकतांत्रिक देश की प्रभावी रक्षा के लिए हमें प्रभावी आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी चाहिये। सरकार रोज आत्मनिर्भरता की बातें करती है लेकिन हो क्या रहा है—'हाल' 1940 में स्थापित किया गया था। यह संगठन अदूरदर्शी नीतियों, खराब निर्णयों, बुरी तरह उपेक्षा और मंत्रालय तथा वायु सेना द्वारा निरुत्साहित किये जाने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

वायु सेना लगातार आयात करती रहने का आसान मार्ग चुनती रही है। वे आत्मनिर्भरता विरोधी है। हमारी नौकरशाही के निर्णय तथा भ्रष्टाचार, आयात के लिए तत्पर लोग सभी आत्म-निर्भरता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 15 वर्षों में सुब्रह्मण्यम समिति तथा राज्याध्यक्ष समिति की रिपोर्टों पर धूल जम रही है। उन्हें लागू नहीं किया गया है।

गत 20 वर्षों में 'हाल' को कोई मुख्य डिजाइन परियोजना नहीं सौंपी गई है। तब आत्म-निर्भरता कैसे आ सकती है। 'हाल' बजट का केवल 1% डिजाइन तथा अन्य गतिविधियों के लिए रखा जाता है।

जी टी एक्स इंजन की विकास परियोजना बहुत अच्छी है और हमने आधुनिक जी टी एक्स (बी) वायुयान इंजन के विकास का प्रयास किया। इस कार्य को जी टी आर ई को सौंपा गया। लेकिन 10 वर्षों से इस अच्छे कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई। मन्त्रालय के प्रति-वेदन में कहा गया है कि 8 से 12 वर्ष और लगेंगे। जब तक यह बनेगा तब तक पुराना पड़ जायेगा। रक्षा के विकास कार्यों के प्रति सरकार का यह दृष्टिकोण है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि गत वर्ष कम से कम 1600 करोड़ रुपये विदेशों से शस्त्रों की खरीद पर व्यय किए गए जिसमें से 60 से 160 करोड़ रुपये कमीशन के हो जाते हैं। इससे रक्षा को ही हानि होगी। गोपनीय रखने के बहाने रक्षा मंत्रालय में यह स्थिति चल रही है।

तब लाइसेंस शुदा उत्पादन पर इतनी अधिक निर्भरता क्यों है। इसे दूर किया जाये। यह साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी देशों का इस गरीब देश पर एक शिकंजा कसा हुआ है। देश में 'स्वयं करो' के आधार पर कार्य करने की भावना क्यों नहीं जगायी जाती। मैं यह जानना चाहता हूं।

प्रतिवेदन में कई बातें है। प्रस्तावित आयोजना आदि है। लेकिन कोई सुनियोजित योजना नहीं है। कोई सूझ-बूझ नहीं है।

आपको पता है कि विद्युत उपकरणों का आधुनिक युद्धों में क्या महत्व है। लेकिन हम

उनका विकास नहीं कर रहे और बहुराष्ट्रीय निकाय इस क्षेत्र में आ रहे हैं। हमारे उद्योगों को नौसेना और तटरक्षकों की सहायता करनी चाहिये।

अनुसंधान और विकास पर हमारा खर्च बजट का केवल 2 प्रतिशत है। उसका भी उचित उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि हमारी सशस्त्र सेनाओं की भावी जरूरतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उपकरणों का ठीक चुनाव नहीं किया जाता और आयात की इच्छा बढ़ती जाती है जिससे संगठन का कार्य ठीक नहीं चलता।

सबसे बुरी बात यह है कि करोड़ों रुपयों का अपव्यय हो रहा है।

निर्णय लेने वालों की गलतियों के कारण वित्तीय साधनों का अपव्यय हो रहा है। आप अजीत विमान का उदाहरण लें। इसका ठीक विकास नहीं किया गया। लोक लेखा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 'हाल' में 16.73 करोड़ रुपये का सामान बेकार हो गया है।

लोक लेखा समिति ने एन्टी-टैंक-मिसाइल की परियोजना का भी उल्लेख किया है जिसे 1962 में शुरू किया गया था। लेकिन काफी समय के बाद भी हम इसका विकास नहीं कर पाये और उसे छोड़ देना पड़ा। हमने इसके लिये 4.5 करोड़ रुपये का सामान आयात किया था। लेकिन तदर्थ निर्णय लेने की नीति के कारण मंत्रालय और वायु सेना में यह बात हो रही है।

मैं एक अन्य उदाहरण देता हूं। 1965 में यह अनुभव किया गया कि एच० टी० 2 प्रशिक्षक विमान के स्थान पर हमारे यहां प्रशिक्षक विमान का विकास करके चालकों को प्रशिक्षण दिया जाये। उस पर 15 वर्ष लग गये हैं लेकिन हम विकास नहीं कर पाये और प्रस्ताव रद्द कर देना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1965 से लेकर अब तक 251 दुर्घटनायें और 527 घटनायें हो चुकी हैं जिनमें बहुत सी जानें गयीं। सरकार की यह अपराधपूर्ण लापरवाही है। सरकार ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण विमानों का पक्षियों से टकराना है।

मैं 'नेट' विमान का उदाहरण देता हूं। 1965 से 1980 तक 613 बड़ी दुर्घटनायें और 624 छोटी दुर्घटनायें हुईं। 'हन्टर' विमानों में चार चालक तथा 'नेट' में 19 चालकों की जानें गयीं। इन बातों को वे गुप्त रखने का बहाना बनाते हैं। वे विमान का विकास नहीं कर पाये और नये विमान खरीदने के लिए 153.52 करोड़ रुपये खर्च हो गये। महोदय, डी० आर० डी० एल० को एंटी-टैंक-मिसाइल प्रणाली के विकास का कार्य सौंपा गया था लेकिन वहां भी ऐसा ही हुआ। कई वर्षों के बाद इस योजना को छोड़ दिया गया और 4 करोड़ के मूल्य का सामान पश्चिमी देशों से मंगाया गया।

लोक लेखा समिति ने 123वें प्रतिवेदन में जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं।

"अत: समिति पहले की गई टिप्पणियों को दोहराती है कि मामलों में तदर्थ निर्णय लेने की बात दिखायी पड़ती है। और वायुसेना की जरूरतों के अनुसार सूझबूझ से योजना नहीं बनायी जाती।"

उपाध्यक्ष महोदय : गलत है।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह हमारी रक्षा का प्रश्न है। हम सरकार को इतना पैसा बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमारे राजस्व के प्रत्येक रुपये में से 27 पैसे रक्षा पर खर्च होते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं, 17 पसे।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, इस प्रकार हम लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रखते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं। हम दिन रात पाकिस्तान के बारे में चिल्लाते रहते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या हम उनका सामना कर सकते हैं जबकि हमारा कार्य इस प्रकार हो रहा हो। 'सेंचूरियन' टैंकों का क्या हुआ जिन्हें हमने अपने मित्रों को बेच दिया था। वे दक्षिणी अफ्रीकी के देशों में पहुंच गए। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य टैंकों का क्या हुआ। 300 टैंक अन्य देशों को स्क्रेप के रूप में बेचे गये लेकिन जो बचे थे उनका क्या हुआ।

दूसरी बात यह है कि सैनिक कर्मचारियों को इस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि वे लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं...एक अधिकारी* को युद्ध के मोर्चे से हटाया गया था*

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे इस कथन पर आपत्ति है। सदस्य महोदय के लिये यह कहना अनुचित है। हमारे संसदीय वाद-विवाद में यह सर्वविदित सिद्धान्त है कि हम उन व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगाते, जो यहां अपनी रक्षा नहीं कर पाते। यदि सदस्य को कोई शिकायत है तो वह मुझे लिख कर दें। कुछ व्यक्तियों ने मुझे पत्र लिखे और मैंने उनके उत्तर दिये हैं। अतः मुझे इस कथन पर आपत्ति है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि ऐसा कोई मामला समाचारपत्रों में छपता है तो मंत्री का कर्तव्य है कि वह उससे इंकार करे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह तो समाचारपत्रों में छपा है। उन्होंने त्रिपुरा की वामपंथी सरकार का खुला विरोध किया है।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे आपकी अज्ञानता पर तरस आता है। मैंने उससे इन्कार किया था।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं इस बात* की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : आप इस सभा में किसी कमांडर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मुझे इस पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप रक्षा नीति के बारे में कह सकते हैं। यदि आपने ऐसा कहना था तो मुझे लिखित सूचना दी जानी चाहिये थी। तब मैं उस पर विचार करता। लेकिन आप

*कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

तत्काल ही एक अधिकारी के बारे में कह रहे हैं। उस पर आरोप लगा रहे हैं। बिना लिखित सूचना के आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं कहना चाहता हूं कि उस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप किसी अधिकारी पर आरोप लगायें तो आप मुझे लिखित सूचना देकर मेरी अनुमति लें।

श्री हन्नान मोल्लाह :*

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मुझे आपत्ति है। मैं विरोध करता हूं वह किसी अधिकारी का नाम नहीं ले सकते। यदि कोई आरोप है, तो उन्हें मुझे या आपको लिखकर देना चाहिए था। हमारे अधिकारियों पर ही आरोपण करना इस सभा की गरिमा को नीचे गिराना है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई यह कहता है कि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं तो कोई कुछ क्यों नहीं कहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कहने के दबाव में उन्होंने कहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या माननीय सदस्य बैठ जायेंगे। मैं उनको उत्तर दूंगा।

यदि वे कहते हैं कि सभी सैनिक अधिकारी भ्रष्ट हैं तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा लेकिन यदि वे कहते हैं कि यह अधिकारी, तो मुझे आपत्ति है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह ठीक है।

श्री हन्नान मोल्लाह : सरकार अपने अधिकारियों के साथ किस प्रकार भेदभाव करती है इसलिये मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। 80 प्रतिशत वायु सेना के कर्मचारी अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी तो केवल 20 प्रतिशत हैं। 26 जनवरी को सरकार ने उनका वेतन बढ़ा दिया और अन्य लाभ दे दिये। उड़न शाखा के अधिकारियों को 1850 रुपये, जिसमें फ्लाइंग बाउंटी 1000 रुपये, विमान में राशन 400 रुपये, दैनिक राशन 400 रुपये और आवास किराया 300 रुपये शामिल है। कुल मिलाकर यह 4000 रुपये बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर कर भी देना होना है।

श्री हन्नान मोल्लाह : इसके अतिरिक्त उन्हें डी० ए०, टी० ए०, स्टेशन से बाहर रहने का भत्ता, परिवार से अलग रहने का भत्ता, प्रारम्भिक आउटफिट भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता, नवीकरण आउटफिट भत्ता आदि भी मिलते हैं। जो आपको मिलता है उससे यह चार-पांच गुना बैठता है। जबकि ग्रुप 2 के एयरमैन को केवल 580 रुपये वेतन मिलता है। दैनिक राशन के लिये 204 रुपये और मकान का किराया 45 रुपये मिलता है जो कुल मिलाकर 829 रुपये बैठता है।

*कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

चतुर्थ श्रेणी को 465 रुपये वेतन मिलता है जिसमें दैनिक राशन 204 रुपये। मकान किराया 45 रुपये है, इस प्रकार कुल 714 रुपये बैठता है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : परिवार से अलग रहने का भत्ता नहीं मिलता।

श्री हन्नान मोल्लाह : नहीं। अपनी जुबली वर्ष में नीचे ग्रेड के कर्मचारियों का क्या लाभ हुआ है। उनका वस्त्र भत्ता तथा अन्य राशन भत्ते में कमी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने स्पष्टीकरण के लिए मैं एक बात कहूंगा। पश्चिमी बंगाल सरकार के सचिव को क्या मिलता है या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को क्या मिलता है। यह संगत विषय नहीं है। आप सीधी बात करें।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब आप इसे समाजवादी राज्य बनायेंगे तब आपको देखना ही होगा। बुर्जुवा राज्य की बात अलग है।

श्री हन्नान मोल्लाह : एयरमैन के वस्त्र भत्ते और राशन भत्ते में कमी हुई है। सरकार को पता है कि कई एयरमैन इससे दुखी होकर आत्महत्या कर सकते हैं। इसलिये सरकार ने उनकी आत्मा को शाँति के लिये देहावसान भत्ता बढ़ा दिया है। नवीनतम नीति के अनुसार एककों की स्थापना में कमी की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शायद अन्तिम बात पर आ गए हैं क्योंकि आप देहावसान के बारे में बोल रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : इन आदमियों का कार्यभार बढ़ा है। लेकिन पदोन्नति सम्बन्धी नीति त्रुटिपूर्ण है। जिससे असंतोष पैदा रहा है। योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एयरमैनों ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कानपुर, अम्बाला, पुणे और दिल्ली में पोस्टरों पर नारे लिखे थे। उन्होंने वायुसेना के विरुद्ध नारे लगाये और हड़ताल की। हाकिमपट, सिकन्दराबाद में भी ऐसे नारे लगाए गए। ऐयरमैन अपनी ड्यूटी पर बिना वर्दी के आए। उनके मनोबल में कमी हुई है। इसके कारण विमान दुर्घटनायें भी बढ़ सकती हैं। इनकी अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये।

महोदय, रक्षा कर्मचारियों की स्थिति क्या है? उनके लोकताँत्रिक अधिकारों का पूरा सम्मान नहीं किया जाता। साढ़े पाँच लाख कर्मचारियों में से एम० ई० एस० आर० एण्ड डी० वायुसेना, दुग्ध फार्म, सप्लाई डिपो आदि के 2-1/2 लाख कर्मचारियों को आज तक बोनस नहीं दिया गया। विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति और ओबराय समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया।

विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों का शोषण होता है। कोरडाइट कारखाना, आरयणकाडु, आयुध कारखाना चन्द्रपुर, वाहन कारखाना, जबलपुर तथा आयुध कारखाना, अम्बाझेरी में कर्मचारी अभी तक निलम्बित हैं। इन कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे ही उत्पादकता परिषद का बोनस निकाय है। इन संगठनों में कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं। प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करना चाहते।

सीमा सड़क संगठन में बहुत से कर्मचारी हैं। उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जांच होनी चाहिए। डी जी आई विभाग में सिविलियन तथा सेना के अधिकारियों के बीच कितने मतभेद की नीति अपनाई गई है, उसके बारे में मैं मंत्री जी को कई बार लिख चुका हूं। उन्हें वैज्ञानिक अधिकारियों के समकक्ष मानकर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। इन सभी बातों से सर्वत्र असंतोष है। इस कारण वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते।

मेरा दूसरा प्रश्न भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है। हर वर्ष लगभग 55,000 सेना-कर्मचारी देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग व्यतीत करने के बाद सेवा-निवृत्त होते हैं। उनके लिए बहुत-सी चीजें उचित रूप से नहीं की जाती हैं। उन्हें कुछ अर्ध सैनिक बलों में स्वयं मेव क्यों अन्तरित नहीं किया जा सकता? ऐसा आसानी से किया जा सकता है। समान पेंशन का प्रश्न काफी समय से लटका हुआ है। सेवा-निवृत्ति के बाद उनके किए कोई चिकित्सा-सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यदि उन्हें कोई नौकरी मिल जाती है तो वेतन के नियतन के लिए उनकी पिछली सेवा को नहीं गिना जाता है। ये लोग यहां 'बोट क्लब' पर एक रैली आयोजित करना चाहते थे किन्तु सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ किया जाता है उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा? क्या भूतपूर्व सैनिकों के साथ इसी तरह व्यवहार करना चाहिए? इसलिए इस बात पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

मैं तट-रक्षक के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। हमारी सरकार विशाल एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भारत की 5500 किलोमीटर की तट लाइन का संरक्षण करने के बारे में निरन्तर बात कर रही है। तथापि, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति उचित नहीं है। इससे तट रक्षक संगठन को बिलकुल सहायता नहीं मिल रही है। सरकार की नीति से स्वस्थ तट रक्षक संगठन के विकास का ह्रास हो रहा है। मन्त्रालय ने जहाज तथा वायुयान अर्जित करने के इस संगठन के प्रस्तावों पर जिस तरह विचार किया है उससे उसे अपने प्रयासों में बार-बार निराशा प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई निहित स्वार्थों के कारण मन्त्रालय का दृष्टि-कोण वास्तविक तथा निष्पक्ष नहीं रहा है। तट-रक्षक संगठन अब भी नौसेना और वायुसेना की दया पर निर्भर है और उसने स्वतंत्र स्वरूप व सत्ता हासिल नहीं की है। इसलिए, इस विभाग में ऐसी स्थिति चल रही है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारा नौसैनिक प्रतिरक्षा का समूचा दृष्टिकोण बहुत दोषपूर्ण प्रतीत होता है। मुझे आशा है कि हमारी नौसेना फाकलैंड संघर्ष से सही सबक सीखेगी। खर्चीला तथा असुरक्षित वायुयान वाहक के रख-रखाव पर जो बल दिया जाता है वह मोबाइल मिसाइल पोतों तथा पनडुब्बियों पर दिया जाना चाहिए। प्रतिरक्षा सम्बन्धी इन उपकरणों वायु-यान वाहकों तथा पनडुब्बियों का देश में निर्माण किया जाना चाहिए। इस समय आई० एन० एस० विक्रान्त के रख-रखाव पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है जो व्यर्थ है। हम इन चीजों के रख-रखाव पर बहुत बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए आवंटित भारी राशि का व्यय करने के लिए उचित रूप से दिशा निर्धारित नहीं की है। गुमराह निहित स्वार्थों के निदेश में धन खर्च किया जा रहा है।

इसलिए मैं अपने सैनिकों तथा कर्मचारियों को अपने को कर्त्तव्यपरायण कठिन तथा महत्वपूर्ण कार्य में रत रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और उनके कल्याण का ध्यान रखना राष्ट्र का कर्तव्य है। किन्तु हमें उनके नाम पर भ्रष्टाचार तथा निधियों के दुरुपयोग को रक्षा मन्त्रालय के भीतर चल रहा है, नहीं चलने देना चाहिए। हमें वहां ऐसी स्थिति नहीं बनी रहनी देनी चाहिए। रक्षा मन्त्री श्री वेंकटरमन का सदस्यगण बहुत आदर करते हैं और उन्हें इस सदन के सदस्यों से आम समर्थन मिलता है। किन्तु इसके साथ-साथ मैं उन्हें सावधान करना चाहूंगा कि इस सदन से उन्हें जो समर्थन प्राप्त होता है उसका वह दुरुपयोग न करें। अब वे पाकिस्तान की युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं। किन्तु मैं पूछता हूं : क्या हमारी रक्षा सम्बन्धी युद्धनीतियों को सुदृढ़ करने का यह तरीका है ताकि जब पाकिस्तान की ओर से हमला हो आप देश की रक्षा कर सकेंगे ? इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से इन सभी मामलों पर जो मैंने उठाये हैं विचार करने की और यह सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी किसी भी तरह किसी अन्य देश की तैयारी के मुकाबले विशेषकर विश्व के साम्राज्यवादी देशों के वर्तमान षड़यन्त्रों के सन्दर्भ में घटिया न हो।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अधिकारियों तथा जवानों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतंत्र की विचारधारा में जो हमारे संविधान का लक्ष्य है, प्रशिक्षित करने की आवश्यकता। (1)]

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाए।"

[स्वतन्त्रता-प्राप्ति से अब तक भारत पर हुए आक्रमणों के पीछे नव-उपनिवेशवाद के राजनैतिक-आर्थिक उद्देश्यों से अधिकारियों और जवानों को परिचित कराने की आवश्यकता। (2)]

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[मधुबनी (बिहार) में स्थायी रूप से बसे हुए भूतपूर्व-सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति, जो उनके बंगाली होने के आधार पर बन्द कर दी गई है, पुनः देने की आवश्यकता। (3)]

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों तथा जवानों के लिए एक ही कैन्टीन की आवश्यकता। (4)]

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सशस्त्र सेनाओं में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों की तुलना में पदोन्नत अधिकारियों का अनुपात बढ़ाने की आवश्यकता। (5)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को पर्याप्त राज-सहायता देकर स्व-नियोजन के उत्पादनशील कार्य आरम्भ करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता। (6)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[मधुबनी (बिहार) में स्थायी रूप से बसे हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों का राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा अस्वीकार किया जाना। (7)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सभी भूतपूर्व सैनिकों को को स्व-नियोजन हेतु रियायती दर पर ऋण तथा राज-सहायता देकर उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता। (8)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

सशस्त्र सेनाओं के सभी तीनों अंगों में अधिकारियों तथा जवानों के लिए एक ही भोजनालय रखने की आवश्यकता। (9)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिए गए आधुनिक हथियारों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए रक्षा उपकरण बनाने तथा प्राप्त करने की आवश्यकता। (10)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता (11)]

"कि रक्षा सेवाएं-वायु सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दरभंगा में बनाए गये हवाई अड्डे का पूर्ण उपयोग करने की आवश्वकता (13)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[जिला होशियारपुर (पंजाब) में नई छावनी के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान को बदलने की आवश्यकता क्योंकि इसके कारण 10,000 हरिजनों समेत 30 हजार की आबादी वाले 16 गांवों और 8 लाख पेड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा इसका स्थान बदलकर इसे ऐसे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता जहां सम्पत्ति को कम से कम हानि हो (17)]

श्री आर०एस० स्पैरो (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मन्त्रालय के सम्बन्ध में बरार की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

वर्ष 1983-84 के लिए इस शीर्षक के अन्तर्गत बजट में पर्याप्त वृद्धि की गई है। जिसकी पूर्ति के लिए वित्त मन्त्री जी ने बजट में व्यवस्था की है। इस अध्यारोही आवश्यकता को इस प्रकार पूरी करने के सम्बन्ध में हाई कमान की जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं आगे स्पष्टीकरण करके इस कथन के महत्व का सुस्पष्ट करूंगा।

विश्व में युद्ध सम्बन्ध योजनाओं, नीतियों तथा तैयारी का भारत पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। चौतरफा हलचल, अस्थिरता, पारस्पारिक अविश्वास, विनाशकारी युद्ध, अमानवीय जातिसंहार सैनिक विप्लव और आणविक विघ्नवंस का खतरा जिस कारण बड़ो

शक्तियों तथा उनके समर्थक देश इन विनाशकारी तैयारियों में लगे हैं। अज्ञात-भय से सारा विश्व आतंकित है।

यह बात सब जानते हैं कि इराक/ईरान युद्ध, इजरायल/लेबनान/पी०एल०ओ० युद्ध, लैंड युद्ध, अफगानिस्तान, कम्पूचिया, सोमालिया, ईथोपिया, चाड, एलसाल्वेडोर, गुअम तथा अन्य कई स्थानों पर जान और माल का कितना विनाश हुआ।

बड़ी शक्तियों के बीच हथियारों की छोड़, उनके आक्रमक/प्रतिरक्षात्मक मोर्चे, उनकी अन्तर्राष्ट्रीय, मध्य-महासागर तथा वायु अन्तरिक्ष में सांस्थिति और घातक हथियारों को जमा करने की तैयारी तथा सम्बद्ध युद्ध प्रणालियाँ अनियंत्रित हिसाब से बढ़ रही हैं। नियन्त्रण केवल यही दिखाई देता है कि वे और अधिक शस्त्रागार बना रहे हैं ताकि उसके शक्तिशाली शत्रु को उसके विरुद्ध सैनिक आक्रमण करने की हिम्मत न पड़े।

यहां मैं एक सुपर पावर द्वारा दूसरे को दी गई अद्यतन धमकी उद्धरित करता हूं जो मेरे उपरोक्त विचारों को स्पष्ट करती है। मैं उद्धरित करता हूं।

"रूस ने गुरूवार को चेतावनी दी कि वह अमरीका की सीमा के निकट न्यूक्लियर मिसाइल्स लगायेगा, यदि वाशिंगटन यूरोप में इस वर्ष के उत्तरार्ध में पेरशिंग II क्रूज मिसाइल्स लगाने की अपनी योजनाएं क्रियान्वित करता है।"

यह उद्धरण 18 मार्च, 1983 के **इंडियन एक्सप्रेस** से और ए०एफ०पी० 17 मार्च, 1983--मास्को से है।

दूसरी सुपर पावर से दूसरा शीर्षक आता है :

"अमरीका आणविक हथियारों के प्रयोग का वर्जन नहीं करता।"

यह 19 मार्च, 1983 के **इंडियन एक्सप्रेस** और वाशिंगटन यू०पी०आई— 18 मार्च, 1983 से है। और वास्तव में इस विषय पर एक लम्बा-चौड़ा लेख निकाला गया है और उसमें बेन बुर्जर तथा अन्य लोगों जैसे विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कतिपय उल्लेख किये गये हैं।

विश्व के लिए यह भारी चिंता का विषय है कि बड़ी शक्तियों ने भारी विनाशकारी हथियारों का निर्माण किया है जिनका अन्य देशों को निशाना बनाया गया है। इन्टर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आणविक हथियारों से लैस हैं, इन्टरमिडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स, महासागर में भ्रमण करने वाली पनडुब्बियों जिनमें कई आणविक मिसाइल्स लगे हुए हैं एस०एस० 4, एस०एस०5, एस०एस० 20, एस०एस, 50, पेरशिंग क्रूज मिसाइल्स, मोबाइल साइलोड, एम० एक्स० मिसाइल्स। ये विनाशकारी हथियार दोनों ओर से युद्धनीति को ध्यान में रख कर लगाये जा चुके हैं और जिनसे महाद्वीप-पार भी सही निशान बिठा दिये गये हैं। अब वे भूमि और समुद्र के अलावा हवारहित शून्य अन्तरिक्ष को भी अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बनाना चाहते हैं।

ऐसा अनुमान है कि दोनों सुपर पावर्स के नास 9000 वारहेड्स हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता हीरोशिमा में प्रयुक्त एटम बम से कई गुना अधिक विध्वंसकारी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह रक्षा सम्बन्ध भाषण होने के बजाय निरस्त्रीकरण पर भाषण है।

श्री आर०एस० स्पैरो : आज सबसे अधिक खतरनाक युद्ध सामग्री का संचय किया जा रहा है जो जीवन का विनाश करने वाले हथियार हैं यथा कैमिकल वारफेअर गैसेज बायलाजिकल वारफेयर स्टाक्स श्वांसावरोधक न्यूट्रोन गैस बम, नेपाम बम आदि। इन सब को भी मात करने वाली चीजें हैं—सुपर पावर की "बटन दबाओ और विनाश" और मुकाबले के लिए प्रतिविनाशकारी हथियार "जो तैयार हैं। तृतीय विश्व युद्ध के बारे में किताबें बाजार में प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें दोनों ओर की हमला। रक्षा योजनाओं के बारे में तथा मानव विनाश के भीषण दृश्यों से का विस्तार अनुमानित वर्णन किया गया है।

विश्व शांति संगठन लगभग अप्रभावी सिद्ध हो चुका है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो कह रहा हूं उसका सम्बन्ध हमारे देश से भी है। "साल्ट I" या "साल्ट II" का अस्तित्व ही नहीं है जेनेवा कान्वेंशन की कोई बात लागू नहीं है। सुरक्षा परिषद् शिथिल हो गई है जो वस्तुतः एक दिखावे का मंच रह गया है। विनाश की संभाव्य चिनगारी कब फूट जाये, इस भय विश्व के विश्वशुभचिंतक आतंकित हैं।

भारत, जो एक शांतिप्रिय देश है और जो सदैव शांति का ही समर्थक तथा पोषक रहा है, विश्व में जबकि आतंक तथा अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त है मानव जीवन की रक्षा के लिए आशा की किरण प्रस्फुटित कर रहा है। भारत श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोकप्रिय नेतृत्व में विश्व के राष्ट्रों में शांति तथा सौहार्द स्थापित करने के लिए गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इस आंदोलन से दो महत्वपूर्ण बातें उभरेंगी। पहली यह कि 100 राष्ट्रों का यह संगठन दो प्रतिद्वन्द्वी सुपर पावर्स का मेल कराने के लिए, एक दृढ़ शांति सेतु का कार्य करेगा। दूसरी यह कि सैनिक अर्थ में, यह तृतीय विश्वयुद्ध को जो मानव जाति के लिए अभूतपूर्व विनाशकारी होगा, एक सुदृढ़ गुटनिरपेक्ष ब्लाक के रूप में पर्याप्त दबाव डाल कर रुकवा सकता है। हमारी प्रधान मन्त्री जिनमें आंज उत्साह तथा दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान है, के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व में शांति तथा मैत्री स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हम में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हमारी एक सामान्य तथा परिपक्व संस्कृति तथा सभ्यता है। हमने विदेशी हकूमत व गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं हमारा आदर्श, संस्कृति तथा सभ्यता ऊंची रही है। फिर क्या हमारे लिए "जियो या जीने दो" का सुन्दर उदाहरण स्थापित करना संभव नहीं है?

हम भी इस भव्य प्राचीन उस महाद्वीप की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैनिक संगठन बना सकते हैं। यदि और लोग 'नेटो' 'सेन्टो' तथा अन्य पारस्पारिक स्वार्थ-संगठित बना सकते हैं तो हम दक्षिण एशिया संगठन क्यों नहीं स्थापित कर सकते?

पाकिस्तान का रवैया हाल में काफी बदला है और उसमें काफी नरमी आई है जो दोस्ती का प्रतीत होता है। हाल में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान जनरल

जिया उल हक द्वारा कश्मीर के सम्बन्ध में किये गये संक्षिप्त उल्लेख का बाद में उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उससे पाकिस्तान का भारत के प्रति मित्रतापूर्ण रवैये की पुष्टि होती है।

1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्रति जो उदारता दिखाई है उससे साफ जाहिर है कि भारत की अपने भाई पड़ौसी देश पाकिस्तान के प्रति मूलतः साफ तथा पवित्र भावनाएं रही हैं।

मैं एक विशेष मामले में पाकिस्तान को मित्रता की भावनाओं को लेकर सावधान करना चाहूंगा। कुंजेरब-स्कार्ड-गिलगिट-कराकोरम सड़क सैनिक दृष्टि से भारत तथा पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इस सड़क के निर्माण में चीन की जो रुचि, प्रयास रहे हैं और उसने जो कार्य किया है उससे स्पस्ट जाहिर है कि उसके पीछे उसका सैनिक युद्धनीतिक इरादा है। इस सड़क से चीन को सामरिक महत्व की दृष्टि से बहुत लाभ हुआ है। वह अफगानिस्तान के वारवन प्रांत से उसमें भी प्रवेश कर सकता है। वह इस पक्की सड़क से गिलगिट, चिन्नाल, चकदारा, मलाकन्द, होती आदि से पाकिस्तान में घुस सकता है। भारत के लिए भी वह जम्मू तथा कश्मीर राज्य की ओर से सदैव सिर के ऊपर लटकती तलवार ही है। एक तीर से तीन निशाने चीन अपने इरादे में कामयाब रहा। चीन के राजदूत ने हाल में कराची में एक घोषणा की जो 19 मार्च 1983 के **इंडियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित हुआ है और मैं उसे उद्धरित करता हूं।

"मैत्री सड़क, जो चीन को जाने वाली सड़क का नाम है उन लोगों के लिए खोल दी जायेगी जिनके पास प्रमाणपत्र होंगे। यह बात चीन के राजदूत वांग चौनबिन ने मंगलवार को कराची स्थित इन्स्टीट्यूट आफ फौरेन रिलेशन्स में कही।"

चीन के राजदूत की इस घोषणा से स्पष्ट है कि इस सड़क का, जिसे चीनी जनशक्ति तथा धन से निर्मित किया गया है, नियन्त्रण चीन के हाथ में रहेगा, अन्यथा चीनी राजदूत कराकोरम सड़क पर चलने के लिए 'प्रमाणपत्र' जारी करने की बात कैसे कह सकता था?

चीन ने अपनी इस चाल से पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंक दी है। चीन ने यह सड़क मृत जीर्ण याक सिल्क मार्ग को, जिसका आज कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, पुनः चालू करने के लिए नहीं बनाया है। कराकोरम सड़क के आस-पास उनका रेशम का अन्य मल खरीदने के लिए कोई खड़ा नहीं है।

चीन की सामारिक महत्व की दृष्टि से दक्षिण एशिया तथा उससे लगे हुए राज्य क्षेत्रों के भीतर घुसने की चालें सभी किस्म की भ्रांतियों तथा भू-राजनैतिक खतरों से भरी हैं।

कराकोरम सड़क क्षेत्र, जिसका अधिकांश भाग आजाद कश्मीर से गुजरता है, के अलावा उसके उत्तर उत्तर-पूर्व क्षेत्र जो शाह तूश ब्रीडिंग पार तक है और पहले भारत का भू-भाग था, अकसाई चीन भू-भाग, मानसरोवर झील क्षेत्र, कैलाश पर्वत शिखर और लम्बी पर्वत श्रेणियों जो हिमालयों के साथ आगे बढ़कर पूर्व में वालोंग तक चली गई हैं, किसी न किसी बहाने सभी चीन के अधिकार में हैं, इस समय भारत का लगभग 35000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के अधिकार तथा नियन्त्रण में है।

इससे भी विचित्र तथा हैरानी की बात यह है कि अब वह अरूणाचल राज्य पर जिसका क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है, अपना दावा कर रहा है।

इस सन्दर्भ में, मैं इस महान सभा का ध्यान 28 मार्च, 1983 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में मोटे अक्षरों में छपे उस शीर्षक की ओर दिलाता हूं जिसमें लिखा था, "अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग का दावा अस्वीकृत।"

श्रीमन्, यदि हम सैनिक दृष्टि से अपने देश के आसपास और दूर तक देखें, तो हमें लगता है कि हम अपनी रक्षा के लिए अपनी तैयारी में ढील नहीं दे सकते हैं, हमें एक शक्तिशाली देश के रूप में दृढ़ता से खड़े होना है। विश्व को यह अवश्य जानना चाहिए कि हम सैनिक दृष्टि से वास्तव में तथा सामर्थ्य के आधार पर प्रथम दर्जे की शक्ति हैं।

राष्ट्र के समग्र स्थायित्व को सुनिश्चित करने में भली भांति अनुशासित तथा सुदृढ़ सेना बहुत अधिक सहायक होती है। यह बुरी नियत रखने वाली शक्ति के लिए भयोत्पादक भी सिद्ध होती है।

आइए हम अपनी रक्षा-सामर्थ्य पर विचार करें। जब मैं रक्षा-सामर्थ्य की बात करता हूं, तो उसका अभिप्राय (क) नियमित सशस्त्र बल, (ख) द्वितीय पंक्ति रक्षा बल, (ग) अपेक्षित सैनिक उपकरण; (घ) अपेक्षित गुणवान मानव शक्ति और सबसे बढ़कर; (ङ) राष्ट्र का एकजुट हो जाना, अभिप्रेत है।

श्रीमन्, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि भारत किसी भी ऐसे किसी भी युद्ध का मुकाबल करने के लिए तैयार है जो हम पर थोपा जाये। हमारे सशस्त्र बल विश्व भर में उच्च कोटि के हैं। विश्व भर में किसी अन्य देश की तुलना में हमारे सैनिक बलों का व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष निकाय के रूप में भारत माता के प्रति उनकी निष्ठा तथा उनका व्यवसायिक गर्व उत्तम दर्जे का है।

मैं पाकिस्तान के प्रेजीडेंट, जनरल जिया उल हक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चन्द सप्ताह पूर्व हुए निर्गुट देशों के प्रसिद्ध शिखर सम्मेलन के अवसर पर विजय चौक, नई दिल्ली में हमारी सशस्त्र सेनाओं के सामूहिक बैंड समारोह के समय प्रदर्शित किये गये उत्तम कला कौशल पर मुझे वहां बधाई दी। एक सैनिक के रूप में मैंने उनको भांपा और समझा कि उनका अभिप्राय यही था श्रीमन् ऐसी स्थिति पैदा करने का श्रेय आपको है और सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों को है जिन्होंने इस प्रकार की शालीनता पैदा की।

हमारे सशस्त्र बलों का हौसला अत्युत्तम है। हमें इस सभा में इसके बाहर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनका हौसला पस्त हो। यह हम सबके लिए एक सामूहिक क्षेत्र है। इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे हम किसी भी दल के क्यों न हों। मैं इसे विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि आपने समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

हमारी प्रधान मन्त्री ने स्वयं नियमित सेवारत सैनिकों का हौसला बढ़ाये रखने के लिए

सराहनीय भूमिका निभाई है। फरवरी, 1980 में शासन की बागडोर सम्भालते ही उन्होंने स्वयं निर्णय किया और काडर पुनरीक्षण नीति को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक के सभी अधिकारियों को अधिक वेतन मिलने लगा और पदोन्नति के अवसर भी बढ़ा कर दुगने कर दिये गये।

ये उठाये गये हैं और मैंने उनकी राय मालूम की है। वे खुश हैं और सन्तुष्ट भी। हम इससे अधिक जो कर सकते हैं, वह भी किया जायेगा।

वर्तमान रक्षा मंत्री ने सभी वर्गों के अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया है। उनको जो फायदे दिये गये हैं उनमें से कुछ आवास की सुविधाओं, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता और सुविधाओं, यात्रा, कपड़े और मुफ्त राशन की सुविधाओं के सम्बन्ध में है। मैं यह कह सकता हूं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है।

भारत भर में सैनिकों की आवाज का आलोचनात्मक निर्धारण करने के पश्चात् मैं रक्षा मन्त्री, रक्षा राज्य मंत्री तथा उनके सहायकों का धन्यवाद करने में गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने थल, जल और वायु सेनाओं के कर्मचारियों की स्थिति में और सुधार किया है और समाज में उनकी गरिमा बढ़ाई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब भूतपूर्व सैनिकों के बारे में।

श्री आर० एस० स्पैरो : आप मेरे शब्द बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. मैं अब इस महान सभा में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आम मतैक्य यह है कि वे हमारे देश के सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित नागरिक हैं।

जो भी है, सरकार और रक्षा मंत्रालय सेवा से निवृत्त होने वाले सैनिकों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त प्रयत्न और धन जुटा रहे हैं।

(क) उदारतापूर्वक बढ़ाये गये पेंशन के नये मानदंड;

(ख) पुनर्नियोजन की सुधिधाएं और अवसर;

(ग) कैंटीन और चिकित्सा सम्बन्धी बढ़ी हुई सुविधाएं;

(घ) बच्चों की शिक्षा के लिए उदार सुविधाएं तथा सहायता;

(ङ) सेवानिवृत्ति से पूर्व विशेष सिविल जीवन सम्बन्धी वृत्तिका प्रशिक्षण की सुविधाएं;

(च) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को फिर से बसाने के लिए किये जा रहे कुछ सराहनीय उपायों में विधवाओं और उन पर निर्भर व्यक्तियों के लिए विशेष पुनर्वास अनुदान, सहायता, नियोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

परन्तु (यह एक बड़ा परन्तु है) कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक ही रैंक के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में विषमता को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए क्योंकि इससे भूतपूर्व सैनिकों के बीच अस्वस्थ वातावरण पैदा होता है।

चूंकि ऐसा भेद और कहीं भी नहीं किया जाता, इसलिए यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि इसे भारत के भूतपूर्व सैनिकों पर न लादा जाये।

इस आपत्ति पर विभिन्न अन्य मंचों तथा संसदीय समितियों यथा प्राक्कलन समिति, अधीनस्थ विधान कार्य समिति और रक्षा सलाहकार समिति में सविस्तार विचार किया गया है और सभी इस पक्ष में हैं कि पेंशनों में इस विषमता को दूर किया जाये, मैं यह महसूस करता हूं कि रक्षा मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय और मंत्रिमंडल को इसी के अनुसार अविलम्ब निर्णय करना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने अपने सेवाकाल में अपने जीवन का जोखिम उठाकर इतना परिश्रम किया है, की सही मांग को पूरा करना चाहिए।

अब यह महसूस किया जाता है कि रूपांतरित पेंशन की पुरानी नीति का पुनरीक्षण किया जाये। यह एक और मामला है जिसके बारे में सभी वर्गों के भूतपूर्व सैनिक चिंतित हैं। पेंशन की प्रणाली को प्रभावित करने वाली आर्थिक प्रवृत्ति और सम्भावित जीवन काल से सम्बन्धित परिस्थितियां तथा लगभग 100 वर्ष पूर्व 1880 में बनाये गये नियम उन पर न लादे जायें। मैं हाई कमान को इस मामले के बारे में उचित कारण बताता रहा हूं और मैं सुझाव देता हूं कि अब समय आ गया है जब इस नीति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हाई कमान कौन है ?

श्री आर० एस० स्पैरो : सरकार, मेरे लिए तो सरकार ही हाई कमान है।

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : यह अच्छा है आपने स्पष्ट कर दिया है, अन्यथा इसका अर्थ दल का हाई कमान भी लगाया जा सकता है।

श्री आर० एस० स्पैरो : आपने सही कहा है। आपकी शुद्धि ठीक ही है। फिर भी मुझे आशा है कि आप सभी इसका अर्थ समझते ही हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में तीसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न फायदों की मंजूरी जिस भावना से दी जाती है, राज्यों में उन्हें उस तरह से लागू नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न फायदे दिये जाते हैं उनमें कोई समानता नहीं है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को इस तरह समन्वित करे कि भारत में सभी भूतपूर्व सैनिकों को बराबर फायदे दिए जायें। उनमें किसी प्रकार का भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

मैं रक्षा बल की द्वितीय पंक्ति के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है।

रक्षा बल की द्वितीय पंक्ति में हमारी सरकार के योग्य मार्गदर्शन में आगे और सुधार और

इसका पुनर्गठन होने वाला है। इस सन्दर्भ में, एक सुविचारित प्रतिवेदन तैयार किया गया है और यह रक्षा मन्त्रालय में विचाराधीन है। इस प्रतिवेदन में जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, वे ये हैं :—

(क) पहला, प्रादेशिक सशस्त्र बल को समुचित रूप से आधुनिक तरीकों से पुनर्गठित, प्रशिक्षित और सुसज्जित करना जिससे वह युद्ध और शान्ति में अपनी भूमि का कारगर ढंग से निभा सके;

(ख) दूसरा, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा जैसे सेनावत बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित, प्रशिक्षित और सैनिक दृष्टि से रूपांतरित करना;

(ग) तीसरा, राष्ट्रीय छात्र सेना, यू० टी० सी०, बाल स्काउट्स, बाल-चारिका जैसे संगठनों में राष्ट्रीय आधार पर विस्तार करके और उन्हें सुदृढ़ बनाकर भारत के युवकों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना;

(घ) चौथा, भविष्य में केन्द्रीय, राज्य और सरकारी क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को, स्थाई सेवा में शामिल होने से पूर्व परिवीक्षा के आधार पर अल्प अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर और नाममात्र की लागत पर मूल सैनिक प्रशिक्षण देना;

यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि भारत के 70 करोड़ लोग अनुशासन की भावना से कार्य करना आरम्भ कर देंगे। जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और;

(ङ) पांचवा, अनुशासित भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता और प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाना उनको उक्त सभी संगठनों में विभिन्न पदों पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्नियोजित करना। उक्त सभी सिफारिशें बहुत आवश्यक हैं।

मैं इस सन्दर्भ में खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि इस समय हमारे आम लोगों में अनुशासन और सामान्य चरित्र की कमी है। अधिकांशतः उनमें स्व-अनुशासन, विद्यालय-कक्ष अनुशासन, गृह-कार्य में अनुशासन, राजनैतिक और स्तर पर अनुशासन की कमी है। यह दुर्भाग्य से लम्बे समय तक विदेशी शासन की देन है। हमें अब ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भारत भर के युवकों में एक महान देश के महान नागरिकों के रूप में विश्वास, गर्व और अनुशासित चरित्र का निर्माण हो सके।

मैं इस भाषण विशेष की दृष्टि से महत्वपूर्ण युद्धोपकरणों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में भी सैनिक सामान तैयार होने लगा है। परम्परागत हथियारों के साथ-साथ, हम अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक और अति सूक्ष्म हथियारों से सुसज्जित करने लिए प्रयास करने में अग्रसर हो रहे हैं। हमारे आयुद्ध कारखानों में तेजी से और सुचारू रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा यत्न किया जा रहा है।

हमारे अनुसन्धान और विकास संगठन आधुनिकतम उपकरणों का विकास करने के लिए अनुसन्धान कार्य में प्रगति कर रहे हैं। हमें, नि:सन्देह अपने वैज्ञानिकों और शिल्पियों पर गर्व है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है।

यहां युद्धोपकरणों सम्बन्धी सभी क्षेत्रों का उल्लेख करना तो ठीक नहीं होगा। केवल यही कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हम विश्व में किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। इसके लिए सभी भारतीयों को गर्व महसूस करना चाहिए। हमें अपने वैज्ञानिकों तथा शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त धन और समर्थन देने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए।

अत: रक्षा और वित्त मन्त्रालय से मेरी सिफारिश है कि अनुसन्धान और विकास संगठनों को उससे अधिक रकम देनी चाहिए जो आपने पहले देने की कृपा की है।

समाप्त करने से पूर्व, मैं अपने माननीय मित्र स्वामी सुब्रह्मण्यम स्वामी का उस लेख का उल्लेख करना चाहता हूं जो मैंने समाचार पत्र या पत्रिका में पढ़ा है। उसका शीर्षक था, "टी० 72 टैंक चकमक पेटियां।" उन्होंने ऐसे व्याख्या की, मानो उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। किसी ने उन्हें भ्रम में डाला है, मैं नहीं जानता। परन्तु मैं इस बारे में जो स्थिति है उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप मुझे भ्रम में न डालें।

श्री आर० एस० स्पैरो : भारत ने ये टी०-72 टैंक अर्जित किये थे। उस समय टैंक स्कूल आफ इण्डिया का मुख्य प्रशिक्षक जनरल स्पैरो ही था। अंग्रेजों के जाने के पश्चात् टैंक स्कूल आफ इण्डिया का मुख्य प्रशिक्षक मैं ही बना था। यदि इस नाते से मैं आपको कुछ बताता हूं, तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि मैं ही पहला अधिकारी था जिसने सबसे पहले यह पाठ्यक्रम पूरा किया था। इसमें कुछ सुधार किया जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु सर्वप्रथम ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें यह पता होता तो उन्होंने यह लेख नहीं लिखा होता।

श्री आर० एस० स्पैरो : सबसे पहले, आप सब यह जानना चाहते होंगे कि हमारी स्थिति क्या है ? यह विश्व भर में सबसे अच्छा टैंक है। लड़ाई के लिए वास्तव में यह एक सर्वोत्तम चीज है। इसीलिए सोवियत रूस के पास लगभग 60,000 टैंक हैं। अत: यह एक दिलचस्प प्रश्न है, जिसके बारे में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने टैंक के बारे में जानने के लिए अच्छा प्रयास किया है जिसकी मुझे खुशी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धन्यवाद।

श्री आर०एस० स्पैरो : इस टैंक पर जो तोप लगी हुई है उसकी मार करने की गति बहुत अधिक है। इस बारे में अब कुछ गोपनीय नहीं है। इसकी मार प्रति सैकेंड 6,000 फुट तक है जबकि पहले यह 1,800 फुट हुआ करती थी। इसका छेद 125 मिलीमीटर है। इसका बचाव वाला भाग बहुत ही शानदार है। दूरी का पता लगाने का यंत्र आधुनिकतम है। इसका कवच

विश्व भर में सर्वोत्तम इस्पात का 380 मिलीमीटर कास्ट टैरिट का है। यह तीन तहों में दबा हुआ है। इस पर युद्धोपकरण आधुनिकतम, प्रकार के लगे हुए हैं। इसका भेदन करना बहुत ही कठिन है। इसका ढांचा और घूमने वाला बुर्ज एक ऐसी वैज्ञानिक आकृति के बने हुए हैं कि टैंक उछल कर निशाना लग सकता है। विश्व में इस टन चार के टैंकों की तुलना में इसमें सबसे कम सिलुएट है और यह युद्ध के लिए बहुत उपयोगी है। ये सभी चीजें उच्च कोटि की हैं और जब आप कम ऊंचाई पर खड़े हों, तब इसका सिलुएट आपको आछेदित कर देता है। इसमें परमाणु, जैविक और रसायनिक युद्ध से बचने की पूरी क्षमता होती है। आम लोग यह नहीं जानते हैं। यह बताने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि यह अब गोपनीय नहीं है। इसकी गतिशीलता भी बहुत अच्छी है। इसकी सभी मशीनें उत्तम हैं और लगातार कार्य करती रही हैं। उसकी चकमक पेटी आग से सुरक्षा के लिए है। इसका डीजल ईंधन सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें आसानी से आग नहीं लग सकती है यदि कहीं आग लग भी जाए, तो इस टैंक की यह विशेषता है कि उसे तुरन्त बुझा देता है। इसके सेंसर यूनिट स्वयंमेव जेटों को चालू कर देते हैं और वे आग बुझा देते हैं चाहे आग टैंक के किसी भी भाग में क्यों न लगी हुई हो। अत: मैं यह कह सकता हूं कि अनुसंधान और विकास संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वे आधुनिक चीजों के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज आपके पास सुर्वोत्तम टैंक हैं। (**व्यवधान**) मेरे विचार में, टी-72 सबसे अच्छा टैंक है। आप क्या बनाने जा रहे हैं, वह तो अभी देखना है।

अन्त में, मैं माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं जो देश की रक्षा के मामले में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेती हैं। साथ ही रक्षा मंत्री, रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और रक्षा मन्त्रालय के कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रक्षा नीति को क्रियान्वित करके इतनी शानदार सफलता प्राप्त की है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इतना समय दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनरल स्पैरो की बातें समझना बहुत कठिन है क्योंकि वह बहुत अनुभवी हैं। फिर भी मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यद्यपि मैं हमेशा सरकार की आलोचना करता हूं तथापि जहां तक हमारी सशस्त्र सेनाओं का संबंध है उन्होंने जिस कौशल का प्रदर्शन किया है उसके लिए वे समूची सभा की सर्वसम्मत बधाई के पात्र हैं।

हम रक्षा नीति पर विचार कर रहे हैं और रक्षा नीति पर विचार करते समय मैं विदेश नीति को बीच में नहीं लाऊंगा क्योंकि विदेश नीति भावनाओं के विश्लेषण पर आधारित होती है जबकि रक्षा नीति क्षमताओं के विश्लेषण पर आधारित होती है। इस समय पाकिस्तान भारत से मित्रता चाहता है। परन्तु हमें अपनी रक्षा नीति तैयार करते सभय इस बात पर विचार नहीं करना है कि वह क्या चाहता है परन्तु इस बात पर विचार करना है कि उसकी क्षमता कितनी है। और उस क्षमता का मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी है। इसलिए रक्षा नीति और विदेश नीति में अन्तर होता है परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेरे कई माननीय मित्र, विशेषकर मार्क्सवादी विचारधारा वाले, इस अन्तर को भूल जाते हैं।

मैं सर्वप्रथम सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उनका सिद्धांत क्या है ? उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं । इस बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया है । मैंने रक्षा मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन किया है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कुछ बातें कही गई हैं । तथा 8 या 9 सूत्रों का उल्लेख किया गया है । परन्तु सिद्धाँत क्या है । क्या आप सोचते हैं कि सभी आपके शत्रु हैं अथवा आप सोचते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी तरफ हमें अधिक ध्यान देना है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी तरफ कम ध्यान देना है । इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनता शासन में भी इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्योंकि मैं रक्षा मन्त्री नहीं था ।

मैं आशा करता हूं कि श्री वेंकटरामन नए मानक स्थापित करेंगे और वह वेंकटरामन सिद्धांत होगा । रीगन सिद्धांत तथा ब्रेजनेव सिद्धांत की तरह ही वेंकटरामन सिद्धांत होगा और हम समझ सकेंगे कि रक्षा के प्रति हमारा मौलिक दृष्टिकोण क्या है ।

इस समय सभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है ? प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है ? जब हम भारत के मानचित्र पर नजर डालते हैं तो मुख्य भूमि को ही देखते हैं । भारत की मुख्य भूमि के नीचे एक बहुत बड़ा सागर है जो हिंद महासागर कहलाता है तथा ऊपर की ओर हमारी सीमाएं सोवियत संघ, चीन और पाकिस्तान आदि से जुड़ी हुई हैं। भारत का एक बहुत अधिक सामरिक महत्व है । सोचने की बात यह है कि महाशक्तियों की नजर हमेशा भारत पर ही क्यों रहती है । यदि भारत स्वयं शक्तिशाली बन जाता है, तो यह अपने आप एक बड़ी शक्ति बन जाएगा । परन्तु यदि भारत कमजोर रहता है तो सब बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहेंगी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत केवल एक प्रायद्वीप नहीं है । लक्ष्यद्वीप भी भारत है और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत है। भारत का मानचित्र केवल यही नहीं है । अण्डमान से दूर बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं वे भी भारत हैं । मैं समझता हूं कि भारत का अन्तिम छोर मद्रास से लगभग 1800 मील की दूरी पर है । भारत का वह अन्तिम छोर जो मद्रास से .800 मील है इण्डोनेशिया से केवल 90 मील है । अत: आप देखिये कि भारत कितना विशाल है ओर इसकी रक्षा व्यवस्था भी इतनी ही विशाल होनी चाहिए ।

इस समय विश्व में वैनाशिक सिद्धांत चल रहा है । फॉकलैंड का मामला देखिए ? वहां क्या हुआ । ब्रिटेन का एक द्वीप था जो उससे 3000 या 4000 मील दूर था और हो सकता है वह उससे 8000 या 7000 मील दूर हो । अचानक अर्जनटाइना ने कहा कि यह द्वीप हमारे निकट है और इसलिए हम इसे चाहते हैं तथा उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया । अब मैं न तो अर्जनटाइना का समर्थन करना चाहता हूं और न उनका विरोध करना चाहता हूं । परन्तु मैं यह कहना

चाहता हूं कि अर्जनटाइना एक दिन उस द्वीप को यह कहकर अपने में शामिल कर लेगा कि वह उसके निकट है । एक समय था जब इण्डोनेशिया कहा करता था कि अण्डमान उसके निकट है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी वह उसके निकट है । वस्तुतः अब यह समस्या हल हो गई है परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि यह समस्या भविष्य में फिर कभी पैदा नहीं होगी ।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऐसी सेना बनाई है जिसे जल्दी से कहीं भी भेजा जा सकता है और उनका कहना है कि यह सेना सोवियत संघ की इस क्षेत्र में घुसपेट को रोकने के लिए बनाई गई है । अतः एक समय आ सकता है जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच इस बात पर झगड़ा हो जाए कि वह इस क्षेत्र के निकट हैं । यह संघर्ष का क्षेत्र है । मध्य पूर्व में यही स्थिति है और इस पर बलपूर्वक कब्जा किया जा सकता है । इसलिए हमें अपनी नौसेना का विकास करना होगा । जब हम किसी सीमा के संवेदशील होने की बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान अथवा चीन के साथ हमारी सीमाएं इतनी संवदेनशील नहीं हैं जितनी की हिंद-महासागर में हमारे द्वीपों की संवेदनशील हैं और यदि हमें इन द्वीपों की रक्षा करनी है तो वहाँ और अधिक रक्षा व्यवस्था करनी होगी ।

अब पैगमैलियम क्षेत्र को देखिए जो कि इण्डोनेशिया या सुमात्रा से केवल 90 मील है इसे मलाका स्टेट कहा जाता है और यह ऐसा क्षेत्र है जहां से पश्चिमी देशों को होने वाले व्यापार का समूचा माल गुजरता है । यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।

हिंद महासागर का नियन्त्रण दो बिंदुओं से होता है । एक बिंदु है स्वेज नहर और दूसरा बिंदु मलाका स्टेट । हमने इस बारे में कुछ भी नहीं किया है आप जरा स्थिति पर गौर कीजिए यदि हमारे पास सुदृढ़ नौसेना है और वह वहां तैनात है तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य पश्चिमी शक्तियां हमारे लिए कठिनाईयां पैदा कर सकती हैं । यदि हमारे पास सुदृढ़ नौसेना है तो हम मलाका स्टेट को बन्द कर सकते हैं और उनके जहाजों के वहां से गुजरने पर रोक लगा सकते हैं । परन्तु हमने इस बारे में कुछ नहीं किया ।

महोदय, सौभाग्य से रक्षा मन्त्री तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु का नौसेना का बहुत पुराना इतिहास है । चोला राजा इण्डोनेशिया तक गये थे । इसलिये यह उत्तर और दक्षिण की जो दुर्भावना अब तक बनी रही है इसे दूर किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि इन दुर्भावना को दूर करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि हिंद महासागर में हमारे द्वीपों की रक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाये ।

वस्तुतः इस कार्य के लिये बजट में नौसेना के लिये धन के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होगी और इसके साथ साथ विदेश नीति में भी परिवर्तन करना होगा । वस्तुत: सर्वश्रेष्ठ रक्षा नीति वही होती है जिसमें विदेश नीति और आर्थिक नीति का भी समावेश हो । यदि हमें पाकिस्तान पर विश्वास करना है तो हमें अपनी नौसेना को सुदृढ़ बनाना होगा और हिंद महासागर में अपने द्वीपों की रक्षा करनी होगी । यदि हमारी नौसेना सुदृढ़ है तो इससे हमारे उद्देश्य सिद्ध हो जायेंगे ।

अब मैं रक्षा बजट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । बजट लेखाओं को देखने पर मालूम हुआ कि बजट में रक्षा के लिये 6,633 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नियत की गई है परन्तु इस राशि में पूंजी लेखा केवल 607 करोड़ रुपये है ।

5.05

(श्री आर०एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

शेष राशि राजस्व खाते में है । इसलिए रक्षा बजट केवल 600 करोड़ रुपये का हुआ अर्थात केवल 600 करोड़ रुपये की नयी आस्तियां पैदा की जायेंगी । अतः यदि आप इस दृष्टि-कोण से बजट का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा बजट बहुत अधिक करोड़ रुपये का प्रतीत होते हुए भी बहुत राशि का है । इसमें से 9 प्रतिशत पूंजी निर्माण के लिये अर्थात नये पोत नये वायुयान आदि आदि के लिए है । 607 करोड़ रुपये कोई राशि नहीं है । इसलिए हमें सोचना यह है कि अधिक राशि की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है । रक्षा मन्त्रालय में कोई रक्षा-अर्थ व्यवस्था नहीं है रक्षा मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह विशलेषण करे कि क्या उसे अपेक्षित राशि मिल रही है । मैं यह कहूंगा कि 6,333 करोड़ रुपये की राशि भी कुछ नहीं है । यह आप इस सकल राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो यह केवल 4 प्रतिशत है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलू से हमारा रक्षा बजट 110वां या 111वां होता है । लोग कहते हैं कि हमारा रक्षा व्यय बहुत अधिक है । हमारे मार्क्सवादी मित्र कहते है कि हम गरीब लोग किस प्रकार कष्ट पा रहे हैं । परन्तु रक्षा पर व्यय कितना हो रहा है—सकल राष्ट्रीय आय का 4 प्रतिशत? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी यह व्यय 6 या 7 प्रतिशत है । सोवियत संघ में 13-14 प्रतिशत है । जब आप इस खर्च का ब्यौरा देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि नौसेना को कुल नियतन का केवल 8½ प्रतिशत मिलता है, जो कि बहुत कम है । नौसेना को रक्षा व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत मिलना चाहिए । तभी हम कह सकते हैं कि नियतन के बारे में हमारा कोई सिद्धांत है अत किसी सिद्धांत के न होने के कारण हमें जो राशि प्राप्त होती है, हम उसे अन्धाधुन्ध खर्च करते रहते हैं । बजट पेश किये जाते हैं, परन्तु कोई सिद्धांत नहीं होता । सभी महाशक्तियां हिंद महासागर में द्वीप तलाश कर रही हैं और हम अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नौसेना के सम्बन्ध में हमारी नीति क्या है ? हम क्या करना चाहते हैं । क्या हमारी नौसेना आक्रमक हो सकती है या यह केवल रक्षात्मक है? यदि यह रक्षात्मक नौसेना है, तो रक्षा से आप का अभिप्राय क्या है ? मैं नहीं समझता कि हमारे पास उतने पोत हैं, जितने कि अमरीका या सोवियत संघ के पास । फिर हम अपनी नौसेना को अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं ? इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि हम सुदृढ़ पनडुब्बियां प्राप्त करें, जैसा कि ब्रिटेन ने किया है । हमें अधिक युद्धपोतों और फ्रिगेटों की जरूरत नहीं है । उनकी संख्या पर्याप्त है । हम पनडुब्बियों की अधिक जरूरत है और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि हमें ईंधन दक्ष पनडुब्बियां अर्थात द्वारा अणुशक्ति चालित पनडुब्बियां प्राप्त करनी चाहियें । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में कोई वचन नहीं देंगे,

क्यों कि यदि उन्होंने कोई वचन दिया तो यह एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन जायेगा। परन्तु हमारे यहां आणविक ऊर्जा प्रतिष्ठान हैं। माना आणविक ऊर्जा केन्द्र मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में हैं। अत: मेरे से कुछ नहीं छिपाया जा सकता। हम आणविक पंडुब्बियों का विकास कर सकते हैं, यदि इसके लिए मन्जूरी दी जाये। परन्तु क्या वे ऐसा करेंगे ? क्या उनमें साहस है ? ऐसा करने से सोवियत संघ खुश नहीं होगा और अमरीका खुश नहीं होगा। क्या वे इन को चुनौती देंगे, क्यों कि भारत को एक शक्ति बनाना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि केवल परम्परागत ढंग से भारत में नौसेना का विकास नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें पनडुब्बियां प्राप्त करनी होंगी और नौसेना को समुचित प्राथमिकता देनी होगी। मैं चाहता हूं कि रक्षा बजट में नौसेना को प्राथमिकता दी जाये और नौसेना में पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी जाये।

जैसा कि मैंने विश्व के विभिन्न भागों की रक्षा पत्रिकाओं में पढ़ा है हमारी नौसेना की सबसे बड़ी कमजोरी हमारी राडार व्यवस्था है। इस समय राडार प्रौद्योगिकी ने बहुत अधिक प्रगति की है। जब हमारे युद्धपोत वायुयानों को टोह के लिए राडार लगाते हैं जबकि वे आते हुए वायुयानों का पता लगा सकते हैं, तथ्य यह है कि वे आते हुए वायुयानों का ही पता लगा सकते हैं। वास्तव में समुद्र में युद्धपोत का पता लगाना भी आसान है, क्योंकि हमारे राडार संकेत भेजते हैं। इसलिए हम आसानी से उन का पता लगा सकते हैं। हमला करने वाले वायुयान का सबसे कठिन काम यह पता लगाना होता है कि पोत कहां है। यह जानकारी पहले ज्ञात होनी चाहिए क्योंकि कुछ मिसाइल 50 मील तक जा सकते हैं। परन्तु हमारे राडार दक्ष नहीं हैं। ये सोवियत संघ के राडार हैं तथा सोवियत संघ इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। जब सोवियत राडार संकेत भेजते हैं, तो उन का पता 200 मील दूर से लगाया जा सकता है। इसलिए समुद्र में पोत बहुत कारगर नहीं हैं।

एक नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अमरीका ने गिद्ध दृष्टि राडार प्रणाली का विकास किया है। मैं नहीं चाहता कि हम अमरीका से राडार खरीदें। हमारे वैज्ञानिक बहुत बुद्धिमान हैं। मैं इसे जासूसी नहीं कहूंगा आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अमरीका में बहुत से भारतीय काम कर रहे हैं··· (**व्यवधान**) यह तस्वीर नहीं है। इसे एयर इण्डिया के माध्यम से सामान्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता गिद्ध दृष्टि वायुयान बहुत खतरनाक है। इसे युद्धपोत पर रखा जाता है और इसमें राडार लगा होता है। यह युद्धपोत से उड़ान भरता है तथा उस समय राडार को चालू नहीं किया जाता ताकि कोई इस का पता न चला ले। यह तुरन्त वायुमण्डल में चला जाता है और फिर राडार को चालू किया जाता है और यह 200 मील दूर तक हर चीज का पता लगा लेता है। जानकारी प्राप्त करते हैं यह इस जानकारी को अपने युद्धपोत में भेज देता है और अपना राडार बन्द कर देता है। पोत पहले स्थान पर-ही रहता है परन्तु जो पता लगाते हैं वह इस वायुयान समझते हैं। हमें भी इस प्रकार के आधुनिक उपकरण प्राप्त करने चाहिए।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी रक्षा व्यवस्था की सब से बड़ी खामी यह है

कि इलेक्ट्रानिक्स के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं हम बड़े बड़े शस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, टैंक प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु इलेक्ट्रानिक्स के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। इलेक्ट्रानिक्स में हमारी नौसेना ही नहीं अपितु वायुसेना भी बहुत कमजोर है।

अब पाकिस्तान ने एफ-16 विमान प्राप्त कर लिए हैं। एफ-16 विमान का उल्लेख करके मैं भय का वातावरण पैदा नहीं करना चाहता और न ही यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पायलट हमारे पाइलटों से बेहतर हैं—वस्तुतः हमारे पायलट बहुत बेहतर हैं—परन्तु जहां तक इलेक्ट्रानिक सिस्टम का सम्बन्ध है यह विमान बहुत खतरनाक है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें ई एल० आर० 69 राडार प्रणाली, एक कम्पयुटर आदि फिट हैं। इनसे केवल आते हुए विमान का ही पता नहीं चल जाता बल्कि इस बात का भी पता चल जाता है कि किस प्रकार का विमान आ रहा है, वह मिग है अथवा किसी और किस्म का विमान है तथा इस बात का भी पता लग जाता है कि दुश्मन का राडार कहां लगा हुआ है जिससे वह अपना निशाना बदलने का प्रयास करता है। हमारे पास ऐसी आधुनिक इलेक्ट्रानिक प्रणाली नहीं है। मिग 2000 भी इस दृष्टि से सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। उनसे यह जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह दुःख की बात है कि आपने यह जानकारी न तो सभा में और न ही समिति में दी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। जहां तक इलेक्ट्रानिक प्रणाली का सम्बन्ध है एफ-16 विमान बहुत खतरनाक है। हम इस पहलु की अवहेलना कर रहे हैं। वे अपनी इलेक्ट्रानिक प्रणाली का विस्तार करके हमारी प्रणाली को नाकाम बना सकते हैं। मान लो हमारे दो विमान उड़ रहे हैं। उन्हें आपस में तथा भूमि पर नियंत्रण कक्ष के साथ भी सम्पर्क करना होता है। पाकिस्तान के पास जो नई इलेक्ट्रानिक राडार प्रणाली है उससे वह हमारी सम्पर्क प्रणाली को ठप्प कर सकता है और इस प्रकार हमारे विमान का समूचा बाह्य सम्पर्क समाप्त हो जाता है और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। इससे चालक का मनोबल बहुत गिर जाता है।

इन सब बातों के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। मैंने कठिन परिश्रम करके यह जानकारी प्राप्त की है। मंत्री महोदय को हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी। सवाल यह नहीं है कि हथियारों के मामले में, डिवीजनों के मामले में, टैंकों के मामले में, हमारी पाकिस्तान की तुलना में क्या स्थिति है, निःसन्देह हमारी स्थिति बेहतर है, परन्तु इलेक्ट्रानिक के मामले में हम पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं।

हमें देखना यह है कि इलेक्ट्रानिक का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करके कितनी हानि पहुंचायी जा सकती है लेबनान युद्ध में इस्राइल ने क्या किया ? लेबनान के पास एस ए एस-6 विमान थे जिनका उन्होंने बड़े गर्व से अपने गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन किया था। परन्तु इस्राइली विमानों ने उन्हें भूमि पर ही ध्वस्त कर दिया। यह सब इलेक्ट्रानिक राडार प्रणाली के कारण ही हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रानिक राडार प्रणाली के माध्यम से एस ए एस-6 विमानों के राडारों द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों से ही उनका पता लगा लिया और उन्हें भूमि पर ही ध्वस्त कर दिया। हमें यह

जानकर आश्चर्य हुआ कि इस्राइल के एक एफ-16 विमान ने सीरिया के 93 मिग-23 बर्बाद कर दिये। यह बात ध्यान देने योग्य है। आप कह सकते हैं कि सीरिया के पाइलटों की तुलना में हमारे पाइलट बहुत बेहतर हैं और हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। परन्तु यदि वहाँ एक एफ-16 93 मिग-23 को नष्ट कर सकता है तो यहां 40 मिग बर्बाद किए जा सकते हैं। अतः हमने इलेक्ट्रानिक क्षेत्र की ओर ध्यान देना होगा।

मैं टी-72 का भी उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे इतनी जानकारी नहीं है जितनी आपको है परन्तु मैं चाहता हूं कि रक्षा के मामले में जो चर्चा की जाये वह जानकारी पूर्वक होनी चाहिये। पाकिस्तान ने अपने एम-48 टैंकों पर ए-3 फिट करवाये हैं और इससे उनके टैंक हमारे टी-72 से बेहतर हो गए हैं, क्योंकि वे लीसर बीम से हमारे टैंकों की वास्तविक स्थिति का पता लगा लेते हैं और उन्हें गोलाबारी करने के लिए उन्हें रुकना ही नहीं पड़ता।

मैं विश्वास करता हूं कि हमारे अधिकांश भारतीय टैंकों की यह परिसीमा है, अन्दर एक संगणक तो है, लेकिन उन्हें रुककर फायर करना पड़ता है। स्टैबी लाईजिग सिस्टम ऐसी है कि वे काम करते समय ऐसा नहीं कर सकते। टैंकों के मामले में भी हम इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में काफी पीछे हैं।

एक माननीय सदस्य : रक्षा मन्त्री ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, वे इस पर टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उत्तर दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे उत्तर देंगे। यदि यह सच नहीं है तो अच्छा है। सूचना प्राप्त करने का एक यह तरीका है। लेकिन जब मैंने टी-72 का उल्लेख किया था तब मैं युद्ध में प्राप्त अनुभव के आधार पर बोल रहा था। इसका क्या तरीका है? महोदय, आप एक जनरल हैं, आप जानते हैं कि एक जनरल युद्ध में प्राप्त हुए अनुभवों पर अधिक निर्भर करता है। टी-72 टैंकों का लेबनान में क्या हुआ? टी-72 टैंक की समस्या यह है कि इसमें विशाल बक्तरबन्द है लेकिन इसका इंजन मैग्नेसियम धातु का बना हुआ है। यह बहुत ही प्रज्वलनशील है। इसलिए यदि इंजन पर एक साधारण बम भी फेंक दिया जाए अथवा एक साधारण मशीनगन से भी फायर कर दिया जाये तो टैंक ध्वस्त हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि जो टी-72 टैंक हमें मिल रहे हैं, वे सेकेन्ड हैंड मॉडल हैं जिन्हें पूर्वी यूरोपीय देशों से हटा लिया गया है, क्योंकि अब एम-1 का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय देशों में अपने टैंकों को बदल रहा है। अतः, उनके पास टी-72 टैंक फालतू हैं। वे आपको टी-80 टैंक नहीं दे रहे हैं। टी-80 टैंक पौलेंड भेजे जा रहे हैं। इस समय सोवियत संघ में टी-72 टैंक फालतू हैं, इसलिए वे इसे दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप उस देश से हथियार खरीदें, जिनके हथियार सबसे अधिक उपयुक्त हैं। मरुभूमि में लड़ाई के लिए आप किसी भी देश से खरीद सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि "सोवियत संघ से नहीं खरीदें।" यदि उनका हथियार अच्छा है तो सोवियत संघ से खरीदें। लेकिन क्या यह सर्वोत्तम है? आप ईरान को देखें। ईरान ने इस्राइल से हथियार

खरीदे हैं, यद्यपि ईरान इस्रायल से बहुत घृणा करता है। खुमैनी क्या कहते हैं ? खुमैनी का कहना है कि युद्ध शैतानों का खेल है तथा इस्राइल शैतानों की भूमि है, इसलिए उनके पास सबसे अच्छा हथियार है, अतः उनसे हथियार खरीदो। यह खुमैनी का व्यावहारिक दृष्टिकोण है।

इस समय विश्व में मरकावा टैंक सबसे अच्छा है और 1979 में इस्राइल ने जनता सरकार को इसे देने का प्रस्ताव भेजा था। मुझे विश्वास है कि यदि जनता सरकार का पतन नहीं हुआ होता तो वह अवश्य इन्हें खरीदती। मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव अभी भी मौजूद है।

(**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : यह आपकी सरकार है। जैसे ही उसने यह घोषणा की, उसका पतन हो गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हो सकता है, इसलिए तो आपको यह खरीदना चाहिए ताकि आपकी सरकार का पतन हो।

इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज का नारा यह होना चाहिए कि माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स के लिए सरकार को वृहत विकास कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा केवल अन्तिम युद्ध का ही सामना करने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। बल्कि ऐसे युद्ध का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो क्षमता के आधार पर शुरू किया जाता है। पाकिस्तान हमसे इसलिए आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसके पास संयुक्त राज्य अमरीका से हथियार आ रहा है, जिसे आप नहीं रोक सकते हैं।

मैं एक और मुद्दे पर बोलना चाहता हूं जो आपकी पसन्द का है। रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास स्कन्ध ने आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं की है। मैं समझता हूं कि हमने 11 वर्ष पूर्व मेन बैटल टैंक का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन अभी तक हमने एक भी एम० बी० टैंक का निर्माण नहीं किया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एम० बी० टैंक के उत्पादन की क्या प्रगति है ? पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं तो मंत्री महोदय की बातों पर विश्वास करूंगा। मैं तो इसके बारे में सही स्थिति जानना चाहता हूं।

हमें अपने सुपरसोनिक वायुयान विकसित करने थे। हमारे देश में प्रतिभा की भरमार है। हमारे इंजीनियर संयुक्त राज्य अमरीका में ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं। नार्थट्रुप कारपोरेशन एफ-16 का निर्माण करती है। उस कारपोरेशन में अनेक भारतीय कार्यरत है। मैं उनसे मिला हूं। उन्होंने कहा है कि यदि भारत ऐसा करना चाहता है, तो कर सकता है। लेकिन सरकार ने पिछले कई वर्षों में कुछ भी उत्पादन नहीं किया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री को संगठन पर पुनः विचार करना होगा। सैनिक कार्मिक तथा असैनिक कार्मिक दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न हैं क्योंकि दोहरा नियंत्रण है। दोहरा नियंत्रण का अभिप्राय है एक तरफ तो रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, संयुक्त सचिव, लेखापरीक्षक

इत्यादि हैं जो नियंत्रण की एक कड़ी हैं तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्षगण हैं। सेनाध्यक्षगण एक साथ बैठते हैं। वे किसी योजना पर निर्णय करते हैं : लेकिन होता क्या है ? यह उप-सचिव के पास जाता है। वह कहता है कि सी० जी० ए० नियम, इत्यादि के पैरा 3 का उल्लंघन किया गया है तथा पूरी चीज नीचे से ऊपर जाता है। इस निर्णय लेने वाले तंत्र में कुछ सुधार करना पड़ेगा। यह पुराना तंत्र है। विश्व के किसी भी देश में ऐसा दोहरा नियंत्रण नहीं है। यहां दोहरा नियंत्रण है। आपको ऐसी प्रणाली का विकास करना होगा जहां तकनीकी सम्बन्धी निर्णय एक तंत्र द्वारा लिए जाने के बाद नौकरशाही तंत्र से गुजरना न पड़े।

मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं कि कई विभाग में भारी असंतोष है। उदाहरणार्थ, निरीक्षण महानिदेशालय को लिया जा सकता है। असैनिक कर्मचारियों में भारी असंतोष है। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त पृष्ठाधार ज्ञान के सैनिक अधिकारी तैनात किए जाते हैं तथा पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध हो जाते हैं। मैंने मंत्री महोदय से इस पर विचार करने को कहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश भी है इस विभाग में दोहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगी।

मैं दो और मुद्दों पर बोलूंगा। आपने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि आप यह एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति में आपने अच्छा योग-दान किया है। मैं कहना चाहूंगा जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, सेना में की गई सेवा की सिविल सेवाओं में गणना की जानी चाहिए। उन्हें नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिया जाता है। मुझे बतलाया गया है कि इस संसद में भी वाच एन्ड वार्ड कर्मचारी, जो सेनाओं से लिए जाते हैं, सेना में की गई उनकी सेवा की गणना नहीं की जाती। उन्हे नए सिरे से सेवा शुरू करनी पड़ती है। उनकी वरिष्ठता नहीं दी जाती। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

अन्त में मैं वेतन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब मैं स्कूल तथा कालेज में छात्र था, मैं देखा करता था कि ले० कर्नल मोटर गाड़ियों में जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व मैं एक ले० कर्नल से मिला जो बजाज स्कूटर पर जा रहा था तथा उसकी पत्नी पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने गणना की कि 1947 में एक ले० कर्नल वेतन के रूप में 1,563 रुपये घर ले जाया करता था आज वह 2,500 रुपए प्राप्त कर रहा है। यदि मूल्य सूचकांक से उसके वेतन की जांच करें, तो 1947 में उसे 1,563 रुपये वेतन मिलता था और आज स्थिर मूल्य पर उसे केवल 418 रुपए मिल रहा है। मेरे विचार में यह अभूतपूर्व हैं और इसमें नुकसान भी है क्योंकि अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में, जहां इस प्रकार का जीवन का खतरा नहीं है, वह सशस्त्र सेनाओं में जीवन का खतरा उठा रहा है। मैं समझता हूं कि सशस्त्र सेनाओं के वेतन ढांचे के बारे में कतिपय ठोस काम किया जाना चाहिए ताकि सशस्त्र सेनाओं में अनेक वर्षों की सेवा करने के बाद वे आराम से जीवन बिता सकें। इसी तरह हम उनका मनोबल ऊंचा कर सकते हैं।

अन्त में मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रक्षा मन्त्री ने आमतौर पर सदस्यों को संतुष्ट रखा है। परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भी वे उपलब्ध रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वाद-विवाद के उत्तर में भी वे उपलब्ध रहेंगे।

इसलिए, मैं रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं। यद्यपि हमारी विदेश नीति का आधार गुट-निरपेक्षता और पंचशील है फिर भी हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तथा देश की अखंडता के लिए और देश में आंतरिक शांति के लिए सेनाओं का रखना बहुत अधिक आवश्यक है और आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं देश की उसमें डिफेंस का और अधिक महत्व हो जाता है क्योंकि आज पाकिस्तान आणविक शक्ति में अपने आपको सम्पन्न करता जा रहा है। चीन ने भी अपने आपको विस्तारवादी नीति से पीछे नहीं रखा है। अभी हाल ही में एशियाड के समय अरुणाचल प्रदेश को भी उसने अपना एक भाग मानते हुए अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य की आलोचना की। साथ ही हिंद महासागर में भी सैनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए हमारे देश के लिए डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

आज हमारे रक्षा मन्त्रालय के बजट में हम यह देखेंगे कि हमारा खर्चा 5,971 करोड़ रु० होगा। यह खर्चा अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो बहुत कम है। 141 राष्ट्रों से अगर इस खर्चे की तुलना करते हैं तो भारत का 70 वां नम्बर आता है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, बर्मा, चीन और इण्डोनेशिया सभी हमारे से अधिक रक्षा सेवाओं पर खर्च करते हैं, जब कि यह राशि हमारे लिए बहुत कम है।

भारतीय सेना पर आज हर देशवासी को गर्व है क्योंकि यह सेनायें श्रेष्ठतम अनुशासित हैं। जल, थल और नभ, तीनों विंग्स में हमारे सैनिक बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, उनमें देशप्रेम की भावना है तथा उनका मनोबल ऊंचा है। इसलिए हमें बहुत अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करती हूं कि जब कभी भी मौका मिला है हमारी सेना ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और आज भी यदि कोई मौका मिलता है तो ऐसी स्थिति में हमारी सेना पीछे नहीं रहेगी। परन्तु हमारी सेना के जो जवान हैं उनकी जो जरूरी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करना समाज तथा राज्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। उनकी सभी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पा रही हैं, यद्यपि हमारे रक्षा मन्त्री जी ने अभी हाल ही में कुछ उनके पे स्केलस में और सुविधाओं में सुधार किया है, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं और उनके इस प्रस्ताव का स्वागत भी करूंगी। हम चाहते हैं कि हमारे सम्बन्ध पड़ोसियों से अच्छे हों। हम यह नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हमारे पड़ोसियों से जो सम्बन्ध हैं उनके बारे में काफी अधिक चर्चा हो चुकी है। शिखर सम्मेलन में भी यह बात कही गई थी। हम लोग गुट-निरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं।

हमने पाकिस्तान के साथ भारत-पाक संयुक्त आयोग के बारे में भी बातचीत की, उस पर हस्ताक्षर हुए, परन्तु मेरा सोचना ऐसा है कि पाकिस्तान दोहरी चाल रखता है। एक ओर तो वह हमारे संयुक्त आयोग पर हस्ताक्षर करता है और उसी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में शिमला समझौते की अवहेलना करके उसने जम्मू-काश्मीर का मामला उठाया। बस, इससे ही वह चुप नहीं हो गया, बल्कि डेनमार्क रेडियो पर जनरल जिया ने जो वक्तव्य दिया, उसमें भी उन्होंने काश्मीर के मामले को फिर से उठाया।

इसलिए केवल यह उनके कहने की ही बात नहीं है। पाकिस्तान वाले कह ही नहीं रहे है, परन्तु व्यवहार भी उनका यह बताता है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं, उन पर प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है।

अखबारों में हम देखते हैं कि पाक अधिकृत काश्मीर में काफी सेना का जमाव होता जा रहा है और अमेरिका द्वारा दिये गये आणविक अस्त्रों का भी वहाँ जमाव हो रहा है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने रक्षा बजट को दुगना कर दिया है। नीलम घाटी पर सड़क का निर्माण किया है।

'सन्डे टाइम्स' में खबर छपी थी कि अमेरिकन यह मानते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक पाकिस्तान में वह ताकत होगी कि वह दुनिया के किसी भी देश को उड़ा सकता है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार, जब वाद-विवाद शुरू होगा, जारी रख सकती हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट के अण्डर लाइसेंसों पर फोटो लगाने की आज अन्तिम तारीख है। दिल्ली में 6 लाख लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जिनमें 16 हजार लोगों के लाइसेन्सों पर फोटो लगाकर स्टैम्प लगाई गई है। कल से गाड़ियों को लाइसेन्स पर फोटो न लगा होने के कारण पकड़ना शुरू हो जायेगा। पूरे पैमाने पर देश में यह कानून लागू है। मेरा कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह कहा जाये कि वह कम-से-कम इसकी तारीख आगे जरूर बढ़ा दे।

एक माननीय सदस्य : यह सेकिंड जीरो अवर है ?

श्री राजेश कुमार सिंह : आप सेकिंड जीरो अवर की बात कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है, वहां 50,000 लोगों की भीड़ लगी हुई है।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात समझ रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें। इसे उठाने के लिए आपको सूचना देनी होगी। कृपया नियमों का पालन करें।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। कल से लोग पकड़े जायेंगे और झगड़े होंगे।

सभापति महोदय : आपको नियमों की चिन्ता करनी चाहिए। यह ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही शुरू करें।

"काम के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने सम्बन्धी सकल्प—जारी

सभापति महोदय : सभा अब श्री चन्दूलाल चन्द्राकर द्वारा पेश किए संकल्प पर आगे विचार करेगी।

श्री चन्द्रपाल शैलानी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति महोदय, मैं उस दिन कह रहा था कि हमारे देश में बेरोजगारी की एक विकट समस्या है। आज करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित हैं।

सभापति महोदय : इस संकल्प के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। केवल आधा घंटा समय बाकी है। लगभग 11 या इससे ज्यादा ही सदस्यों को बोलना है। अतः मैं सभा से पूछूंगा कि क्या इस संकल्प के लिए समय बढ़ाएगी।

श्री एम० सत्यनारायण राव : यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। समय बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : पहले ही एक बार समय बढ़ाया जा चुका है। यदि हम एक बार पुनः समय बढ़ाना चाहते हैं, हमें युक्तिसंगत होना चाहिए। मैं सिफारिश करता हूं कि 1 घंटा से ज्यादा समय न बढ़ाया जाये। अतः आधा घंटे के बदले हमारे पास 1 घंटा समय है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपना विचार प्रकट करें तथा केवल संगत मुद्दे ही उठाएं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं निवेदन कर रहा था कि देश के सामने बेरोजगारी की एक विकट समस्या है और करोड़ों की तादाद में पढ़े-लिखे और अनपढ़ नवयुवक और नवयुवतियां बेरोजगारी से पीड़ित हैं। एक मोटे से सर्वे के अनुसार इस वक्त दो करोड़ के करीब लड़के-लड़कियों के नाम रोजगार-दफ्तरों में दर्ज हैं और उन्हें अरसे से कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे भी ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है, जो तरह तरह की कठिनाइयों के कारण अपने नाम रोजगार-दफ्तरों में दर्ज नहीं करा पाते हैं। आजादी के 35 साल के बाद भी जब हम एक ग्रेजुएट, एम०ए० या पी० एच० डी० को रिक्शा खींचते हुए या चपरासी की नौकरी करते हुए देखते हैं, तो बड़ा तरस आता है। सबसे पहले तो हमें इस समस्या की तह में जाना पड़ेगा कि इस देश में इतनी अधिक एजूकेशन के बावजूद अगर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो उसके क्या कारण हैं। हमें बड़ी गम्भीरता के साथ इस बात पर मनन करना पड़ेगा कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है।

हमारे कई साथियों ने कहा है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में बहुत भ्रष्टाचार है। बड़े-बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के बच्चों को तो नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नौकरी करने की जरूरत पड़ती है गरीब परिवार के लोगों को, जिनके मां-बाप अपने खून-पसीने की कमाई से उन्हें शिक्षा दिलाते हैं। जब पैसा न देने के कारण उनके नाम दर्ज नहीं

किए जाते हैं और उन्हें काल लेटर नहीं दिए जाते हैं, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है।

राज्य मन्त्री महोदय जो इस समय सदन में मौजूद हैं स्वयं एक शोषित समाज से आते हैं। उनके हृदय में शोषित समाज के लिए प्रेम है और हमदर्दी हो ताकि उनका उत्थान हो सके। इस लिए वह कम से कम अपने विभाग में यह व्यवस्था करें कि जब गरीब और खासतौर से कमजोर वर्ग के बच्चे एम्पलायमेंट एक्सचेंज में जाएं, तो उनके नाम दर्ज किए जाएं और उनके लिए काल लेटर निकाले जाने में धांधली न हो। बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त होकर बहुत से नौजवान अपराध जगत में प्रवेश करते हैं। जब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो उनमें से कोई चोर बनता है, कोई डकैत बनता है, कोई राहजनी करता है, कोई उठाईगीरी करता है और कोई कत्ल करता है। वे भयंकर से भयंकर और गम्भीर से गम्भीर अपराध करना शुरू कर देते हैं। जो लोग यह सब नहीं कर पाते और जिनके हृदय कमजोर होते हैं, वे बेरोजगारी के कारण आत्म-हत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक क्वालिफाइड व्यक्ति रोजगार न मिलने के कारण आत्म-हत्या करने पर मजबूर हो गया।

जब इन्सान को रोजगार नहीं मिलता है, तो वह भीख मांगने और कई अनैतिक कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। "विभुक्षित किम् न करोति पाप ?"—भूखा क्या पाप नहीं कर सकता ? पेट भरने के लिए आदमी बड़े से बड़ा पाप करने पर आमादा हो सकता है। आज हमारे देश में अशान्ति, अनुशासनहीनता, निराशा और हताश का वातावरण बना हुआ है। इसका कारण यही है कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वे जुलूस निकालते हैं, आन्दोलन करते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। अगर इस देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाए, तो मेरा विश्वास है कि इस देश में इस तरह की प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाएंगी।

अगर हमारे संविधान में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाए, तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा। दुनिया के अनेक देशों में, खासतौर से उन देशों में, जिन्होंने समाजवाद के सिद्धांत को अपना रखा है, काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है और वहां की सरकारों ने अपने संविधान में इस तरह का प्रावधान किया है। जैसे रूस है, रूमानिया है, यूगोस्लाविया है, चाइना है, जापान है, बलगारिया है, इजिप्ट है, जी० डी० आर० है या हंगरी है—इन देशों में नागरिकों को काम देने की गारन्टी दी गई है। हमारे देश ने भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाया है। हमारी लोकप्रिय सरकार यहां पर समाजवाद लाना चाहती है। आधुनिक भारत के निर्माता, पं० जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के सिद्धांत को अपनाया था और उन्होंने कहा था कि बिना समाजवाद के रास्ते पर चले हुए इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की असमानतायें हैं। यहाँ पर ऊंच-नीच की भावना है, छोटे-बड़े का सवाल है, गरीबी-अमीरी का सवाल है, तथा इसी प्रकार की अनेक बातें और भी हैं। जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक इस तरह की भावनायें इस देश से नहीं होंगी और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना भी पैदा नहीं होगी। समाजवादी व्यवस्था में आस्था रखने के कारण ही मैं मांग करता हूं कि काम के अधिकारों

की मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस देश की आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रही है। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जोकि शोषित हैं। उनको आज जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पहले भी 6 मिनट समय ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें। हमें अन्य सदस्यों को भी अवसर देना है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : चार मिनट और दे दीजिए।

मैं यह कह रहा था कि पुरुषों के अलावा महिलायें भी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। इसके समाधान के लिए भी सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चे जिनके मां-बाप नहीं हैं या जिनके मां-बाप बहुत गरीब हैं जोकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते या उनके लिए खाने कपड़े की व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज बहुत सारी फैक्टरीज में उनका शोषण किया जा रहा है।

यदि मैं यह बात भी कह दूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है, तो गलत नहीं होगा। यदि हमने जाब-ओरिएन्टेड शिक्षा अपनाई होती तो आज इतनी बेरोजगारी नहीं होती। बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यक है कि सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दे तथा देहाती क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन दिया जाए। स्कूलों में लड़कियों के लिए सिलाई, कताई, बुनाई की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि नौकरी के अभाव में वे अपनी गुजर करने लायक बन सकें। इसी तरह से पुरुषों के लिए भी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारी महान नेता एवं प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के सामने "श्रमएव जयते" का नारा दिया है। इस देश के प्रथम प्रधान मन्त्री, पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी "आराम हराम है" का नारा दिया था। उन्होंने श्रम के महत्व को अच्छी तरह से समझा था। इसीलिए उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि वे चाहे खेत में काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, या विद्यार्थी हैं सभी को श्रम करना चाहिए ताकि यह देश हर तरह से सम्पन्न बन सके। उसी प्रकार से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी "श्रमएव जयते" का नारा दिया है। मैं सारे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस नारे की अहमियत को समझें।

श्रमएव-जयते के रास्ते पर चलकर हर इन्सान को चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, श्रम के महत्व को समझना चाहिए और श्रम करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अन्त में, मैं महात्मा तिलक की यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था—**फ्रिडम ईज अवर बर्थ राइट** आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो सकता है, तो काम का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्यों नहीं हो सकता ? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि काम के अधिकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करे, ताकि इस देश से

गरीबी दूर हो, यह देश सर्वसम्पन्न हो सके। यहाँ पर जितने नौजवान अपराध करने पर उतारू हैं, अशान्त हैं, उनको रोजगार मिलेगा। इस प्रकार वह देश के लिए, देश की जनता के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सोचेगा और काम करेगा। एक दिन वह आएगा जब हम जापान, रूस, अमरीका जैसे सम्पन्न और समृद्ध देशों से भी आगे चलकर अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाकर संसार में गौरव का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। वही भारत जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दुनिया को शिक्षा-दीक्षा देता था, वही प्राचीन गौरव भारत को पुनः प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे कम समय लें क्योंकि बहुत से सदस्यों को अभी बोलना है तथा समय नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं अब एम० सत्यनारायण राव से अनुरोध करता हूं कि वे बोलें।

15.47

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : इस प्रकार का संकल्प इस सभा में दूसरी बार आ रहा है। 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में थी, इस सभा के एक नेत्रहीन सदस्य श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने इस सभा में इसी प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया था। तत्कालीन विधि मन्त्री श्री शांति भूषण ने उस संकल्प के विपक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि यह व्यावहारिक नहीं है, देश की विशालता देश के समक्ष अनेक समस्याओं तथा इसके लिए अपेक्षित भारी धन की कमी के कारण इसे लागू करना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर 800 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया था। उस आधार पर उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया था और मैं सोचता हूं कि वर्तमान विधि मन्त्री भी अपने भाषण में यही तर्क प्रस्तुत करेंगे।

मैं अपने सहयोगी श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर द्वारा किये गए संकल्प का समर्थन करता हूं। संकल्प का समर्थन करने के दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इस देश में गरीबी के अलावा बेरोजगारी की विकट समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी, जब तक सरकार पर उत्तरदायित्व सौंपा न जाए।

यद्यपि सरकार कह सकती है कि इसके लिए संसाधनों की कमी है। महोदय, मेरा कहना है कि जहां चाह तहां राह। यदि सरकार दृढ़ प्रतिज्ञा है तो-तो वह निश्चय ही इसके लिए संसाधनों की व्यवस्था करेगी।

दुर्भाग्यवश आजादी के 35 वर्ष के पश्चात् भी हम देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं और न केवल शिक्षितों में बेरोजगारी की विकट समस्या है, बल्कि अशिक्षितों में भी। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं, वह उद्दे-

श्य विहीन है। ब्रिटिश राज के दौरान, उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली आरम्भ की थी। वही शिक्षा प्रणाली अभी जारी है। हमने अभी इसका परित्याग नहीं किया है। इस स्थिति के लिए यही उत्तरदायी है।

हम प्रत्येक वर्ष बिना किसी प्रयोजन के ग्रेजुएट उत्पन्न कर रहे हैं। हजारों व्यक्ति या तो मैट्रीकुलेट अथवा ग्रेजुएट बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएगे तो आप पाएंगे कि औसतन 20 से 30 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। चाहे वे मैट्रीकुलेट हैं या ग्रेजुएट, वे क्लर्कों की तथा अन्य नौकरी ढूंढ रहे हैं। इस तरह, कोई भी सरकार, चाहे वह कांग्रेस (आई) दल की है अथवा अन्य दल की, सभी को रोजगार नहीं दे सकती।

हाल ही में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में चुनाव हुए थे। वहां तेलगू देशम के नेता ने लोगों को आश्वासन दिया था कि वे सत्ता में आए—उन्हें सत्ता में आने की आशा नहीं थी—तो सभी व्यक्तियों को रोजगार देंगे। चुनाव के पूर्व उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था। जब वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री बन गए तो तब उस आश्वासन को कार्यान्वित करने में उन्हें मुश्किल हो रहा है जहां कही वे जाते हैं, वही लोग उनसे पूछते हैं कि उनका आश्वासन का क्या हुआ। उस आश्वासन को कार्यान्वित करना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना किसी पार्टी के लिए मुश्किल है, जब तक कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो साम्राज्यवादी राज के दौरान शुरू की गई थी, में आमूल परिवर्तन न किया जाए।

उस प्रयोजन के लिए सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि, हालांकि यह श्रम मन्त्री के के हाथ में नहीं है, लेकिन वे शिक्षा मन्त्री को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाए। युवकों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जानी चाहिए। युवकों को तकनीकी के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। गांवों में भी छोटे तकनीशियनों की जरूरत है। गृह निर्माण के लिए तथा अन्य कार्य के लिए हमें अनेक कारीगरों की जरूरत है। हमें मैकेनिकों की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे पास पर्याप्त संख्या में तकनीशिएन नहीं है। यदि हम इस प्रकार की शिक्षा देंगे तभी हम सभी व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे जिन्हें स्व-नियोजित कहा जा जाएगा। समस्या का यह एक पहलू है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि पिछले वर्ष मैं जर्मनी गया था। मुझे वहां लोगों ने बताया कि वहां सुन्दर सड़कें हिटलर के कारण हैं जबकि वे लोग हिटलर के प्रशंसक नहीं थे। लेकिन उसकी अवधि के दौरान विकास हुआ। हिटलर के सत्ता में आने से पूर्व, जर्मनी में हमारे देश के समान ही बेरोजगारी थी। उसने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि उसे सत्ता में लाया गया तो वह प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देगा। लोगों ने खतरा उठाकर उसे सत्ता में बैठाया।

उसके बाद उसने यह किया कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसा भी काम दिया जाएगा, उसे करना पड़ेगा। इस तरह, उसने युवकों पर नियन्त्रण कर लिया। जब तक उनसे इस प्रकार के काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तब तक लोग लिपिकीय नौकरियों के पीछे भागते

फिरेंगे, लेकिन उसने उन्हें नियन्त्रित किया। बाद में जब वह अधिनायक बना तब उसने सभी लोगों पर सड़कें बनाने के लिए दबाव डाला। इसलिए लोग कह रहे हैं कि उसने केवल न बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया, बल्कि आधारभूत सुविधाएं भी तैयार की (**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : ऐसा सैन्यकरण के कारण हुआ।

श्री एम०सत्यनारायण राव : समाजवादी देशों में वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान इस प्रकार की शिक्षा से किया जा सकता है। मैं हिटलर द्वारा अपनाए गए सभी तरीकों का समर्थन नहीं करता। में इस सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम शिक्षित युवकों को इस तरह के कार्य के लिए बाध्य न करेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बात यह है कि वे उस तरह का काम करने से इन्कार कर देते हैं।

एक ओर तो हम यह कहते हैं कि लोगों के पास काम नहीं है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से पता चलता है कि खेती करने के लिए लोग नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि आजकल के नवयुवक लिपिक कार्य करना अधिक पसन्द करते हैं तथा खेती करने से इन्कार कर देते हैं। हम देखते हैं कि केवल पुरानी पीढ़ी के लोग ही खेती करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी खेती करने वाला नहीं रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि इसे अनिवार्य बनाया जाए। यह काम करने के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करके ही हो सकता है। ऐसे करने से सरकार भूमि सुधारों को लागू करने की आवश्यकता महसूस करेगी। भूमि सुधार की नीति को लागू करने के बाद भी हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कैसी है। हम उसे ठीक तरह से इसलिए नहीं लागू कर पा रहे क्योंकि कानून में कोई न कोई कमी होती है। भूस्वामी न्यायालयों में जाकर रोकादेश ले आते हैं जिससे भूमि सुधार उपाय लागू नहीं हो पाते। उन्हें लागू करने के लिए यह जरूरी है कि हम ऐसे कानून बनाएं जिनमें कोई कमियां हों। इसीलिये मैं कहता हूं कि काम करने के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार में शामिल कर लेने से आप कार्यक्रम को गम्भीरतापूर्वक लागू करेंगे।

महोदय, एक और बात जिसके लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं वह बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बारे में है। हमारे देश में सिंचाई करने की क्षमता बहुत है किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उत्तर में गंगा और ब्रहमपुत्र नदियों में हर वर्ष बाढ़ आती है। जबकि दक्षिण में सूखा पड़ता है। जब डा० के०एल० राव सिंचाई मन्त्री थे तो उन्होंने गंगा नदी को कावेरी नदी में मिलाने की योजना का सुझाव दिया था। उत्तर और दक्षिण की नदियों को मिलाने से एक तो एकीकरण हो जाएगा तथा दूसरे सिंचाई क्षमता भी बढ़ जाएगी जिससे हम बहुत सी भूमि की सिंचाई कर सकेंगे। हमारे पास भूमि तो काफी है किंतु सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण हम उस पर खेती नहीं कर सके। अतः मेरा निवेदन है कि डा० के०एल० राव द्वारा प्रस्तावित योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

महोदय, इसके अलावा यदि लघु, माध्यमिक और बड़े उद्योगों का औद्योगीकरण नहीं

किया जाता तो बेरोजगारी की समस्या भी नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले वित्त मन्त्री ने कहा था कि स्व-नियोजन के लिए बैंक ऋण देने को तैयार हैं किंतु नवयुवक हमें कहते हैं कि बैंक उनके लिए बाधायें उत्पन्न कर देते हैं वे उन्हें ऋण नहीं देते और वे मायूस हो जाते हैं। मैं आपको इस बात से आगह कर देना चाहता हूं कि यदि बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया गया तो देश में क्रांति आ जाएगी। आंध्र और कर्नाटक में हाल में हुए चुनाव में हमें इसका बहुत कड़वा अनुभव हुआ था। नवयुवक ही क्रांति लाये थे। वे बहुत निराश हैं। उनका कहना है कि गत 35 वर्षों में हमारी दल कुर्सी पर ही बैठा रहा तथा वह नवयुवकों को भूल गया। कांग्रेस सरकार अथवा कोई भी अन्य सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती किंतु वे समझते हैं कि चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से हमारे दल ने ही सत्ता की बागडोर सम्हाली हुई है इसलिए हमें इस समस्या को हल करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, सिंचाई क्षमता बढ़ानी चाहिए, जनसंख्या में वृद्धि रोकनी चाहिए. और तभी हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर पायेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आबादी के बाद हमारी आजादी दुगुनी हो गई है। हमें इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करना चाहिए। 1977 में जनता सरकार ने इस पहलू की उपेक्षा की थी। यद्यपि "नसबन्दी" का नारा लगाकर उन्होंने वे सत्ता में आये थे परन्तु वर्तमान स्थिति के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि अब श्री जेठमलानी इस बात के लिए श्री संजय गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं श्री संजय गांधी को इस मामले में पहल करने के लिए नतमस्तक करता हूं। एक बार फिर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तथा काम करने के अधिकार को मूल अध्याय में शामिल करे।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, राइट टू वर्क की जहां तक बात है, वास्तव में यह बहुत ही सुन्दर इस प्रस्ताव के माध्यम से लाई गई है। मुझे बहुत कम उम्मीद है कि यह सरकार इस प्रस्ताव को मान ले, या इस पर उचित रूप से ध्यान भी देगी। वास्तविक स्थिति क्या है इस पर गौर से विचार किया जाना चाहिए। पिछले सात वर्षों से जो हमारी प्राईवेट और पब्लिक सेक्टर में प्लानिंग रही, उसमें हमने औसतन कितने लोगों को काम दिया और कितने लोग बेरोजगार हुए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं, जैसे इंग्लैण्ड या और कोई देश 35 पौण्ड देते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि आपकी जो प्लानिंग है, उस पर भी विचार किया जाए। लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी रहती है लोगों की बेरोजगारी के आंकड़े बता देना और एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज में कितने लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करा लिया। इस प्रकार की सूचना सरकार द्वारा इस सदन में दे दी जाती है। इसमें वास्तविकता यह है कि 1975 से 1981 तक 19.7 मिलियन से शुरू हुआ और 22.9 मिलियन तक पहुंच गए। इससे पता चलता है कि आपने 0.5 मिलियन पर इअर के हिसाब से तरक्की की है। ये फिगर्स 700 मिलियन आबादी के

हिसाब से हैं। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार 17.2 मिलियन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया और अगस्त—82 तक 19 मिलियन हो गए। 19 मिलियन वह लोग हैं जो जानते हैं एमप्लायमेंट एक्सचेंज में जाकर नाम लिखा लेना चाहिए। देहातों में रहने वाले लाखों लोग तो एमप्लायमेन्ट एक्सचेंज किस चीज का नाम है जानते ही नहीं हैं, और इसलिये अपना नाम ही नहीं लिख पाते। आज देश में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जिन्होंने एमप्लायमेंट एक्सचेंज का दफ्तर ही नहीं देखा और नाम भी नहीं लिखाते हैं।

आज की हालत में जिन लोगों के नाम एमप्लायमेन्ट एक्सचेंज में लिखे हुए हैं उनमें से आधे तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुस्ट हैं। मैट्रिकुलेट लोगों की संख्या तो कम है। औसतन इनमें से कितनों को आपने नौकरी दी? इस पर आपने कभी विचार किया है? होता क्या है कि इनकी जो काम दिलाने वाली योजनायें हैं उनमें कहीं न कहीं रुकावट सी है, वह नौकरी नहीं दे पा रही हैं। आवश्यक बात यह है कि आर्थिक पहलू पर जब विचार करें तो हमें काम दिलाने वाली योजनायें करनी चाहियें। कावेरी और गंगा वाली बात के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सैक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं उनमें कितने लोग काम करते हैं? 15 मिलियन लोगों को जो आपने नौकरी दे रखी है प्राइवेट सेक्टर में उनमें 1.8 मिलियन वह हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर में हैं। करते क्या हैं। यह ठेकेदारों से काम कराते हैं। इसलिये कहीं नौकरी देने का सवाल ही नहीं उठता। आप देंगे क्या? इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम ही नहीं लिखा पाते हैं एमप्लायमेन्ट एक्सचेंज में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो साल, दो साल के बाद फिर दोबारा अपना नाम देखने नहीं जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश की सारी बेरोजगारी आप कितने सालों में खत्म कर देंगे? मेरा ख्याल है 100 वर्ष में भी नहीं खत्म कर सकते हैं। तो फिर राइट टू वर्क कहां से दे देंगे? नहीं दे पायेंगे। पोपुलेशन जरूर कंट्रोल होनी चाहिये, इससे कोई इन्कार नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे यहां जो काम की योजनायें चलती रहती हैं, जैसे बेरोजगारों को भैंस दिला दी, कभी आपने देखा है वह भैंस आते आते दूध ही नहीं देती है और वह बेचारा बेरोजगार ही बना रहता है और नौकरी वाला मामला तो एकदम ही गड़बड़ है।

आप इंडस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो देश के उद्योग धन्धों का भी आपको विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। हैवी इंडस्ट्री के बारे में आप कोई राय बना सकते हैं, लेकिन आपको लघु उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस बात पर चौधरी चरण सिंह ने गांधीवादी आदर्श का समर्थन किया है और सरकार को कभी विरोधी लोगों की भी अच्छी बात मान लेनी चाहिये। महात्मा गांधी ने काटेज इंडस्ट्री के लिये कहा था कि जब तक इसको डेवलप नहीं करेंगे हमारा काम नहीं चलेगा। बड़ी फैक्ट्री में बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जिनमें साबुन भी बन रहा है। आप रेडियो, टी० वी० पर रोज ऐडवर्टाइज कर रहे हैं। अभी डिफेंस पर चर्चा चल रही थी, ऐक्स-सर्विसमैन के रीसेटिलमेंट की बात करते हैं। यहां साबुन बनाना सिखा देते हैं। वह गांव में क्या बनायेंगे, न उसको बेच पायेंगे। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए सोचने की बात

यह है कि हमारी प्लानिंग सही पैमाने में सही तरीके से होनी चाहिए। और राइट टु वर्क आप कभी भी नहीं दे पायेंगे। कोई और सरकार आयी तो वह विचार कर सकती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अभी अनुपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहो तो भेज दूं उनको ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जी हां, भेज दें, जिन्होंने यह संकल्प रखा और कहा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये काम के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाये।

आप जानते हैं कि श्री चन्द्राकर शासक दल के महामंत्री हैं और इनके प्रस्ताव का जोरदार ढंग से समर्थन भी इनकी पार्लियामेंटरी पार्टी के सैक्रेटरी श्री मूलचन्द डागा ने किया है। मैं मानता हूं कि यह पार्टी जनतंत्र में विश्वास करने वाली है इसलिये यह सरकार इसको अवश्य मानेगी।

बेरोजगारी की समस्या आज देश में सुरसा की तरह मुंह बाये जा रही है। हर रोज बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। 1980 में आपको याद होगा, यह सरकार वायदा करके आई थी कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी। आज 3 बरस गुजर गये, समाधान की बात तो अलग रही, इनकी कोई प्लान या थिंकिंग भी नहीं है। जनता सरकार 5,7 बरस की बात तो करती थी, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि संविधान में इसका प्रावधान होगा, मूलाधिकार में यदि इसे सम्मिलित किया जायेगा तो सरकार इस बात को सोचने के लिये बाध्य तो होगी कि बेरोजगारी की समस्या का कैसे समाधान किया जाये ?

जब इस मुल्क में अंग्रेज आये तो उन्होंने इस मुल्क में अंग्रेजी को इसलिए इन्ट्रोड्यूस किया कि उन्हें दफ्तरों के लिये क्लर्क चाहिए थे। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हाथ से काम करना गुनाह समझने लगे। मैट्रिक तक पढ़ा हुआ भी हाथ से काम नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : वही हाल आजकल भी तो है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : 35 बरस गुजर गये, लेकिन आज तक कुछ भी इस मामले में नहीं हो पाया। जानबूझ कर यह सरकार चाहती है कि बेरोजगारों की फौज बनती रहे ताकि वह हमारी तरफ देखते रहें और हम पर डिपैंड रहें।

मैं आग्रह करूंगा कि शुरू से जो हमारी शिक्षा की नीति है, इसमें कम-से-कम आज कुछ परिवर्तन करें। आज 4 तरह की शिक्षा इस मुल्क में है। एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा सैन्ट्रल स्कूल में पड़ता है, तीसरा बच्चा म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में और चौथा बच्चा गांव के उस तरह के स्कूलों में पढ़ता है जहां कि छप्पर भी नहीं है।

आप देखेंगे कि आज गरीब ही ज्यादा अन-एम्पलायड है, जिनका कोई सोर्स नहीं है। उनमें ऐसे लोग ही ज्यादा हैं जो गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं। एक तरफ पब्लिक स्कूल के पढ़े बच्चे होते हैं, उनके रहन-सहन का ढंग और सारी सुविधाएं होती हैं और दूसरी तरफ गांव के पढ़े बच्चे को आप कहते हैं कि कंपीटीशन में आओ। एक तरफ मुलतानी घोड़ा और दूसरी तरफ देसी घोड़ा और फिर आप कहते हैं कि देखें कौन जीतेगा ?

यह सरकार जानबूझकर चाहती है कि गरीब तबके का लड़का जो है, उसको कभी मौका शासन में हिस्सा लेने का न मिले ताकि वह अपनी बेहतरी की बात कह सके। यह सरकार जान-बूझकर बेकारी की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, इसलिए कि दबे-कुचले लोग शासन में आयेंगे तो वह उसी वर्ग की बेहतरी की बात करेंगे, जिससे वह आते हैं।

शिक्षा में बेसिक एजूकेशन इन्होंने चलाई। उसके बाद कहा कि यह ठीक नहीं है। इसके बाद इन्होंने ऐसस्मैंट का तरीका अपनाया। कुछ देर बाद कहा कि यह भी ठीक नहीं हैं। फिर इन्होंने 10 प्लस 2 की थ्योरी चलाई। आखिर कोई एक नीति तो होनी चाहिये।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो पब्लिक स्कूल हैं, बराबर इस सदन में और सदन के बाहर भी मांग हुई है कि इनको खत्म करके एक सिद्धान्त करो ताकि गांव से लेकर शहर तक लोग एक तरह की पढ़ाई पढ़ें और कम्पीटीशन में आ सकें। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं, जिसमें छप्पर नहीं था। मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा हूं, जिनका इन लोगों को कोई कनसेप्शन ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि बिना छप्पर के स्कूल कैसे होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम पेड़ के नीचे पढ़े हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : हम तो आसमान के नीचे पढ़ कर आए हैं। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे देश में बेरोजगारों की फौज पैदा न हो, बल्कि जो रोजगारोन्मुखी हो, लोगों को रोजी-रोटी कमाने लायक बना सके। अभी मुझे जी.डी.आर. जाने का मौका मिला था। वहां पर हमने इनफार्मली कहा कि हमारे यहां बड़ी बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि आपके यहां इतनी बड़ी बड़ी प्राजेक्ट्स हैं, क्यों नहीं लोगों को उनमें लगाते। हमने कहा कि आप हमारी शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहां जो स्कूल में पढ़ा हो, वह हाथ से काम नहीं कर सकता और यही रोना है।

शायद सरकार को मालूम नहीं है कि कितनी समस्याएं उसके सामने आने वाली हैं, उनकी जड़ में बेरोजगारी है। जिस रेशो से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर वह उसी तरह बढ़ती गई, तो वह दिन दूर नहीं है, जब इस सरकार को फिर 1977 का मुंह देखना पड़ेगा। मैं उसको आगाह करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, वह उसका

समाधान करने के लिए कदम उठाए और हर घर में कम से कम एक आदमी को रोजगार अवश्य मिले।

18 तारीख को विरोधी दलों ने मुल्क के सारे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया था। हमने तीन मांगें रखी थीं : एक, पढ़े-लिखे नौजवानों को और गांवों के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए और जब तक ऐसा नहीं हो सकता, तब तक उन्हें 150 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए; दूसरे, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए; तीसरे, हरिजन-आदिवासियों के रिजर्व्ड क्वोटा को पूरा किया जाए। आपको जान कर हैरत होगी कि यद्यपि रिजर्व्ड क्वोटा 22 परसेंट है, लेकिन अधिकतर जगहों में केवल 5 परसेंट तक रिक्रूटमेंट हो पाई है। रेक्रुटमेंट करने वाले सरकारी अधिकारी कहते हैं कि इन वर्गों में उपयुक्त लोग उपलब्ध नहीं हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि हरिजन-आदिवासियों में ज्यादातर लड़के गांवों के ऐसे स्कूलों से पढ़ कर आते हैं, जहां छप्पर भी नहीं है। सरकार ने जो सांविधानिक प्रावधान किया है, उसके अनुसार वह कम से कम 22 परसेंट नौकरियां तो इन वर्गों को दें। अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि वह यह नहीं चाहती कि हरिजन-आदिवासी ऊपर उठें और 80 प्रतिशत होने के नाते उनके हाथ में शासन आए।

सत्तारूढ़ दल के एक महामंत्री जो संकल्प लाए हैं और दूसरे महामंत्री ने जिसे समर्थन दिया है, मैं जोरदार शब्दों में उसका समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उसे जरूर स्वीकार करें।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय,

भला क्या कर सकें इलाज मजे नातवानी का
पकड़ते हैं अगर बाजू यहां शाने उतरते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि काम करने का अधिकार एक सांवैधिक अधिकार होना चाहिए। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने जो रेजोल्यूशन यहां पर पेश किया है मैं उसकी पूरी हिमायत करता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहां पर रखी है। आज जो बेरोजगारी की समस्या है, हमें उस पर सोचना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से सोचेंगे तो कोई न कोई हल निकल ही आयेगा। ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है कि जिसका हल तलाश न किया जा सके बशर्ते कि हम उस चीज को सीरियसली टेकअप करें। जिसके बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते वह चीज हमें अवश्य मिलनी चाहिए। स्वामी विवेकानन्द जी ने यह बात कही है कि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं वह चीज हमें जरूर मिलेगी। जिस चीज के बिना हम रह सकते हैं वह कहां मिलेगी? कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए दृढ़तापूर्वक सोचना होगा।

आज हमारे यहां जनसंख्या पर पाबन्दी होनी चाहिए। दूसरे देशों में एक बच्चा भी ज्यादा पैदा नहीं होने देते हैं लेकिन यहां पर पता नहीं कितने पैदा होते जा रहे हैं। संजय गांधी

ने इसको कुछ रोका था लेकिन लोगों ने उसको एक्सप्लायट कर लिया, कहा यह बुरी बात है लेकिन अब उसकी तारीफ कर रहे हैं।

इसी तरह से आज आप देखें कि भिक्षता किस तरह से फैल रही है। भिखारी कपड़े तक फाड़ डालते हैं। आंध्र में चले जाइये या कहीं और वहां पर इतने माँगने वाले हैं जिनकी इन्तहा नहीं है। लेकिन इस बारे में कोई भी सीरियसली नहीं सोच रहा है।

महात्मा गांधी पहले छोटी बातों को ही लेते थे। "जब तक एक भी समर्थांग पुरुष या स्त्री का काम या भोजन के बिना है तब तक आराम करना या भोजन लेना मेरे लिए शर्म की बात है।" महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक मनुष्य भी बिना काम के और बिना रोटी के है तो किसी को भी आराम नहीं करना चाहिये। लेकिन क्या आज उनकी बातों पर अमल किया जा रहा है ? मैंने देखा है मंत्रीगणों के यहां कितने ही लोग खड़े रहते हैं। मैंने देखा 40-40 लोग बैठे हैं। मिनिस्टर्स डिस्पोजल क्यों नहीं निपटाते हैं ? जब मैं कार्यकर्त्ता था तो मेरे पास गांवों से लोग आते थे। यह 1947 की बात है। मैं सोचता था कि इन लोगों को तो काम करना है, ये यहां पर क्यों आयें। वे तहसीलदार के पास जाते थे तो वह लिख देता था कि मौके पर मिलो। मैंने कहा, लिख कर दे दिया है कि मौके पर देख लेंगे। इससे सब लोग भाग जायेंगे। नारा लगता है कि चौ० सुन्दर सिंह जिन्दाबाद। यदि गांवों में जाकर कोई काम करना है, तो लोगों को यह समझना चाहिए कि यह हमारा काम है और इसको ठीक करना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों को देखा जाए तो काम बहुत अच्छा हो सकता है।

शिक्षा के सन्दर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं। शिक्षा जो दी जा रही है बाबू पैदा करने के लिए दी जा रही है। लार्ड मैकाले ने इसको शुरू किया था, सफेद-पोश पैदा हों और कोई काम न करे। इसको क्यों नहीं बदला जा रहा है। इसको भी बदलना चाहिए। इसको नौकरी देने के लिए बनाना चाहिए। लोग पढ़-लिखकर कुछ काम कर सकें। लेकिन बाबू कहता है कि हम काम क्यों करें, मेरे सफेद कपड़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि काम चाहे कोई भी हो, उसको करना चाहिए।

हिन्दुस्तान एक कृषि सम्बन्धी मुल्क है। गांवों में भूमि पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक भूमि सुधार नहीं हुआ है। इसका प्रबन्ध अभी तक क्यों नहीं किया गया ? उत्तर प्रदेश में बहुत भूमि पड़ी हुई है। वहां लोग काम नहीं करते हैं। बड़े-बड़े बदमाश चुनाव लड़ते हैं और खाली घूमते हैं मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्या तमाशा है। थोड़ी सी भूमि पर भी काफी आदमी काम कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भूमि सुधार हुआ है ? इसके लिए अब तक कौन-सा अमल हुआ है ? इसके लिए आप किसको पकड़ेंगे ? लोकतन्त्र है, आप किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। इसके लिए यदि कहा जाता है, तो कहा जाता है कि यह मेरा विभाग नहीं है। इसलिए कोई सिलसिला चलने का नजर नहीं आता है। यह काम आपको करना चाहिए। यह बात सही है कि किसी भी नौजवान को कोई काम मिलता है, तो उसको करना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—

"शिकायत करने वाले का किसी भी काम से मन नहीं लगता। वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता तथा उसका सारा जीवन विफल हो जाता है। हमें जीवन भर निष्ठापूर्वक काम करते जाना चाहिए जो भी हमें सौंपा जाए। तब अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी।"

जो काम मिलता है, उसको करते जाना चाहिए। महात्मा गांधी की बात को मानना चाहिए। जो काम मिलता है, उसको करते जाना चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि रोटी नहीं खानी चाहिए, जब तक काम नहीं करना है। कहते हैं कि बी० ए०, एम० ए० पास है। ठीक है, बी० ए०, एम० ए० पास हैं।

"जब तक लाखों व्यक्ति भूख से पीड़ित हैं और अनभिज्ञ हैं तब तक मैं सभी को गद्दार मानता रहूंगा, जो अपने खर्च पर शिक्षा प्राप्त करके उनका कतई ख्याल नहीं करते।"

उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। देहातों में बेभाव जमीन पड़ी हुई है। यह जो रखा है, यू० पी० में वोट लेने के लिए रखा है।···(**व्यवधान**)···पब्लिक स्कूलों की हालत को देखिए। एक आदमी कहता है कि पब्लिक स्कूल में दाखिला करायेंगे। मैंने कहा—तुम बड़े निकम्मे आदमी हो। पब्लिक स्कूल में पढ़ाकर मर जायेंगे। हम कोई पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं, हम देहातों में पढ़े हैं, हम में एनर्जी हैं, हम लड़ सकते हैं। जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, वे क्या करेंगे। हर आदमी चाहता है कि पब्लिक स्कूल में दाखिला मिल जाए। जो बात कही जाती है उस पर अमल होना चाहिये। इसलिए में कहता हूं कि यह जो पब्लिक स्कूल का सिलसिला है इसको बन्द करना चाहिये। लेकिन बन्द कौन करेगा ? सब जबानी कह देते हैं···

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : चौधरी साहब ठीक कहते हैं कि बन्द कर दो, लेकिन करता कोई नहीं।

श्री सुन्दर सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं—अधिकार और कर्तव्य बराबर चलते हैं। दोनों को साथ लेकर चलना होगा। मैंने सरकार के कई काम देखे हैं। वे कह देते हैं कि हमने यह करना है, वह करना है, मत पास कर देते हैं, लेकिन क्या उनका अमल होता है। अगर अमल नहीं होता है तो फिर यह सब कहने का क्या मतलब है ? मत यह आपके लिए भी है, सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सरकार के लिए भी है, जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा।

मैं एक बात पर जोर चाहता हूं—हिन्दुस्तान में अगर कोई कारखाना नहीं खोल सकता है तो फिर आपको भूमि सुधार जरूर करना चाहिये। लेकिन कहते सब हैं, काम नहीं होता है। हम सोचते नहीं हैं कि हम कहां जा रहे हैं, इस तरह कहने से कुछ बनने वाला नहीं है। हमारे पंजाब में जो लड़ाई हो रही है, इसका क्या मतलब है? अगर उनको काम दे दें तो क्या वे अपना कारखाना छोड़ कर लड़ेंगे। इस बारे में मेरा मत था, लेकिन वह अस्वीकार हो गया, इसलिए उस पर बोल नहीं सका। आज हरिजनों को लें—ज्यादातर बेरोजगार उनके अन्दर हैं, जब उनकी ही समस्या का समाधान नहीं होता है, तो इनका क्या होगा। बेरोजगारी के मामले में हमारा एक

आदर्श होना चाहिए कि कोई भी आदमी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उसको रोटी मुफ्त नहीं खानी चाहिए। मुफ्त रोटी खाना पाप है। कोई एम० ए० पास है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो जो भी काम उसे मिलता है वह उसे करना चाहिए। इस बात का इन्तजार नहीं करना चाहिये कि उसे उसकी पढ़ाई के मुताबिक ही नौकरी मिले। फिर भी उसे काम नहीं मिलता है तो वह समाज का कुसूर है, मेरा कुसूर है। इस ढंग से आप सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि सारा काम ठीक हो जाएगा और बेरोजगारी दूर हो जायगी।

जिसके बिना हम नहीं रह सकते वह चीज हमें अवश्य मिलनी चाहिए। आप इस तरह से देखें—जिस घर में तीन-चार आदमी बेकार घूमते हैं और दो-तीन काम करते हैं तो कैसे चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो दौर चल रहा है, जहां इतने आदमी बेरोजगार घूमते हैं इसको ठीक करो, वरना ये हमें ठीक कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब ऐसा कह दो—बट कढ़ छढेंगे हुण बै जाओ।

श्री सुन्दर सिंह : इस मत का मैं अनुमोदन करता हूं।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : मेरे नाम का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब टाइम खत्म हो गया है। अब समय नहीं है। अब साढ़े चार बजे हैं, समय पूरा हो गया है।

श्री हरीश गंगवार : मेरा नाम तो पिछली दफा से चल रहा है। मैं सिर्फ दो ही मिनट मांगता हू।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : 5 मिनट दे दीजिए। दो मिनट उनको और तीन मिनट इनको।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ढाई-ढाई मिनट दे दूंगा।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। अब पन्द्रह मिनट और बढ़ा द।

* **श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी)** : देश में रोजगार दफ्तर नौकरी चाहने वाले लोगों के नाम रजिस्टर करते हैं। परन्तु उन्हें नौकरी देने में हमने कोई प्रगति नहीं की है। इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। बैंक भर्ती के लिए विज्ञापन देते हैं और लाखों लोग आवेदन करते हैं। वे परीक्षा लेते हैं और अन्त में 100 या 200 लोग चुने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य संस्थाएं विज्ञापन देती है और लाखों लोग आवेदन पत्र भेजते हैं। वे परीक्षा शुल्क भी देते हैं। इस प्रकार बहुत सा रुपया बेकार खर्च होता है। यह तरीका लम्बे समय से चला आ रहा है। पर यदि सरकारी क्षेत्र या सरकारी दफ्तरों में जगह हैं तो चुनाव केवल रोजगार दफ्तरों की मार्फत होना चाहिए। यह एक मेरा विनम्र निवेदन मंत्री महोदय से है। इस अवसर पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

---

* कन्नड़ में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : यह बात कही जा चुकी है कि काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जाए। इसको मैं दोहराऊंगा नहीं।

आज एक और सवाल है जो बहुत समय से चर्चा का विषय है कि राजनीतिक पार्टी ऊपर है या सरकार ऊपर है ? इस सदन में इस प्रस्ताव को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर द्वारा प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस आई संसदीय दल के महा मन्त्री श्री मूलचन्द डागा द्वारा इसका समर्थन किया गया। इन लोगों ने अपनी पार्टी की अध्यक्ष जो इस समय प्रधान मन्त्री भी हैं, उनसे पूछकर ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सारा सदन भी इस बात से एकमत है कि इसको मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर पार्टी को ऊपर रखते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी इस विषय पर कई बार बहस हो चुकी है कि पार्टी ऊंची है या सरकार ? अन्त में पार्टी को ही ऊंची माना गया है। दूसरा यह आपके विवेक पर भी आधारित है कि जैसा कि आप आमतौर पर कह देते हैं हाउस की कंसेसेस ले लीजिए। अभी आपने कहा कि अगर हाउस की कंसेसेस है तो बोलने का समय दे दिया जाएगा। आज जब हाउस की कंसेसेस है. हाउस का यूनेनिमस व्यू है, ऐसे वक्त में आप इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि आप भी वही निर्णय लेंगे जो पूरे हाउस की अब तक राय है ' मन्त्री जी सहमत हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता।

इस सारी स्थिति को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि श्री चन्द्राकर जी इसको वापिस नहीं लेंगे और मन्त्री जी इसको संविधान के मूल अधिकारों में शामिल कर लेंगे।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर 10 करोड़ हाथ बेकार हैं। अगर ये हाथ काम में लगे हुए होते तो कितना उत्पादन बढ़ता। चीन की आबादी हमसे ज्यादा है "ह्वांग-हो" नदी को चीन का शोक कहा जाता था। यह सवाल हम लोगों से भूगोल के पर्चे में पूछा जाता था। उन्होंने ह्वांग-हो और यांग-सी-क्यांग नदियों को गहरा करवा दिया और किनारों पर वृक्ष लगवा दिए। इस प्रकार चीन ने अपने देश के लाखों गरीब आदमियों को रोजगार दिया। ह्वांग-हो चीन का शोक नहीं है बल्कि चीन का आनन्द कहलाती है। हम भी बहुत दिनों से कह रहे हैं और योजनाएं भी बनी हैं बाढ़ों को रोकने के लिये, सूखे को दूर करने के लिए, बिजली ज्यादा बढ़ाने के लिए, गंगा को सीधे कावेरी से मिलाने के लिए, जिसमें हमारे बहुत से बेकार लोग लग जायेंगे और काफी समय तक उनको काम मिलता रहेगा। इससे देश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इस योजना को मान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ बेकारी बढ़ती है और देश का बोझ भी बढ़ जाता है। मेरा सुझाव है कि कुटीर उद्योग बेकार लोगों को दिए जाएं। प्रत्येक गांव की उन्नति के लिए दो व्यक्ति स्थायी रूप से लगाए जाएं। आपने देखा होगा कि गांव के विकास हेतु लोकपाल, कामदार और वी० एल० डब्ल्यू० होता है लेकिन विकास कुछ नहीं हो पाता है। दस प्रकार के अफसर बना रखे हैं लेकिन एक भी आदमी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जब तक एक गांव की सर्वांगीण उन्नति के लिए एक या दो आदमी जिम्मेदार नहीं ठहराये जायेंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको कर्जा नहीं मिलता है। उनको इण्डस्ट्रीयल लोन दिया जाना चाहिये। अगर हम यह सब कर लेते तो हमको आइ० एम० एफ० से लोन नहीं लेना पड़ता।

मैं समझता हूं एक और नयी परिपाटी चल पड़ी है। जब भी कोई योजना बनाई जाती है, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। हमको बेकार लोगों में से एक ऐसी फोर्स तैयार करनी चाहिए जो सेना से मुकाबले की हो और जहां-कहीं गड़बड़ी पता चले वहां इनको लगा दिया जाए। आज बहुत से स्थानों पर केवल अहम भाव को पूरा करने के लिए हड़तालें हो जाती हैं। इसलिए एक ऐसा सैन्य बल बने जो जब भी हड़ताल करें, वहां जाकर काम करना शुरू कर दे। परमानेंट फोर्स इन्हीं बेकार लोगों में से बनायी जाए। आज कहा जाता है कि विद्यार्थी असामाजिक काम कर रहे हैं। उनके पास काम नहीं है इसलिए उनका दिमाग दूसरे कामों में लग जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि काम के अधिकार को भूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गम्भीर है। यह देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के इन्जीनियर्स और डाक्टर्स भी बेकार हैं। लगभग 60 हजार रुपए सरकार एक इन्जीनियर को बनाने में खर्च करती है, उनके मां-बाप का जो खर्च होता है, वह तो है ही। फिर भी आज हमारे देश में इन्जीनियर बेकार हैं। पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने जो भी संख्या बताई है वास्तव में बेरोजगारों की संख्या उससे अधिक है। अभी कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व महामन्त्री श्री सत्यनारायण राव जी ने एक बात कही है जो कि बहुत ही रिमार्केबल है। इच्छा हो तो रास्ता निकल ही आता है। यदि सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो समस्या हल की जा सकती है। इससे साबित होता है कि सरकार के अन्दर दृढ़ता नहीं है। आज बढ़ती हुई बेरोजगारी देश के अन्दर हिंसा को भी बढ़ा रही है। तमिलनाडु की स्थिति यह है, मुझे माननीय दण्डपाणि ने बताया कि जैसी स्थिति आज वहां है उससे तमाम लोग ऐसे कामों में लग रहे हैं, कुछ नक्सलाइट हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि काम करने का अधिकार लोगों को प्रदान किया जायें।

बेरोजगारी का भत्ता देने का सवाल कई बार सदन में आया, लेकिन सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बहुत सी राज्य सरकारें इस प्रकार का भत्ता देती हैं तो केन्द्र को देने में क्या अड़चन है, आप क्यों नहीं बेरोजगारी का भत्ता दे रहे हैं?

शिक्षा को जाब आरिऐन्टेड बनाने की बात की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 35 वर्ष के बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि क्षेत्रों का विकास करने के लिए वहां का औद्योगीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है।

सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के बारे में एक गारलैंड कैनाल स्कीम थी जिस पर जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार ने विचार भी किया। कैप्टन दस्तूर ने उस योजना में बताया है कि इससे 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे एक तो बाढ़ पर नियंत्रण होगा, सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजली का उत्पादन होगा जिससे औद्योगीकरण होगा और इन सारे कार्यों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जायेगा जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस योजना के बारे में कुछ सोच रही है ?

साथ ही जो मल्टी नेशनल्स को तमाम चीजें बनाने के लिए कह दिया जाता है, जैसे साबुन टूथ पेस्ट आदि यह सब स्माल स्केल सेक्टर में बनने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। पोपुलेशन कन्ट्रोल के बारे में सारा सदन एक मत है कि इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जनता में प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोग स्वतः इसका पालन कर सकें। सारे राजनीतिक दलों की एक समिति बनाकर इस बारे में प्रचार करना चाहिए।

कृषि मजदूरों की समस्या के बारे में मेरा निवेदन है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसको तेजी के साथ चलाया जाये ताकि गांवों में बेरोजगारों को काम मिल सके। पहले जो खाद्यान्न योजना चलायी जा रही थी उससे गाँवों में काम भी हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन इस समय यह योजना रुक गई है। इसलिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक आप काम करायें ताकि गांवों के अन्दर बेरोजगारों को काम करने का अधिकार मिल सके। और इस अधिकार को फण्डामेंटल राइट् में शामिल करें जैसा कि यह प्रस्ताव है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

मुझे खेद है कि माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर यहां उपस्थित नहीं है इसलिए मैं बहुत दुःखी होकर उनकी निन्दा तो नहीं करूंगा, लेकिन अपना दुःख जरूर प्रकट करूंगा।

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने संकल्प पेश किया है जिसमें देश में बेरोजगारी की समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संकल्प पर बहस में भाग लेने के लिये अपना बहुमूल्य समय दिया है। इस विषय पर अपने सुझाव देने के लिये मैं श्री चन्दूलाल चन्द्राकर तथा अन्य साथियों का आभारी हूं।

सदन के समक्ष संकल्प में यह सिफारिश की गई है कि कार्य के लिये अधिकार को संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाये। चूंकि कार्य के लिये अधिकार को एक मूलाधिकार बनाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिये इस पर इस सदन में तथा बाहर विचार-विमर्श होता रहा है। जैसा कि इन अवसरों पर संकेत किया गया है, सरकार कार्य के लिये अधिकार के मूलाधिकार बनाने की मांग के पीछे छिपी हुई भावना की सराहना करती है, परन्तु यह महसूस करती है कि ऐसा कदम केवल तभी उठाया जा सकता है, जब इसके लिये परिस्थितियां ठीक हों।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो लोग रोजगार की मांग करते हैं, उन सब को खपाने के लिये बड़ी संख्या में···

श्री एम० सत्यनारायण राव : अध्यक्ष महोदय इतने, महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा में भी सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया घन्टी बजाएं।

अब गणपूर्ति है। आप अपना भाषण जारी करें।

श्री धर्मवीर : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो लोग रोजगार की मांग करते हैं, उन सब को खपाने के लिये बहुत बड़ी संख्या में उत्पादनकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना तत्काल व्यवहार्य नहीं है। वास्तव में जिन अत्यन्त विकसित देशों में खुशहाली है, जिसका कई माननीय सदस्यों ने उदाहरण भी दिया है, वहाँ पर भी संघर्षशील बेरोजगारी से बचना संभव नहीं हो पाया, इस पर हमारे देश में अमल करना व्यावहारिक नहीं है। हमारे जैसे विकसित देशों में तो ऐसा करना बहुत कठिन है, जहां बेरोजगारी का स्वरूप स्थानिक है।

कार्य करने के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने से अनुच्छेद 32 तथा 226 के अधीन केवल अनेक याचिकाएं उत्पन्न होंगी। यदि इनका पालन किया जाये तो प्रत्येक चाहने वाले व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। काम मांगने वाले सभी व्यक्तियों को, जी काम उत्पादक हो या न हो, देने की लागत अत्यधिक होगी। 4 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी स्तर तथा कुछ रुढ़िवादी मान्यताओं के आधार पर निर्माण कार्यक्रम की लागत एक बहुत बड़ी संतुलित राशि 3500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप जो निर्माण योजनाएं बनाई जाएंगी, उनके कारण मुद्रास्फीति सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। सरकार महसूस करती है कि इतनी बड़ी मात्रा में संसाधनों को गैर-उत्पादक कार्य सृजित करने वाली योजनाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने पर नष्ट करने की बजाए इनका उपयोग उत्पादक तथा स्थायी रोजगार अवसर का सृजित करने वाली योजनाओं पर किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उस उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

छठी योजना में विशेषत: लगभग 34 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार सृजित होने की आशा है। छठी योजना अवधि के दौरान रोजगार सृजन की दर प्रतिवर्ष 4.17 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है, जो श्रम-बल की वृद्धि-दर से पर्याप्त उच्चतर होगी, जो उसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत होगी। यदि छठी योजना अवधि के दौरान सृजित होने वाले रोजगार अवसर पूर्णकालिक आधार पर हों, तो छठी योजना में रोजगार सृजन से लगभग 34 मिलियन की सम्पूर्ण वृद्धि को रोजगार प्राप्त हो जाएगा।

योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि-दर उच्चतर है, जब कि परियोजना में परिकल्पित दर 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। 1982-83 में वृद्धि-दर लगभग केवल 2 प्रतिशत होने की सम्भावना है, क्योंकि खरीफ उत्पादन में गिरावट तथा औद्योगिक उत्पाद की

वृद्धि में कुछ कमी आई है। फिर भी योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अर्थ-व्यवस्था की औसतन वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 5 प्रतिशत निकाली जाएगी, जो कि लगभग वही है, जैसे योजना में दर की परिकल्पना की गई है। अतः रोजगार अवसरों की वृद्धि वैसी ही रही होगी, जैसी कि छठी योजना में परिकल्पना की गई है। यद्यपि योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में रोजगार सृजन की प्रगति से सम्बन्धित व्यापक सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि कुछ आशाप्रद प्रगति दर्शाने वाले कार्यक्रमों तथा क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है। उदाहरण के लिए 1980-82 की अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 56 लाख परिवारों को लाया गया है, जबकि योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 1.5 करोड़ परिवार है। स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम दो वर्षों में लगभग 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग 1.28 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों में बसने के काबिल बनाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित करना था, वर्ष 1980-81 के दौरान 42.08 करोड़ श्रम दिवस रोजगार तथा 1981-82 के दौरान 38.49 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किए।

जिला उद्योग केन्द्रों ने, जिन्हें पुनर्गठित किया जा रहा है, ताकि उनके पास स्थानीय उपलब्ध स्रोतों के बारे में परियोजना तैयार करने तथा परामर्श देने में आवश्यकता दक्षता हो सके, 1980-82 की अवधि के दौरान अनुमानित 21 लाख रोजगार अवसर सृजित किए हैं।

अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 1980-81 के दौरान 2.5 प्रतिशत की वृद्धि और1981-82 के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धिरिकार्ड की गई। रोजगार स्थिति पर योजना कार्यक्रमों के पूरे प्रभाव के बारे में, माननीय सदस्यों का ध्यान रोजगार कार्यालय क आंकड़ों द्वारा दिखाई गई प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित किया जाता है। रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में जबकि निःसन्देह बढ़ रही है, कार्य चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की वार्षिक दर ने हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई है। छठी योजना के प्रथम वर्ष में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की दर 1982 के दौरान केवल 0.7 प्रतिशत थी।

योजना प्रयासों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सृजित किए जा रहे वेतनभोगी या मजदूरी प्रदत्त नौकरियां जबकि बढ़ रही है, छठी पंचवर्षीय योजना ने नोट किया है कि हाल के वर्षों में प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि हमारे श्रमिक बल में वृद्धि का केवल लगभग 12 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में खपाया जाएगा। अत श्रमिक बल के शेष सदस्यों को अनौपचारिक या स्व-रोजगार के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना होगा। दुर्भाग्यवश, हमारे देश के युवकों में सरकारी या संगठित क्षेत्र की नौकरी के पीछे भागने की प्रवृत्ति है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस प्रकार की नौकरियां सीमित हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार के लिए "न्यू

डील" की परिकल्पना की गई है और स्वरोजगार की प्रोन्नति के लिए निर्धारित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि बेरोजगारी और गरीबी के प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी सुनिश्चित की जा सके। यह नीति उपायों का एक पैकेज है, जिसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के ग्रुपों, चाहे वह महिलायें हों या पुरुष के स्वरोजगार की प्रोन्नति के लिए मार्गदर्शन, ऋण सुविधायें, प्रशिक्षण विपणन और अन्य उपाय शामिल हैं। मुझे आशा है कि हमारे देश के युवा वर्ग इन सुविधाओं का लाभ उठायेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने "एक परिवार में एक ही नौकरी" का सुझाव रखा है। "एक परिवार में एक ही नौकरी" की योजना प्रारम्भ करने के प्रश्न पर छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय कार्यक्रम व्यवहार्य नहीं होगा। अतः छठी योजना में जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन के लिए विकेन्द्रीकृत नीति अपनाने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य के लिए देश के अधिकतर जिलों में जिला जनशक्ति आयोजन और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित की गई हैं। परिषदों को जिला रोजगार योजनायें तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ताकि वेतन भोगी और मजदूरी भोगी रोजगार तथा स्वरोजगार में श्रमिकों के फालतू तथा बेकार समय के पूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

बहस के दौरान कई सदस्यों द्वारा यह कहा गया था कि कई समाजवादी तथा गैर-समाजवादी देशों में "कार्य के लिए अधिकार" की गारन्टी दी गई है। निस्सन्देह समाजवादी देशों में, "कार्य के लिए अधिकार" को अनेक देशों के संविधानों में शामिल किया गया है परन्तु देखना यह है कि क्या ऐसा अधिकार वादयोग्य अधिकार है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कार्य के लिए अधिकार समाजवादी देशों में शायद रोमानिया तथा पोलैंड को छोड़कर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

जैसा कि मेरे मित्र सत्यनारायण राव जी ने कहा है कि वहां किस प्रकार से युवकों को रोजगार में लगाने के लिए जबर्दस्ती आदेश जारी किए गए हैं जोकि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में सम्भव नहीं है।

इस बात को याद रखना भी आवश्यक है कि समाजवादी देशों में राष्ट्र के सम्पूर्ण संसाधन राज्य में ही निहित होते हैं और आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र का राज्य द्वारा सख्ती से नियन्त्रण किया जाता है। कुछ गैर-समाजवादी देशों में भी कार्य के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है लेकिन यह सभी देश विकसित देश हैं, जिनके पास अपने श्रमिक बल में सामान्य वृद्धियों के अनुरूप पर्याप्त कार्य का सृजन करने हेतु या बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बहुत संसाधन प्राप्त हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : अभी आपने यह बात कही है कि अगर राइट टु वर्क दे दिया जाये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जबर्दस्ती काम नहीं कराया जा सकता है लेकिन दूसरे देशों में ऐसा कराया जाता है।

श्री धर्मवीर : मैंने यह नहीं कहा है मुझे आशा है माननीय सदस्य मुझे ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे।

भारत न तो समाजवादी देशों की तरह एकदलीय देश है और न ही इसके पास विकसित पूंजीवादी देशों के समान असीमित वित्तीय संसाधन हैं। अतः आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर पर कार्य के लिए अधिकार को एक मूल अधिकार बनाना व्यवहार्य नहीं होगा।

बहस के दौरान ये मांगें की गई हैं कि सरकार को बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। अनेक अवसरों पर सरकार ने इस सदन में यह बताया है कि इस तरह के लिए अपेक्षित बहुत बड़ी धनराशि एवं आवश्यक साधनों का उपयोग विकास के लिए, विशेषकर अर्थ-व्यवस्था के विकास के वर्तमान दर को तेज करने के लिए किया जाना चाहिए।

जैसा कि यहां पर हरिकेश जी ने बताया कि कई राज्यों में रोजगार भत्ता देने की योजना को लागू किया गया है लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जैसी कि मेरे पास जानकारी है, कर्नाटक राज्य इस मामले पर पुनः विचार कर रहा है। इस प्रकार से जो उनको भत्ता दिया जाता है, वह किसी प्रकार से लाभप्रद नहीं होता है। इस साधन को यदि हम उत्पादक कार्यों में लगा दें, तो उससे लाभ होगा। इसलिए बेरोजगारी भत्ता देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें काफी साधनों की आवश्यकता पड़ती है। छात्रवृत्ति रोजगार योजना को 1978 से चालू करने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 1981 से नई भर्ती बन्द कर दी है क्योंकि योजना के अधीन कार्य कर रहे उम्मीदवार सरकारी सेवा में स्थायी खपत की मांग कर रहे थे और बजट पर भी दबाव पड़ रहा था। जबकि सरकार देश में बेरोजगार व्यक्तियों को कुछ लाभप्रद कार्य देने के लिए सभी उपाय कर रही है। इस बात का उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि बेरोजगारी की वृद्धि दर श्रमिक बल की वृद्धि दर और रोजगार अवसरों में विशुद्ध वृद्धि पर निर्भर करती है। श्रमिक बल की वृद्धि दर देश में जनसंख्या की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस बात पर सहमति प्रकट की है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर जब तक व्यावहारिक तरीके से नियंत्रण नहीं प्राप्त किया जाएगा तब तक बेरोजगारों पर नियंत्रण प्राप्त करना मुश्किल होगा। दूसरे यह कि जैसा राव साहब और चौ० सुन्दर सिंह जी ने कहा है कि एक बार सरकार में इस बारे में ध्यान दिया गया है। बड़ी कड़ाई से पालने करने का नतीजा यह हुआ कि हम उधर चले गये और आप इधर आ गए। दोबारा ऐसा मौका दिया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे राजनीतिक मुद्दा न बनाकर आपको इसमें सहयोग देना चाहिए। जैसा कि श्री हरिकेश जी ने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जनमानस तैयार करना चाहिए।

समय आ गया है कि ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार किया जाए कि बेरोजगारी को हल करना जनसंख्या में वृद्धि की दर में पर्याप्त कमी द्वारा ही संभव हो सकता है। इससे यथा-समय उत्पादकता और आय के उत्तरोत्तर उच्चतर स्तरों पर योजना बद्ध विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों और श्रमिक बलों में शुद्ध वृद्धि के बीच संतुलन लाया जा सकेगा। माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बहुत महत्व दे रही है, परन्तु सदन के सभी वर्गों और वस्तुतः सम्पूर्ण राष्ट्र के हार्दिक समर्थन के

बिना यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः समय का तकाजा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम मिलकर समर्पण की भावना से लगातार प्रयास करें।

एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि हम खेतों तथा फैक्ट्रियों में, कार्यालयों में और सेवा सेक्टरों में अनुशासनयुक्त तथा समर्पित कार्य द्वारा वर्तमान उत्पादनकारी उपकरणों का पूरा-पूरा उपयोग करें। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। हम यह काम नहीं कर सकते यदि हम समाज में संघर्ष तथा विनाश के स्थान पर विचार-विमर्श तथा संसाधन के सभ्य तरीके से झगड़े नहीं निपटाते, चाहे वे सामाजिक हों, राजनीतिक हों या अन्य प्रकार के हों।

श्रीमन्, इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी एम्पलायमेंट एक्सचेंज में गड़बड़ियों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्शित किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने नए तरीके से राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जो डायरेक्टर निदेशक हैं, उनको निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से, जो आम दिक्कतें लोगों के सामने पैदा होती हैं, वे समाप्त हों। जो भ्रष्टाचार और दिक्कतें हैं, उन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। इन सब की डिटेल में बता सकता हूं कि किस प्रकार के निर्देश हमने राज्य सरकारों को दिए है।

जहां तक हमारे माननीय सदस्यों ने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही है, यह शिक्षा मन्त्रालय का विषय है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय विषय है, इसलिए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। क्योंकि प्रारम्भिक काल से आज तक हर एक स्तर पर इसकी चर्चा होती है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन हो, अभी इस बारे में जनमानस तैयार नहीं हो पाया है। किस प्रकार का हो, अभी इसके बारे में भी जनमानस तैयार नहीं हो पाया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जॉब-ओरिएन्टेड होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आई० टी० आई० से प्रशिक्षण प्राप्त बेकार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें।

मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, वे मेरी बातों को शान्तिपूर्वक ध्यान से सुन रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिये जो हमारे एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें सम्मानित सदस्य हमारे साथ सहयोग करें, क्योंकि इसी भावना से प्रेरित होकर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में इसको विशेष महत्व दिया है···

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप क्या सहयोग चाहते हैं ?

श्री धर्मबीर : फसल के अतिरिक्त समय में उनको काम देने के लिये जो हमारे सड़कों के कार्यक्रम चल रहे हैं, वह काम ठीक से हो सके। इस योजना के अन्तर्गत लोगों को काम मिले, इस दृष्टि से आप ब्लाक स्तर पर सहयोग करें, तभी बेरोजगारी दूर हो सकती है।

श्री रामविलास पासवान : हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन काम आपके अफसर करते हैं।

श्री धर्मवीर : दूसरा सहयोग हम यह चाहते हैं कि बहुत से युवक जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, उनके अन्दर जो हमारी सेल्फ-एम्पलायमेंट की स्कीमें हैं उनको स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनसे कहा जाये कि वे स्वयं कुछ काम-धन्धा शुरू करें, बैंकों के द्वारा ऋण लेकर वे अपने काम को शुरू कर सकते हैं··· (**व्यवधान**) ···मैं आपसे सहयोग की मांग करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं —आज एम्पलायमेन्ट एक्सचंजों में ऐसे बहुत से नाम दर्ज हैं जो आलरेडी नौकरी में लगे हुए हैं लेकिन बैटर-जाब के लिये वहां नाम लिखाये हुए हैं। एक फैमिली में कम से कम एक आदमी को रोजगार मिले, इस प्रकार की तमाम कठिनाइयां हमारे सामने हैं। इसलिए एक स्वस्थ वातावरण के लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। दूसरे जो हमारी सेल्फ-एम्पलायमेन्ट की योजनायें हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिये।

आपने भी अपने भाषणों में छोटे-छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान दिलाया है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूं—हमारे गांवों में जो आर्टीजन्ज हैं, उनके बनाये हुए माल को कौन स्वीकार करता है? फैक्ट्रीज में जो नफीस चीजें बनती हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। मोटा कपड़ा, हाथ के बने हुए जूते, लकड़ी की अलमारियाँ, मेज, कुर्सी को लोग स्वीकार नहीं करते। हमें इन वस्तुओं के लिये उपयुक्त मार्केटिंग की व्यवस्था करनी है। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो उनके मन में भी रोजगार की भावना पैदा हो सकेगी।

आप इस बात की सराहना करेंगे कि सरकार देश में व्याप्त बेरोजगारी की गम्भीरता से पहले ही पूरी तरह से अवगत है तथा बेरोजगारी को दूर करने तथा गरीबी को हटाने के लिए सभी संभव उपाय हम कर रहे हैं। आप सभी की भावनाओं की कद्र करते हुए हमारा प्रयास इस देश में बेरोजगारी को दूर करना रहेगा। हमारा सदैव यह प्रयास रहेगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहे, देश का उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार के अवसर मिलें। अतः इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प के पेश करने वाले श्री चन्दूलाल चन्द्राकर···

(**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : इस संकल्प को स्वीकार करने के सम्बन्ध में सभा एकमत है।

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

मंत्री महोदय ने दो बातें कही हैं। एक तो इन्होंने सेल्फ-एम्पलायमेन्ट का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय जानते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार से आये हैं, शेडयूल्ड कास्ट परिवार से आए हैं, दूसरों की बात छोड़ दीजिए। जो हुनर का काम आज शेडयूल्ड कास्ट के लोग गांवों में करते हैं, जैसे चमड़े का काम या दूसरे काम, क्या सरकार की तरफ से उसके एम्पलायमेन्ट के

लिए धनराशि मिल जाती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है ? आप इस बात को क्लेरिफाई कीजिए।

दूसरी बात—आपने सोशलिस्ट कन्ट्रीज का जिक्र किया है। हमारे यहां जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। चाइनीज कांस्टीट्यूशन में 1975 में 'राइट-टु-वर्क' जोड़ा गया। जब चाइना में राइट-टु-वर्क जोड़ा जा सकता है तो हमारे देश में क्या दिक्कत है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि वर्तमान स्थिति में रोजगार चाहने वाले सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा : 'मेरा देश विकसित देश नहीं है ओर न ही यह समाजवादी देश है।' ऐसा मंत्री महोदय ने कहा है। एक आदमी को रहने के लिए उसके पास या तो सम्पत्ति हो या कोई काम हो या उसे सहायता मिले। अन्यथा वह भूखा रहेगा। अब प्रश्न यह है कि यदि भारत में किसी व्यक्ति को इनमें से कुछ भी उपलब्ध न हो तो वह जीवित कैसे रहे ? आप अपने कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे लोगों का क्या होगा और क्या उनके प्रति सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सभा इस बात के लिए एकमत है कि यह संकल्प स्वीकार किया जाए ? किसी भी वक्ता ने इसका विरोध नहीं किया। क्या मंत्री महोदय इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : डायरेक्टिव प्रिंसीपल आफ स्टेट पालिसी में इस बात की ओर संकेत किया गया है। साफ तरीके से कहा गया है कि हर आदमी को इस प्रकार के अधिकार हैं। इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी के तमाम अंशों को फण्डामेंटल राइट्स में मिला दिया जाए। इससे तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा करने से आपको कौन रोकता है।

श्री अमल दत्त (डायमांड हार्बर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह देश समाजवादी नहीं है। यह बात हमारे संविधान के प्रत्यक्षतः विरुद्ध है। स्वयं संविधान में ही कहा गया है कि हमारा देश प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतन्त्र है। मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश समाजवादी नहीं है ?

श्री धर्मवीर : माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने वक्तव्य में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख चुका हूं। जहां तक श्री पासवान जी ने हरिजनों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है, वे स्वयं जानते हैं कि अभी हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। अभी हमारी विचारधारा में वह परिवर्तन नहीं आया है। उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिएं वे नहीं मिल पा रही हैं। हम सब उसी वर्ग से सम्बन्धित हैं। कठिनाइयों के बावजूद हम प्रयास करते हैं कि इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम और कंपोनेंट प्लान के जरिए हरिजनों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का हम पूरा प्रयास करते हैं।

चक्रवर्ती जी को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हम सोशलिस्ट जरूर हैं परन्तु एक दलीय सोशलिस्ट नहीं हैं। हम समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करते हैं और उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं हरिजनों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हैं। समाजवादी सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के आधार पर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सवाल है तो जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार हम जितनी व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं। हम ऊंची-ऊंची बातें करके सदन को गुमराह नहीं करना चाहते। वोट कैचिंग का हमारा दृष्टिकोण कभी नहीं रहा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की नीति जानना चाहता हूं। मैंने कहा था कि यदि किसी के पास न सम्पत्ति हो, न रोजगार है और न ही उसे कोई सहायता प्राप्त है, तो वह भूखा मरने को बाध्य है। ऐसे लोगों की रक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री धर्मवीर : मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एन० आर० ई० पी० चलाया गया है।

श्री हरिकेश बहादुर : कहां है यह प्रोग्राम ?

श्री धर्मवीर : अब आप मानने को तैयार नहीं हैं तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिनके पास साधन नहीं हैं वे जिलाधिकारी के पास आते हैं। उनको रोड कंस्ट्रक्शन या हरिजन हैं तो उनके अनुसार उनको काम दिया जाता है। उपलब्ध साधनों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, जिन्होंने संकल्प पेश किया था, सभा में उपस्थित नहीं है। अतः वे···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते ? मैंने आपको इतने घंटों सुना है। अतः वे···

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। संकल्प को पेश करने वाले उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय । मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

अतः वे अपने उत्तर देने के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वाद-विवाद समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत हो तो संकल्प पर पेश किए गए सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह 'काम के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करे।"

जो पक्ष में हों वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो विरोध में हों वे 'ना' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'ना'।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं 'ना' वाले विजयी रहे।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' वाले विजयी रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन के लिए वास्तव में आग्रह कर रहे हैं ? यह एक गैर-सरकारी संकल्प है। सामान्यत: इस पर जोर नहीं दिया जाता।

एक माननीय सदस्य : इसे सदस्यों के निर्णय पर छोड़ें, आपके पर नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम यह रिकार्ड करना चाहते हैं कि कौन से कांग्रेस (आई) सदस्य संकल्प में उल्लिखित काम के अधिकार का विरोध करते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम इसे रिकार्ड में रखना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : काम का अधिकार संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभी दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।...

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है कि :

"बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह 'काम के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के लिये कार्यवाही करे।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 2 **17.27 बजे**

पक्ष में

अशफाक हुसैन, श्री
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दत्त, श्री अमल
दंडपाणि, श्री सी० टी०
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
मैत्रा, श्री सुनील
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मुखर्जी, श्री समर
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
राजन, श्री के० ए०
रियान, श्री बाजूबन
राय, श्री ए० के०
सिन्हा, श्री निर्मल
टिर्की, श्री पीयूष
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्रप्रसाद

***विपक्ष में**

बैठा, श्री डूमरलाल
बंसी लाल, श्री
भोले, श्री आर० आर०
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
डागा, श्री मूल चन्द
दास, श्री अनादि चरण
डैनिस, श्री एन०
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गोमांगो, श्री गिरिधर
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जैन, श्री भीकू राम

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष में अपने मत दिये—
सर्वश्री रघुनन्दन लाल भाटिया और स्कारिया थामस।

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
नहाटा, श्री बी० आर०
नामग्याल, श्री पी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पटेल, श्री शान्तुभाई
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
साही, श्रीमती कृष्णा
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
तिवारी, प्रो० के० के०
थुंगन, श्री पी० के०
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटरामन, श्री आर०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री राम सिंह

एक माननीय सदस्य : मैं समझता हूं गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति है ? शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम है : पक्ष में 20, विपक्ष में 32।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

केन्द्री राज्य सम्बन्ध के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली मद, अर्थात श्री सुधीर कुमार गिरी द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में पेश किए गए संकल्प को लेती है। श्री गिरी की ओर से श्री अमल दत्त संकल्प पेश करेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : महोदय श्री सुधीर गिरि की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि हमारे देश के राजनीतिक ढांचे में विभिन्न भाषायी और जातीय

वर्गों द्वारा पृथक राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभर आने के कारण केन्द्र और राज्यों के बीच के वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धों के ढांचे को नया रूप देना आवश्यक हो गया है और इसलिए संकल्प करती है कि संविधान के संगत उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन किए जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसलिए अब आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, देश में गत सोलह या सतरह वर्षों से राजनीतिक चर्चा में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न मुख्य रूप से वाद-विवाद का विषय रहा है। जो लोग सरकार की प्रणाली, देश के संविधान, संविधान निर्माताओं की विचारधारा और देश में विद्यमान संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे से अवगत हैं, उनके मन में यह प्रश्न हमेशा ही बना रहता है। परन्तु जब तक केन्द्र और सभी राज्यों में एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा तब तक इस मुद्दे पर न तो कोई वाद-विवाद उठा और न ही टकराव की स्थिति पैदा हुई, न ही इस पर कोई राजनैतिक वाद-विवाद हुआ और न ही इस बात को लेकर आंदोलन किए गए।

महोदय, जब संविधान पारित किया जा रहा था तब ही कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि केन्द्रीय सरकार के हाथ में इतनी अधिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण न किया जाये। उस समय यह कहा गया था कि राज्यों की उपेक्षा करके केन्द्रीय सरकार को इतनी अधिक शक्तियां न दी जायें। और यह भी कहा गया था कि संविधान के प्रस्तावित ढांचे से संविधान संघात्मक नहीं बनता है। वास्तव में इस बात पर लम्बी चर्चा हुई थी कि क्या देश को संघात्मक कहा जाये या केन्द्रात्मक कहा जाए। अन्ततः यह निर्णय किया गया कि देश को केन्द्रात्मक कहा जाये। जब हम कालेज स्तर पर राजनीतिक विज्ञान पढ़ते थे तो हमें हमेशा यह ही बताया जाता था कि हमारा देश उन देशों में से एक है जहां पर संघात्मक संविधान है। अध्यापकों द्वारा तथा पुस्तकों में भी भारत की तुलना कनाडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्वीटजरलैण्ड और ऐसे ही अन्य देशों से की जाती थी जहाँ संघात्मक संविधान है। उन दिनों में, और आज भी समाजवादी देशों के संविधानों का विश्वविद्यालयों और कालेजों में यदाकदा ही अध्ययन कराया जाता है। हमें बताया गया था कि यद्यपि भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ है परन्तु यह वास्तव में संघात्मक है। पचास वाले दशक या 1967 तक ऐसी केन्द्र और राज्यों में पृथक् पृथक् राजनैतिक दलों की सरकारें होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार और राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई तब संविधान की इस विशेषता से कुछ दिक्कतें पैदा हुई। पश्चिम बंगाल के अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि जब 1967 में वहां संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्ता में आई तब उन्होंने मुख्य रूप से यह नारा लगाया था कि केन्द्र से अधिक शक्तियां लेकर राज्यों को दी जानी चाहिए अर्थात् राज्यों को और अधिक प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिएं।

पश्चिम बंगाल की उस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे कुछ काम यहां, तक कि साधारण काम भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार पर आश्रित होना

पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उन्हें केन्द्र के पास दौड़ना पड़ता है। वास्तव में तब राजनैतिक विरोधी दलों ने इस बात को गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया था। उस सरकार ने यह भी कहा था कि प्रत्येक कार्य अन्तत: केन्द्र के हाथों में छोड़ दिया गया है। कई कार्टून बनाने वालों ने मंत्रियों के कार्टून इस आशय के साथ बनाये थे। व्यंग्यपूर्वक यह कहा जाता था कि यदि हास्पिटल में कोई गर्भ गिर जाता है तो उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है। किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है। आज विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से दक्षिण भारत के तीन राज्यों में स्थिति बदल गई है और वहां गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं। इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक के परिणामस्वरूप एक यह मत बना है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब केन्द्रीय सरकार ने उस अनुरोध को मान लिया है और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है। न केवल पश्चिमी बंगाल, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों और पंजाब राज्य के अनुभव के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने अब एक सरकारिया आयोग का गठन किया है जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का अध्ययन करेगा। अब राजनैतिक तनाव बढ़ता जा रहा है और यह अच्छी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अन्ततोगत्वा इसे मान लिया है। मैं तो चाहता था कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्र और लोगों के हित में यह बात 20 वर्ष पहले ही मान लेती। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि भारत में सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि राज्यों को और अधिक प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय आदि सभी प्रकार की शक्तियां दी जानी चाहिए। इसके विपरीत, उन्होंने यह कहा कि जो लोग अधिक शक्तियों की मांग करते हैं वे राष्ट्र-विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए जिससे देश का हित हो।

महोदय, केन्द्र के पास अधिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण से देश और इसके लोगों को क्या लाभ हुआ, यह स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् 35 वर्षों में स्पष्ट हो गया है। गत 35 वर्षों में हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो विश्व में सबसे कम है। आज हमारे पास प्रति व्यक्ति अनाज तो उतना उपलब्ध है जितना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था परन्तु दाल और तिलहन की कमी है। हम अपनी सिंचाई क्षमता को भी बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं। यदि हमने अपनी सिंचाई क्षमता को यथासम्भव बढ़ाया होता तो आज 15 करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत होती जबकि आज केवल 2.5 करोड़ हैक्टेयर भूमि ही अब सिंचाई के अन्तर्गत है जोकि हमारी कुल क्षमता का चौथाई से भी कम है। हमारे यहां विद्युत सप्लाई की स्थिति भी बड़ी ही खराब है। गत 35 वर्षों में विश्व की तुलना में हमारे यहां प्रत्येक क्षेत्र में ही विकास की गति बहुत ही कम रही है। गत 35 वर्षों में केन्द्र को मजबूत बनाकर देश के लोगों ने यही कुछ पाया है।

शक्तिशाली केन्द्र के समर्थकों को यह बात मान लेनी चाहिए कि जब संविधान लागू हुआ था तब केन्द्र उतना मजबूत नहीं था जितना कि वह आज है। यद्यपि ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं हमारे संविधान में ले ली गई हैं और उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को उतनी अधिक शक्तियां दे दी गई हैं, जितनी कि किसी भी अन्य संघात्मक

संविधान के अन्तर्गत नहीं दी गई हैं। इतने पर भी केन्द्रीय सरकार का सत्ताधारी दल इन शक्तियों से संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे-धीरे वे केन्द्र में अपनी शक्ति बढ़ाते गए। उन्हें ऐसी प्रशासनिक शक्ति प्राप्त है कि वे राज्यों को ऐसे प्रशासनिक निदेश दे सकते हैं कि राज्यों को अपने कार्य किस प्रकार से करने हैं और किस प्रकार से नहीं करने हैं। ताकि केन्द्रीय विधानों पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। केन्द्रीय सरकार को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह उन विषयों के बारे में भी कानून बना सकती है जो राज्यों के लिए अलग से नियत हैं। ऐसा तो वे मूल संविधान के अनुसार ही कर सकते थे लेकिन केन्द्र में सत्ताधारी दल तो और अधिक शक्तियां अपने आप को देने के लिए संविधान में संशोधन करता गया क्योंकि अन्य राज्यों में उसकी अपने ही दल की सरकार थी। उन्होंने और अधिक प्रशासनिक शक्तियां ग्रहण कर ली। उन्होंने और अधिक कार्यपालिका की शक्तियां ग्रहण कर ली। उन्होंने यहां तक शक्ति प्राप्त की कि वे किसी भी राज्य की निर्वाचित सरकार को भी समाप्त कर सकते हैं। प्रारम्भ में संविधान में यह शक्ति इस लिए रखी गई थी क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में विद्यमान थी। इसके अनुसार राष्ट्रपति—यह शब्द गवर्नर जनरल के स्थान पर रखा गया है--किसी भी राज्य की विधान सभा को भंग कर सकेगा या किसी भी राज्य की विधिवत निर्वाचित सरकार को समाप्त कर सकेगा और वहाँ पर अपना शासन लागू कर सकेगा। यह शासन संसद् का होगा और संसद् भी संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सम्पूर्ण शक्ति दे सकेगी। संविधान में ऐसी व्यवस्था है और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान भारतीय संविधान की विशेषताओं और कमजोरियों की ओर आकर्षित हुआ, विशेष रूप से इस बात की ओर कि लोकतंत्रीय पद्धति से निर्वाचित राज्य सरकार को भी कुछ ऐसे व्यक्ति उखाड़ फेंक सकते हैं जो उस राज्य की विधान सभा के गठन से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। इस प्रकार संविधान प्रदत्त इस असाधारण शक्ति का सहारा लेकर और राज्य के निर्वाचकों की उपेक्षा करके एक के बाद एक राज्य सरकारें उलटी गईं। मुझे पूरा यकीन है कि संविधान के निर्माताओं ने जब इस उपबन्ध को भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया था तब उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस शक्ति का इस प्रकार से गलत प्रयोग किया जायेगा। किन्तु अब जबकि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि संविधान से इन उपबन्धों को निकाल दिया जाये। इस संदर्भ में, मैं संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें, इस संकल्प के अनुसार, निकाल दिया जाना चाहिए। यह एक मुख्य बात है लेकिन और भी कई बातें हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के आपत्तिजनक अनुच्छेदों की ओर भी कई धाराएं हैं जो राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के सामने एक भिखारी मात्र बना देती हैं। किसी भी बड़ी परियोजना के लिए जिसे राज्य क्रियान्वित करना चाहता है उने केन्द्रीय सरकार के पास उसके अनुमोदनार्थ जाना होगा। इसके बाद उसे उसके लिए धन हेतु भी केन्द्रीय सरकार के पास जाना पड़ता है। इम प्रकार एक परियोजना के लिए विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार को भी बार-बार भिक्षा का पात्र हाथ में लेकर केन्द्रीय सरकार के पास जाना पड़ता है। राज्य सरकार अपने लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना चाहती है परन्तु वह कर नहीं

सकती, जब राज्य सरकार विधान सभा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून पास करती है तभी उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। उसे राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजना पड़ता है। राज्य का राज्जपाल इस पर सम्मति नहीं दे सकता। इसी कारण से कई मामलों में विलम्ब होता रहा है। मैं नहीं जानता कि यह विलम्ब कितने लम्बे समय का हो सकता है-- एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष का भी विलम्ब हो जाता है। एक विधयक तो ऐसा है जो पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 1०69 में पारित किया था लेकिन अभी तक वह राष्ट्रपति की सम्मति हेतु विचाराधीन है, हालांकि उसे पारित हुए 14 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे राज्य भूमि की पट्टेदारी के सम्बन्ध में मूलभूत परिवर्तन करने हेतु पारित करना चाहती है। इस कानून का बनाया जाना न केवल सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है बल्कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए भी आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि भूमि का स्वामित्व उन लोगों को दिया जाये जो भूमि जोतते हैं। परन्तु हम इस व्यवस्था को अब तक इसलिए लागू नहीं कर पाये हैं कि भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक को संविधान के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना होता है। 1969 में पारित किया गया एक विधेयक आज 1983 में भी राष्ट्रपति की सम्मति के लिए विचाराधीन है। विधायी शक्ति का स्वरूप यह है। सबसे पहले हम यह देखें कि विधायी शक्तियों का ढांचा किस प्रकार का है। मैं संविधान की अनुसूची 7 का उल्लेख कर रहा हूं। प्रथम सूची के अन्तर्गत जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने के अधिकार एकांतिक रूप से संसद को केन्द्रीय सरकार को और केन्द्र में सत्ताधारी दल को प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार ही यह निर्णय करती है कि क्या उन प्रमुख विषयों के सम्बन्ध में कोई कानून विधान पालिका के सामने लाया जाये, पारित किया जाये या न किया जाये और क्या उसे लागू किया जाये या न किया जाये। इस बारे में सभी निर्णय केन्द्रीय सरकार करती है और राज्य सरकारों की उसमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मेरे विचार से समवर्ती सूची में 47 मद हैं और इन मदों के बारे में राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किया गया कानून भी राष्ट्रपति की सम्मति हेतु भेजा जाता है। इस प्रकार से राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए बहुत ही सीमित क्षेत्र दिया गया है और उस सीमित क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार यह कहकर हस्तक्षेप कर सकती है कि अमुक कानून राष्ट्रीय हित में नहीं है इसलिए हम उसे पारित नहीं होने देंगे। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि विधायी शक्तियों के आवंटन पर पुनः विचार किया जाये। राज्यों की अवहेना करके संसद को कानून बनाने की जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें कम किया जाना चाहिए। संविधान में इस दृष्टि से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है कि राज्यों के लोग अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें। उन्हें दिल्ली न आना पड़े और केन्द्र की इच्छा पर निर्भर न रहना पड़े, विशेष रूप से ऐसे कार्यों के लिए जो दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूरी पर होने हैं। यहां तक कि एक छोटी सिंचाई योजना भी योजना आयोग के अनुमोदन बिना शुरू नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी अन्य देश में विद्यमान नहीं है। मैं आपको पहले ही आंकड़े दे चुका हूं कि ऐसी केन्द्रीय सरकार जिसे कई करोड़ लोगों पर शासन करना होता है, के हाथ में प्रशासनिक, विधायी और नौकरशाही की शक्तियों के केन्द्रीयकरण का क्या परिणाम निकला

है। अब हमारी जनसंख्या लगभग 70 करोड़ होने वाली है। इसलिए इस सन्दर्भ में हमें देखना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए। मूलतः सरकार के बारे में धारणा यह थी कि सरकार का काम विधि और व्यवस्था बनाये रखना होना चाहिए और बाकि सब काम लोगों पर छोड़ देने चाहिए। परन्तु भारत में यह धारणा नहीं है। किसी भी अन्य देश में ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कि भारत में है सरकार को लोगों के कल्याण पर ध्यान देना होता है। मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि सभा में हाल ही में गैर-सरकारी सदस्य का एक ऐसा संकल्प अस्वीकार किया गया है ज़िसका ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार दिलाना था; जिसके माध्यम से काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाया जा रहा था। केन्द्र में शासक दल की यह प्रवृत्ति है। लेकिन कुछ राज्यों में शासन कर रहे अन्य राजनैतिक दलों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी शक्ति बढ़ाते और सरकार को हरा देते।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : आप विश्वास करें कि वे अगले दो सालों में चले जायेंगे।

श्री अमल दत्त : महोदय, किसी कारण से हमने इसे आवश्यक नहीं समझा था। उस पक्ष के भी कुछ सदस्य उस संकल्प के समर्थन में बोले और उस पक्ष का एक सदस्य तो उस संकल्प का प्रस्तावक भी था। इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वयं के संकल्प को ही अस्वीकार किया। वस्तुतः सत्ताधारी दल ऐसे ही काम कर रहा है वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यह सत्ताधारी दल गत तीस वर्षों से ऐसे ही काम करके लोगों को धोखा दे रहा है। मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ यह कहेंगे कि हम इस संकल्प के समर्थन में बोले थे परन्तु यह बिलकुल नहीं बतायेंगे कि हमने उसके विपक्ष में मत दिया था। (**व्यवधान**)

मैं केन्द्रीय सरकार की दयनीय उपलब्धि का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। मुझे केन्द्रीय सरकार की दयनीय स्थिति के बारे में अधिक कहना नहीं था, लेकिन ऐसा करने के लिए। मुझे मजदूर किया गया, क्योंकि केन्द्र राज्य सम्बन्धों का प्रश्न गलत तरीके से उठाया गया है। इस समस्या का समाधान इस बात पर अधिक निर्भर नहीं करती कि किस व्यक्ति ने इस समस्या के समाधान हेतु दिमाग लगाया है अथवा कौन सी पद्धति अपनाई गई है, बल्कि यह अधिक उस बात पर निर्भर करता है कि समस्या किस तरह उठाई गई है। समस्या अब इस तरह उठाई गई है कि जो व्यक्ति मजबूत राज्य चाहता है, वह कमजोर केन्द्र चाहता है। ऐसा नहीं है। मजदूत केन्द्र के लिए मजबूत राज्य भी होने चाहिए। यदि राज्य मजबूत नहीं है तो मजबूत केन्द्र का कोई लाभ नहीं है। कुछ दिन पहले, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी ने कहा……

उपाध्यक्ष महोदय : आज मजबूत होने पर ही शरीर मजबूत होगा। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री भी इससे सहमत होंगे।

श्री अमल दत्त : अन्यथा फिर मजबूत नहीं होगा।

श्री सुनील मैत्रा : रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था : यदि आपके शरीर का पूरा खून

मस्तिष्क में जमा हो जाए तो आपका चेहरा तो चमकदार लग सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आपके स्वस्थ होने का द्योतक है। इससे तो कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है।

श्री अमल दत्त : वह मस्तिष्क के रक्तस्राव से भर जाएगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम नहीं चाहते कि केन्द्र अथवा राज्यों में से किसी एक के साथ ऐसा हो। केन्द्र और राज्यों दोनों को मजबूत होना चाहिए······

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : यही हम कहना चाहते हैं। हम उस बात पर बल देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार भी इससे सहमत है··(**व्यवधान**) वे चाहते हैं कि केन्द्र और राज्य मजबूत हों···(**व्यवधान**)।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार की दयनीय स्थिति की चर्चा कर रहा था। लेकिन इसे समाज में आय की बढ़ती हुई असमानता के दृष्टिकोण से देखा गया है। इसमें इतनी वृद्धि हो गई है कि 40%से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन स्तर बिता रहे हैं—तथा वे लगातार भूख तथा कुपोषण से पीड़ित हैं। मुझे नहीं मालूम है कि यहां बैठे मन्त्री महोदय ने उस भाषण को पढ़ा है जो दिल्ली में जनवरी मास में एक विख्यात अर्थशास्त्री ने दिया था तथा उस भाषण में व्यक्त किए गए कतिपय वाक्यों के कारण काफी विवाद उठ खड़ा हुआ था। परन्तु किसी व्यक्ति ने भाषण में व्यक्त किए गए पुनः विचारों को चुनौती दी कि भारतीय जनसंख्या का 40% लगातार भूख तथा कुपोषण से पीड़ित है। उन्होंने भारतीय स्थिति का चीन तथा श्रीलंका की स्थिति से तुलना की। भारत में आजादी के 35 वर्ष पश्चात्, औसत जीवन-आयु 52 वर्ष है, चीन में 65 वर्ष है तथा श्रीलंका में 69 वर्ष है। इसका कारण यह है कि उन देशों में खाद्य उपलब्ध है और कोई व्यक्ति कुपोषण से पीड़ित नहीं है। मुझे विश्वास है कि उन देशों में वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो पश्चिमी देशों में उपलब्ध हैं, अतः उन देशों में जीवन-आयु के औसत में वृद्धि का एक मात्र कारण भूख तथा कुपोषण का न होना है। इसे आंकड़ों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, इसमें शंका तथा द्विविधा की कोई बात नहीं है।

मैंने योजना आयोग के परामर्शदात्री समिति में, जहां योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग के सदस्यगण उपस्थित थे, यह प्रश्न पूछा था। मैंने उन्हें वही आंकड़े दिए थे जिनका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है। उनसे पूछा कि क्या आप असमानता की स्थिति को, जिससे भारत में भूख तथा कुपोषण उत्पन्न होते हैं, दूर करना चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में आपको कुछ करने का विचार है ताकि भारतीयों का औसत जीवन-आयु कम से कम चीन के बराबर आ सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। वे इसे सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमारा खाद्य उत्पादन बहुत कम है। सूखे के इस वर्ष में हमारे खाद्य उत्पादन में 50 से 60 लाख टन की कमी होने की आशंका है। मुझे नहीं मालूम है कि इस समय क्या अनुमान है। लेकिन एक अथवा दो मास पूर्व अखबारों में आया था कि 1320 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। महोदय 1320 लाख टन खाद्यान्न हमारी आवश्यकता से 400 लाख टन कम है। यदि प्रति व्यक्ति

600 कैलोरी की औसत आवश्यकता के आधार पर गणना करें, जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलौरी की आवश्यकता को शामिल नहीं किया गया है, तो यह विकसित देशों से बहुत कम है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 3,000 कैलोरी से अधिक मिल रहा है, जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 कैलोरी की हमारी आवश्यकता के अनुसार भी हमारे पास 400 लाख टन खाद्यान्न की कमी है। इस पर हम 1320 लाख खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन होने का ढोल पीट रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। योजना बनाने वाले को हमारी आवश्यकता के बारे में भी पता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि यह आपके मजबूत केन्द्र तथा मजबूत योजना आयोग का परिणाम है। उन्होंने इसकी गणना नहीं की कि लोगों की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने केवल गणना की कि हम कितना उर्वरक पैदा तथा बेच सकते हैं, अधिक उर्वरक तैयार करने के लिए कितना सहभाग लिया जा सकता है। आपकी गणना का यही आधार है। आप आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, आप रक्षा में आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, आप उद्योग में आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक चीज के लिए आपको विदेशों में जाना पड़ता है, तथा सहभाग प्राप्त करना पड़ता है, जो टन के आधार अथवा अन्य आधार पर ही क्यों न हो।

अतः, हमारी मजबूत केन्द्र सरकार की यह उपलब्धि है। यदि यही उपलब्धि है तो सरकार के लिए यह सोचने का समय है क्योंकि दक्षिण के चुनावों में उन्हें करारी हार मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ताधारी दल के ठीक सोचने वाले व्यक्ति दिल्ली के चुनावों में मिली सफलता की सुव-भ्रान्ति में नहीं आएंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : और यह सफलता एशियाड में 1500 करोड़ रुपये व्यय करने पर मिली है।

श्री अमल दत्त : मैं समझता हूं कि अब उन्हें इसके कारणों पर सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं और आप उनकी आकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस विशाल देश की विशाल जनसंख्या को समृद्ध बनाने की महान चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक केन्द्र तथा इसके विभिन्न अंगों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जाएगा। अतः, आपको नए सिरे से सोचना चाहिए।

ऐसा नहीं सोचें कि संविधान अलंघ्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आपने संविधान में 48 बार संशोधन किए हैं। 48 बार संविधान में संशोधन करने पर, और एक दर्जन संशोधन जो केन्द्र तथा राज्यों के विधायन शक्तियों, राष्ट्रपति के सरकार तथा विधानमंडल भंग करने की शक्तियां तथा केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय शक्तियों सम्बन्धी अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है। इस पर आपको राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी विद्यमानता के लिए राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इसके बावजूद आप बने रहेंगे। उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन कोई भी परिपक्व राजनीतिज्ञ अब सोचेगा कि क्या गलती हुई है।

कांग्रेस दल हमेशा दक्षिण भारत को अपना गढ़ मानती रही है और वह गढ़ अब ध्वस्त

हो गया है। आगामी चुनावों में उत्तरी राज्यों में क्या होगा? यह उचित समय है कि आप मजबूत बनने के इरादे को त्याग दें। यह वह समय है जब आप राज्यों को विश्वास में लें, लोगों की भलाई को सोचें तथा पूरी जनता की भलाई के लिए कदम उठाएं न कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अतः संविधान के कतिपय उपबन्धों में संशोधन की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्त, मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण समाप्त करने नहीं जा रहे हैं।

श्री अमल दत्त : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब, आप अपना भाषण अगली बार समाप्त कीजिएगा।

सभा अब 4 अप्रैल, 1983 के 11 म० पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 **अप्रैल,** 1983/14 **चैत्र,** 1905 **(शक) के** 1 **म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

1983 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।